वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

सर्वे
भवन्तु सुखिनः

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

प्रस्तावना

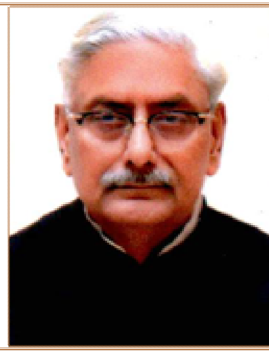

न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा
माननीय अध्यक्ष, मानव अधिकार आयोग

भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि की अपनी उनतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पीएचआरए) के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है, जिसका अधिदेश पेरिस सिद्धांतों, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (एनआईआईआरआई) को कारगर ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप अधिक जवाबदेही और सुदृढ मानव अधिकार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्धन करना है। एनएचआरसी की संरचना में विविधता और बहुलता, जो उपर्युक्त पेरिस सिद्धांतों के प्रमुख स्तंभ हैं, को बनाए रखने के लिए पीएचआरए, 1993 को वर्ष 2006 और वर्ष 2019 में और संशोधित किया गया था। पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन के अपने प्रयासों के कारण, आयोग को राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन द्वारा कई बार आयोग को स्तर 'ए' से प्रतायित किया गया है।

2. आयोग के अस्तित्व के करीब तीन दशकों में, इसने सरकार को नागरिक समितियों से जोड़ने, राज्य की जिम्मेदारी और लोगों के, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के, अधिकारों के बीच अंतर को पाटने, भारतीय संविधान द्वारा गारंटीशुदा या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित और भारतीय न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मानव अधिकारों अर्थात् जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और गरिमा के अधिकार, का संवर्द्धन करने और उनकी रक्षा करने तक बहुविध कार्य करने का अथक प्रयास किया है।

3. पिछले कुछ वर्षों में, आयोग ने मानव अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को, या तो मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले मामलों के स्वत: संज्ञान के माध्यम से या जब मीडिया, नागरिक समाज, सरोकार रखने वाले नागरिक, विशेषज्ञ, और ऐसे ही अन्य व्यक्ति जब ऐसे मामलों को आयोग के संज्ञान में लाता है, ध्यानपूर्वक हल किया है; जो शिकायतों के निपटान किए जाने की दर दर्शाने वाले आंकड़ों से स्पष्ट होता है। अपने शिकायत निवारण तंत्र के अलावा, आयोग अनुसंधान अध्ययन करने, परामर्श आयोजित करने, सेमिनार, कार्यशालाएं और प्रकाशन जारी करने के प्रयोजन से प्रमुख हितधारकों जैसे न्यायपालिका, पुलिस कर्मियों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के साथ व्यापक साझेदारी में कार्य करता है। इसके अलावा, यह छात्रों और पुलिस कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

4. मानव अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करने के लिए, आयोग ने महिलाओं, बच्चों, शरणार्थियों, एलजीबीटीक्यूआई समुदाय, कैदियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों, दिव्यांगों, वृद्ध या वरिष्ठ नागरिक, समुद्र यात्रियों, उपभोक्ताओं, कैदियों आदि, पर्यावरण और मानव अधिकार, व्यवसाय और मानव अधिकार, आदि जैसे कुछ नाम हैं जिनके अधिकारों सहित कुछ फोकस क्षेत्रों की भी पहचान की है। इन फोकस क्षेत्रों में से, तत्काल ध्यान देने योग्य मुद्दों से निपटने में आयोग को सलाह देने के लिए विशेषज्ञों के कुछ कोर समूहों का गठन किया गया है। इन फोकस क्षेत्रों की पहचान की गई है और संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले उपायों को अपनाने के लिए सिफारिशें और सलाह जारी करने के प्रयोजन से चर्चा और बैठकें आयोजित करने हेतु कोर समूहों का गठन किया गया है।

5. इस वार्षिक रिपोर्ट में, आयोग द्वारा मानव अधिकारों को सशक्त और सुरक्षित करने की अपने सफर में की गयी पहलों को विस्तारपूर्वक वर्णित किया गया है। इसमें वर्णित अध्याय महिलाओं, बच्चों, आतंकवाद, अल्पसंख्यकों, स्वस्थ्य, आक्रामकता, हिरासत हिंसा, और यातना इत्यादि से संबंधित विविध मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इस अवधि के दौरान आयोग द्वारा प्रबंधित मुख्य प्रकरणों को सारबद्ध करते हैं। यह रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान मृत लोगों के मानव अधिकारों को मान्यता देने के लिए आयोग द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

6. मैं, इस अवसर पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोग को प्रदत्त समर्थन, राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों, सिविल सोसायटी, गैर सरकारी संगठनों, मानव अधिकार संरक्षकों, मेरे सहयोगियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग के लिए उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। सामूहिक प्रयासों और प्रतिबद्धता ने महामारी वर्ष के दौरान भी बेहतर परिणाम सुनिश्चित करना संभव बनाया है। मेरी प्रबल आशा है कि यह वार्षिक रिपोर्ट न केवल पाठकों को आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, बल्कि सरकार और नागरिक समाज दोनों की सार्थक भागीदारी को भी प्रोत्साहित करेगी।

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा)

महासचिव की डेस्क से

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह
महासचिव, एनएचआरसी

एनएचआरसी की वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है।

पिछले कुछ वर्षों में, एनएचआरसी ने सभी के मानव अधिकारों का संवर्द्धन करने, उनकी रक्षा करने और प्रतिरक्षा करने हेतु एक गौरवपूर्ण विरासत स्थापित की है और एक विश्वसनीय, स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उभर कर सामने आया है। इसने धार्मिक अल्पसंख्यकों और एचआरडीएस सहित सभी के अधिकारों का संवर्द्धन करने और उनकी रक्षा करने के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन किया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं। शिकायतों के पंजीकरण में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के निर्णयों को सार्वजनिक क्षेत्र (डोमेन) में भी रखा जाता है। आयोग ने हमेशा ही मानव अधिकारों से संबंधित उभरती चुनौतियों को स्वीकार करने का प्रयास किया है और राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ वार्ता, कोर समूहों की बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, मानव संसाधन विकास और इंटर्नशिप कार्यक्रमों जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। इसने अपने कामकाज में गुणात्मक सुधार लाने और विशेष प्रतिवेदकों और विशेष अनुवीक्षकों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के नए तरीकों को अंगीकृत किया है। इस अवधि में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, एशिया प्रशांत फोरम ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस और जीएएनएचआरआई (राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन) में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी की भागीदारी में भी वृद्धि देखी गई है।

हमें पूरी आशा है कि यह वार्षिक रिपोर्ट आयोग के कामकाज, मानव अधिकारों के विभिन्न आयामों और आयोग द्वारा की गई अन्य पहलों के बारे में व्यापक रूप से समझ हासिल करने के साथ-साथ एक उपयोगी संसाधन साधन साबित हो सकती है।

(देवेन्द्र कुमार सिंह)

विषय वस्तु

अध्याय		विषय	प्रष्ट सं.
अध्याय 1	**परिचय**		1-2
अध्याय 2	**मुख्य बिन्दु**		3-7
	क	शिकायत और निगरानी	3
	ख	मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए अंतर्क्षेप	3
	ग	कानून की समीक्षा	4
	घ	कोर समूह की बैठकें	4
	ङ	नीतिगत परामर्श	4
	च	राष्ट्रीय सेमिनार	4
	छ	मानव अधिकार संबंधी शोध का संवर्द्धन	5
	ज	मानव अधिकार साक्षरता का संवर्द्धन	5
	झ	एनजीओ और सीएसओ के साथ सहलग्नता	5
	ञ	एचआरडी के साथ सहलग्नता	5
	ट	स्थापना दिवस	6
	ठ	मानव अधिकार दिवस	6
	ड	विविध (आरटीआई)	7
अध्याय 3	**एनएचआरसी : संगठन और कार्य**		8-28
	क	आयोग का गठन	8
	ख	रणनीतिक योजना और वार्षिक कार्य योजना	10
	ग	सांविधिक पूर्ण आयोग बैठक	10
	घ	मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों से निपटने के प्रयोजन से आयोजित की गयीं आयोग की बैठकें	11
	ङ	अन्वेषण प्रभाग द्वारा जांच किए गए मामले	12
	च	अध्यक्ष और सदस्यों के दौरे	15
	छ	विधि प्रभाग द्वारा हल की गयी शिकायतें	15
	ज	अनुसंधान प्रभाग की अनुसंधान गतिविधियां	24
	झ	मीडिया	25
	ञ	प्रशिक्षण	25

	ट	कोर समूह	25
	ठ	आयोग के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर	26
अध्याय 4	**प्रशासन और बजट**		28-35
	क	कर्मचारी और विशेषीकृत प्रभाग	28
	ख	राजभाषा का संवर्द्धन	34
	ग	बजट	35
अध्याय 5	**ङ- अभिशासन और संभरण सहायता**		36-38
	क	एचआरसी नेट	36
	ख	ई-ऑफिस	37
	ग	अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन	37
	घ	प्रलेखीकरण केन्द्र (ई-पुस्तकालय)	38
	ङ	अधिप्रापन/खरीद	38
अध्याय 6	**वकालत और आउटरीच**		39-48
	क	राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मलेन	39
	ख	राज्य मानव अधिकारों के साथ आयोग की बैठकें	39
	ग	साझा कार्यक्रम समिति की बैठक	40
	घ	सूचना का प्रसार और आउटरीच	41
	ङ	प्रकाशन	43
	च	प्रशिक्षण कार्यक्रम	44
	छ	आयोजित प्रतियोगिताओं के विवरण	46
	ज	अन्य गतिविधियां	47
अध्याय 7	**विषयगत क्षेत्र**		49-126
	क	आपराधिक न्याय प्रणाली की हिफाजत करना	49
	ख	स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार	65
	ग	भोजन और पोषण का अधिकार	75
	घ	शिक्षा का अधिकार	77
	ङ	बंधुआ, बाल और अन्य प्रकार के श्रमिकों के अधिकार	81
	च	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों/ अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला साफ करने वालों के मुद्दे	86
	छ	शरणार्थियों और शरण चाहनें वालों के अधिकार	95

	ज	महिलाओं के अधिकार	97
	झ	बच्चों के अधिकार	107
	ञ	एलजीबीटीक्यूआई + के अधिकार	111
	ट	मानव दुर्व्यापार	112
	ठ	बुजूर्ग व्यक्तियों के अधिकार	115
	ड	दिवयांगजनों के अधिकार	118
	ढ	पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार	119
	ण	मानव अधिकार शिक्षा और जागरूकता	122
	त	मानव अधिकार प्रतिरक्षक	123
अध्याय 8	**अंतरराष्ट्रीय सहयोग**		126-130
अध्याय 9	**राज्य सरकार द्वारा एनएचआरसी की सिफारिशों की गैर स्वीकृति**		131-133
अध्याय 10	**प्रमुख अनुशंसाओं और टिप्पणियों का सारांश**		134-137
अनुलग्नक			139-190
	1	पंजीकृत मामलों की राज्य-वार संख्या	141
	2	राज्य-वार निपटाए गए मामले	143
	3	लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण	145
	4	वित्तीय राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मामलों की संख्या	147
	5	एनएचआरसी की सिफारिशों की लंबित अनुपालना के मामलों का विवरण	162
	6	मामले जिनमें एनएचआरसी ने अनुशासनिक कार्रवाई और अभियोजन की संस्तुति की है	163
	7	जांच प्रभाग द्वारा मौके पर की गई पूछताछ	165
	8	कोर समूह की बैठकें	171
	9	राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार और ओपन हाउस चर्चाएँ	172
	10	आयोग द्वारा जारी परामर्शी	174
	11	आयोग द्वारा जारी विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर	175
	12	शोध अध्ययन	179
संकेताक्षरों की सूची			204-209

सारणियों की सूची

सारणी संख्या	सारणी विवरण	Page No.
सारणी 3.1	वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित बैठकों का विवरण	11
सारणी 3.2	कतिपय महत्वपूर्ण मानदंडों पर पिछले पाँच वर्षों के परिप्रेक्ष्य का विवरण नीचे दिए गए हैं।	12
सारणी 3.3	अन्वेषण प्रभाग द्वारा अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक अन्वीक्षण किए गए मामलों की सांख्यिकी।	13
सारणी 3.4	अन्वेषण प्रभाग द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान संसाधित मामलों का माह-वार विवरण।	13
सारणी 3.5	आयोग के प्रक्षेत्र विशेष प्रतिवेदक।	26
सारणी 3.6	आयोग के विशेष मोनिटर।	27
सारणी 4.1	दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत /वास्तविक संख्या बल	32
सारणी 4.2	बजट व्यय का अलग अलग विवरण और शेष राशि	35
सारणी 9.1	वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गयीं सिफारिशें जिन्हें न्यायालय में चुनौती दी गयीं।	131

चित्रण/दृष्टान्त की सूची

चित्रण 3.1	अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 के दौरान अन्वेषण प्रभाग द्वारा संसाधित कुल मामले	13
चित्रण 3.2	वर्ष 2021-22 के दौरान पंजीकृत मामलों की कुल संख्या	17
चित्रण 3.3	वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक एनएचआरसी में पंजीकृत मामलों की कुल संख्या	18
चित्रण 3.4	प्रतिवेदन अधीन अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों का राज्यवार विवरण	19
चित्रण 3.5	प्रतिवेदन अधीन अवधि के दौरान निदेशों के साथ निपटाए गए मामलों का राज्यवार विवरण	20
चित्रण 3.6	वर्ष 2021-22 के दौरान एसएचआरसी को हस्तांतरित मामले	21
चित्रण 3.7	वर्ष 2021-22 के दौरान निपटाए गए मामले	22
चित्रण 3.8	वर्ष 2021-22 के दौरान हिरासत में हुई मृत्यु/बलात्कार के मामले	23

अध्याय - 1

परिचय

1.1 यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि की है। यह आयोग की उनतीसवीं वार्षिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण और संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए आयोग द्वारा की गई पहलों/क्रियाकलापों का व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है।

1.2 आयोग की अठ्ठाईसवीं वार्षिक रिपोर्ट को, जिसमें 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि की रिपोर्ट शामिल थी, की गई कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन तैयार करने तथा "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (पीएचआरए), 1993" की धारा 20 और सितंबर, 2006 तथा जुलाई, 2019 में किए गए इसके उत्तरवर्ती संशोधनों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) ने दिनांक 02.06.2021 को आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। न्यायमूर्ति श्री पी. सी. पंत (पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत) इस आयोग में सदस्य का पदभार संभाल रहे थे और दिनांक 11.09.2021 को उन्होंने पद-त्याग किया; और श्रीमती ज्योतिका कालरा, (अभिलेख अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय), आयोग के सदस्य का पदभार संभाल रहीं थी और दिनांक 04.04.2022 को उन्होंने पद-त्याग किया; न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार (पूर्व मुख्य न्यायधीश, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय) ने दिनांक 02.06.2021 को आयोग के सदस्य के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया; डॉ. डी. एम. मुले (पूर्व सचिव, भारतीय विदेश सचिव) आयोग के सदस्य बने रहे; और श्री राजीव जैन (पूर्व निदेशक, आसूचना ब्यूरो) ने दिनांक 02.06.2021 को आयोग के सदस्य के रूप में कार्य-भार ग्रहण किया।

1.4 श्री बिम्बाधर प्रधान दिनांक 12.07.2022 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर महासचिव का पदत्याग किया। श्री संतोष मेहरा, भारतीय पुलिस सेवा, अपने मूल संवर्ग में स्थांतरित होने पर दिनांक 12.07.2022 को महानिदेशक (अन्वेषण) का पदतत्याग किया और मनोज यादव, भारतीय पुलिस सेवा, ने दिनांक 12.07.2022 को एनएचआरसी के महानिदेशक (अन्वेषण) का कार्य-भार ग्रहण किया। श्री आर. के. खंडेलवाद, आईएएस (बिहार:1989) आयोग में अपर सचिव के पद पर थे और उन्होंने दिनांक 18.08.2021 को अपर सचिव के पद का त्याग किया। श्रीमती अनिता सिन्हा, आईआरएस (1990), आयोग में संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण) के पद पर बनी रहीं। श्री हरीश चन्द्र चौधरी, आईएफओएस (1992) ने दिनांक 08.11.2021 को एनएचआरसी के संयुक्त सचिव के पद का कार्य-भार ग्रहण किया।

1.5 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) की धारा 3 (3) में किए गए प्रावधान के अनुसरण में, श्रीमती रेखा शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, डॉ. भगवान लाल साहनी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, श्री प्रियांक कानूनगो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, डॉ. कमलेश कुमार पांडेय, दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, श्री विजय सांपला, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, श्री हर्ष चौहान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, और श्री इकबाल सिंह लालपूरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के

अध्यक्ष, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों के निर्वहन के लिए एनएचआरसी के मानद सदस्य बने रहे।

1.6 वर्ष 2021-22 के दौरान, आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत निर्धारित विभिन्न कार्यों के अनुसरण में विस्तृत क्रियाकलापों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसने मीडिया रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान लेने के साथ-साथ व्यापक मुद्दों को कवर करने वाली शिकायतों जैसे कथित मानव अधिकार के उल्लंघनों की रोकथाम के लिए लोक सेवकों की लापरवाही, हिरासत में कथित मौतों, यातनाओं, फर्जी मुठभेड़ों, पुलिस की मनमानियों, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए उल्लंघनों, जेलों की स्थितियों, महिलाओं और बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचारों, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ और बाल श्रम, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करने, सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा लापरवाही और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार आदि के आधार पर कार्रवाई की। इन सभी मामलों में, संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने और घटनास्थल पर जांच करने के लिए अन्वेषण प्रभाग से अपनी टीम भेजने के अलावा आयोग ने उन पीड़ितों, जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया था या उनके निकट संबंधियों को मौद्रिक राहत के भुगतान की संस्तुतियों के साथ-साथ राज्य सरकारों को भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

1.7 आयोग ने मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन हेतु एनएचआरसी और राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के बीच सहयोग और समन्वय के क्षेत्रों का पता लगाया। आयोग ने सभी राज्य मानव अधिकार आयोगों और विशेष आमंत्रिती के रूप में सभी सांविधिक पूर्ण आयोग के सदस्यों के साथ 13 अक्तूबर, 2021 को एक बैठक का आयोजन किया। यह बैठक मानव अधिकार के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण और संवर्द्धन हेतु एनएचआरसी और एसएचआरसी के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों के बारे में पता लगाने के लिए आयोजित की गयी थी।

1.8 वर्ष 2021-2022 की वार्षिक रिपोर्ट पुलिस/न्यायिक हिरासत में हुई मौतों, अवैध रूप से हिरासत में रखने, पुलिस की मनमानियों, पुलिस मुठभेड़ों में मौत आदि सहित नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दों से संबंधित है। यह रिपोर्ट मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों सहित कमजोर समूहों के अधिकार, बंधुआ एवं बाल श्रमिकों के संरक्षण, रिहाई और उनके पुनर्वास जैसे आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित करती है।

1.9 वर्ष 2021-2022 की इस वार्षिक रिपोर्ट के विभिन्न अध्यायों में इन सभी मुद्दों का विस्तृत विवरण दिया गया है।

अध्याय - 2

मुख्य बिन्दु

2.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति भारत के सरोकारों का प्रहरी है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण क्रियाकलाप इस प्रकार हैं :-

क. शिकायत और निगरानी

2.2 शिकायतों से निपटना

2.2.1 वर्ष 2021-2022 (दिनांक 01.4.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक) के दौरान आयोग में 1,11,082 मामले दर्ज किये गये। आयोग ने 1,02,608 मामलों का निपटारा किया, जिसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13(6) के तहत आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग को हस्तांतरित किए गए 12,045 मामले शामिल थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 51,727 को 'आरंभ में ही' खारिज कर दिया गया।

2.2.2 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान आयोग ने 359 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के परिजनों को आर्थिक राहत/मुआवजा के रूप में 11,72,25,840 रुपए का भुगतान करने की सिफारिश की।

2.2.3 आयोग ने कुल 16 मामलों में स्वत: संज्ञान लिया।

2,2.4 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, पूर्ण आयोग ने अपनी 13 बैठकों में मानव अधिकार उल्लंघन के 198 मामले उठाए। इसके अलावा, दो खंड पीठों ने 33 बैठकों में 595 मामलों पर विचार किया।

2.2.5 आयोग ने निपटाई गयी कुल 1,02,608 शिकायतों में से 14,182 को बंद कर दिया।.

मामलों के पंजीकरण का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक - 1** में दिया गया है। मामलों के राज्यवार निपटान का विवरण **अनुलग्नक - 2** में दिया गया है।

ख. मानव अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए हस्तक्षेप

2.3 आयोग को मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिदेश प्राप्त है, चाहे वह अदालती कार्यवाही हो, कारागार प्रशासन हो या सुधार या सुरक्षा के कार्यों का निर्वहन करने वाली कोई अन्य संस्था हो। यह सुनिश्चित करने के लिए, आयोग माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोग के सदस्यों द्वारा शिविर बैठकें आयोजित करता है और आयोग द्वारा सूचीबद्ध जांच अधिकारियों की विशेष टीमों द्वारा मौके पर पूछताछ करता है।

2.3.1 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग द्वारा दो शिविर बैठकें और 28 मौके पर पूछताछ आयोजित की गईं। इसका विवरण **अध्याय-3** के अंतर्गत दिया गया है। आयोग द्वारा मौके पर की गई पूछताछ की सूची भी **अनुलग्नक - 7** के रूप में संलग्न है।

2.3.2 हिरासत में मौतें - अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान, न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 1558 मामले और पुलिस हिरासत में हुई मौतों के 239 मामलों पर अन्वेषण प्रभाग द्वारा संसाधित/ निपटारा किया गया।

2.3.3 अन्वेषण प्रभाग द्वारा मुठभेड़ में हुई मौतों के 257 से अधिक मामलों को संसाधित/निपटाया किया गया ।

2.3.4 त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ – दिनांक 01.4.2021 से दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि के दौरान, अन्वेषण प्रभाग ने 49 ऐसे त्वरित कार्रवाई मामलों (आरएसी) को निपटाया है, जहां आयोग द्वारा तत्काल हस्तक्षेप न केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में सक्षम हुआ था, बल्कि मानव जीवन और स्वतंत्रता के लिए खतरा भी था।

ग. कानून की समीक्षा

2.4 आयोग ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) और भारतीय संविधान, विधान, योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन आयोजित किया।

घ. कोर समूह की बैठकें

2.5 आयोग द्वारा कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर विशेषज्ञों के कोर समूह गठित किए गए हैं जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आयोग प्रत्येक विषयगत क्षेत्र से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवर्ष कोर समूह बैठकें आयोजित करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित कोर समूह की बैठकों का विवरण **अनुलग्नक - 8** में दिया गया है।

ङ. नीतिगत परामर्शी

2.6 आयोग को भारत के संविधान, अन्य कानूनों और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु नीतिगत परामर्शी जारी करने का अधिदेश प्राप्त है। समीक्षाधीन अवधि में, आयोग ने कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य के अधिकार, मृतकों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा, अनौपचारिक श्रमिकों, बंधुआ मजदूरों, बच्चों, हाथ से मैला साफ करने वाले कर्मियों, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के लोगों के लिए कुल 12 परामर्शी जारी कीं। इसका विस्तृत विवरण **अध्याय-7** में शामिल विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत देखा जा सकता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी की गई सभी परामर्शी की एक सूची भी **अनुलग्नक - 10** के रूप में संलग्न है।

च. राष्ट्रीय सेमिनार

2.7 कोविड-19 के प्रकोप के बावजूद, आयोग द्वारा पूरे वर्ष में लगभग आठ आभासी (वर्चुअल) सम्मेलन और वेबिनार आयोजित किए गए। इनमें घरेलू कामगारों, हाथ से मैला ढोने वाले लोगों, मानव दुवर्यापार के शिकार लोगों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों संबंधी सम्मेलन और एनएचआरसी और सीएसओ और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग पर वेबिनार, मानव अधिकारों के मुद्दों पर एचआरडी, कोविड-19 के प्रकोप के दौरान बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा शामिल हैं, जिन्हें **अनुलग्नक-9** के तहत सूचीबद्ध किया गया

है।

छ. मानव अधिकारों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना

2.8 आयोग को मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करने और उसका संवर्द्धन करने का भी अधिदेश सौंपा गया है, जिसके लिए यह विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रधान जांचकर्ताओं (पीआई) द्वारा किए जाने वाले मानव अधिकार के विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के तहत अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देता है और उन परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने 18 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी और 25 परियोजनाएं चल रहीं थीं। अनुसंधान परियोजनाओं, उनके पीआई, विषयगत क्षेत्रों और अनुसंधान उद्देश्यों को **अनुलग्नक - 1**2 के तहत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है।

ज. मानव अधिकार संबंधी साक्षरता का संवर्द्धन करना

2.9 आयोग के प्रमुख कार्यों में से एक समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता बढ़ाना और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना शामिल है। मानव अधिकार साक्षरता बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा की गई सभी प्रमुख गतिविधियों को **अध्याय - 7** के तहत विस्तारपूर्वक बताया गया है। साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, आयोग विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों के दौरे, इंटर्नशिप कार्यक्रम और निधि आयोजित करने और मूट कोर्ट प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का भी कार्य करता है। इसका विवरण **अध्याय - 6** के अंतर्गत दिया गया है। अन्वेषण प्रभाग के अधिकारी प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य मंचों पर व्याख्यान देते हैं, जहां भी उन्हें विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाने और मानव अधिकार साक्षरता बढ़ाने और मानव अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एनएचआरसी के अल्पावधि और दीर्घकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रमों के छात्रों को अन्वेषण प्रभाग के अधिकारियों द्वारा नियमित व्याख्यान और प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं।

झ. गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के साथ सहलग्नता

2.10 आयोग मानव अधिकार साक्षरता या जागरूकता बढ़ाने और उसके लिए निधि जारी करने और उनका लाभ उठाने में नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत सीएसओ और गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करके मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है। उन्हें कोर समूहों की सदस्यता प्रदान करके और उन्हें उनकी राय व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए बैठकें आयोजित करके विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विशेषज्ञता प्रदान की जाती है। **अध्याय - 6** जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित है, में मानव अधिकार साक्षरता कार्यक्रमों के दौरान गैर सरकारी संगठनों और सीएसओ को प्रदत्त सहायता को कवर करता है, जबकि **अध्याय - 7** परामर्शी से संबंधित है, जो कोर समूह की बैठकों के दौरान गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और अन्य के प्रतिनिधियों से प्राप्त मूल्यवान इनपुट के आधार पर जारी की जाती है।

ञ. एचआरडी के साथ सहलग्नता

2.11 आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षकों (एचआरडी) को सहलग्न किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ मिलकर मानव अधिकारों का संवर्द्धन करने या उनकी रक्षा करने का कार्य करते हैं। मानव अधिकार संरक्षकों ने मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत, भेदभाव, जबरन बेदखली, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच आदि जैसे मानव अधिकार संबंधी सरोकारों को संबोधित करने में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। उनका उद्देश्य बुनियादी मानव अधिकारों की रक्षा करना भी है जैसे जीवन जीने का अधिकार, भोजन और पानी का अधिकार, स्वास्थ्य, पर्याप्त आवासन्, शिक्षा, आवाजाही की आजादी का अधिकार और भेदभाव

के विरुद्ध अधिकार। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कमजोर श्रेणियों, जैसे महिलाओं, बच्चों, शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के साथ-साथ अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय, भाषाई या लैंगिक, के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके। मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में एचआरडी की भूमिका को **अध्याय - 7** के अंतर्गत विस्तार से वर्णन किया गया है।

ट. स्थापना दिवस

2.12 आयोग ने 12 अक्तूबर 2021 को प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, नई दिल्ली में अपना 28वां स्थापना दिवस समारोह मनाया। इस अवसर पर माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे और गृह मंत्री अमित शाह सम्मानित अतिथि थे। लगभग 1800 प्रतिभागियों ने हाइब्रिड मोड में इस समारोह में भाग लिया, जिसमें गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ, विश्वविद्यालयों, मुख्य सचिव, मंत्रालयों आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। इस अवसर पर एक लघु फिल्म भी बनाई गई थी।

चित्र 2.1: स्थापना दिवस समारोह में माननीय प्रधान मंत्री का संबोधन

ठ. मानव अधिकार दिवस

2.13 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अंगीकरण के उपलक्ष्य में आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को एक विशेष समारोह आयोजित कर मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 10 दिसंबर 2021 को भौतिक रूप से 'मानव अधिकार दिवस' समारोह मनाया। महामहिम श्री राम नाथ कोविन्द, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई।

चित्र 2.2: माननीय अध्यक्ष मानव अधिकार दिवस पर सभा को संबोधित करते हुए

A. ड. आरटीआई

2.14 वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोग को आरटीआई आवेदनों के लिए पंजीकरण शुल्क के रूप में 11,500/- (ग्यारह हजार पांच सौ) रुपए और आवेदनों पर प्रदान किए गए दस्तावेजों की फोटोकॉपी के लिए 12,422/- (बारह हजार चार सौ बाईस) रुपये प्राप्त हुए।

आरटीआई का विवरण

1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	2,461
2.	30 दिनों के भीतर निपटाए गए आवेदनों की संख्या	2,461
3.	लंबित परंतु एक माह से अधिक समय में निस्तारित आवेदनों की संख्या	-
4.	लंबित आवेदनों की संख्या, जो एक माह के भीतर प्राप्त हुए हैं	-
5.	अन्य मंत्रालय/विभाग/संगठन को हस्तांतरित आवेदनों की संख्या	91

प्रथम अपील का विवरण

1.	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्राप्त अपीलों की संख्या	339
2.	माह के भीतर निपटाई गई ऐसी अपीलों की संख्या	339
3.	लंबित अपीलों की संख्या	-

सीआईसी के पास दूसरी अपील का विवरण

1.	सीआईसी से प्राप्त नोटिसों की संख्या	34
2.	सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भाग ली गयी अपीलों की संख्या	34
3.	उस संबंध में सुनवाई की संख्या जहां अनुपालन रिपोर्ट सीआईसी को सौंपी गई थी	34
4.	उन मामलों में सुनवाई की संख्या जहां अनुपालन रिपोर्ट सीआईसी को प्रस्तुत नहीं की गई थी	-

अध्याय - 3

एनएचआरसी : संगठन तथा कार्य

3.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का गठन 12 अक्तूबर 1993 को संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था, जिसे सितंबर, 2006 और जुलाई, 2019 में यथा संशोधित, इस अधिनियम का नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 रखा गया है। यह एक ऐसी संस्था है जो न्यायपालिका के अनुपूरक के रूप में कार्य करती है और देश के सभी लोगों के लिए संविधान में संस्था अंत:स्थापित मौलिक मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्द्धन का कार्य करती है।

3.2 इस अधिनियम के अनुसार 'मानव अधिकार' का तात्पर्य 'संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में सन्निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति विशेष की गरिमा संबंधी अधिकार' से है। अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओं में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (आईसीसीपीआर), आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा (आईसीईएससीआर), महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन से संबंधित कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू), बाल अधिकारों से संबंधित कन्वेंशन (सीआरसी) और नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन से संबंधित कन्वेंशन (सीईआरडी) शामिल हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1979 में आईसीसीपीआर और आईसीईएसईआर को स्वीकार किया है। भारत ने वर्ष 1993 में सीईडीएडब्ल्यू को, 1991 में सीआरसी को और वर्ष 1968 में सीईआरडी की अभिपुष्टि की है। आईसीसीपीआर और आईसीईएससीआर में उल्लिखित कई अधिकार भारतीय नागरिकों को उसी समय प्राप्त हो गए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था। ये अधिकार मुख्य रूप से संविधान के भाग III और भाग IV में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के व्यापक शीर्षक में परिलक्षित होते हैं।

3.3 आयोग को प्रदत्त 'स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वायत्तता और व्यापक अधिदेश' निर्विवादित रूप से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की सबसे बड़ी ताकत रही है, जो कि पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के गठन और उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के संबंध में भारत के सरोकार का मूर्त रूप है।

3.4 अपने अस्तित्व से लेकर अब तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के अनुभव ने यह दर्शाया है कि इसकी संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, अन्वेषण संबंधी शक्तियां, कार्यों का व्यापक विस्तार तथा विशेषज्ञ प्रभाग एवं स्टॉफ से संबंधित स्वतंत्रता और मजबूती, इसकी संरचना से संबंधित क़ानून की आवश्यकताओं द्वारा गारंटीकृत हैं।

क. आयोग का गठन

3.5 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3, (2019 में संशोधित) एक आयोग के गठन का प्रावधान करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा हो;

ii. एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो;

iii. एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है;

iv. तीन सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला हो, की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखते हैं।

3.6 इस संशोधन से, आयोग के मानद सदस्यों की संख्या पांच से बढ़कर सात हो गई है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, (संशोधित) 2019 के अनुसार आयोग के सात मानद सदस्य निम्नानुसार हैं:

i. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष

ii. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष

iii. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष

iv. राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा

v. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष

vi. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष

vii. दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त

3.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति जिसमें लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा (राज्यों के परिषद) के उपसभापति की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

3.8 आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है, जो भारत सरकार के सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय महासचिव के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है।

3.9 **जांच से संबंधित शक्तियां :** एनएचआरसी को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो किसी वाद का विचारण करते समय, विशेष रूप से गवाहों की उपस्थिति हेतु समन करने तथा हाजिर करने तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करने; किसी भी दस्तावेज़ की ख़ोज तथा प्रस्तुति; शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने; किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से कोई लोक अभिलेख अथवा उसकी प्रति मांगने; गवाहों या दस्तावेज़ों की परीक्षा के लिए आदेश जारी करना; तथा विहित किए गए किसी अन्य विषय के संबंध में सिविल न्यायालय को है। उल्लंघन के मामले में आयोग संबद्ध सरकार से उपचारात्मक उपाय करने तथा पीड़ित अथवा मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवज़ा देने के लिए कहता है तथा लोक सेवकों को उनके दायित्व एवं बाध्यताओं की भी याद दिलाता है। मामले के आधार पर, यह संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध अभियोजन या किसी अन्य उपयुक्त कार्रवाई हेतु कार्यवाही शुरू कर सकता है। इसमें समाचार पत्र और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर गंभीर मामलों के स्वत: संज्ञान लेने की शक्ति निहित है।

3.10 **प्रकार्यों का वृहत दायरा :** आयोग का अधिदेश बहुत व्यापक है। पीएचआरए की धारा 12 में यथानिर्धारित आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं :-

i. स्वत: संज्ञान या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निर्देश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (i.i) मानव अधिकारों का अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या (i.ii) ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोकसेवक द्वारा उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना।

ii. किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में, जिसमें मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतवर्लित है, उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना।

iii. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी कारागार या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के संवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु निरीक्षण करना और उन पर सरकार को सिफारिशें करना।

iv. संविधान या मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की संस्तुति करना।

v. ऐसी बातों का, जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं, पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचारात्मक उपायों की संस्तुति करना।

vi. मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय दस्तावज़ों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संस्तुति करना।

ख. रणनीतिक योजना और वार्षिक कार्य योजना

3.11 एनएचआरसी, भारत ने आयोग के काम को अधिक प्रभावी ढंग से सुव्यवस्थित करने के लिए वार्षिक कार्य योजना (2021-22) और 2021-2024 के लिए तीन वर्षीय रणनीतिक योजना का एक व्यापक संस्थागत तंत्र विकसित किया है। इन योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य गैर सरकारी संगठनों, मानव अधिकार संरक्षकों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के साथ आयोग की भागीदारी को और मजबूत करना और इसके कार्यक्षेत्र के भीतर मौजूदा तंत्र को और भी अधिक सुदृढ बनाना है। इसके फोकस क्षेत्र हैं बंधुआ और बाल श्रम मुद्दे, सभी के लिए मानवीय गरिमा, समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, कारागार सुधार, महिला और बाल अधिकार, दिव्यांगों, वृद्धजनों के अधिकार, एलजीबीटीआई अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य, मानव अधिकार शिक्षा, सुशासन, व्यवसाय और मानव अधिकार, मानव अधिकार संरक्षकों, गैर सरकारी संगठनों/नागरिक समाज के साथ सक्रिय सहलग्नता और उस पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। यह मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए कानूनों और योजनाओं में सुधार के लिए जागरूकता बढ़ाने और सभी हितधारकों के साथ काम करने को भी प्रोत्साहित करता है। इन योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है.

ग. वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक

3.12 वैधानिक पूर्ण आयोग (एसएफसी) में अध्यक्ष और सदस्य से गठित होते हैं, जिनमें मान्य सदस्य भी शामिल होते हैं। वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठकें सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने और आयोग के सम्मेलन/सेमिनारों में भाग लेने के लिए नियमित रूप से बुलाई जाती हैं। तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, पूर्ण आयोग की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

घ. उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए आयोग की बैठकें

3.13 वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग की बैठक का विवरण नीचे दिया गया है ।

सारणी 3.1: वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोजित बैठक के विवरण

माह	एफसी		डीबी-I		डीबी-II		डीबी-III	
	बैठकों की संख्या	मामलों की संख्या	बैठकों की संख्या	मामलों की संख्या	बैठकों की संख्या	मामलों की संख्या	बैठकों की संख्या	मामलों की संख्या
अप्रैल, 21	1	10	0	32*	0	0	0	0
मई, 21	0	0	0	39*	0	0	0	0
जून, 21	1	16	0	95*	0	0	0	0
जुलाई, 21	1	30	0	59*	0	0	0	0
अगस्त, 21	0	0	0	24*	0	0	0	0
सितम्बर, 21	2	43	0	0	2	35	0	0
अक्टूबर, 21	2	8	0	0	1	15	0	0
नवंबर, 21	1	20	1	20	1	15	0	0
दिसम्बर, 21	0	0	0	0	1	15	0	0
जनवरी, 22	0	0	0	0	0	29*	0	0
22 फरवरी	1	40	2	50	1	44	0	15*
22 मार्च	1	40	0	0	1	77	0	76*
कुल	**10**	**207**	**3**	**319**	**7**	**230**	**0**	**91**

*परिसंचरण के आधार पर विचार किया गया

3.14 वर्ष 2021-2022 के दौरान आयोजित शिविर बैठक के विवरण : आयोग ने पूर्ण आयोग की आयोजित 10 बैठकों में 207 मामलों पर विचार किया। और आयोग की संभागीय पीठों की आयोजित 10 बैठकों में 640 मामलों पर विचार किया गया; तथापि, इनमें से 91 मामलों पर सर्कुलेशन के आधार पर विचार किया गया।

क.	मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों को कवर करते हुए शिलांग में आयोजित शिविर बैठक (14-15 दिसंबर 2021)	: 19 मामले
ख.	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और नागालैंड राज्यों को कवर करते हुए गुवाहाटी में आयोजित शिविर बैठक (16-17 दिसंबर, 2021)	: 40 मामले

प्रमुख सांख्यिकी

कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों पर पिछले पाँच वर्षों के परिप्रेक्षयों का विवरण नीचे दिया गया है :

सारणी 3.2 : कुछेक महत्वपूर्ण मापदंडों पर पिछले पांच वर्षों के परिप्रेक्ष्य का विवरण

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
1	पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु (घटना कोड 812)	169	155	156	112	82
2	हिरासत में मौत (न्यायिक) (सूचना) (घटना कोड 301)	1,616	1,636	1,797	1,584	1,840
3	हिरासत में मौत (पुलिस) (सूचना) (घटना कोड 807)	145	146	136	112	100
4	बाल श्रम (घटना कोड 11)	50	46	76	66	64
5	बंधुआ मजदूर (घटना कोड 601)	240	210	355	404	361
6	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारी की निष्क्रियता। (घटना कोड 1505)	13,578	9,982	10,929	8,268	3,092
7	सामूहिक बलात्कार (घटना कोड 1307)	455	392	422	375	217
8	बलात्कार (इंक कोड 1311)	535	498	700	648	477
9	बच्चे (घटना कोड 100-112)	1,211	906	1,340	1,019	538
10	स्वास्थ्य (घटना कोड 200-205)	1,832	1,210	1,377	887	793
11	कारागार (घटना कोड 300-318)	2,447	2,416	2,669	2,167	2,336
12	पुलिस (घटना कोड 800-823)	27,845	26,391	27,491	16,286	13,023
13	प्रदूषण/पार स्थितिकी/पर्यावरण (घटना कोड 900-904)	446	403	471	458	358
14	महिलाएँ (घटना कोड 1300-1314)	7,413	7,459	7,842	6,791	4,218
15	रक्षा बल (घटना कोड 1600-1617)	72	103	98	94	65
16	अर्धसैनिक बल (घटना कोड 1700-1717)	152	95	132	135	157
17	एससी/एसटी/ओबीसी (घटना कोड 1900-904)	3,207	2,679	2,660	2,403	942
18	हाथ से मैला ढ़ोना (घटना कोड 1905)	14	14	17	27	22

ङ. अन्वेषण प्रभाग द्वारा निपटाए गए मामले

3.15 निम्नलिखित सारणी अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक अन्वेषण प्रभाग द्वारा निपटाए गए मामलों के सांख्यिकी को दर्शाती है

Table 3.3: Statistics of the cases dealt by Investigation Division from April 2021 to March 2022

मामले/स्थिति	न्यायिक हिरासत में मौतें	पुलिस हिरासत में मौतें	तथ्यान्वेषी मामले	कुल मामले
प्राप्त (अग्रेषित मामले सहित)	**1,579**	**392**	**778**	**2,749**
संसाधित	**1,558**	**239**	**631**	**2,428**

3.16 निम्नलिखित पैराग्राफ अन्वेषण प्रभाग द्वारा अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक संसाधित कुल मामलों को सूचीबद्ध करता है।

चित्रण 3.1: अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक अन्वेषण प्रभाग द्वारा संसाधित कुल मामले

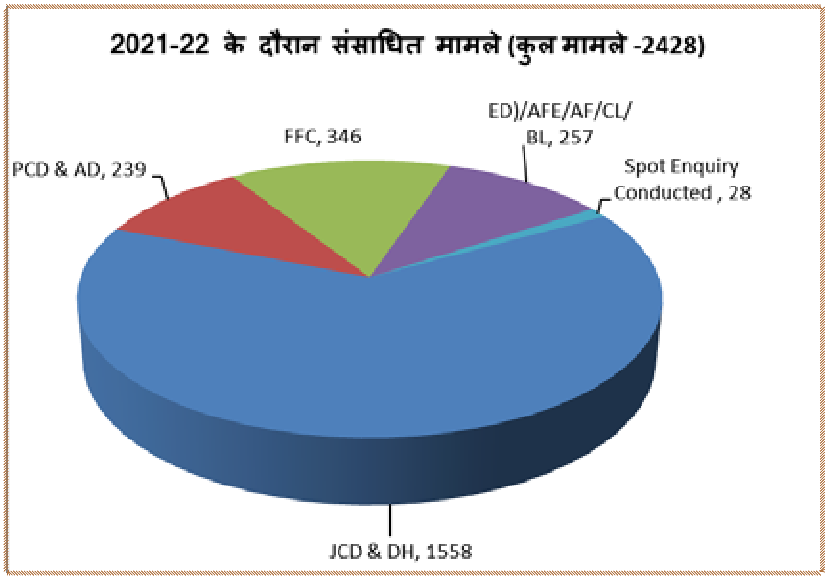

पीसीडी = पुलिस हिरासत में मौतें, एडी = कथित मौतें, जेसीडी = न्यायिक हिरासत में मौतें, डीएच = घरों में मौत

सारणी 3.4 : वर्ष 2021-22 के दौरान अन्वेषण प्रभाग द्वारा संसाधित मामलों का माहवार विवरण

माह का नाम	न्यायिक हिरासत में मौत (जेसीडी) पर कार्रवाई के मामले एवं घरों में मृत्यु (डीएच)	पुलिस हिरासत में मौत (पीसीडी) एवं कथित मौतें (एडी)	तथ्यान्वेषी मामले (एफएफसी)	मुठभेड़ मौतें (ईडी)/ कथित फर्जी मुठभेड़ (एएफई)/ पुलिस फायरिंग (पीएफ)/ कथित गोलीबारी (एएफ)/ बालश्रम (सीएल)/ बंधुआ मजदूरी(बीएल)	मौके पर अन्वेषण किया गया	कुल
अप्रैल-21	124	23	33	51	1	**232**
मई-21	160	27	44	33	1	**265**
जून-21	115	23	25	25	1	**189**
जुलाई-21	25	4	8	3	0	**40**
अगस्त-21	156	14	41	25	3	**239**

माह का नाम	न्यायिक हिरासत में मौत (जेसीडी) पर कार्रवाई के मामले एवं घरों में मृत्यु (डीएच)	पुलिस हिरासत में मौत (पीसीडी) एवं कथित मौतें (एडी)	तथ्यान्वेषी मामले (एफएफसी)	मुठभेड़ मौतें (ईडी)/ कथित फर्जी मुठभेड़ (एएफई)/ पुलिस फायरिंग (पीएफ)/ कथित गोलीबारी (एएफ)/ बालश्रम (सीएल)/ बंधुआ मजदूरी(बीएल)	मौके पर अन्वेषण किया गया	कुल
सितम्बर-21	163	19	47	14	6	**249**
अक्टूबर-21	127	21	12	18	1	**179**
नवंबर-21	132	15	11	15	1	**174**
दिसम्बर-21	201	24	44	26	7	**302**
जनवरी-22	115	15	21	8	1	**160**
फरवरी-22	137	23	26	18	2	**206**
मार्च-22	103	31	34	21	4	**193**
कुल	**1,558**	**239**	**346**	**257**	**28**	**2,428**

3.17 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, जांच प्रभाग द्वारा 28 मौके पर पूछताछ भी की गई हैं। अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक अन्वेषण प्रभाग द्वारा की गई मौके पर पूछताछ का विवरण का उल्लेख **अनुलग्नक - 7** में किया गया है।

3.18 पश्चिम बंगाल चुनाव पश्च हिंसा जांच-पड़ताल : 2021 के डब्ल्यूपीए (पी) 142 के तहत जारी माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में, जून, 2021 में एनएचआरसी के अध्यक्ष द्वारा गठित एक समिति को चुनाव पश्च हिंसा प्रभावित पश्च का दौरा करने, शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ बातचीत करने, स्वतंत्र गवाहों और पश्चिम बंगाल राज्य में राज्य पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों के बयान दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। अन्वेषण प्रभाग के 25-30 अधिकारियों से गठित सात (7) टीमों ने थोड़े समय के भीतर पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों का दौरा किया है। जांच रिपोर्टों के संकलन/ छानबीन के बाद, समिति ने दिनांक 12.7.2021 को माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी दी थी।

चित्र 3.1 : पश्चिम बंगाल में जून 2021 में मतदान के बाद हिंसा की जाँच

चित्र 3.2 : पश्चिम बंगाल में जून, 2021 में हुए मतदान के बाद हिंसा की जाँच

च. अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा किए गए दौरे

3.19 माननीय अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा निम्नलिखित दौरे किये गए :

1. श्री अरुण कुमार मिश्रा, अध्यक्ष के नेतृत्व में, न्यायमूर्ति श्री एम. एम. कुमार, सदस्य, डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य और श्री राजीव जैन, सदस्य से गठित एनएचआरसी – भारत का एक प्रतिनिधिमंडल 13 से 17 दिसंबर 2021 के दौरान आयोग की शिविर बैठक में भाग लेने के लिए असम राज्य में गुवाहाटी और शिलांग (मेघालय) का दौरा किया।

2. डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य ने धनमंजुरी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, प्राध्यापक एमेरिटस, कर्मचारियों, छात्रों और पूर्व छात्रों के साथ बातचीत करने के लिए दिनांक 12.12.2021 से दिनांक 13.12.2021 तक मणिपुर राज्य के इंफाल का दौरा किया।

3. श्रीमती ज्योतिका कालरा, सदस्य ने दीमापुर (नागालैंड) में असम राइफल्स द्वारा आयोजित वार्षिक इंटर सीएपीएफ वाद-विवाद प्रतियोगिता 2021 में जूरी सदस्य के रूप में भाग लेने के लिए 19 से 21 अक्तूबर, 2021 तक नागालैंड राज्य के दीमापुर का दौरा किया।

4. सदस्य श्री राजीव जैन ने एलबीएस राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में व्याख्यान देने के लिए दिनांक 7.6.2021 से दिनांक 11.6.2021 तक मसूरी का दौरा किया ।

5. श्री राजीव जैन ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की शिकायतों की जांच करने के लिए दिनांक 25.6.2021 से दिनांक 30.6.2021 तक और दिनांक 7.7.2021 से दिनांक 10.7.2021 तक पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता का दौरा किया।

च. विधि प्रभाग द्वारा हल की गयी शिकायतें

3.20 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉक-डाउन लगाया गया था। इन परिस्थितियों के परिणामस्वरूप, संचार और परिवहन प्रणालियाँ गंभीर रूप से बाधित हुईं। व्यापार और व्यवसायिक गतिविधियों सहित कार्यालयों का कामकाज लगभग ठप्प रहा। चूंकि आयोग ने अपने कामकाज को पारंपरिक फाइल प्रणाली से कम्प्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर के माध्यम से कागजरहित में पारगमन कर दिया है, इसलिए आयोग के अधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान भी, अपने घरों से, ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्रोग्रामों, एचआरसीनेट पोर्टल के माध्यम

से काम करना जारी रखा। आयोग शिकायतकर्ताओं को अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की सुविधा भी दे सका; इसलिए आयोग के पोर्टल पर भी ऑनलाइन माध्यम से शिकायतें दर्ज की जा रही थीं। वे जिला मुख्यालय पर सामान्य सेवा केंद्रों से भी ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा सकते हैं ।

3.21 आयोग के कई अधिकारी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए और इसके दो अधिकारियों की जान चली गई। उनमें से कई लोगों ने अपने प्रियजनों को भी खो दिया। लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी आयोग के अधिकारियों का अदम्य साहस कायम रहा। वर्ष 2021-2022 (दिनांक 01.4.2021 से दिनांक 31.03.2022 तक) के दौरान आयोग में प्राप्त शिकायतों, सूचनाएं और मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली प्रेस रिपोर्टों का स्वत: संज्ञान लेते हुए 1,11,082 मामले दर्ज किये गये। ये मामले अलग-अलग प्रकृति की घटनाओं से संबंधित हैं, जिनमें मुख्य रूप से हिरासत में मौत, मुठभेड़ में मौत, पुलिस ज्यादती, अवैध गिरफ्तारियां, आपराधिक मामलों में झूठा फंसाना, मानव अधिकार उल्लंघन की रोकथाम में लोक सेवकों द्वारा लापरवाही, भूमि पर कब्जा, चिकित्सा लापरवाही, अपहरण और महिलाओं और बालिकाओं के साथ बलात्कार, बंधुआ और बाल श्रम, सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान न करना आदि से संबंधित हैं। कोरोना महामारी के प्रकोप से उत्पन्न संकट से संबंधित भी कई शिकायतें प्राप्त हुईं थीं। पिछले वर्ष (2020-2021) के दौरान, आयोग ने 74,968 मामले दर्ज किए थे, जबकि विचाराधीन वर्ष में दर्ज किए गए मामले बढ़कर 1,11,082 हो गए। इस वृद्धि को मौजूदा स्थितियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले

3.22 वर्ष 2020-2021 के दौरान (**अनुलग्नक - 1**) आयोग द्वारा पंजीकृत 1,11,082 मामलों में से, 40,676 मामले उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, 8,612 मामले दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से संबंधित हैं, 5,806 मामले बिहार से और 5,774 मामले पश्चिम बंगाल से और 5,513 मामले पूरे भारत में या एक से अधिक राज्यों से हैं। दर्ज मामलों की संख्या का राज्यवार विवरण, शिकायतों की संख्या के घटते क्रम में नीचे दिए गए चार्ट में दिया गया है:

चित्रण 3.2 : वर्ष 2021-22 के दौरान दर्ज मामलों की संख्या

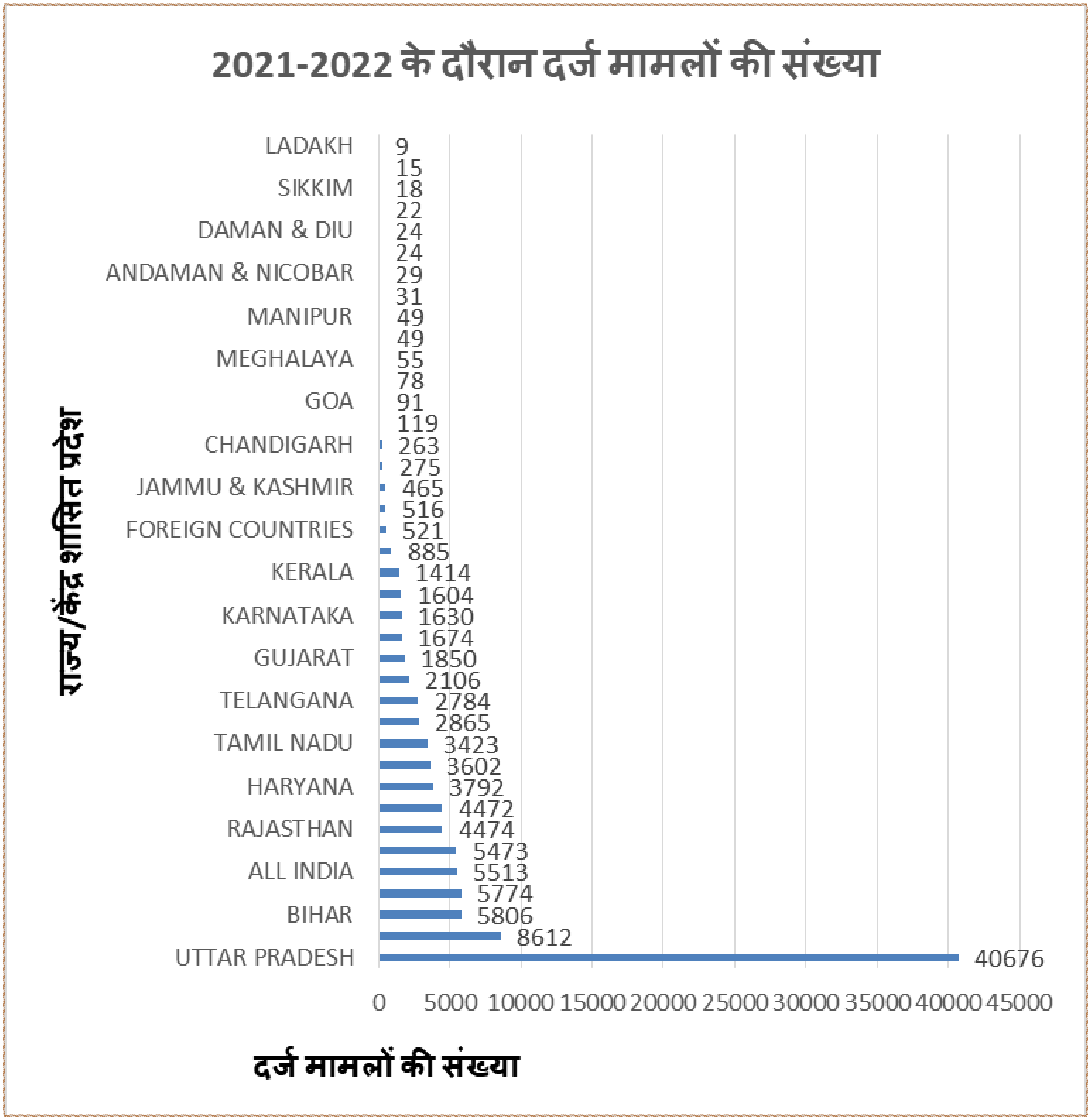

3.23 नीचे दिया गया ग्राफ़ वर्ष 2019-2020 से वर्ष 2021-2022 तक एनएचआरसी में पंजीकृत मामलों की कुल संख्या का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है:

चित्रण 3.3: वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 तक दर्ज मामलों की कुल संख्या

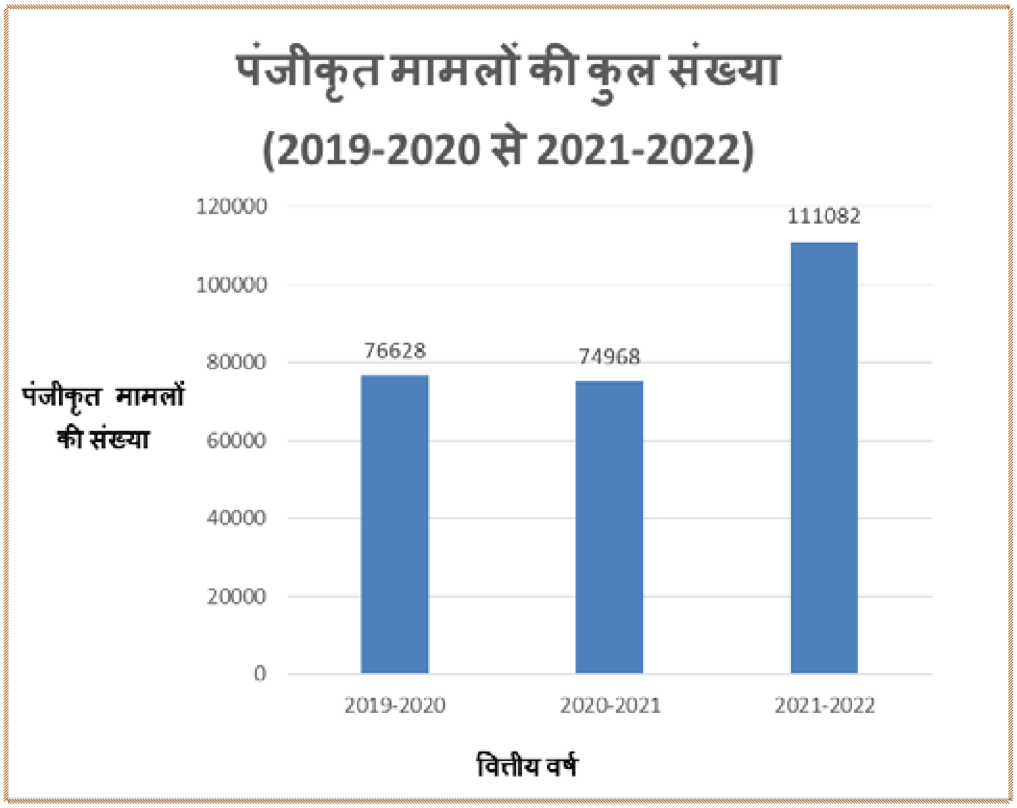

3.24 आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 (6) के तहत आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग को हस्तांतरित 12,045 मामले सहित 1,02,608 मामलों का निपटारा किया। इसमें पिछले वर्षों में दर्ज मामले भी शामिल थे, जो निस्तारण के लिए लंबित थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की कुल संख्या में से, 51,727 मामलों को 'आरंभ में' ही खारिज कर दिया गया। इन मामलों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिए गए चार्ट में दिया गया है :

चित्रण 3.4: समीक्षाधीन अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों का राज्यवार ब्यौर

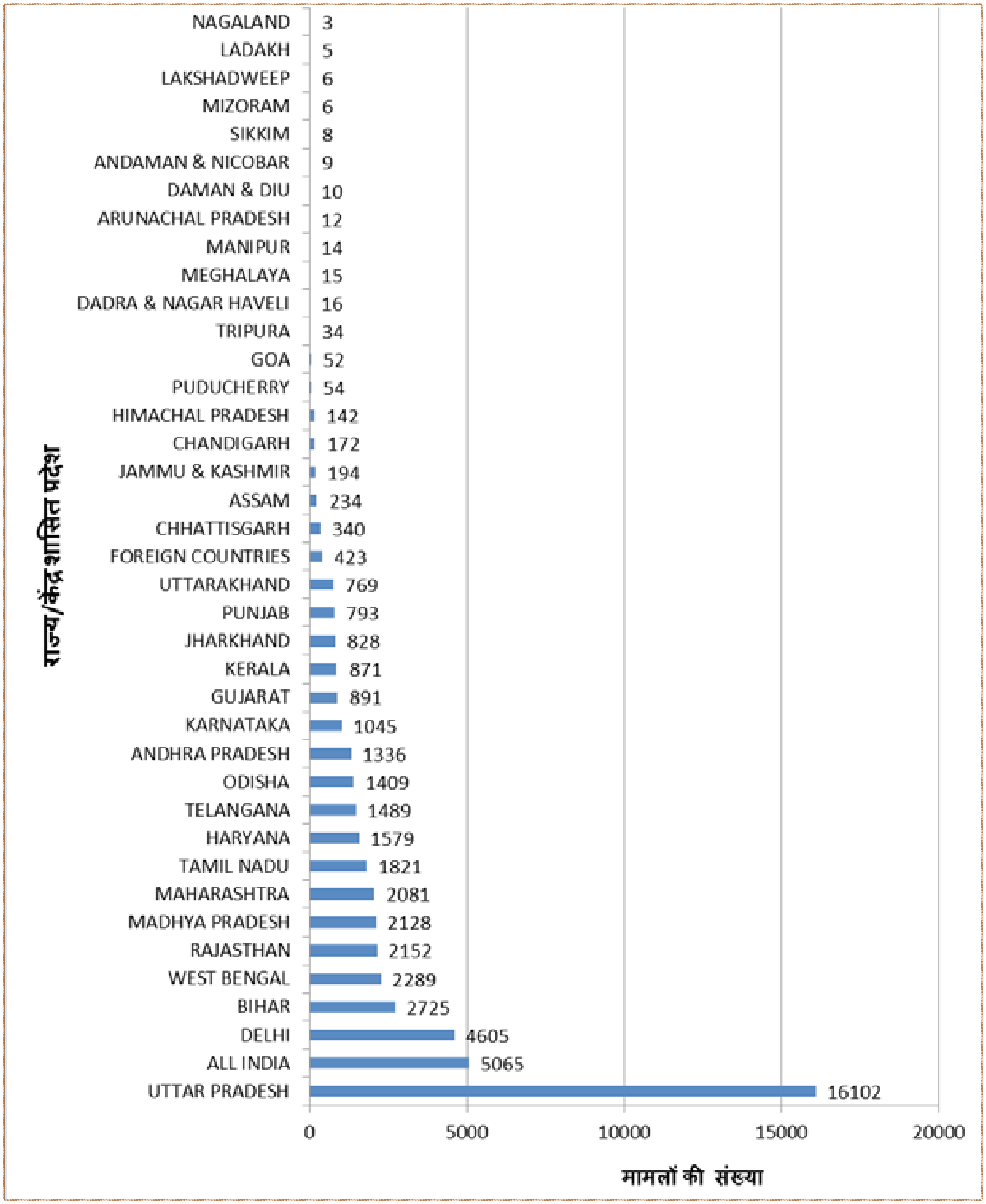

3.25 आयोग ने वर्ष 2021-2022 के दौरान उपचारात्मक उपायों हेतु उपयुक्त अधिकारियों को निर्देश देते हुए **32,236** मामलों का निपटारा किया। इन मामलों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिए गए चार्ट में प्रस्तुत किया गया है:

चित्रण 3.5 : समीक्षाधीन अवधि के दौरान निर्देशों के साथ निपटाए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा

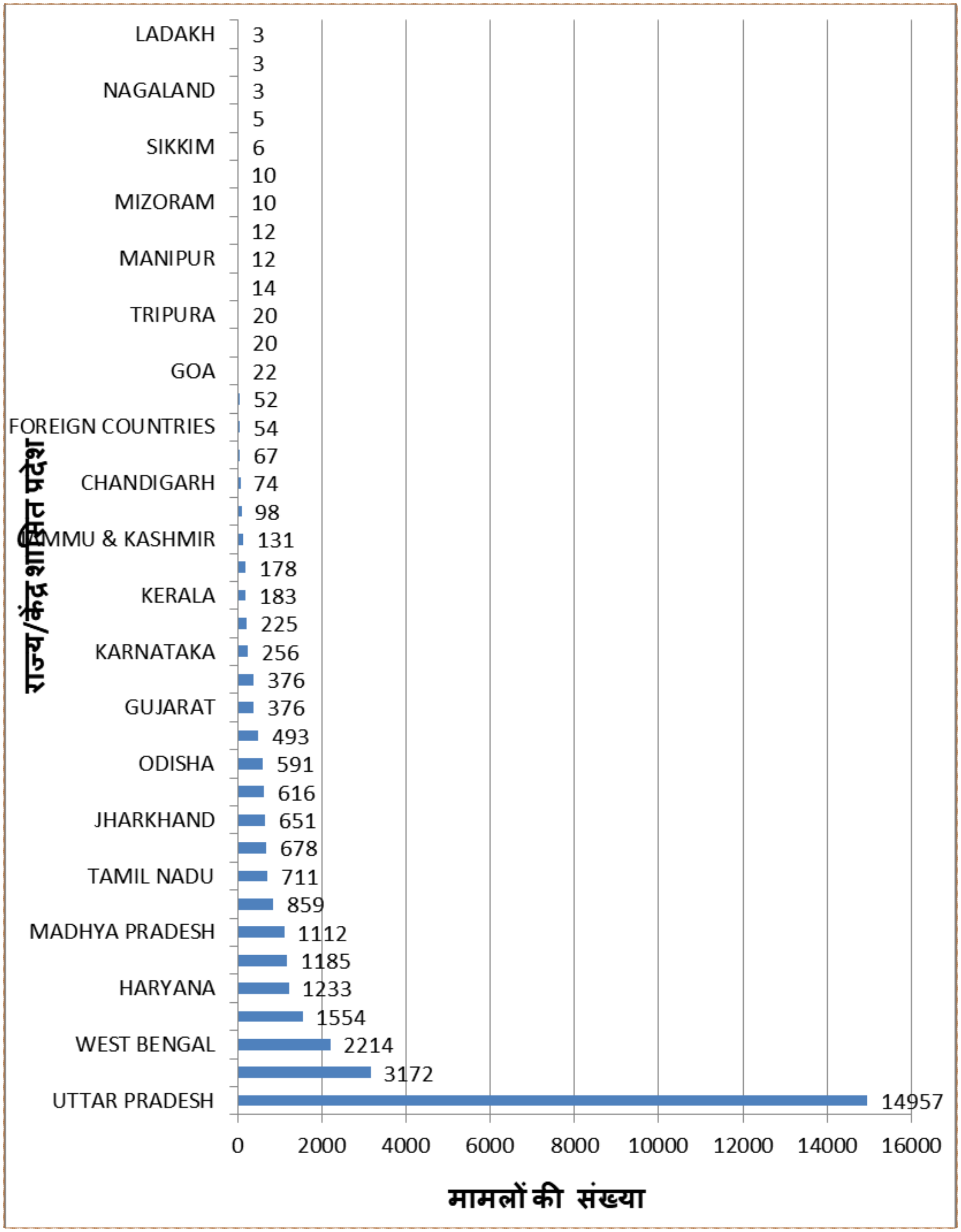

3.26 पीएचआरए के उपबंधों के अनुसार निपटान हेतु **12,045 मामले** राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित किए गए। वर्ष 2021-2022 के दौरान एनएचआरसी द्वारा निपटाए गए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार मामलों के विवरण के लिए, कृपया **अनुलग्नक - 2** देखें । यह नीचे दिए गए चार्ट में भी परिलक्षित होता है:

चित्रण 3.6 : वर्ष 2021-22 के दौरान एसएचआरसी को हस्तांतरित मामले

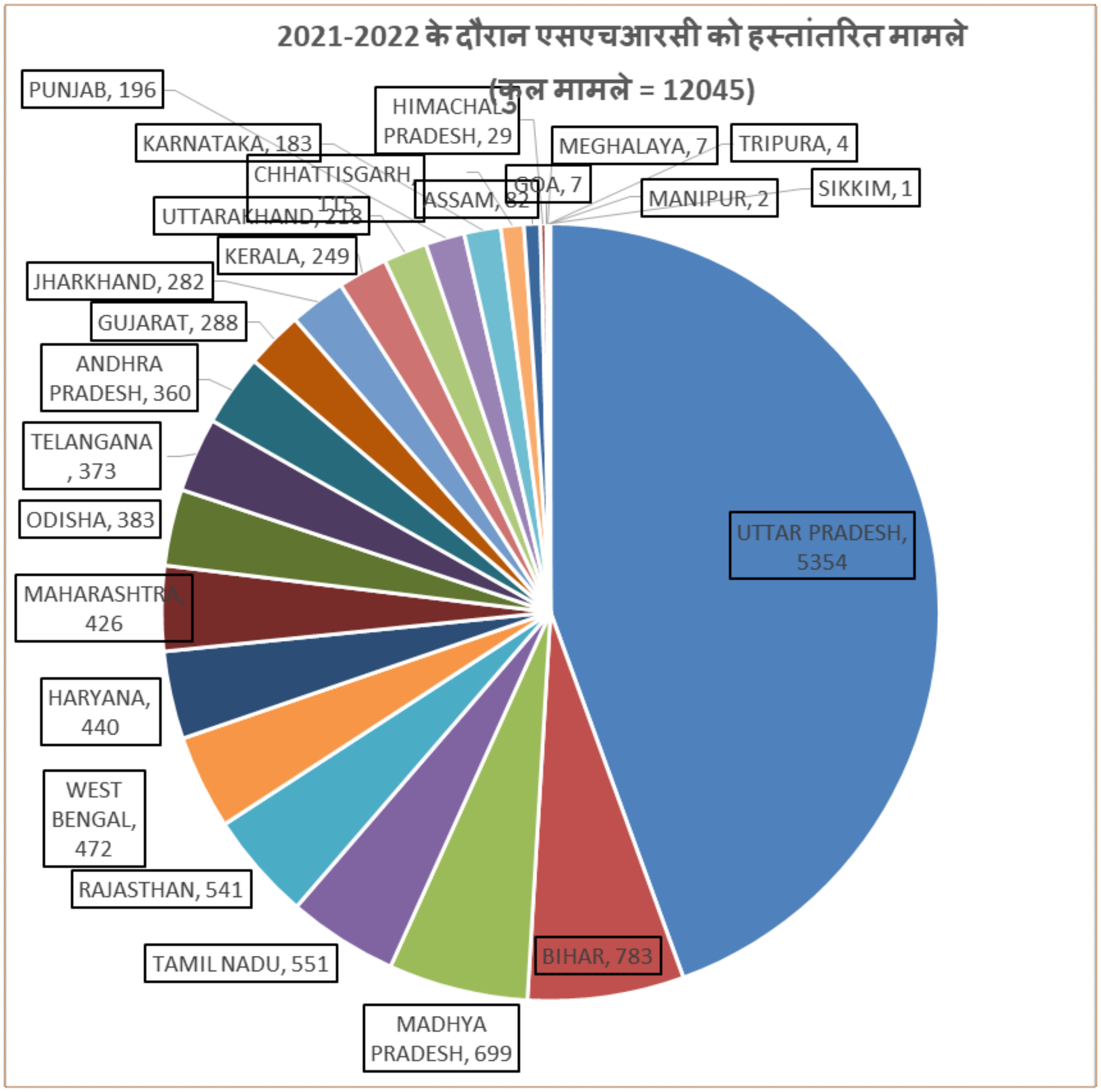

3.27 वर्ष के दौरान मामलों का निपटान के विभिन्न तरीकों, शिकायत को खारिज कर (डीआईएल), अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे कर, शिकायत को राज्य मानव अधिकार आयोगों को स्थानांतरित कर, आयोग के निर्देशों के अनुसार प्राप्त रिपोर्टों पर विचार कर मामले को बंद करना, नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाई गई हैं :

चित्रण 3.7: 2021-22 के दौरान निपटाए गए मामले

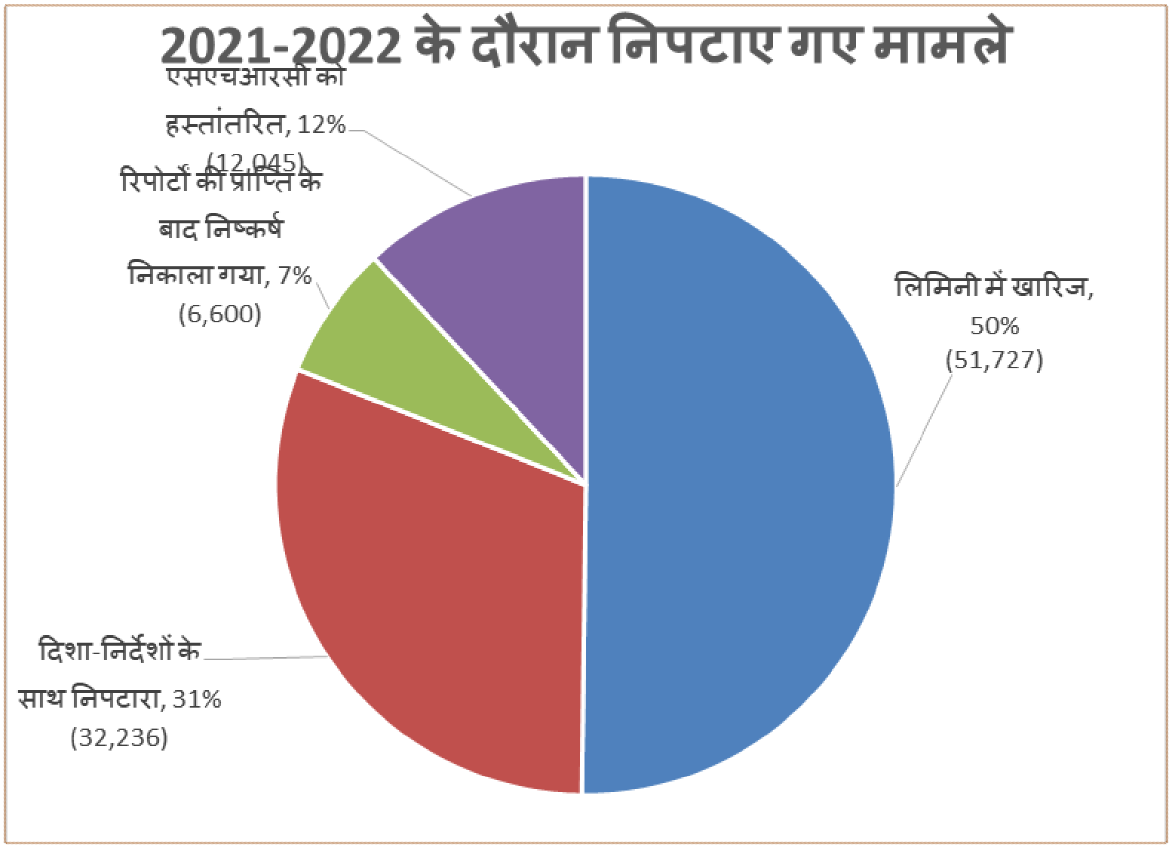

3.28 प्रतिवेदन अवधि के अंत में, अर्थात् 31 मार्च 2022 को, आयोग के पास लंबित मामलों की कुल संख्या 16,515 थी, जिनमें प्रारंभिक विचार की प्रतीक्षा अधीन 4864 मामले और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट के लिए लंबित 11,651 मामले या रिपोर्ट प्राप्त होने वाले के उपरांत आयोग द्वारा विचार हेतु लंबित मामले शामिल हैं। **(अनुलग्नक -3)**

हिरासत में हिंसा को रोकना

3.29 एनएचआरसी को वर्ष 2021-2022 के दौरान न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित 2,367 सूचनाएं और पुलिस हिरासत में मौत की 175 सूचनाएं प्राप्त हुईं और समीक्षा अवधि के दौरान अर्ध - सैन्य/ रक्षा बलों की हिरासत में मौत की एक सूचना भी मिली। आयोग ने हिरासत में मौत के 1,316 मामलों का निपटारा किया। इन 1,316 मामलों में से 1,248 मामले न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित हैं, 67 मामले पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार के और एक मामला अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत से संबंधित है । इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं. कृपया सभी विवरणों के लिए नीचे दिया गया ग्राफ़ देखें ।

चित्रण 3.8: 2021-22 के दौरान हिरासत में मौत /बलात्कार के मामलों की संख्या

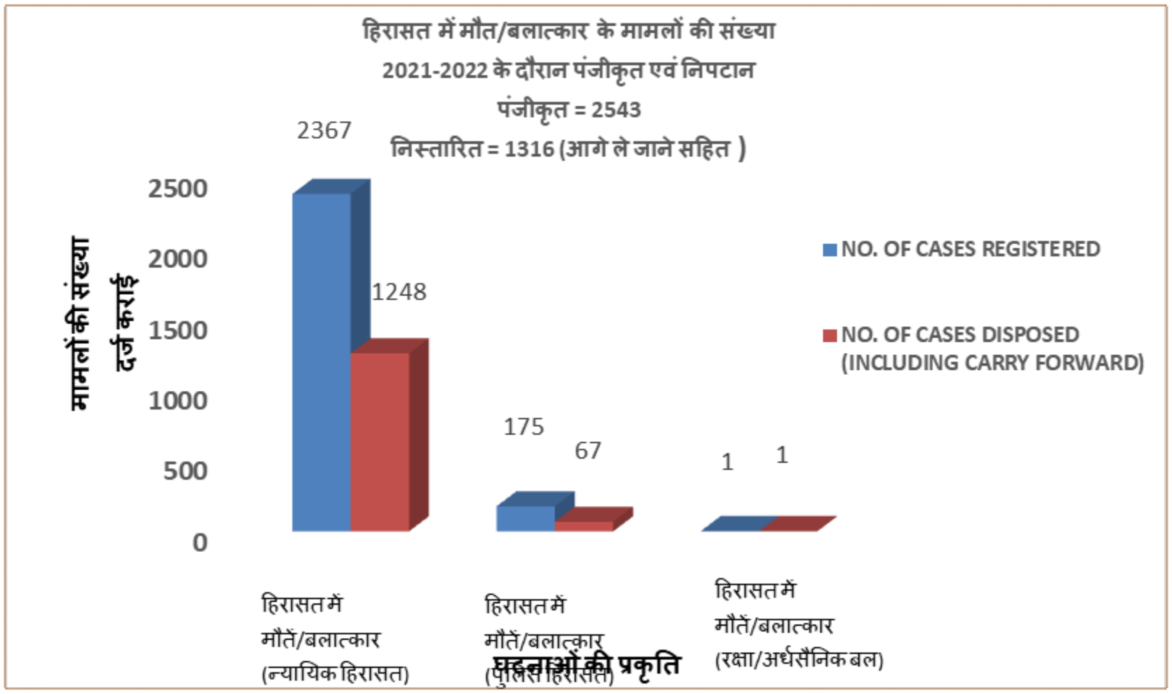

मौद्रिक राहत और उसके अनुपालन के लिए एनएचआरसी की सिफारिशें

3.30 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के दौरान, आयोग ने 359 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकटतम संबंधियों को मौद्रिक राहत/मुआवजा के भुगतान स्वरूप 11,72,840 रुपए के भुगतान की सिफारिश की। इन 359 मामलों, जिनमें मौद्रिक राहत की सिफारिश की गयी थी, में से 100 मामलों में अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, जिनमें पीड़ितों/मृतकों के निकटतम संबंधियों को कुल 3,05,65,840 रुपए का भुगतान किया गया है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश वार इन मामलों के विवरण **अनुलग्नक – 4** में दिए गए हैं।

3.31 दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, 259 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी, जिनमें वर्ष के दौरान 8,66,60,000 रुपये की मौद्रिक राहत की सिफारिश की गई थी (मामलों का विवरण **अनुलग्नक - 5** पर है)। मौद्रिक राहत के लिए सिफारिशों के अलावा, आयोग ने एक मामले में दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश की (मामले का विवरण **अनुलग्नक – 4क** पर है)। आयोग ने, एक बार फिर से, उन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, विशेष रूप से, उत्तर प्रदेश सरकार को सिफारिश किया है कि अनुपालन के लिए उनके पास लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, ताकि प्रत्येक मामले में अनुशंसित मौद्रिक राहत पीड़ित/उनके निकटतम संबंधी को तुरंत दी जा सके।

3.32 जैसा संलग्न **अनुलग्नक - 5** से स्पष्ट है, वर्ष 2021-2022 के दौरान, मुआवजा/मौद्रिक राहत देने के लिए आयोग की सिफारिश के अनुपालन हेतु लंबित कुल 259 मामलों में से, 75 मामले उत्तर प्रदेश सरकार के पास लंबित पाए गए। बिहार सरकार के पास 27 मामले, ओडिशा सरकार के पास 25 मामले, दिल्ली सरकार के पास 23 मामले, झारखंड सरकार के पास 14 मामले, पश्चिम बंगाल सरकार के पास 11 मामले, आंध्र प्रदेश, असम और हरियाणा, राजस्थान सरकार के पास सात मामले, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के पास छह-छह मामले, अरुणाचल प्रदेश सरकार के पास पांच-पांच मामले, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, तमिलनाडु सरकार के पास चार-चार मामले और तेलंगाना, पंजाब सरकार के पास तीन-तीन मामले, कर्नाटक, नागालैंड

और त्रिपुरा की सरकारों के पास दो-दो मामले, अंडमान और निकोबार केंद्रशासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और उत्तराखंड की सरकारों के पास एक-एक मामले लंबित थे। पिछले वर्षों से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में, 25 (12+13) मामलों में अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही थी; विवरण अनुलग्नक - 5 और 5क में दिया गया है।

3.33 **अनुलग्नक - 5** में 12 मामलों के विवरण दिए गए हैं, जहां वर्ष 2020-2021 के दौरान आयोग द्वारा अनुशंसित मौद्रिक राहत के भुगतान का अनुपालन अभी भी लंबित है। इन मामलों में असम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और उत्तर प्रदेश प्रत्येक सरकार के पास लंबित दो-दो मामले शामिल हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप की प्रत्येक सरकार के पास भी अनुपालन हेतु एक-एक मामला लंबित है।

3.34 **अनुलग्नक- 5क** में 13 मामलों का विवरण दिया गया है, जिन मामलों में वर्ष 2014-2015 से 2019-2020 तक की अवधि के दौरान आयोग द्वारा अनुशंसित मौद्रिक राहत के भुगतान का अनुपालन अभी भी लंबित है। इन मामलों में झारखंड सरकार के पास लंबित तीन मामले, मध्य प्रदेश सरकार के पास लंबित दो मामले और असम, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारों में से प्रत्येक के पास लंबित एक-एक मामला शामिल है।

3.35 इन मामलों में न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत में मौत, हिरासत में यातना, बलात्कार और पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग, संबंधित राज्य अधिकारियों की निष्क्रियता, स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में अनियमितताएं और खतरनाक रोजगार आदि के आरोप शामिल थे। इन मामलों के विवरण पिछले वर्षों की एनएचआरसी की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आयोग को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए तत्काल कदम उठाएं और साथ ही महिलाएं, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं, के विरुद्ध हिंसा और भेदभाव के कृत्यों को रोकने के लिए विशेष उपायों के साथ-साथ नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की सुरक्षा और संवर्द्धन हेतु व्यापक कदम उठाएं।

ज. अनुसंधान प्रभाग द्वारा निष्पादित अनुसंधान कार्यकलाप

3.36 आयोग ने यह सुनिश्चित करने के प्रयास में कि मानव अधिकारों को बरकरार रखा जाए और सभी को, उनकी पृष्ठभूमि या श्रेणियों के अनपेक्ष, उसका लाभ मिले, कुछ फोकस क्षेत्रों और मुद्दों को अलग करने की मान्यता दी है, जिन पर अपनी रणनीतिक योजना में तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बार जब किसी विषयगत क्षेत्र को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान किया जाता है, तो अनुसंधान प्रभाग उस विषयगत क्षेत्र से संबंधित मानव अधिकार उल्लंघन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सिफारिशें या सलाह जारी करने के लिए सम्मेलन, सेमिनार, खुला सदन चर्चा, बैठकें या कार्यशालाएं आयोजित करता है। प्रत्येक विषयगत क्षेत्र में किए गए उपर्युक्त कार्यकलापों को इस रिपोर्ट के **अध्याय - 7** में वर्णित किया गया है। सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, खुले सदन की चर्चाओं और बैठकों के अलावा, आयोग मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है और उसका संवर्द्धन करता है, जिनसे संबंधित कार्यकलापों को **अनुलग्नक - 13** के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग मानव अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार के लिए लागू नीतियों, कानूनों, संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय विलेखों की समीक्षा करता है और केंद्र, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के अधिकारियों को इनपुट प्रदान करता है।

झ. मिडिया

3.37 मीडिया डेस्क विभिन्न माध्यमों जैसे ट्विटर हैंडल, प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार आदि के माध्यम से आयोग द्वारा किए गए कार्यकलापों से संबंधित जानकारी के प्रसार में लगा हुआ है। डेस्क समाचार क्लिपिंग की भी निगरानी करता है जिनके आधार पर एनएचआरसी हस्तक्षेप करता है या स्वतः संज्ञान लेता है। प्रभाग द्वारा किए गए कार्यकलापों का विवरण **अध्याय-6** के अंतर्गत दिया गया है।

ञ. प्रशिक्षण

3.38 दूसरी ओर, प्रशिक्षण प्रभाग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार जागरूकता और साक्षरता बढ़ाने में लगा हुआ है। इसके लिए, यह विभिन्न सरकारी अधिकारियों और राज्य और इसकी एजेंसियों के पदाधिकारियों, गैर-सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और छात्रों को विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षित और संवेदनशील करता है। प्रभाग द्वारा किए गए कार्यकलापों का विवरण **अध्याय-6** के अंतर्गत दिया गया है।

ट. कोर समूह

3.39 कोर समूह में आयोग द्वारा अपेक्षित किसी दिए गए क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति या विषय विशेषज्ञ या सरकारी या तकनीकी संस्थानों या गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं, चाहे वह स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, दिव्यांगता हो या बंधुआ मज़दूरी, इत्यादि। ये समूह आयोग को विशेषज्ञ सलाह देते हैं। वर्ष 2020-2021 के दौरान एनएचआरसी में कार्य करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कोर समूह इस प्रकार थे :

- स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह
- दिव्यांगता और बुजुर्ग व्यक्तियों संबंधी कोर समूह
- गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार संरक्षकों संबंधी कोर समूह
- भोजन का अधिकार संबंधी कोर समूह
- व्यवसाय और मानव अधिकार संबंधी कोर समूह
- बंधुआ मजदूर संबंधी कोर समूह
- महिला संबंधी कोर समूह
- बच्चों संबंधी कोर समूह
- एलजीबीटीक्यू के मुद्दों संबंधी कोर समूह
- आपराधिक न्याय प्रणाली संबंधी कोर समूह

3.40 कोर समूह की बैठकें सावधिक रूप नियमित अंतराल पर या जब भी आवश्यक समझी जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग में आयोजित सभी कोर समूह बैठकों का विवरण **अनुलग्नक - 8** में दिया गया है।

ठ. आयोग के विशेष प्रतिवेदक और मॉनिटर

3.41 आयोग के विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर वे मानव अधिकार विशेषज्ञ हैं जिन्हें विशेष रूप से विषयगत या राज्य-विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से मानव अधिकार संबंधी सरोकारों पर रिपोर्ट करने और सलाह देने के निर्देश के साथ नियुक्त किया जाता है या विषयगत या राज्य-विशिष्ट परिप्रेक्ष्य से मानव अधिकार संबंधी सरोकारों पर रिपोर्ट तैयार करने और सलाह देने के निर्देश के साथ नियुक्त किया जाता है। विशेष प्रतिवेदक/विशेष मॉनिटर की प्रणाली एनएचआरसी मशीनरी का एक केंद्रीय तत्व है और सभी मानव अधिकारों को कवर करती है: नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इसके अलावा, वे बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, दिव्यांगता संबंधी सरोकारों जैसे संवेदनशील मुद्दों आदि को कवर करते हैं और लोगों के बीच उनके या दूसरों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में एनएचआरसी से निवारण की मांग करने के दृष्टिकोण से पीएचआरए में निहित प्रावधानों के बारे में जागरूकता सृजित करते हैं। प्रतिवेदन अधीन अवधि के दौरान तैनात विशेष प्रतिवेदक/विशेष मॉनिटर नीचे सूचीबद्ध हैं।

I. प्रक्षेत्र विशेष प्रतिवेदक

सारणी 3.5: आयोग के प्रक्षेत्र विशेष प्रतिवेदक

क्र.सं.	नई योजना के अनुसार शामिल प्रक्षेत्र/क्षेत्र	विशेष प्रतिवेदक का नाम	कार्यकाल
1.	**दक्षिण क्षेत्र** तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक।	श्री देवेन्द्र कुमार, सेवानिवृत्त निदेशक (वित्त)	02.04.2020 से 01.04.2021 तक
2	**पश्चिम क्षेत्र** महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	डॉ. साधना राउत,	11.03.2020 से 31.07.2021 तक
3.	**मध्य क्षेत्र** मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार और झारखंड।	(रिक्त) डॉ. विनोद अग्रवाल के पास अतिरिक्त प्रभार, पूर्वी क्षेत्र के विशेष प्रतिवेदक	16.07.2020 से 15.07.2021 तक
4.	**पूर्वी क्षेत्र** पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।	श्री उमेश कुमार आईपीएस (सेवानिवृत्त) (असम मेघालय संवर्ग)	
5.	**उत्तर पूर्व क्षेत्र** नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश	श्री रंजन द्विवेदी आईपीएस (सेवानिवृत्त) (उत्तर प्रदेश संवर्ग-1979)	16.07.2020 से 15.07.2021 तक
6.	**उत्तर क्षेत्र** पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।	श्री रंजन द्विवेदी आईपीएस (सेवानिवृत्त) (उत्तर प्रदेश संवर्ग-1979)	01.06.2020 से 31.05.2021 तक

II. विशेष मॉनिटर

सारणी 3.6: आयोग के विशेष मॉनिटर

क्र.सं.	विशेष मॉनिटर का नाम	विषय	कार्यकाल
1.	श्री अजीत सिंह संस्थापक - गुरिया	दुवर्यापार	11.07.2019 से 10.07.2021 तक
2.	श्री राजीव रतूड़ी एनसीपीईडीपी	दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार	11.07.2019 से 10.07.2021 तक
3.	श्री अंबुज शर्मा आईएएस (सेवानिवृत्त) (तमिलनाडु संवर्ग - 1983)	मानसिक स्वास्थ्य, जल, स्वच्छता सहित स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दे	11.07.2019 से 10.07.2021 तक
4.	श्री रईज़ अहमद	अल्पसंख्यकों के मानव अधिकार	20.07.2020 से 19.07.2021 तक
5.	सुश्री करुणा बिश्नोई स्वतंत्र बाल अधिकार, नीति एवं विकास सलाहकार	बच्चों के मानव अधिकार	25.08.2020 से 24.08.2021 तक

अध्याय - 4

प्रशासन और बजट

क. कर्मचारी और विशेषीकृत प्रभाग

4.1 दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार आयोग में सभी श्रेणियों के कुल 355 संस्वीकृत विभिन्न पदों की तुलना में 245 कर्मचारी कार्यरत थे। पिछले कुछ वर्षों में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कर्मचारियों के चयन के संबंध में तथा अपने स्वयं के संवर्ग के निर्माण तथा विकास के लिए विभिन्न् उपाय किए हैं। इन उपायों में सीधी भर्ती, पुनर्नियोजन, प्रतिनियुक्ति तथा संविदा के आधार पर नियुक्तियां शामिल हैं।

4.2 आयोग में पाँच प्रभाग हैं, जो इस प्रकार हैं :

(i) विधि प्रभाग,

(ii) अन्वेषण प्रभाग,

(iii) नीति अनुसंधान, परियोजनाएँ और कार्यक्रम प्रभाग,

(iv) प्रशिक्षण प्रभाग, और

(v) प्रशासन प्रभाग।

4.3 **विधि प्रभाग :** विधि प्रभाग का नेतृत्व एक रजिस्ट्रार (विधि) करता है, जिनकी सहायता प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, एक संयुक्त रजिस्ट्रार, कई उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी और अन्य सचिवीय कर्मचारी करते हैं।

4.3.1 मूल रूप से, कानून प्रभाग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (क) के तहत आयोग द्वारा महत्वपूर्ण कार्यों में से एक, अर्थात मानव अधिकारों के कथित उल्लंघन की शिकायतों की जांच करना, का निर्वहन सुगम करता है। यह आयोग की रजिस्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है। यह पीड़ितों या पीड़ितों की ओर से अन्य लोगों से हिरासत में होने वाली मौतों, हिरासत में बलात्कार, मुठभेड़ों में मौतों या पुलिस/अर्धसैनिक बलों या रक्षा बलों की कार्रवाई के बारे में अधिकारियों से सूचनाएं, अदालतों से संदर्भ प्राप्त करता है, उनकी जांच करता है और पंजीकृत करता है। यह इन शिकायतों/मामलों को आदेशों/कार्यवाही के लिए आयोग के समक्ष प्स्तुत कर उन पर कार्रवाई करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आयोग के आदेशों के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। यह देश के विभिन्न हिस्सों में आयोग की शिविर बैठकें, खुली सुनवाई भी आयोजित करता है, ताकि आयोग पीड़ितों को उनके दरवाजे पर न्याय प्रदान करने में सक्षम हो सके। विधि प्रभाग आयोग को संदर्भित मसौदा कानूनों, ओएचसीएचआर और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त प्रशनावली पर टिप्पणियाँ और सलाह भी प्रदान करता है, और आयोग को अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप करने, या मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग के विरुद्ध दायर मामलों में उत्तर देने का कार्य भी करता है। यह आयोग को स्वत: संज्ञान लेने में भी सक्षम करता है। विधि प्रभाग द्वारा प्रतिवर्ष लगभग एक लाख

मामले पंजीकृत और निपटाए जाते हैं। इनमें से कई मामलों के निपटारे से पीड़ितों को मौद्रिक राहत, दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन, बंधुआ मजदूरों की रिहाई, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का पंजीकरण, पेंशन का भुगतान, वगैरह के रूप में राहत मिलती है।

4.3.2 आयोग ने पिछले वर्ष के दौरान दर्ज 74,968 शिकायतों की तुलना में 1,11,082 शिकायतें दर्ज कीं। मानव अधिकारों के बारे में आयोग की जागरूकता सृजन गतिविधियों और सामान्य सेवा केंद्रों सहित शिकायतें दर्ज करने की ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से आयोग तक आसान पहुंच की सुविधा ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दर्ज की गई शिकायतों की संख्या में वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभाई है। आयोग ने लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के प्रयास किये। एचआरसी.नेट पोर्टल के उपयोग ने लोगों को कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से देश में कहीं से भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है, जिससे शिकायतों को तत्काल प्रस्तुत करना और डाक में देरी या पारगमन में हानि के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एचआरसी.नेट पोर्टल के उपयोग से शिकायतकर्ताओं को एसएमएस या ई-मेल संदेश के माध्यम से रसीद की पावती, शिकायत पर आयोग द्वारा पारित निर्देशों पर अलर्ट और शिकायत पर स्थिति/कार्रवाई से संबंधित जानकारी तक पहुंच का लाभ प्रापत हुआ। पोर्टल, जिसका शिकायत प्रबंधन और सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) एक हिस्सा है, डेटा के भंडारण और पुनर्प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता है, अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और त्वरित निर्णय लेने और शिकायतों के निवारण में एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता है। मानव अधिकार संरक्षकों के मानव अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए एनएचआरसी के फोकल पॉइंट (मोबाइल नंबर 9999393570) ने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ परस्पर चर्चा की।

4.4 अन्वेषण प्रभाग : अन्वेषण प्रभाग का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक स्तर के एक अधिकारी करते हैं, जिसकी सहायता के लिए एक उप महानिरीक्षक और चार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होते हैं। प्रत्येक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अन्वेषण अधिकारियों के एक समूह का नेतृत्व करता है (जिसमें पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षक शामिल होते हैं)। अन्वेषण प्रभाग की कार्यप्रणाली विश्लेषणात्मक और बहुआयामी है और यह निम्नलिखित कार्यकलाप करता है :

4.4.1 <u>मौके पर पूछताछ:</u> अन्वेषण प्रभाग मौके पर पूछताछ करता है और मानव अधिकारों के उल्लंघन का खुलासा करने वाले मामलों में उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है। अन्वेषण प्रभाग द्वारा की गई मौके पर पूछताछ न केवल आयोग के सामने सच्चाई सामने लाती है, बल्कि सभी संबंधित शिकायतकर्ताओं, लोक सेवकों आदि को एक संदेश भी भेजता है। आयोग सरकारी अधिकारियों द्वारा - पुलिस द्वारा अवैध हिरासत, न्यायेतर हत्याएं आदि से लेकर अस्पताल में सुविधाओं की कमी के कारण अप्राकृतिक मौतें या बंधुआ मजदूरी के मामले संबंधी मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन से संबंधित कई मामलों में मौके पर जांच का आदेश देता है। मौके पर पूछताछ से आम जनता का भी विश्वास बढ़ता है और मानव अधिकारों की सुरक्षा में एनएचआरसी की भूमिका में उनका विश्वास पैदा होता है। अन्वेषण प्रभाग, जब भी उसे कोई मामला संदर्भित किया जाता है, उस मामले की निगरानी के अलावा, यह प्रभाग सलाह/विश्लेषण के मामलों में, जब भी मांगा जाता है, अपनी टिप्पणियों/प्रेक्षण भी देता है ।

4.4.2 <u>हिरासत में मौतें:</u> आयोग द्वारा राज्य प्राधिकरणों को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, हिरासत में (चाहे पुलिस या न्यायिक हिरासत में) होने वाली किसी भी मौत के मामले में राज्य अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर आयोग को सूचित करना होता है। अन्वेषण प्रभाग, ऐसी सूचनाएं प्राप्त होने पर, यह पता लगाने के लिए रिपोर्टों का विश्लेषण करता है कि क्या इसमें कोई मानव अधिकार उल्लंघन

शामिल था। विश्लेषण को अधिक पेशेवर और सटीक बनाने के लिए, अन्वेषण प्रभाग एनएचआरसी के पैनल में शामिल फोरेंसिक विशेषज्ञों और डॉक्टरों से राय मांगता है ।

4.4.3 <u>पुलिस गोलीबारी/मुठभेड़ के दौरान मौतें :</u> आयोग ने ऐसे मामलों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं जिनमें लोग/चरमपंथी पुलिस कार्रवाई के दौरान मारे जाते हैं, जैसे गोलीबारी। ऐसे मामले को अनिवार्य रूप से 48 घंटों के भीतर आयोग को सूचित किया जाना आवश्यक होता है, इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की स्थिति, बैलिस्टिक रिपोर्ट, मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट आदि भेजना शामिल हैं। अन्वेषण प्रभाग को विश्लेषण का काम और ऐसी घटनाओं की जानकारी देने और आयोग के समक्ष ऐसे मामलों में भ्रांतियों/विसंगतियों को सामने लाने का कार्य सौंपा गया है।

4.4.4 <u>मामलों की तथ्यात्मक खोज :</u> आयोग के निर्देशानुसार "तथ्य खोज" मामलों में अन्वेषण प्रभाग रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न प्राधिकारियों को प्रभाग भी बुला सकता हैं। अन्वेषण प्रभाग ने इन रिपोर्टों का गंभीरता से विश्लेषण करते हुए आयोग को यह तय करने में मदद करता है कि क्या यह मामला मानवीय अधिकारों के उल्लंघन का है या नहीं। ऐसे मामलों में जहां प्राप्त रिपोर्ट भ्रामक या तथ्यात्मक नहीं होती है, आयोग मौके पर जांच का भी आदेश देता है ।

4.4.5 <u>त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ :</u> वर्ष 2007 से, अन्वेषण प्रभाग ने आयोग में त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ (आरएसी) को क्रियाशील बनाने की पहल की है। आरएसी मामलों के तहत, अन्वेषण प्रभाग उन मामलों से निपटता है जो बहुत जरूरी प्रकृति के होते हैं, उदाहरण के लिए, आरोप बाल विवाह के संबंध में हो सकता है जो अगले ही दिन होने की संभावना है या फिर शिकायतकर्ता को डर है कि किसी रिश्तेदार या दोस्त को उठा लिया गया है। पुलिस ने शायद झूठी मुठभेड़ में मारा है. ऐसे सभी जैये मामलों में, अन्वेषण प्रभाग आयोग द्वारा अपेक्षित तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई करता है। तथ्यों का पता लगाने के लिए उनसे टेलीफोन पर व्यक्तिगत रूप से बात करने, संदर्भ के लिए विभिन्न अधिकारियों को शिकायत फैक्स करने और उन्हें शीघ्रता से अपने उत्तर भेजने के लिए कहने की आवश्यकता हो सकती है - ये सभी कार्य अन्वेषण प्रभाग द्वारा किए जाते हैं।

4.4.6 <u>हिरासत के स्थानों का दौरा :</u> जेलों, आश्रय घरों और अन्य संस्थानों में रहने की स्थिति से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के उद्देश्य से हिरासत में लिया जाता है या रखा जाता है। अन्वेषण प्रभाग के जांच अधिकारी आयोग द्वारा निर्देश दिए जाने पर विभिन्न राज्यों के जेलों, आश्रय गृहों और अन्य संस्थानों का दौरा करते हैं और विशिष्ट आरोपों के तथ्य या कैदियों या कैदियों की उनके मानव अधिकारों के संबंध में सामान्य स्थिति पेश करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

4.5 नीतिगत अनुसंधान, परियोजनाएँ और कार्यक्रम प्रभाग (पीआरपी एंड पी) : प्रभाग मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है और उसका संवर्द्धन करता है और महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएँ आयोजित करता है। जब भी आयोग, अपनी सुनवाई, विचार-विमर्श या अन्यथा के आधार पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई विशेष विषय महत्वपूर्ण है, तो इसे पीआरपी एंड पी प्रभाग द्वारा निपटाए जाने वाले एक परियोजना/कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अलावा, यह मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्द्धन के लिए लागू नीतियों, विधियों, संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय विलेखों की समीक्षा करता है। यह केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा एनएचआरसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी की सुविधा भी प्रदान करता है। यह प्रशिक्षण प्रभाग को मानव अधिकार साक्षरता बढ़ाने और मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। इस प्रभाग के कार्य का प्रबंधन अपर सचिव और संयुक्त सचिव (कार्यक्रम

और प्रशिक्षण), संयुक्त निदेशक (अनुसंधान) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एसआरओ), अनुसंधान अधिकारी (आरओ), अनुभाग अधिकारी (एसओ), वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार (जेआरसी) और अन्य सचिवीय कर्मचारी द्वारा किया जाता है।

4.6 **प्रशिक्षण प्रभाग :** यह प्रभाग समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, यह विभिन्न सरकारी अधिकारियों और राज्य और इसकी एजेंसियों के पदाधिकारियों, गैर-सरकारी अधिकारियों, नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों और छात्रों को विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाता है। इस उद्देश्य के लिए, यह प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों/ कॉलेजों के साथ सहयोग करता है। इसके अलावा, यह कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रभाग का नेतृत्व एक संयुक्त सचिव (कार्यक्रम और प्रशिक्षण) करते हैं, जिन्हें एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशिक्षण), एक सहायक, कनिष्ठ अनुसंधान सलाहकार और अन्य सचिवीय कर्मचारी द्वारा सहयोग प्रदाना किया जाता है। प्रशिक्षण प्रभाग के अंतर्गत समन्वय अनुभाग, अंतरराष्ट्रीय संधियों और कन्वेंशनों सहित सभी अंतरराष्ट्रीय मामलों से संबंधित कार्य करता है। इसके अलावा, यह विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कैंप आयोग की बैठकों/खुली सुनवाई के साथ समन्वय करता है, आयोग के वार्षिक कार्यों, जैसे स्थापना दिवस और मानव अधिकार दिवस का आयोजन करता है। इसे प्रोटोकॉल कर्तव्यों की देखभाल के साथ-साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आयोग के अध्यक्ष/सदस्यों/वरिष्ठ अधिकारियों की यात्राओं का प्रबंधन करने का भी काम सौंपा गया है। समन्वय अनुभाग में एक अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक, अनुसंधान सलाहकार और अन्य सचिवीय कर्मचारी शामिल होते हैं।

4.7 **प्रशासन प्रभाग:** आयोग का प्रशासन प्रभाग आधिकारिक उपयोग के लिए स्थापना, कर्मियों, लेखाओं और वस्तुओं की खरीद से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी है। विशेष रूप से, प्रभाग एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रशासनिक सहायता प्रदान करता है और एनएचआरसी के अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्मियों, लेखाओं और अन्य आवश्यकताओं का प्रबंधन भी करता है। संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुभाग अधिकारियों, सहायकों और अन्य सचिवीय कर्मचारियों के सहयोग से इस प्रभाग का काम देखते हैं। कुल मिलाकर, आयोग का सामान्य प्रशासन प्रभाग यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आयोग देश में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के अपने अधिदेश को पूरा करने में कुशलतापूर्वक और कारगर ढंग से काम करता है। प्रत्येक प्रभाग की स्वीकृत और वास्तविक संख्या बल नीचे सारणीबद्ध है।

4.8 प्रत्येक प्रभाग की स्वीकृत और वास्तविक संख्या निम्नवत है-

सारणी 4.1: दिनांक 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार संस्वीकृत/वास्तविक संख्या का विवरण

क्र.सं.	पद और निजी सहायकों का नाम	संस्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	संविदात्मक
अन्वेषण प्रभाग				
1	महानिदेशक (अन्वेषण)	1	1	
2	उप-महानिरीक्षक	1	1	
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	4	1	
4	उप. पुलिस अधीक्षक	11	10	
5	निरीक्षक	26	12	
6	अनुभाग अधिकारी	1	0	
7	सहायक	2	1	
8	निजी सचिव	5	1	
9	निजी सहायक	5	0	
10	स्टेनो डी	4	1	
11	एलडीसी	4	6	
12	सिपाही	12	12	
13	एमटीएस	8	5	
14	डेटा इंट्री ऑपरेटर	0	0	3
	कुल	**84**	**51**	**3**
विधि प्रभाग				
1	रजिस्ट्रार (विधि)	1	1	
2	प्रस्तुति अधिकारी	5	4	
3	संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि)	1	1	
4	उप-रजिस्ट्रार	3	3	
5	वरिष्ठ पीपीएस	0	1	
6	प्रधान निजी सहायक	0	3	
7	निजी सचिव	6	1	1
8	निजी सहायक	6	9	
9	सहायक रजिस्ट्रार	11	3	
10	अनुभाग अधिकारी	11	7	1
11	सहायक	15	13	
12	अपर श्रेणी लिपिक	6	5	
13	स्टेनो डी	10	4	
14	अवर श्रेणी लिपिक	11	9	
15	एमटीएस	24	15	
16	डेटा इंट्री ऑपरेटर	0	0	13

क्र.सं.	पद और निजी सहायकों का नाम	संस्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	संविदात्मक
17	जेएलआरसी	0	0	11
	कुल	**110**	**79**	**26**
प्रशिक्षण एवं अनुसंधान प्रभाग				
1	संयुक्त सचिव	1	1	
2	संयुक्त निदेशक	1	0	1
3	अवर सचिव	0	1	
4	वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	2	0	2
5	प्रधान निजी सहायक	0	1	
6	अनुसंधान अधिकारी	2	0	
7	निजी सहायक	1	0	
8	सहायक	1	1	
9	वरिष्ठ अनुसंधान सहायक	1	0	
10	अनुसंधान सहायक	3	0	
11	निजी सहायक	1	0	
12	अपर श्रेणी लिपिक	1	2	
13	स्टेनो डी	2	0	
14	अवर श्रेणी लिपिक	0	1	
15	एमटीएस	3	4	
16	जे.आर.सी	0	0	16
17	डेटा इंट्री ऑपरेटर	0	0	4
	कुल	**19**	**11**	**23**
प्रशासन प्रभाग				
2	संयुक्त सचिव	1	1	
3	निदेशक	1	0	
4	उप-सचिव	1	1	
5	वरिष्ठ प्रधान निजी सहायक	1	0	
6	अवर सचिव	3	2	
7	उप-निदेशक (एम एंड सी)	1	1	
8	वरिष्ठ सिस्टम विश्लेषक	1	1	
9	एआईओ (प्रकाशन)	1	1	
10	प्रधान निजी सचिव	7	2	
11	सहायक निदेशक (एच)	1	1	
12	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1	1	

क्र.सं.	पद और निजी सहायकों का नाम	संस्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या	संविदात्मक
13	प्रणाली विश्लेषक	1	1	
14	पुस्तकालयाध्यक्ष/ दस्तावेज़ीकरण अधिकारी	1	0	
15	अनुभाग अधिकारी	3	3	1
16	निजी सचिव	2	2	
17	सहायक लेखा अधिकारी	3	1	1
18	निजी सहायक	9	4	
19	सहायक	19	18	
20	वरिष्ठ अनुवादक	1	0	
21	प्रोग्रामर	1	1	
22	सहायक प्रोग्रामर	3	0	
23	लेखाकार	3	2	
24	उप दस्तावेज़ीकरण अधिकारी	1	1	
25	कनिष्ठ अनुवादक	2	2	
26	कनिष्ठ लेखाकार	3	1	2
27	अपर श्रेणी लिपिक	4	3	
28	स्टेनो डी	6	3	
29	सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष	1	0	
30	अवर श्रेणी लिपिक	5	8	
31	स्टाफ़ कार चालक	12	12	
32	डिस्पेच राइडर	2	1	
33	एमटीएस	43	30	
34	डेटा इंट्री ऑपरेटर	0	0	14
कुल		**144**	**104**	**18**
कुल योग		**357**	**245**	**70**

ख. राजभाषा का संवर्द्धन

4.9 वार्षिक हिंदी जर्नल का प्रकाशन : चूँकि हमारे देश में हिंदी में मानव अधिकार साहित्य के आयाम बहुत सीमित हैं, एनएचआरसी ने रचनात्मक लेखन के माध्यम से मानव अधिकार जागरूकता सृजित करने के लिए वर्ष 2004 से हिंदी जर्नल का प्रकाशन करना शुरू किया है। एनएचआरसी ने मानव अधिकार दिवस अर्थात् 10 दिसंबर, 2021 को इसके 18वें अंक प्रकाशित किया और उसका विमोचन किया।

4.10 एमएआरजी पुस्तिकाएं : आयोग ने दिल्ली स्थित संगठन मल्टीपल एक्शन रिसर्च समूह (एमएआरजी) के सहयोग से विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर 21 पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं हैं। उपर्युक्त पुस्तिकाओं का हिंदी अनुवाद एमएआरजी द्वारा किया गया था और आयोग के हिंदी अनुभाग द्वारा उसमें सुधार और पुनरीक्षण किया गया है।

4.11 स्थानीय भाषा अनुवाद : आयोग सभी भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में शिकायतें आदि स्वीकार करता है। हिंदी अनुभाग स्थानीय भाषाओं के अनुवाद की निगरानी कर रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, अनुवादकों के अनुमोदित पैनल द्वारा 2000 से अधिक शिकायतों का अनुवाद करवाया गया।

4.12 हिंदी पखवाड़ा : अपने दैनिक कामकाज में राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 से28 सितंबर 2021 तक वार्षिक हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया। आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। पखवाड़े के दौरान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, सामान्य हिंदी, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टंकन और हिंदी सुलेख प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए गए।

ग. बजट

4.13 वर्ष 2021-22 के लिए एनएचआरसी का बजट अनुमान 62.33 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष की अव्ययित शेष राशि अर्थात् 3.29 करोड़ रुपये सहित)। जिस राशि में से, आयोग ने 57.45 करोड़ रुपए की राशि खर्च की और 4.88 करोड़ रुपये शेष बच गये हैं।

लेखा शीर्ष		आवंटन 2021-22	व्यय	शेष
क	वेतन एवं भत्ते	40.99	36.91	4.08
ख 1	प्रशासन एवं अन्य व्यय.	13.02	12.85	0.17
ख 2	शोध और प्रशिक्षण	2.38	2.18	0.20
ग	पूंजीगत व्यय	5.82	5.40	0.42
घ	ऋण एवं अग्रिम	0.12	0.11	0.01
	कुल	**62.33**	**57.45**	**4.88**

अध्याय - 5

ई-गवर्नेंस और संभरण सहायता

क. मानव अधिकार आयोग नेटवर्क (एचआरसीनेट) पोर्टल

5.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एनआईसी की तकनीकी सहायता से मानव अधिकार आयोग नेटवर्क (एचआरसीनेट) पोर्टल (https://www.hrcnet.nic.in) विकसित किया है। इस पोर्टल का उपयोग देश के सभी मानव अधिकार आयोगों द्वारा ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने/ट्रैकिंग प्रणाली और ऑफ़लाइन अर्थात् दस्ती, डाक आदि से प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए किया जा सकता है। **एचआरसी नेट कई वर्षों से एनएचआरसी को शिकायतों के कुशल प्रबंधन में सक्षम बना रहा है।** यह सॉफ्टवेयर हर स्तर पर शिकायतों के संसाधन में उपयोगी है जैसे शिकायत की डायरी करने, मामलों के पंजीकरण, आयोग की कार्यवाही की प्रविष्टि आदि। यह सॉफ्टवेयर आपके आयोग को शिकायतों को कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से संभालने में भी सहायता करेगा।

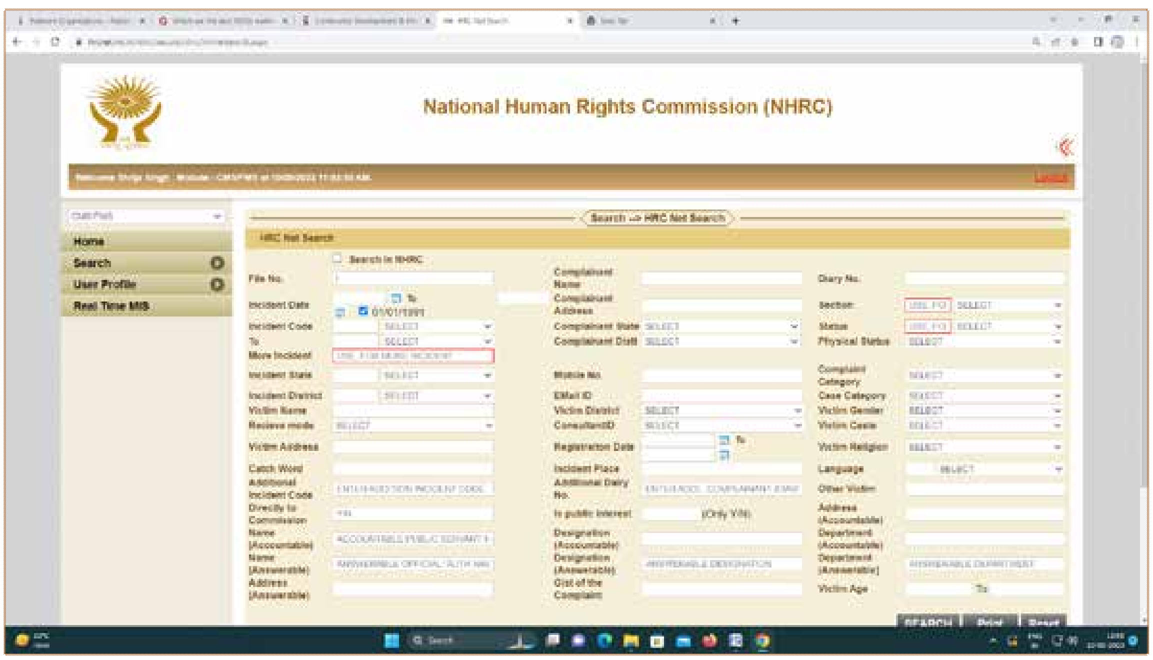

चित्र 5.1 : एनएचआरसी का एचआरसीनेट पोर्टल

<u>एचआरसीनेट पोर्टल की मुख्य विशेषताएं :</u>

(i) एचआरसीनेट **एसएचआरसी पर सॉफ्टवेयर की कोई वित्तीय लागत लगाये बिना, शिकायतें दर्ज करने** और शिकायत की स्थिति पर नज़र रखने के लिए **ऑनलाइन प्रणाली** प्रदान करता है।

(ii) एसएचआरसी कुछ पीसी, इंटरनेट सुविधा, प्रिंटर और स्कैनर के साथ इस पोर्टल का उपयोग शुरू कर सकते हैं। एसएचआरसी को स्थानीय सर्वरों की खरीद/रखरखाव की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(iii) **एनआईसी क्लाउड** पर नियोजित शिकायतकर्ता को चरण-वार मामले/शिकायत की स्थिति की जानकारी देने के लिए **एसएमएस और ईमेल एकीकरण** का अतिरिक्त लाभ प्राप्त है।

(iv) सॉफ्टवेयर में एक ही घटना के संबंध स्वचालित रूप से **एनएचआरसी और एसएचआरसी** डेटाबेस में दोहरे शिकायत की जांच करने, **एनएचआरसी द्वारा एसएचआरसी को शिकायतों का ऑनलाइन हस्तांतरण करने, सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से शिकायत पंजीकरण** का एकीकरण और मानव अधिकार आयोगों के आदेश केंद्र/राज्य सरकार को भेजने और प्राधिकरणों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुति के प्रावधान अंतर्निहित है।

(v) **आरसीनेट पोर्टल में विगत में किए गए प्रावधान :**

क. डाक मूवमेंट, मामलों के समूहीकरण और ई-केस फाइलों के सेंटबॉक्स के मॉड्यूल में 'खोज विकल्प' जोड़ा गया है।

ख. समापन मामलों में पत्र भेजने के लिए पाठ्य रिपोर्ट जोड़ी गई है।

ग. ईमेल के माध्यम से सम्मन भेजने की व्यवस्था की गई है।

घ. एक मामले पर एक समय में कई कार्यवाही प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है।

ङ. ई-केस फाइलों की पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

च. नए मामलों के लिए डिजिटल कैबिनेट की शुरुआत की गई है।

छ. प्राधिकरण द्वारा एमआईएस रिपोर्ट डिजाइन एवं विकसित की गयी है जो उन मामलों को दर्शाती है जहां सरकार से कोई प्रतिक्रिया/पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

ज. कार्यवाही परामर्शदाता और सरकारी प्राधिकरणों जैसे विभिन्न हितधारकों को क्रमश: कार्यवाही तैयार करने और रिपोर्ट ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए भूमिका आधारित एचआरसी नेट पोर्टल एक्सेस प्रदान की गयी है।

झ. वास्तविक समय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आरटीएमआईएस) : किए गए कार्य और लंबित कार्यों की निगरानी के लिए अतिरिक्त रिपोर्ट

ख. ई-ऑफिस (http://nhrc.eoffice.gov.in)

5.2 आयोग में ई-ऑफिस को संस्करण 6.0 में अपग्रेड किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी)/ई-साइन और कहीं से भी किसी भी समय सॉफ्टवेयर तक पहुंचने के लिए वेब वीपीएन प्रदान किया गया है।

ग. अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन

5.3 **अल्पावधि इंटर्नशिप कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने का सॉफ्टवेयर :** आयोग ने एनएचआरसी द्वारा संचालित इंटर्नशिप कार्यक्रमों के लिए आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया है।

5.4 आईसीटी अवसंरचना : आयोग ने दक्षता में सुधार, उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करने और आपदा रिकवरी तंत्र का अभिविन्यास बनाने के लिए एनएचआरसी सॉफ्टवेयर के माइग्रेशन हेतु एनआईसी क्लाउड पर अतिरिक्त वीएम प्राप्त करने के लिए काम शुरू कर दिया है।

5.5 स्पैरो सॉफ्टवेयर : एनएचआरसी ने आयोग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्पैरो सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया है।

5.6 एनएचआरसी ने अपनी लीज्ड लाइन को 34 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस में उन्नत कर दिया है।

5.7 स्थानीय भाषा अनुवादकों के लिए सॉफ्टवेयर : स्थानीय भाषाओं से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद के लिए भेजे गए पत्रों के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन, विकसित और क्रियान्वित किया गया है। इस सॉफ्टवेयर में अनुवादकों तक संचार के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण और उनके द्वारा अनुवादित पाठ को अपलोड करने का प्रावधान है। इस सॉफ्टवेयर से संबंधित अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

5.8 ई-एचआरएमएस सॉफ्टवेयर : आयोग में ई-एचआरएमएस सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है।

घ. प्रलेखीकरण केंद्र (ई-पुस्तकालय)

5.9 आयोग के पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1994 में अनुसंधान और संदर्भ उद्देश्यों के लिए की गई थी। इसे एनएचआरसी प्रलेखन केंद्र (ई-लाइब्रेरी) में अद्यतित किया गया है जो कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाओं से सुसज्जित है। पाठकों के व्यापक उपयोग के लिए इंटरनेट पर पुस्तकों/दस्तावेजों और लेखों का डेटाबेस उपलब्ध है। इन पाठकों में विश्वविद्यालय के शोधार्थी और मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करे वाले अन्य पाठक शामिल हैं। पुस्तकालय 2 ऑनलाइन डेटाबेस अर्थात् - राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), नई दिल्ली द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पैकेज (ई-ग्रंथालय) के साथ एसएससी ऑनलाइन, मनुपात्रा ऑनलाइन से भी सुसज्जित है। पुस्तकालय का अत्याधुनिक कम्प्युटर, प्रिंटर, सीसीटीवी (क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा) से आधुनिकीकरण किया गया है। पुस्तकालय में उपलब्ध किसी भी पुस्तक/दस्तावेज की उपलब्धता और स्थान का शीघ्रता से पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉगिंग (ओपीएसी) को विशेष रूप से विकसित किया गया है। एनएचआरसी पुस्तकालय विकासशील पुस्तकालय नेटवर्किंग (डेलनेट), नई दिल्ली का एक संस्थागत सदस्य है, जो पुस्तकालयों के बीच संसाधन साझा करने को बढ़ावा देता है। यह पुस्तकालय पुस्तकों, दस्तावेजों और जर्नलों को देखने और उधार लेने के लिए अंतर – पुस्तकालय उधार सुविधा के माध्यम से अन्य पुस्तकालयों से निकट संबंध बनाए रखता है।

ङ. खरीद

5.10 प्रभाग आधिकारिक उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद का प्रबंधन करता है, जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से की जाती है। विभाग खरीदी गई वस्तुओं को आयोग के उपयोगकर्ताओं को जारी करने के लिए ई-स्टोर सॉफ़्टवेयर का भी उपयोग करता है।

अध्याय - 6

वकालत और आउटरीच

क. राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलन

6.1 कोविड-19 वायरस के प्रकोप के बावजूद, आयोग द्वारा पूरे वर्ष वर्चुअल सम्मेलन और वेबिनार आयोजित किए गए। इनमें घरेलू कामगारों, हाथ से मैला ढोने वालों, मानव दुर्व्यापार के शिकार लोगों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों संबंधी सम्मेलन और एनएचआरसी और सीएसओ और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग विषय पर वेबिनार, मानव अधिकार मुद्दों संबंधी एचआरडी और कोविड-19 के प्रकोप के दौरान बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा पर सम्मेलन शामिल थे। सभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और वेबिनार को **अनुलग्नक - 9** के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

ख. राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ आयोग की बैठक

6.2 पीएचआरए, धारा 21 में, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन का प्रावधान किया गया है। आयोग उन राज्य सरकारों से आग्रह कर रहा है, जहां कोई राज्य आयोग गठित नहीं किया गया है, ताकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 और 'पेरिस सिद्धांतों' के अनुसार लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन करने की कार्यवाही शुरू की जा सके।

6.3 आयोग सहयोग और साझेदारी के क्षेत्रों का पता लगाने और उन्हें और सुदृढ करने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ नियमित परस्पर चर्चा करने की पहल करता है।

6.4 आयोग ने एसएचआरसी की बुनियादी संरचना, न्यूनतम जनशक्ति और वित्तीय आवश्यकता को विकसित करने के मुद्दों को संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया है ताकि वे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत सौंपे गए अपने प्रकार्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो सकें और एसएचआरसी द्वारा शिकायत निपटान को सुव्यवस्थित किया जा सके। प्रत्युत्तर में भारत सरकार ने प्रत्येक एसएचआरसी द्वारा संभागवार पंजीकृत, निस्तारित और लंबित शिकायतों का विवरण, मौजूदा जनशक्ति, वित्तीय आवंटन, अनुभव की जा रही कमी का विवरण और अतिरिक्त राशि प्रदान करने का औचित्य आदि भेजने का अनुरोध किया है। एसएचआरसी से प्राप्त विवरण भारत सरकार को भेज दिया गया है।

6.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विभिन्न विषयगत क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और मानव अधिकारों की कारगर सुरक्षा और संवर्द्धन के लिए एनएचआरसी और एसएचआरसी के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए 13 अक्टूबर 2021 को सभी राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और सचिवों और वैधानिक पूर्ण आयोग के सदस्यों के लिए विशेष आमंत्रिती के रूप में एनएचआरसी - एसएचआरसी अंतरफलक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का उद्घाटन एनएचआरसी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा ने किया और इसमें सदस्य, महासचिव, एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारी और सभी एसएचआरसी के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव और मान्य सदस्य आयोगों के अध्यक्षों ने भाग लिया।

6.6 इस बैठक का उद्देश्य अनुभवों को साझा करना और आपसी हित के मानव अधिकार मुद्दों का पता लगाना था। पांच सत्रों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, अर्थात् सत्र- I: एनएचआरसी - एसएचआरसी के बीच सहयोग के क्षेत्र और एनएचआरसी द्वारा जारी सलाह के कार्यान्वयन की निगरानी; सत्र-II: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी); सत्र-III: लिंग परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करना; सत्र-IV: अनौपचारिक श्रमिकों से संबंधित योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन की स्थिति; और सत्र-V: एसएचआरसी और एसएफसी के साथ खुली चर्चा।

6.7 13 अक्टूबर 2021 को बैठक से प्रकट हुई प्रमुख सिफारिशों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी एसएचआरसी और आयोग के सभी मान्य सदस्यों को परिचालित किया गया है।

ग. साझा कार्यक्रम समिति की बैठक (वर्चुअल मोड)

6.8 दिनांक 13.10.2021 को आयोजित एनएचआरसी - एसएचआरसी इन्टरफेस बैठक के सत्र-I के दौरान, यह निर्णय लिया गया कि एक साझा कार्यक्रम समिति, जिसमें एनएचआरसी (अध्यक्ष और सदस्य) के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों (तमिलनाडु, केरल आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के एसएचआरसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे, गठित की जाएगी जो मानव अधिकार के गंभीर मुद्दों के साथ-साथ एनएचआरसी - एसएचआरसी के बीच बेहतर सहकार्यता और सहयोग पर कार्य करेगी। यह समिति ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए समय-समय पर देश के विभिन्न हिस्सों में बैठक कर सकती है। तदनुसार, एनएचआरसी (अध्यक्ष और सदस्य) और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के एसएचआरसी के प्रतिनिधियों वाली साझा कार्यक्रम समिति की पहली बैठक 17 फरवरी, 2022 को आयोजित की गई थी। (वर्चुअल रूप से)। इस बैठक में एनएचआरसी के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ अन्य सभी एसएचआरसी और राष्ट्रीय आयोगों (वैधानिक पूर्ण आयोग) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

6.9 माननीय अध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए एनएचआरसी - एसएचआरसी और एसएफसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने एसएचआरसी से अपनी आवश्यकताओं का विवरण तैयार करने और औपचारिक रूप से भेजने का अनुरोध किया ताकि उन मुद्दों को राज्य सरकारों के साथ उठाया जा सके। इस बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों को उठाए गए और कुछ मुद्दों पर न्यायमूर्ति श्री एम एम कुमार, सदस्य, एनएचआरसी, डॉ. डी एम मुले, सदस्य, एनएचआरसी, श्री संतोष मेहरा, महानिदेशक (अन्वेषण) और महासचिव, एनएचआरसी द्वारा कुछ सुझाव दिए गए। माननीय अध्यक्ष, एनएचआरसी ने अपनी समापन टिप्पणी दी - (i) एसएचआरसी में अपर्याप्त कर्मचारियों के मुद्दे को उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी रखकर हल किया जा सकता है; (ii) कारागारों में अलग मानसिक स्वास्थ्य स्कंध; (iii) बचाए गए मजदूरों के उचित पुनर्वास के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे; (iv) देश में मानव दुवर्यापार की समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे; (v) मिट्टी में कीटनाशकों और रसायनों के उपयोग और सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल जैसी चिंताओं को राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाना चाहिए; (vi) पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 और 27 का अनिवार्य कार्यान्वयन, एनएचआरसी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सभी राज्यों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए एक लिखित पत्र भेज सकता है; और (vii) सभी राज्यों को हिरासत में आत्महत्या के मामलों में एनएचआरसी द्वारा अपनाई गई हरियाणा नीति को अपनाने की सलाह दी जाती है।

6.10 17 फरवरी 2022 की बैठक से सामने आयी निकली प्रमुख सिफारिशों को सभी एसएचआरसी के सचिवों और आयोग के सभी मान्य सदस्यों के सचिवों को सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु परिचालित कर दिया गया है।

घ. सूचना का प्रसार और आउटरीच तंत्र

6.11 एनएचआरसी, मीडिया और संचार विंग के माध्यम से, विभिन्न साधनों का उपयोग कर एनएचआरसी कार्यकलापों के बारे में सूचना/जानकारी प्रसारित करता है। इनमें प्रेस विज्ञप्ति, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार शामिल हैं। उप निदेशक (एम एंड सी) मीडिया में रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार मुद्दों के बारे में आयोग को फीडबैक भी प्रदान करते हैं; और इस प्रकार, यह आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान लिए गए समाचार क्लापिंग्स का एक प्रमुख स्रोत होता है।

6.12 **आउटरीच तंत्र -** प्रेस विज्ञप्तियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार, समाचार पत्र: दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2022 की अवधि के दौरान, आयोग के विभिन्न हस्तक्षेपों और कार्यकलापों के बारे में मीडिया और संचार प्रभाग द्वारा लगभग 115 प्रेस विज्ञप्तियां तैयार की गयीं और जारी की गईं। स्वतः संज्ञान के विचारन के लिए कई समाचार क्लापिंग्स को आयोग के संज्ञान में लाया गया। एनएचआरसी की भूमिका और हस्तक्षेप के बारे में मीडिया में रिपोर्ट किए गए मुद्दों के बारे में जानकारी देने के लिए, आयोग की वेबसाइट पर दैनिक समाचार क्लापिंग्स अपलोड की गईं। इन समाचार कतरनों का एक मासिक संग्रह भी तैयार किया गया और अभिलेख और संदर्भ हेतु पुस्तकालय में भेजा गया। इसके अलावा, लोगों की भागीदारी के माध्यम से इस पहुंच का विस्तार करने के लिए विभिन्न वैकल्पिक मीडिया प्लेटफार्मों का पता लगाने का प्रयास किया गया। अंग्रेजी में न्यूज़लेटर को एम एंड सी विंग द्वारा संपादित, डिजाइन, मुद्रित और प्रसारित किया जाता है और राजभाषा अनुभाग द्वारा हिंदी में अनुवादित, मुद्रित और प्रसारित किया जाता है। मानव अधिकारों और एनएचआरसी के हस्तक्षेपों और सिफारिशों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इन्हें सरकार के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों, शैक्षणिक संस्थानों, मीडिया कर्मियों, व्यक्तियों आदि के बीच निःशुल्क प्रसारित किया गया था। इसे एनएचआरसी की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया था। मानव अधिकार भवन के स्वागत क्षेत्र में आगंतुकों के लिए समाचार पत्रों की प्रतियां भी उपलब्ध कराई गईं। सॉफ्ट कॉपी प्राप्तकर्ताओं की संख्या लगभग 5,000 है। प्रत्येक माह हार्ड कॉपी में 2,000 से अधिक न्यूज़लेटर डाक द्वारा भेजे जाते थे। हार्ड कॉपी प्राप्तकर्ताओं की सूची को तर्कसंगत बनाया गया है और इसमें शिक्षा संस्थानों, पुलिस और प्रशासनिक संस्थानों, पुस्तकालयों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और दूतावासों को शामिल करने के लिए और अधिक समावेशी बनाया गया है।

HUMAN RIGHTS NEWSLETTER

A Monthly Publication of the National Human Rights Commission, India

Statutory Full Commission Meeting

चित्र 6.1: समीक्षाधीन अवधि के दौरान जारी एनएचआरसी समाचार पत्रों में से एक पत्र

6.13 अध्यक्ष और सदस्यों का साक्षात्कार :

- मानव अधिकार दिवस 2021 के संबंध में एचसीपी और एनएचआरसी के सदस्यों के 10 साक्षात्कारों की रिकॉर्डिंग और डीडी, संसद टीवी और आकाशवाणी पर मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता का समन्वयन किया गया।
- ऑल इंडिया रेडियो के लिए माननीय अध्यक्ष का साक्षात्कार, जो 7 दिसंबर 2021 को रात्रि 09:30 बजे प्रसारित किया गया।
- दूरदर्शन समाचार के लिए माननीय अध्यक्ष का साक्षात्कार, जो 9 दिसंबर 2021 को रात्रि 10:30 बजे प्रसारित किया गया।
- दूरदर्शन नेशनल के लिए माननीय अध्यक्ष का साक्षात्कार, जो 10 दिसंबर 2021 को सुबह 10:30 बजे प्रसारित किया गया।
- संसद टीवी के लिए माननीय अध्यक्ष का साक्षात्कार, जो 10 दिसंबर 2021 को सुबह 09:30 बजे प्रसारित किया गया।
- दूरदर्शन पंजाबी के लिए एचएम (एमएमके) का साक्षात्कार, जो 10 दिसंबर 2021 को शाम 07:00 बजे प्रसारित किया गया।
- दूरदर्शन सह्याद्रि के लिए एचएम (डीएमएम) का साक्षात्कार, जो 10 दिसंबर 2021 को दोपहर 12:00 बजे प्रसारित किया गया था
- ऑल इंडिया रेडियो वार्ता-'सुरखियों में' के लिए एचएम (आरजे) का साक्षात्कार, जो 10 दिसंबर 2021 को शाम 07:40 बजे प्रसारित किया गया था।

- यूसीसी पर संसद टीवी के लिए माननीय अध्यक्ष का साक्षात्कार, जो 2 अप्रैल 2022 को शाम 07:00 बजे प्रसारित किया गया।
- ओपन कैंप सिटिंग पर डीडी और एआईआर गुवाहाटी के लिए एचसीपी का साक्षात्कार।

6.14 आंतरिक प्रतिक्रिया (फीडबैक) तंत्र : अध्यक्ष को दैनिक आधार पर मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं पर समाचार क्लिपिंग प्रदान करने के अलावा, मीडिया में रिपोर्ट किए गए मुद्दों पर एक 'साप्ताहिक समाचार डाइजेस्ट' आयोग की प्रतिक्रिया के लिए तैयार किया गया था, जिसकी एक प्रति पुस्तकालय को भी भेजी गयी थी। संदर्भ के लिए एनएचआरसी और उसके विश्लेषण संबंधी मीडिया रिपोर्टों का एक मासिक संग्रह भी तैयार किया गया था। एनएचआरसी की विशिष्ट समाचार क्लापिंग्स को एनएचआरसी वेबसाइट पर अपलोड करने के अलावा, आयोग के सभी मंजिलों पर डिस्प्ले बोर्डों को आंतरिक पदाधिकारियों और आयोग में आने वाले आगंतुकों की जागरूकता और जानकारी के लिए नियमित आधार पर 'एनएचआरसी इन न्यूज' के तहत ऐसी कतरनों को लगाकर और अधिक जीवंत बना दिया गया था।

6.15 एनएचआरसी ट्विटर हैंडल : 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के दौरान 808 ट्वीट किए गए और एक महीने में 1500 ऑर्गेनिक फॉलोअर्स की औसत वृद्धि के साथ 31 मार्च 2022 तक कुल फॉलोअर्स लगभग 39 हजार तक पहुंच गए।

ङ. प्रकाशन

6.16 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश के लोगों के मानव अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन के लिए कार्य कर रहा है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ज) के तहत, आयोग ने छात्रों, शोधकर्ताओं, विद्वानों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के विभिन्न वर्गों के लिए सूचनात्मक सामग्री युक्त साहित्य प्रकाशित किया है। दिनांक 01.04.2021 से दिनांक 31.10.2022 तक निम्नलिखित प्रकाशन मुद्रित किए गए हैं :

क. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (अंग्रेजी)

ख. वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 (हिन्दी)

ग. जर्नल अंक-20, 2021 (अंग्रेजी)

घ. मानव अधिकार : नई दिशाएँ 2020 (हिन्दी)

ङ. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (हिन्दी)

च. मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (अंग्रेजी)

छ. आपराधिक न्याय से संबंधित मानव अधिकार सर्वोत्तम प्रथाएँ संक्षेप में (अंग्रेजी)

ज. मानव अधिकार शब्दावली (हिन्दी, अंग्रेजी)

झ. दिव्यांगता अधिकार (दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम और राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम) और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (अंग्रेजी)

ञ. तट, मछली संसाधन और मछली श्रमिक आंदोलन (अंग्रेजी)

ट. भारत में महिलाओं के अधिकार (अंग्रेजी)

ठ. मानव अधिकारों का व्यापक घोषणापत्र

ड. महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामले में वैज्ञानिक/फोरेंसिक साक्ष्यों के संग्रहण और प्रसंस्करण संबंधी एसओपी

6.17 प्रकाशन इकाई विभिन्न हितधारकों, शिक्षाविदों और आम जनता में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एनएचआरसी प्रकाशनों का प्रसार कर रहा है।

च. प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.18 एनएचआरसी का प्रशिक्षण प्रभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई), पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों (पीटीआई), न्यायिक प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और कॉलेजों, और नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मानव अधिकारों के मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता बढ़ाता है। इनके अलावा, आयोग द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालय/कॉलेज के छात्रों के लिए अपने परिसर के भीतर वर्ष में दो बार, अर्थात् गर्मियों और सर्दियों में एक-एक महीने का इंटर्नशिप कार्यक्रम और साथ ही मानव अधिकार के क्षेत्र में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए पंद्रह दिनों का अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। अपने अधिदेश के भाग के रूप में, वर्ष 2021-22 के दौरान, आयोग ने मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 28 सहयोगी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विभिन्न संगठन संस्थानों को धन जारी किया था, जो मानव अधिकार जागरूकता के लिए पूरे भारत में विभिन्न संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, पीटीआई, एटीआई, एनजीओ द्वारा सफलतापूर्वक आयोजन/संचालन किया गया था और इनमें 2550 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। सामान्य तौर पर इस प्रभाग की गतिविधियों को कोविड-19 के प्रसार के कारण भारी झटका लगा। आयोग द्वारा वर्ष 2021-22 का एक माह का शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका। सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी काफी कटौती की गई।

इंटर्नशिप कार्यक्रम

6.19 इस वर्ष, कोविड-19 महामारी के कारण, गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार आयोग में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम-2021-22 आयोजित नहीं किए जा सके। तथापि, एनएचआरसी वर्ष 2020 से ऑनलाइन इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वर्ष 2021-22 में, एनएचआरसी ने जुलाई, सितंबर और नवंबर, 2021 और फरवरी, 2022 में प्रत्येक माह में 15 दिनों की अवधि के लिए चार ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें क्रमशः 45, 74, 66 और 59 छात्रों ने भाग लिया और 244 छात्रों ने आयोग के साथ अपनी ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी की।

6.20 आयोग ने विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों के अधिकारियों, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों, सचिव/अपर सचिव स्तर के भारत सरकार के बहुत वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय सेना/वायु सेना/भारतीय नौसेना के शीर्ष रैंक के अधिकारियों, केन्द्रीय सशत्र पुलिस बलों के प्रमुखों, विशेष प्रतिवेदक, विशेष मॉनिटर, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, चिकित्सकों, प्रसिद्ध गांधीवादी आदि को सभी ऑनलाइन अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रमों में गूगल मीट/वेबेक्स प्लेटफार्मों के माध्यम से छात्र प्रशिक्षुओं को ऑनलाइन संबोधित करने और बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया।

6.21 इंटर्नशिप कार्यक्रम का मैट्रिक्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें व्यावहारिक गतिविधियाँ भी शामिल हैं। छात्र प्रशिक्षुओं को मानव अधिकार के मुद्दों से संबंधित एक पुस्तक पढ़ने के लिए कहा जाता है और उसके बाद एक लिखित और मौखिक प्रस्तुतिकरण करने के लिए कहा जाता है, जिसका मूल्यांकन इन-हाउस जूरी सदस्यों द्वारा किया जाता है और विजेताओं को नकद पुरस्कार दिया जाता है। छात्र प्रशिक्षुओं

को प्रासंगिक समसामयिक महत्व के मानव अधिकार विषय पर एक समूह अनुसंधान परियोजना सौंपी जाती है। प्रस्तुति एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष की जाती है और सर्वश्रेष्ठ लोगों को 15,000/- रुपये, 10,000/- रुपये और 5000/- रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष कुछ शोध परियोजनाओं में निम्नलिखित विषय थे:

- एनएचआरसी की परामर्शी 2.0 संबंधी प्रतिक्रिया तंत्र (अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार)
- भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा : हम कहां हैं और आगे का रास्ता क्या है?
- कोविड-19 और मानव अधिकारों पर इसका प्रभाव
- भारत में आश्रय गृह, राज्य-वार डेटा और आगे का रास्ता
- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ, जलवायु संकट और बीएचआर
- प्रतिपुष्टि व्यवस्था : कोविड-19 महामारी के संदर्भ में मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार संबंधी मानव अधिकार परामर्शी
- प्रौद्योगिकी (कृत्रिम बुद्धिमता, मशीन लर्निंग, बिग डेटा विश्लेषिकी) और मानव अधिकार से संबंधित मुद्दे
- कोविड-19 महामारी के दौरान बाल देखभाल संस्थान और अनाथ बच्चे - अध्ययन और सिफारिशें
- भारत में दिव्यांगजनों से संबंधित मुद्दे और आगे का रास्ता
- ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव : भारतीय परिदृश्य और अधिकार
- व्यवसाय और मानव अधिकार : भारत में अनौपचारिक श्रमिकों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं की आवश्यकता
- एनएचआरसी की शिकायत प्रबंधन प्रणाली - क्या और कैसे सुधार किए जा सकते हैं
- साइबर स्पेस में अपराध - इसे नियंत्रित करने के उपाय और चुनौतियाँ
- भारत में जबरन श्रम, दुवर्यापार और यौन शोषण: चुनौतियाँ और आगे का रास्ता
- फीडबैक तंत्र : खाद्य सुरक्षा और पोषण के अधिकार संबंधी मानव अधिकार परामर्शी
- मानव अधिकार के नजरिए से बुजुर्ग नागरिक
- किसान आंदोलन और मानव अधिकार के मुद्दे
- कोविड-19, महामारी और बेहतर पुनर्निर्माण
- भारत में दुवर्यापार और यौन शोषण: चुनौतियाँ और आगे का रास्ता।

6.22 समापन के दिन एक भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गयी, जिसका निर्णय फिर से एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया, जहां 10 प्रशिक्षु शीर्ष तीन नकद पुरस्कार विजेता रहे।

6.23 उपर्युक्त के अलावा, प्रत्येक इंटर्न छात्र को सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरा करने के बाद 2000/ रुपये की वृत्तिका मिलती है, जो उनके इंटरनेट, पेन ड्राइव आदि जैसे विविध खर्चों को कवर करने के लिए होता है।

6.24 इंटर्नशिप कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभव देने के दृष्टिकोण से, छात्रों को तिहाड़ कारागार, पुलिस स्टेशनों और गैर सरकारी संगठनों के आभासी क्षेत्र दौरे के लिए ले जाया जाता है। एनएचआरसी द्वारा पुलिस स्टेशन पर फिल्म बनाई गई है, जिसमें उप-महानिरीक्षक (अन्वेषण) की उक्तियां शामिल हैं।

छ. आयोजित प्रतियोगिताओं का विवरण

6.25 एनएचआरसी के लघु फिल्म पुरस्कार

आयोग ने लघु फिल्म पुरस्कार योजना - 2021 को इसके छठे वर्ष में जारी रखने का निर्णय लिया। एनएचआरसी लघु फिल्म पुरस्कार योजना का उद्देश्य मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए सिनेमाई और रचनात्मक प्रयासों को प्रोत्साहित करना और स्वीकार करना है। सम्मानित फिल्मों को एनएचआरसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ताकि लोगों को मानव अधिकार जागरूकता के लिए इन्हें दिखाने और देखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस वर्ष आयोग ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमश: 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए के अलावा 'सर्टिफिकेट ऑफ स्पेशल मेंशन (विशेष उल्लेख पुरस्कार)' के लिए तीन फिल्मों को 50,000 रुपये प्रत्येक के नकद पुरस्कार देने का निर्णय लिया।

6.26 आयोग को देश के विभिन्न हिस्सों से 190 प्रविष्टियों के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली : श्री अकुला संदीप की 'स्ट्रीट स्टूडेंट' को प्रथम पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए मिले। यह फिल्म शिक्षा के अधिकार पर एक मजबूत संदेश भेजने और समाज को इसका समर्थन करने की जरूरत के लिए सड़क पर रहने वाले एक बच्चे की कहानी दिखाती है। यह अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ तेलुगु में है। 1.5 लाख रुपए का दूसरा पुरस्कार श्री रोमी मैतेई की 'कर्फ्यू' को दिया गया। इस फिल्म की कहानी में मणिपुर के एक बच्चे की कहानी के माध्यम से एक बेहतर दुनिया की आशा की जाती है, जिसमें लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, सम्मान और समानता के अधिकार को रूढ़िवादी भय मनोविकृति सहित बाधाओं से बचाया जा सकता है। यह अंग्रेजी में उप-शीर्षक के साथ मेतेइलोन भाषा में है। 1 लाख रुपए का तीसरा पुरस्कार श्री नीलेश अंबेडकर के 'मुंग्यार' को दिया गया। यह फिल्म जाति और पंथ के आधार पर भेदभाव के पीड़ितों की एक मार्मिक कहानी है जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन है। यह अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ मराठी में है।

6.27 'विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र' और 50,000/- रुपये के नकद पुरस्कार के लिए चयनित फिल्में इस प्रकार हैं:

- सुश्री रीना कौर ढिल्लों की 'मैं स्पेशल हूं' डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की चुनौतियों को दर्शाती है और उनके सम्मान और समानता के साथ जीवन के अधिकार पर चिंता जताती है। यह अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ हिंदी में है।
- श्री रोमी मैतेई की फिल्म 'स्नेक अंडर द बेड' एक युवा व्यक्ति की कहानी दर्शाती है, जो इस बात पर आधारित है कि कैसे सुरक्षा बलों की दबंग उपस्थिति कैसे लोगों के जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार खोने के निरंतर भय के कारण उनके मानस पर एक अमिट छाप छोड़ सकती है। यह अंग्रेजी में उप-शीर्षक के साथ मेतेइलोन भाषा में है।
- श्री राजेश प्रीतम मोरे की फिल्म 'खीसा' एक बच्चे की कहानी के माध्यम से रूढ़िवादिता को दर्शाती है, जो हमारी तर्कशक्ति को अंधा कर सकती है और जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करते हुए सामाजिक विभाजन का कारण बन सकती है। यह अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ मराठी में है।

6.28 मूट कोर्ट प्रतियोगिता : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वर्ष 2013 से पूरे भारत के विभिन्न विधि विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के सहयोग से मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। संस्थानों की ओर से और एनएचआरसी

के सहयोग से आयोजित की जाने वाली मूट कोर्ट प्रतियोगिता के लिए, एनएचआरसी आयोग की मंजूरी के बाद वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तथापि, कोविड-19 महामारी की गंभीरता को देखते हुए, वर्ष 2021-22 में कोई मूट कोर्ट प्रतियोगिता आयोजित नहीं की जा सकी थी।

6.29 माइ गोव पोर्टल पर मानव अधिकार प्रश्नोत्तरी 2022 : माइ गोव टीम के सहयोग से, माइ गोव पोर्टल पर ऑनलाइन मानव अधिकार प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 15 फरवरी, 2022 को शुरू की गई थी और अंतिम तिथि 15 मार्च, 2022 थी। 15,000/-, 10,000/- और 5,000/- रुपए के तीन नकद पुरस्कार क्रमश: प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ दिए जाएंगे, इसके अलावा 2000 रुपए प्रत्येक के सात सांत्वना नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। इस ऑनलाइन क्विज़ में लक्षद्वीप को छोड़कर सभी 28 राज्यों और सात केंद्रशासित प्रदेशों के विभिन्न आयु वर्ग के कुल 21,329 लोगों ने भाग लिया, जो हाल के दिनों में माई गोव प्लेटफ़ॉर्म पर किसी क्विज़ में सबसे अधिक भाग लेने वाले प्रतिभागियों और सबसे सफल प्रतियोगिता के रूप में उभरा। अधिकतम भागीदारी 18-24 आयु वर्ग की थी, जिनमें से 52.9 प्रतिशत पुरुष और 47.1 प्रतिशत महिलाएं थीं। सबसे कम उम्र का प्रतिभागी 14 वर्ष का था और सबसे वरिष्ठ प्रतिभागी 68 वर्ष का था।

ज. अन्य कार्यकलाप

6.30 वैकल्पिक संचार मंचों की खोज : आयोग ने अपने मीडिया और संचार प्रभाग के माध्यम से मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वैकल्पिक मीडिया मंचों की खोज जारी रखी। इस प्रयास के हिस्से के रूप में, वर्ष 2021-22 में, इसने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) के साथ युवा स्वयं सेवकों और अधिकारियों के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से मानव अधिकार कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए बातचीत जारी रखी।

6.31 राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) : फरवरी और मार्च 2022 में विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए दस एनएसएस ऑनलाइन कार्यशालाएं आयोजित की गईं। एनएचआरसी ने इन जागरूकता कार्यशालाओं को संबोधित करने के लिए सहायता और संसाधन व्यक्ति उपलब्ध कराए।

6.32 नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) : अक्तूबर 2021 में एक एनवाईकेएस ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई थी। एनएचआरसी ने इस जागरूकता कार्यशाला को संबोधित करने के लिए सहायता और संसाधन व्यक्ति प्रदान किए। एनएसएस के कुल 2,754 प्रतिभागियों ने इन इंटरैक्टिव कार्यशालाओं में भाग लिया, जिसमें मुद्दों पर एनएचआरसी की समग्र फिल्म, कब और कैसे आयोग से संपर्क करना है, पीपीटी प्रस्तुतियां और प्रश्न और उत्तर भी आयोजित किए गए थे।

6.33 स्थापना दिवस 2021 के लिए एनएचआरसी पर लघु फिल्म : आयोग ने स्थापना दिवस के लिए एनएचआरसी पर दो मिनट की लघु फिल्में बनाने के लिए फिल्म डिवीजन और अनहद कम्युनिकेशन के साथ समन्वय किया, जिसे माननीय 12 अक्टूबर 2021 को विज्ञान भवन में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति के समक्ष प्रदर्शित किया गया।

6.34 केंद्रीय सशत्र पुलिस बलों के कार्मिकों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता : केंद्रीय सशत्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के कार्मिकों में मानव अधिकार संबंधी जागरूकता का संवर्द्धन करने और उसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए अन्वेषण प्रभाग वर्ष 1996 से नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष ऐसे मुद्दों पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करता आया है। इसके अलावा, वर्ष 2004 से, माननीय अध्यक्ष द्वारा यथा वांछित, पुरे देश के सीएपीएफ के वृहतर प्रतिभागिता के लिए अंतिम प्रतियोगिता की तैयारी के रूप में प्रक्षेत्र वार वाद-विवाद प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गयीं हैं। प्रक्षेत्र प्रतियोगिताओं के दौरान चयनित टीमों का सेमी फाइनल और फाइनल राउंड बाद में दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रत्येक वर्ष इस प्रतियोगिता में उत्साहवर्द्धक प्रतिभागिता और उत्कृष्ट स्तर के विचार – मंथन सत्र देखे जाते हैं। आयोग इन वाद-विवाद को

संचालित करने के लिए सीएपीएफ को आवश्यक वित्तीय सहायता और सहायता प्रदान करता है। इस वर्ष (2021), असम राइफल्स (एआर) ने वेबिनार के माध्यम से केन्द्रीय सशत्र पुलिस बल वाद-विवाद प्रतियोगिता वेबिनार के माध्यम से आयोजित किया। इस प्रतियोगिता का सेमी फाइनल राउंड दीमापुर, नागालैंड में दिनांक 20.10.2021 को आयोजित किया गया था और फाइनल राउंड दिनांक 09.11.2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। फाइनल राउंड के छह (6) विजेताओं को ट्रॉफियां, प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार दिए गए। असम राइफल्स सीएपीएफ वाद-विवाद प्रतियोगिता, 2021 की विजेता रही।

अध्याय - 7

विषयगत क्षेत्र

क) आपराधिक न्याय प्रणाली की सुरक्षा करना

7.1 आयोग ने आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित सरोकारों को हमेशा गंभीरता से लिया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर और प्राप्त शिकायतों का संज्ञान लेकर इसे जाहिर किया है। इसके अलावा, आयोग ने जेलों और हिरासत की अन्य सुविधाओं की खराब स्थिति पर बातचीत शुरू की है, जो भीड़भाड़, कर्मचारियों की कमी, पर्याप्त चिकित्सा देखभाल की कमी, कैदियों के साथ शारीरिक दुर्व्यापार, हिरासत में मौतें, जर्जर बुनियादी ढांचे, खराब प्रशासन, अपर्याप्त अंतर-एजेंसी संचार और लंबे समय तक हिरासत में रहना जैसी कई समस्याओं से भरी हैं।

7.2 आयोग ने कारागारों में भीड़भाड़, कैदियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अधिकार, विचाराधीन कैदियों की हिरासत, सजा समीक्षा बोर्ड, आगंतुक बोर्ड, कारागार प्रशासन और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों से संबंधित निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए हैं। आयोग ने सभी कारागार प्राधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके अनुसार सभी कैदियों की अनिवार्य स्वास्थ्य जांच करने और आयोग को मासिक रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता है। आयोग ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की समय से पहले रिहाई का मुद्दा भी उठाया है।

7.3 हिरासत में हिंसा और यातना कानून प्रवर्तन का दायित्व सौंपे गए लोक सेवकों द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों का सबसे खराब रूप है। आयोग पुलिस की हिरासत में यौन उत्पीड़न, यातना और फर्जी मुठभेड़ जैसे अपराधों को पीड़ितों की सबसे कमजोर और अपनी बात न रख पाने वाली श्रेणियों में से एक के मानव अधिकारों की रक्षा करने में प्रणालीगत विफलता की अभिव्यक्ति मानता है। इसलिए, आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए गहन रूप से प्रतिबद्ध है कि ऐसी अवैध प्रथाओं को रोका जाए और सभी मामलों में मानवीय गरिमा का सम्मान किया जाए। पीड़ितों या उनके निकट संबंधियों को मुआवजा देने के अलावा, आयोग आयोग उस माहौल को खत्म करने की दिशा में प्रयास कर रहा है जिसमें पुलिस स्टेशन, हवालात और कारागार की चार दीवारों के भीतर, जहां पीड़ित बेबस होते हैं, "वर्दी" और "प्राधिकार की आड़ में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। आयोग ने इस संबंध में विभिन्न दिशानिर्देश जारी किये हैं। ऐसे दिशानिर्देशों में से एक दिशानिर्देश यह है कि हिरासत में मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर आयोग को देनी होती है। इसके अलावा, हालांकि हिरासत में होने वाली सभी मौतें अपराध या हिरासत में हुई हिंसा या चिकित्सीय लापरवाही का परिणाम नहीं हो सकती हैं, फिर भी जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, अदालती जांच रिपोर्ट, आदि जैसी रिपोर्टों की गहन जांच और विश्लेषण के बिना कोई भी धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। इसलिए, राज्य प्राधिकारियों द्वारा आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन हिरासत में होने वाली मौतों से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आतंकवाद और उग्रवाद

7.4 आतंकवाद कोई नई घटना नहीं है, यह बदलते समय के साथ नई चुनौतियाँ पेश करता है। प्रौद्योगिकी के उद्भव के साथ, आम आदमी की रक्षा करने की चुनौती बढ़ गई है। आज खतरे बदल गए हैं; आतंकी समूह विविध व्यूहरचना के साथ-साथ भौगोलिक और तकनीकी रूप से अधिक बिखरे हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, दुनिया बड़े पैमाने पर स्पेस ट्रांजिशन से गुजरी है, जिसका अर्थ भौतिक स्पेस से साइबर स्पेस में संक्रमण से है। भारत के सामने सभी के लिए शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करने के लिए आतंकवाद का मुकाबला करते हुए अपने नागरिकों के मानव अधिकार की रक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती है।

7.5 आतंकियों और नक्सलियों की गतिविधियों में वृद्धि ने सुरक्षा बलों की भूमिका को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। उन्हें सामाजिक अशांति को नियंत्रित करने, महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाने और जब भी आवश्यकता हो, कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने और बनाए रखने के लिए अधिक मात्रा में बुलाया जाता है।

7.6 आयोग का यह दृढ़ मत है कि मानव अधिकारों के समुचित पालन से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने में कोई बाधा नहीं आती है। बल्कि, यह शांति और सुरक्षा को बनाए रखने और आतंकवाद को हराने की किसी भी सार्थक रणनीति का एक आवश्यक घटक है। इसलिए आतंकवाद विरोधी उपायों का उद्देश्य लोकतंत्र, कानून के शासन और मानव अधिकारों की रक्षा करना होना चाहिए, जो हमारे समाज के मूलभूत मूल्य और हमारे संविधान के मौलिक मूल्य हैं।

7.7 आयोग ने समय-समय पर इस बात को दोहराया है कि आतंकवाद एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो लोगों के भय मुक्त होकर जीने के अधिकारों पर पानी फेर देता है। आतंकवाद का लक्ष्य लोकतंत्र और समाज के ताने-बाने को नष्ट करना है। आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक युद्ध में भारत एक महत्वपूर्ण सहयोगी बना हुआ है। इसने पचास साल से अधिक समय तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और अपनी सफलताओं और विफलताओं से बहुत कुछ सीखा है। आयोग का प्रयास आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करना है। साथ ही, आयोग ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि ऐसा करने समय हमारा दृष्टिकोण मानवीय, तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए।

जेलों की स्थितियाँ : जेलों का दौरा

7.8 आयोग की सदस्या श्रीमती ज्योतिका कालरा के नेतृत्व में आयोग की टीम ने अदालती जांच रिपोर्ट, जिसमें फेफड़े की टीबी से 21 साल के एक विचाराधीन कैदी की मौत जांच के दौरान कई कैदियों को टीबी होने और चिकित्सीय देखभाल का अभाव होने की शिकायतें की गई थीं, के मद्देनजर कारागार की सुविधाओं के मौके पर मूल्यांकन के लिए कारागार का दौरा किया। 27 अप्रैल 2019 को कारागार में प्रवेश के समय कैदी स्वस्थ था और 15 जुलाई 2020 को उसकी मृत्यु हो गई।

7.9 लाजपोर केंद्रीय कारागार, सूरत में टीबी रोगियों की बड़ी संख्या के मद्देनजर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी), भारत ने समय पर उपचार प्रदान करने और बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए कारागार महानिदेशक, गुजरात सरकार से टीबी, एचआईवी/एड्स के लिए हर छह महीने में कैदियों की जांच करने की सिफारिश की है। इसने रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के अलावा अस्पताल सहित कारागार में विभिन्न कर्मियों की संख्या बढ़ाने के लिए भी कहा है। आयोग ने यह भी सिफारिश की कि सरकार असाध्य बीमारियों से ग्रसित रोगियों की सजा को कम करने पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करे। इसके अलावा, सरकार को सजा कम करने के लिए केवल सीआरपीसी की धारा 433ए के तहत आने वाले मामलों पर विचार करने के बजाय सीआरपीसी की धारा 433 के तहत आने वाले सभी मामलों पर भी विचार करना चाहिए।

7.10 आयोग ने यह भी कहा है कि एनएचआरसी द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार कारागार में दाखिला या प्रवेश के समय प्रत्येक कैदी की प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रारंभिक जांच के समय ईसीजी और मधुमेह की जांच के अलावा, बहु-दवा-प्रतिरोधी कैदियों को ऐसे कैदियों से अलग रखा जाना चाहिए जो दवा-प्रतिरोधी नहीं हैं। आयोग ने गुजरात उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से कारागार से कार्यवाही संचालित करने से पहले हाई-स्पीड वाले नेटवर्क का सुनिश्चय करने के लिए कहा है। गवाहों से पूछताछ के चरण में, जिरह में अपने वकील की सहायता के लिए कैदियों को कारागार से बुलाया जाना चाहिए। इसके अलावा, मुकदमेबाजी के मामले में, जघन्य अपराधों के तहत दर्ज आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण से वरिष्ठ वकील उपलब्ध कराने और विधिक सहायता प्रदान करने वाले वकीलों की सहायता के लिए कानून की पढ़ाई करने छात्रों को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

7.11 दृष्टान्त दर्शक मामले

1. हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंतर्गत नाहन शहर के केंद्रीय कारागार में एक विचाराधीन कैदी की फांसी (आत्महत्या) से मौत

(प्रकरण संख्या 117/8/10/2018-जेसीडी)

i. आयोग को हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के डीएम से दिनांक 03.08.2018 को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया था कि एक विचाराधीन कैदी (अर्थात् अर्जुन, पुत्र पदम बहादुर, निवासी नेपाल के मोरंग जिला) ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंतर्गत नाहन शहर के केंद्रीय कारागार में 03.08.2018 को आत्महत्या कर ली है।

ii. आयोग के निर्देशों के उत्तर में, इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्टें प्राप्त हुईं, जिनका एनएचआरसी के जांच प्रभाग द्वारा विश्लेषण किया गया। इन रिपोर्टों का विश्लेषण करने पर, जांच प्रभाग ने पाया कि अदालती जांच रिपोर्ट (एमईआर) के अनुसार, मौत दम घुटने के कारण हुई थी। एमईआर में यह भी स्थापित किया था कि जिस पंखे से वह लटका हुआ पाया गया था, वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए आसानी से सुलभ था जो अपना जीवन समाप्त करना चाहता है। हालांकि, एमईआर में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मृतक की मौत के मामले में कारागार प्राधिकारियों ने कोई लापरवाही या बेईमानी नहीं की है।

iii. उपर्युक्त रिपोर्टों का अध्ययन करने पर, आयोग ने यह बताने के लिए पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि आयोग द्वारा मॉडल सेंट्रल कारागार नाहन के सजायाफ्ता मृतक अर्जुन पुत्र पदम बहादुर के निकटतम संबंधी को तीन लाख रुपये का मौद्रिक मुआवजा क्यों नहीं मंजूर किया जाना चाहिए। आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कारागार महानिदेशक को कसूरवार कारागार अधिकारियों के खिलाफ कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

iv. कारण बताओ नोटिस के उत्तर में, विशेष सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला ने कारागार महानिदेशक, हिमाचल प्रदेश का दिनांक 03.01.2021 का उत्तर अग्रेषित किया। कारागार महानिदेशक द्वारा बताया गया कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे अर्जुन पुत्र पदम बहादुर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और मृतक की मौत में कारागार प्राधिकारियों की ओर से लापरवाही या बेईमानी या हिरासत में हिंसा का कोई मामला नहीं है। जहां तक उस पंखे की बात है, जिसका इस्तेमाल पीड़ित ने फांसी लगाने के लिए किया था, गर्म जलवायु के कारण कैदियों के कल्याण के लिए कारागार की बैरकों में बहुत पहले सीलिंग फैन लगाया गया था। मृतक कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहा था और वह कारागार में पहले ही 11 साल से अधिक की सजा काट चुका था तथा उनका काम

और आचरण अच्छा था। उन्होंने कई बार वेतन पर कारागार में रसोइये के रूप में भी कार्य किया। इसके अलावा, घटना के दिन अर्थात् 03.08.2018 को उपयुक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे, लेकिन उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को झांसा देते हुए कम समय के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और जब सुरक्षा कर्मियों ने फांसी पर लटका देखा, तो उन्हें बचाने के लिए सभी संभव कदम उठाए गए, लेकिन वे सजायाफ्ता कैदी की जान बचाने में सफल नहीं हुए। दलील दी गई कि उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में निकटतम संबंधी को मुआवजा दिया जाना उचित नहीं है।

v. आयोग ने 24.05.201 को महानिदेशक (कारागार) के उत्तर पर विचार किया और पाया कि एमईआर में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हालांकि मृतक की मौत में कारागार प्राधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही या बेईमानी नहीं हुई है, लेकिन जिस पंखे से वह लटका हुआ पाया गया था वह आत्महत्या करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आसानी से सुलभ था और राज्य/देश से बाहर के सह-दोषियों को कारागार में सुविधाएं प्रदान करने में असमानता ने पक्षपात और अनुचित व्यवहार होने की भावना को बढ़ाया है और इसने ऐसी मौतों से बचने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं; इसलिए यह मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन को साबित करता है। उस पंखे के आसानी से सुलभ होने के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है जिससे कैदी सुरक्षा कर्मियों की जानकारी में आए बिना आत्महत्या करने में सफल हो सका। इसलिए, आयोग इस बात को दोहराता है कि चूंकि अपनी हिरासत में किसी कैदी की सुरक्षा और संरक्षा की रक्षा करना राज्य का अनिवार्य कर्तव्य है और मृतक राज्य की देखभाल और हिरासत में था, इसलिए राज्य भी मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजा देने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। इस प्रकार, आयोग मृतक कैदी अर्जुन, पुत्र पदम बहादुर, मॉडल सेंट्रल कारागार, नाहन के निकटतम संबंधी को मुआवजे के रूप में 3,00,000/- रुपये (केवल तीन लाख रुपये) का भुगतान करने की सिफारिश करता है। मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला से कहा गया कि वह भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट भेजें।

vi. मुआवजा देने के लिए आयोग की सिफारिशों पर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई और मामला बंद कर दिया गया।

2. जिला कारागार, इटावा, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य जटिलताओं और अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत

(प्रकरण संख्या 25834/24/23/2017-जेसीडी)

i. यह मामला 26.08.2017 को उत्तर प्रदेश में इटावा के जिला कारागार की हिरासत में एक विचाराधीन कैदी (अर्थात् रामेश्वर उर्फ कालिया उर्फ प्रमोद, उम्र 22 वर्ष) की मौत से संबंधित है।

ii. डीजी (आई), एनएचआरसी द्वारा दिनांक 04.02.2020 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जहां अन्य बातें के साथ-साथ यह कहा गया कि एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि डॉ. बीआर अम्बेडकर संयुक्त चिकित्सालय, इटावा के डॉक्टरों ने राय दी थी, उनके कूल्हे और दोनों पैरों के निचले हिस्से में अंदरूनी चोट थी। मृतक 24.6.2017 को बीमार पड़ा और छह दिन के भीतर वह पीलिया, हेपेटाइटिस और गुर्दे की असामान्य कार्यप्रणाली से पीड़ित पाया गया। यूपीयूएमएस, सैफई में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट से पता चला कि लीवर की घातक विफलता के कारण सेप्टिकेमिक शॉक की वजह से मौत हुई है। मजिस्ट्रेट (एमईआर) की जांच में यह निष्कर्ष निकला कि बीमारी के कारण मृतक की मृत्यु स्वाभाविक रूप से हुई है। पूछताछ मजिस्ट्रेट को उसकी मृत्यु में कारागार प्राधिकारियों या डॉक्टर की ओर से किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं हुआ। आयोग

के एनएचआरसी के पैनल के फोरेंसिक विशेषज्ञ ने मृतक के उपचार के रिकॉर्डों की जांच की और राय दी कि मृतक की मृत्यु लीवर घातक विफलता के परिणामस्वरूप सेप्टिकैमिक शॉक से हुई है, जो मृतक को लगी कई चोटों के कारण उत्पन्न जटिलताओं के कारण बढ़ गया था।

iii. उपर्युक्त रिपोर्टों पर गौर करने पर, आयोग ने पाया कि पर्याप्त उपचार उपलब्ध कराने में लापरवाही हुई है और यह प्रथम दृष्टया साबित हो गया है। इसलिए, इस मामले को प्राकृतिक मौत का मामला नहीं माना जा सकता है और मृतक को पर्याप्त उपचार न मिलने से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए कारागार प्राधिकारियों ने कैदी की जान बचाने में लापरवाही बरती। राज्य अपने कर्मचारियों की लापरवाही के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। आयोग ने दिनांक 09.03.2021 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग द्वारा मृतक के निकटतम संबंधी को तीन लाख रुपये की मौद्रिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

iv. चूंकि कारण बताओ नोटिस के उत्तर में कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए आयोग ने यह मान लिया कि इस मामले में निवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पास कुछ भी नहीं है और मृतक के निकटतम संबंधी को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में तीन लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। इन निर्देशों के साथ मामला 31.05.2021 को बंद कर दिया गया।

3. शिवकुमार नामक बालक की मृत्यु, जो बाल संप्रेक्षण गृह, खंडवा, मध्य प्रदेश का अंत:वासी था

(प्रकरण संख्या 1008/12/25/2019-डीएच)

i. यह मामला 21.05.2019 को बाल संप्रेक्षण गृह, खंडवा, मध्य प्रदेश के शिवकुमार (18 वर्ष) नामक अंत:वासी बालक की मृत्यु के संबंध में खंडवा के कलेक्टर और डीएम से आयोग को प्राप्त सूचना दिनांक 21.05.2019 से संबंधित है।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, उक्त गृह के अधीक्षक ने बताया कि गृह के अंदर मृतक की अपने साथी अंत:वासी गोलू उर्फ शहनाज़ के साथ तकरार हुई थी। तकरार के दौरान उसे चोटें आईं और उसी दिन जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में आरोपी बालक गोलू उर्फ शहनाज के विरुद्ध थाना खंडवा में आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत एफआईआर नंबर 349/2019 दर्ज किया गया।

iii. आयोग के निर्देशों के उत्तर में, आयोग को राज्य प्राधिकारियों से इस मामले में अपेक्षित रिपोर्टें प्राप्त हुईं। यह देखा गया कि खंडवा के एडीएम द्वारा प्रस्तुत अदालती जांच रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि संप्रेक्षण गृह में हुई तकरार में आरोपी बालक गोलू द्वारा पहुंचाई गई चोटों के कारण मृत बच्चे की मृत्यु बाल हुई है। यह भी बताया गया कि गृह में जगह की कमी के कारण कोई भी सरकारी कर्मचारी गृह के अंदर नहीं रह रहा था, जिसके कारण अंत:वासियों पर कोई निगरानी नहीं रखी जा सकी।

iv. आयोग ने मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और पाया कि मृत बच्चा राज्य की देखभाल और संरक्षण में था और उसकी सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों का आवश्यक कर्तव्य था। लेकिन, जैसा कि देखा गया, गृह में किसी कर्मचारी के उपस्थित न होने और किसी निगरानी के अभाव के कारण बच्चे की जान चली गई। इस प्रकार, प्रकट रूप से

लापरवाही थी और बरती गई लापरवाही मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन के बराबर है और इसके लिए राज्य परोक्ष रूप से उत्तरदायी है। इन परिस्थितियों में, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पीएचआर अधिनियम 1993 की धारा 18(क) (i) के तहत कारण बताने का निर्देश दिया गया कि राज्य द्वारा पीड़ित मृतक के निकटतम संबंधी को 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) का मुआवजा दिए जाने की सिफारिश क्यों न की जाए।

v. मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विभाग से प्राप्त संचार दिनांक 02.10.2020 से पता चला कि वे इस मामले में एक लाख रुपये का मुआवजा देने की प्रक्रिया में हैं। आयोग ने पाया कि मध्य प्रदेश सरकार के पास आयोग के निष्कर्षों से इनकार करने के लिए कुछ भी नहीं है और उसने मृत बालक शिवकुमार के निकटतम संबंधी को मुख्य सचिव के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 1,00,000/- रुपये (एक लाख रुपये मात्र) के मुआवजे का भुगतान किए जाने की सिफारिश की।

vi. अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मामला 31.12.2021 को बंद कर दिया गया।

4. राजस्थान के जयपुर जिले के केंद्रीय कारागार में एक विचाराधीन कैदी की फांसी (आत्महत्या) से हिरासत में मौत

(प्रकरण संख्या 284/20/14/2018-जेसीडी)

i. यह मामला 27.01.2018 को एक कैदी (अर्थात् वृन्दावन, पुत्र दाताराम) की हिरासत में मौत के संबंध में अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, जयपुर, राजस्थान से एक सूचना दिनांकित 27.01.2018 से संबंधित है।

ii. आयोग के निर्देशों के उत्तर में, इस मामले में अपेक्षित रिपोर्टें प्राप्त हुईं। एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग द्वारा इन रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया। अन्वेषण प्रभाग ने यह पाया कि पीड़ित को 14.12.2017 को अवसाद, रोने के दौरे के साथ अनुचित व्यवहार और नींद कम आने के साथ व्यग्रता के इतिहास के साथ केंद्रीय कारागार, जयपुर, राजस्थान में भर्ती कराया गया था। उनका तम्बाकू के सेवन का भी इतिहास था। यह भी पता चला कि कारागार अस्पताल में मृतक की अवसाद की बीमारी का इलाज कराया गया था। मृतक ने 27.01.2018 की रात में करीब 9.45 बजे कारागार अस्पताल के वार्ड की खिड़की की ग्रिल से लटककर आत्महत्या कर ली। पोस्टमॉर्टम जांच रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के शरीर पर फंदे के निशान के अलावा चोट का और कोई निशान नहीं देखा गया और मौत का कारण मृत्यु से पहले फांसी लगाने के परिणामस्वरूप दम घुटना था। पूछताछ मजिस्ट्रेट को उसकी मृत्यु में कारागार प्राधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की गड़बड़ी का संदेह नहीं हुआ। जांच प्रभाग की यह राय थी कि चूंकि अवसाद के लिए मृतक का मनोरोग संबंधी उपचार चल रहा था और वह अस्पताल में भर्ती था, इसलिए कैदी की सुरक्षा और कल्याण कारागार प्राधिकारियों की जिम्मेदारी थी और तथ्य यह कि मृतक ने कारागार के अस्पताल वार्ड में आत्महत्या की थी, ड्यूटी के लिए तैनात कारागार अधिकारियों की ओर से लापरवाहीपूर्ण व्यवहार का संकेत देता है।

iii. एनएचआरसी के महानिदेशक (अन्वेषण) द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने पाया कि यह मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। राजस्थान सरकार अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी थी। आयोग ने दिनांक 06.07.2021 की कार्यवाही के माध्यम से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18(क) (i) के तहत राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से राजस्थान सरकार को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग द्वारा मृतक के निकटतम संबंधी को दो लाख रुपये की मौद्रिक क्षतिपूर्ति की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

iv. कारण बताओ नोटिस के उत्तर में, अपर मुख्य सतर्कता आयुक्त, गृह विभाग (एचआर), राजस्थान सरकार से एक उत्तर दिनांकित 26.8.2021 प्राप्त हुआ, जिसमें कहा गया कि अदालती जांच रिपोर्ट के अनुसार, मृतक कैदी ने अवसाद के कारण आत्महत्या की थी। इसमें कारागार प्राधिकारियों की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही या कर्तव्य में चूक का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा, विभाग द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह के अनुसार, पीड़ित की मौत के लिए कारागार प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और इसलिए विभाग ने इस मामले में मुआवजे का प्रस्ताव नहीं दिया।

v. रिकॉर्डों का अध्ययन करने पर आयोग ने पाया कि कारागार प्राधिकारी प्रासंगिक समय पर कैदी की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। यह मृतक के मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला था और आयोग ने दिनांक 30.09.2021 की कार्यवाही के माध्यम से मृतक के निकटतम संबंधी को दो लाख रुपये की आर्थिक राहत की पुष्टि की और राजस्थान सरकार को निर्देश दिया कि वे छह सप्ताह के भीतर अपने मुख्य सचिव के माध्यम से पीड़ित मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजे के रूप में दो लाख रुपये की आर्थिक राहत का भुगतान करें और भुगतान के सबूत के साथ अनुपालन रिपोर्ट जमा करें।

vi. मुआवजे के भुगतान के बारे में 21.12.2021 को राज्य प्राधिकारी से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई और आयोग द्वारा 18.02.2022 को मामला बंद कर दिया गया।

5. उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जिला कारागार की हिरासत में एक सजायाफ्ता कैदी की हिरासत में मौत

(प्रकरण संख्या 34290/24/54/2016-जेसीडी)

i. आयोग को 15.09.2016 को सजायाफ्ता कैदी मांगेराम पुत्र बलवंत की हिरासत में मौत के संबंध में जिला कारागार, मेरठ के वरिष्ठ अधीक्षक से एक सूचना दिनांकित 17.09.2016 प्राप्त हुई। मृतक ने पेट में तेज दर्द की शिकायत की थी। उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज, मेरठ भेजा गया, जहां यह घोषित किया गया कि उन्हें मृत लाया गया था।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसार, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत की गईं। रिपोर्टों के विश्लेषण पर, एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग ने पाया कि कारागार प्राधिकारियों द्वारा इस मामले में जानकारी को दबाने का जानबूझकर प्रयास किया गया। कई अनुस्मारक और सम्मन के बावजूद जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर), पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वीडियो कैसेट, एमईआर, स्वास्थ्य स्थिति और चिकित्सा उपचार रिकॉर्ड जैसी कोई भी रिपोर्ट/दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नहीं किया गया। दो साल बाद विसरा जांच के लिए भेजा गया; उस समय तक यह खराब हो चुका था, और इस प्रकार, कोई विसरा विश्लेषण नहीं किया जा सका। पांच साल बाद एमईआर पूरा किया गया और वह भी बिना किसी दस्तावेज और रिकॉर्ड के और विसरा उपलब्ध न होने के कारण, कारागार पुलिस अधिकारियों द्वारा समय पर कार्रवाई के अभाव में एमईआर पूरा नहीं किया जा सका। प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करते समय आयोग ने यह पाया कि जिस तरह से इस मामले में पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गयी, और समय पर विसरा रिपोर्ट, आदि भेजने की कार्रवाई न कर पाने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी, उससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि इस मामले की जांच के दौरान कारागार अधिकारियों की ओर से लापरवाही हुई थी। कारागार प्राधिकारी के उत्तर से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ।

iii. उपर्युक्त के आलोक में, आयोग ने इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया कि राज्य कैदी की सुरक्षा और संरक्षा की रक्षा करने के लिए बाध्य था और इसलिए उसने राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य को कारण बताओ नोटिस दिनांकित 21.09.2020 जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को तीन लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

iv. डीआइजी, कारागार प्रशासन और सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश ने 22.12.2020 के संचार के माध्यम से यह दलील देते हुए मौद्रिक राहत की सिफारिशों का विरोध किया कि एमईआर ने इस मामले में किसी गड़बड़ी को उजागर नहीं किया है और न ही मृतक पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने कोई आपत्ति जताई है। इसलिए, मृतक पीड़ित के निकटतम संबंधी को मुआवजा देने की सिफारिश करने का कोई औचित्य नहीं था।

v. आयोग ने कहा कि उसने मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच के तरीके के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसने कारागार अधिकारियों की ओर से लापरवाही का मामला दर्शाया है। इसके अलावा, आयोग कारागार प्राधिकारी के उत्तर से भी संतुष्ट नहीं था और इसलिए आयोग ने 22.04.2021 को 3 लाख रुपये के मुआवजे की सिफारिश की पिछली पुष्टि को दोहराया।

vi. दिनांक 05.10.2021 के उत्तर में कारागार अधीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उत्तर प्रदेश ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार 3,00,000/- रुपये के मुआवजे का भुगतान मृतक कैदी के दोनों बेटों को डीडी के माध्यम से समान रूप से अर्थात् 1,50,000-1,50,00 रुपये के रूप में किया गया और आयोग ने 01.11.2021 को मामला बंद कर दिया।

6. पुलिस की पिटाई/बर्बरता के कारण इलाज के दौरान केंद्रीय कारागार मोतिहारी, बिहार के एक विचाराधीन कैदी की हिरासत में मौत

(प्रकरण संख्या 2924/4/8/2017-जेसीडी)

i. आयोग को 17.10.2017 को अधीक्षक, केंद्रीय कारागार, मोतिहारी, बिहार से एक सूचना दिनांक 17.10.2017 प्राप्त हुई जो धीरज कुमार नामक एक विचाराधीन कैदी की मृत्यु के संबंध में थी, जिसकी सदर अस्पताल, मोतिहारी में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी।

ii. आयोग के निर्देशों के उत्तर में, इस मामले में संबंधित प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्टें प्राप्त हुईं, जिनका एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग द्वारा विश्लेषण किया गया। स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट और पीएमआर से मृतक के शरीर पर चोटों के निशान का पता चला। स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट में चोट का कारण नहीं बताया गया था। इलाज के रिकॉर्ड के अनुसार, मृतक का इलाज पहले कारागार अस्पताल में किया गया, जहां से उसे रेफर कर सदर अस्पताल भेज दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसी दिन उसकी मौत हो गयी। पीएमआर के अनुसार, मृत्यु का कारण फेफड़ों की पुरानी बीमारी थी। इसके अलावा, जेएमआईसी, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार द्वारा इस मामले में प्रस्तुत अदालती जांच रिपोर्ट से पता चला कि जांच के दौरान, प्रासंगिक रिकॉर्डों और गवाहों की जांच की गई थी। एमईआर में इस बात का उल्लेख किया गया था कि शुरू में कारागार प्राधिकारी ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया था क्योंकि वह घायल था। इसके बाद पुलिस उसे जांच के लिए सदर अस्पताल ले गयी। इसके बाद उसे कारागार में दाखिल किया गया और कारागार अस्पताल में उसके स्वास्थ्य की जांच की गई। इलाज के लिए उसे कारागार अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक के छोटे भाई से भी पूछताछ की गई। मृतक के भाई ने अपने भाई की मौत पर कोई संदेह नहीं जताया। रिकॉर्डों और गवाहियों का गौर से अध्ययन करने के बाद, पूछताछ अधिकारी ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है:

क) प्रथम दृष्टया मृतक धीरज कुमार की मृत्यु कार्डियो-श्वसन तंत्र की विफलता के कारण हुई (जैसा कि पीएमआर से परिलक्षित होता है)।

ख) किसी भी संदिग्ध परिस्थिति के अभाव में मौत का वास्तविक कारण धीरज कुमार को लगी गंभीर चोटें हैं। इन चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया।

ग) मृतक को ये चोटें पुलिस की यातना और पिटाई के कारण लगी थीं, जब वह उनकी हिरासत में था। इसके अलावा, उनकी मृत्यु उचित चिकित्सा देखभाल की कमी के कारण हो हुई थी।

घ) पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस की कार्रवाई और कार्रवाई का तरीका संदिग्ध पाया गया है। खासकर पीपरा कोठी के तत्कालीन थानेदार और पीपरा कोठी के अपराध कांड संख्या 201/17 के जांच अधिकारी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता।

ङ) सदर अस्पताल के डॉक्टर की चिकित्सीय जांच रिपोर्ट भी संदेहास्पद है और उन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति जो लापरवाही बरती है वह नजरअंदाज करने लायक नहीं है।

iii. आयोग को राज्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों से मृतक के मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के मामले का पता चला, जो राज्य की देखभाल और हिरासत में था, जिसका कर्तव्य कैदी की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए, आयोग ने दिनांक 24.05.2021 की कार्यवाही के माध्यम से राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को 3,00,000/- रुपये के मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

iv. आयोग के निर्देशों के अनुसार, कारागार महानिरीक्षक, बिहार से प्राप्त दिनांक 12.02.2022 के एक पत्र से पता चला कि निकटतम संबंधी को मौद्रिक राहत का भुगतान कर दिया गया है और इसलिए आयोग द्वारा 17.02.2022 को मामला बंद कर दिया गया।

पुलिस की गोलीबारी के कारण मौत

7. हिमाचल प्रदेश के बद्दी के नालागढ़ थाने में ढेरोवाल चौकी पर पुलिस की गोलीबारी में मौत

(प्रकरण संख्या : 131/8/11/2017)

i. आयोग को दिनांक 02.09.2017 को एसपी बद्दी, हिमाचल प्रदेश से थाना नालागढ़, बद्दी, हिमाचल प्रदेश के ढेरोवाल चेक पोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई में कमल कांत उर्फ सागर, पुत्र मितर देव की मौत के संबंध में एक सूचना दिनांकित 03.09.2017 प्राप्त हुई। नालागढ़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

ii. आयोग ने दिनांक 20.09.2017 की कार्यवाही के माध्यम से मामले का संज्ञान लिया। आयोग ने जांच प्रभाग से अपेक्षित रिपोर्टें/अभिलेख प्राप्त किए और उसका विश्लेषण किया। एफआईआर के अनुसार, चोरी की कार में सवार लोगों द्वारा एटीएम में डकैती के संबंध में थाने से हेड कांस्टेबल (एचसी) को 02.09.2017 को अपराह्न लगभग 02:45 बजे सूचना मिली। इस सूचना पर चेक पोस्ट पर तैनात सिपाही ने अपने एके-47 राइफल में कारतूत लोड कर लिया। इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार ने चेक पोस्ट पर लगे बैरिकेड को पार करने की कोशिश की। कार की अचानक हरकत के कारण कांस्टेबल अपना संतुलन खो बैठा, जिससे उसकी राइफल से गोली चल गई। फायरिंग के बाद कार बिजली के खंभे से टकराकर रुक गई। कार में से तीन लोग मौके से भाग गए, कार में सवार दो लोग घायल अवस्था में मिले। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी नालागढ़ भेजा गया।

iii. जिला सोलन के नालंबगढ़ के तहसीलदार द्वारा मौके पर की गई जांच से पता चला कि पुलिस फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। मृतक के चेहरे और सिर पर चोटें थीं। उनकी मौत गोली लगने से हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में सिर के ऊपरी हिस्से में गोली लगने के घाव की बात सामने आई, जिसके कारण प्रमस्तिष्क के दोनों गोलार्ध फट गए थे। बंदूक की गोली के घाव के आसपास झुलसने, जलने या गोदने का कोई सबूत नहीं मिला। शरीर के बाकी हिस्सों पर चोट का कोई सबूत नहीं था। प्रकृति के सामान्य नियम के अनुसार, मस्तिष्क और सिर की चोट मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है। एफएसएल रिपोर्ट से प्रदर्शों में सीसे के छोटे-छोटे टुकड़े पाए जाने का खुलासा हुआ।

iv. पूछताछ मजिस्ट्रेट ने घटनाओं में शामिल पुलिस अधिकारियों, मृतकों के रिश्तेदारों एवं मामले के सह-अभियुक्तों और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के बयान दर्ज किए। उन्होंने नालागढ़ के तहसीलदार द्वारा की गई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट की भी जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सिर और मस्तिष्क क्षेत्र में गोली का घाव मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। एफएसएल रिपोर्ट से सीसे के बचे हुए टुकड़े मिलने का खुलासा हुआ, जो बंदूक की गोली से चोट लगने की पुष्टि करते हैं। मृतक के पिता ने कोई आरोप नहीं लगाया। तथापि, यह कहा गया कि घटना के समय वह अपने बेटे के साथ कार में सवार किसी भी व्यक्ति को नहीं जानता है। पुलिस द्वारा पकड़े गए अन्य सह-अभियुक्तों ने भी पुलिस के बयान की पुष्टि की। बयानों और दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ मजिस्ट्रेट ने राय दी कि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियुक्त की मौत गोली लगने से हुई है, जो मृतक पर पीछे से चलाई गई थी। पूछताछ मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष निकाला कि मृतक की मौत हेड कांस्टेबल किशोर कुमार द्वारा अपनी एके-47 राइफल से पीछे से मारी गई गोली के लगने के कारण हुई, जिसने अनजाने में और गलती से कार पर गोली चला दी थी।

v. तथापि, एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग को पुलिस की कहानी के साथ-साथ अदालती जांच में कुछ खामियां मिलीं। एनएचआरसी के अन्वेषण प्रभाग द्वारा यह बताया गया कि बिजली के खंभे से टकराने के बाद कार में सवार लोगों द्वारा किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एटीएम में डकैती की सूचना के आधार पर हेड कांस्टेबल ने राइफल को सतर्क स्थिति में खड़ा कर दिया, लेकिन वह एके-47 पर सुरक्षा लॉक लगाने में विफल रहा, जिसे आपातकाल के समय आसानी से बदला जा सकता था। इसके अलावा, इस घटना में दो लोगों को गोली लगी, जिससे पता चलता है कि राइफल से कई राउंड फायर किए गए थे, जिसका मतलब यह था कि या तो राइफल बर्स्ट पोजीशन में थी या हेड कांस्टेबल लगातार ट्रिगर दबा रहा था। दोनों कार्रवाइयों से पता चलता है कि हेड कांस्टेबल को एके 47 राइफल चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। एसडीएम ने अदालती जांच में निष्कर्ष निकाला था कि मृतक की मौत हेड कांस्टेबल द्वारा गलती से गोली चलने से हुई है। आईपीसी की धारा 80 में यह कहा गया है कि "किसी वैध कार्य को करने में दुर्घटना-कोई भी चीज अपराध नहीं है, जो दुर्घटनावश या दुर्भाग्य से की जाती है, और बिना किसी आपराधिक इरादे या ज्ञान के किसी वैध कार्य को वैध तरीकों से और उचित देखभाल और सावधानी के साथ की जाती है।" यहां, हेड कांस्टेबल ने राइफल को हैंडल करते समय उचित देखभाल और सावधानी नहीं बरती, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मौत हो गई और इस दलील में कोई दम नहीं है कि उसने अनजाने में गोली चलाई।

vi. आयोग ने रिकॉर्ड में लाए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया और पाया कि पुलिस कार्रवाई के दौरान निजी बचाव के अधिकार को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। हेड कांस्टेबल के इस लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण एक युवक की मृत्यु हो गई, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित के मानव

अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए राज्य सरकार परोक्ष रूप से उत्तरदायी थी। इसलिए, आयोग ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य सरकार को पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया कि आयोग द्वारा मृतक के निकटतम रिश्तेदार को 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) के मुआवजे की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

vii. उपर्युक्त के अलावा, हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को वरिष्ठ अधिकारियों, जिन्होंने यह सुनिश्चित नहीं किया कि हेड कांस्टेबल एके-47 को हैंडल करने में सक्षम है या नहीं, के साथ-साथ लापरवाह हेड कांस्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई/कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

viii. उत्तर में, राज्य प्राधिकारी ने बताया कि अदालत में क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और कहा गया था कि मृतक एक कट्टर अपराधी था और उसने चोरी की थी, इसलिए वह किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं है और यदि मुआवजा दिया जाता है, तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि राज्य इस आधार पर पीड़ित को मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकता कि मृतक एक कट्टर अपराधी था और इसलिए आयोग ने दिनांक 15.11.2021 की कार्यवाही के माध्यम से मौद्रिक राहत की अपनी सिफारिश की पुष्टि की।

ix. राज्य प्राधिकारी ने अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसलिए मामला 02.02.2022 को बंद कर दिया गया।

8. त्रिपुरा में खुमुलवंग के पास एनएच-8 पर नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और अन्य छह लोगों को गंभीर चोटें

(प्रकरण संख्या : 1/23/4/2019)

i. आयोग को शिकायतकर्ता द्वारा 11.01.2019 को सूचित किया गया कि 08.01.2019 को खुमुलवंग के पास एनएच-8 पर नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2016 के खिलाफ त्रिपुरा के निहत्थे स्वदेशी लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, लाठियां भांजी और गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य छह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए।

ii. आयोग के निर्देशों के उत्तर में प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 12.02.2020 से पता चला कि इस मामले में अदालती जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना में कुल 17 पुलिस कर्मी और पांच नागरिक घायल हुए थे। मामले में एफआईआर दर्ज की गई। इस घटना में कुछ सुरक्षा कर्मियों और एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा कर्तव्यों के पालन में कुछ कमियाँ भी देखी गईं। गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और उनमें से कुछ को निलंबित कर दिया गया। राज्य प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में बताया गया कि मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रभावित व्यक्तियों के बीच अनुकंपा आधार पर 21,20,000/- रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की गई है।

iii. उपर्युक्त रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को उसकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई। उत्तर में शिकायतकर्ता ने अपनी टिप्पणी दिनांकित 29.09.2020 प्रस्तुत की और बताया कि मुआवजे की राशि सभी पीड़ितों के खातों में जमा नहीं की गई है। आयोग ने त्रिपुरा सरकार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वे पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान का सबूत, अदालती जांच रिपोर्ट और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई जांच की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

iv. पश्चिम त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक को दर्ज मामलों की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। उत्तर में, पुलिस महानिदेशक, त्रिपुरा, अगरतला ने दिनांक 23.11.2020 को रिपोर्ट दी कि रानीर बाजार थाने में दर्ज मामले की जांच चल रही है, जबकि राधापुर थाने में दर्ज मामले में, अंतिम रिपोर्ट दायर की गई और एलडी कोर्ट द्वारा स्वीकार कर ली गई है।

v. उप सचिव, गृह विभाग, त्रिपुरा सरकार ने दिनांक 27.05.2021 के संचार के माध्यम से बताया कि इस घटना से प्रभावित 74 व्यक्तियों को 21,20,000/- रुपये की आर्थिक राहत प्रदान की गई है। यह भी बताया गया कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई और उन्हें कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया गया।

vi. इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने रिपोर्टों पर अपना संतोष व्यक्त किया और कहा कि उसके पास इस मामले में अब निवेदन करने के लिए कुछ भी नहीं है।

vii. तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने पाया कि आयोग द्वारा किसी और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पीड़ितों को मौद्रिक राहत का भुगतान कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच चल रही है, और एक चिकित्सा अधिकारी और एसडीपीओ सहित दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है जिनको निलंबित कर दिया गया है, और इसलिए मामला 24.01.2022 को बंद कर दिया गया।

9. पुलिस अधिकारियों द्वारा बिहार के कटिहार शहर थाने में नौ दिन की अवधि तक अवैध हिरासत में रखने, मानसिक यातना देने और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप

(प्रकरण संख्या 2544/4/16/2017)

i. आयोग में 07/09/2017 को शिकायतकर्ता श्री सुनील कुमार, पुत्र कृष्ण कुमार लाल, जिला कटिहार, बिहार से यह शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि वास्तविक आरोपी के रूप में गलती से उसकी यानि सुनील कुमार की पहचान के कारण उसे 22 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया।

ii. आयोग ने 21/09/2017 को मामले का संज्ञान लिया और संबंधित राज्य प्राधिकारी से मामले में रिपोर्ट मांगी गई। इसके उत्तर में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त प्रासंगिक रिकॉर्ड के आधार पर, आयोग ने पाया कि यह एक गंभीर मामला है जिसमें दोषी पुलिस अधिकारी ने वास्तविक आरोपी, जिसका नाम समान था, के स्थान पर शिकायतकर्ता को गलत तरीके से अभियुक्त बनाया था और हिरासत में लिया था। इसमें पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन शामिल था, जिसे लगभग नौ दिन सलाखों के पीछे बिताने पड़े और मानसिक, शारीरिक और सामाजिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। पुलिस प्राधिकारी ने भी दोषी पुलिस अधिकारी के अवैध कृत्य को स्वीकार किया था और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की थी।

iii. आयोग ने 30/12/2020 को कहा कि राज्य अपने कर्मचारियों/एजेंटों के कृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होता है और इसलिए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से संबंधित राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़ित को 2,00,000/- रुपये के अंतरिम मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

iv. आयोग को दिनांक 11/03/2021 की कार्यवाही के माध्यम से सूचित किया गया कि राज्य प्राधिकारियों से कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर नहीं मिला है और इसलिए यह माना गया कि राज्य प्राधिकारी के पास इस मामले में कुछ भी कहने को नहीं है और इसलिए कारण बताओ नोटिस की पुष्टि हुई है।

v. इसके अलावा, आयोग को एसआई, सीआईडी, पटना, बिहार से दिनांक 22.11.2021 के एक संचार की प्रति प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया कि मुखबिर ने पुलिस को गलत जानकारी दी थी, जिसके कारण गलती से पीड़ित की गिरफ्तारी हुई और आयोग से अनुरोध किया कि उसे सुनवाई का एक मौका दिया जाए ताकि वह प्रस्तुति प्रस्तुत करने और विभागीय आदेश पर रोक लगाने की मांग करने में सक्षम हो सके।

vi. आयोग ने दिनांक 27/12/2021 की कार्यवाही के माध्यम से पाया कि एसआई ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मुखबिर की गलत सूचना पर पीड़ित को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन आयोग इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ कि पीड़ित यह साबित नहीं कर सका कि उसे गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था।

vii. विशेष सचिव, गृह, बिहार सरकार, दिनांक 25.1.2022 के संचार के माध्यम से पीड़ित को 2,00,000/- रुपये के भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की।

viii. उपर्युक्त घटनाक्रम को देखते हुए, आयोग ने 09/03/2022 को मामला बंद कर दिया।

10. थाना सदर बाजार, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में 18 दिन तक दो व्यक्तियों की अवैध गिरफ्तारी और झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप

(प्रकरण संख्या 4658/24/64/2018)

i. आयोग में 19/02/2018 को शिकायतकर्ता श्रीमती वीना टक्कर, पत्नी केवल किशोर, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से शिकायत प्राप्त हुई। यह शिकायत सहारनपुर पुलिस द्वारा झूठे मामले में शिकायतकर्ता के बेटों की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित थी।

ii. आयोग ने 28/02/2018 को मामले का संज्ञान लिया और राज्य प्राधिकारी से मामले में रिपोर्ट मांगी गई। आयोग के निर्देशों के उत्तर में दूरभाष पर हुई बातचीत में थाना चरथावल, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश के एसएचओ ने बताया कि थाना सदर बाजार में प्राथमिकी 532/2016 दर्ज की गई, और साक्ष्य के अभाव में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। बाद में मामले की जांच अपराध शाखा ने की। शिकायतकर्ता के बेटों को 18 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया, और आरोप पत्र के अनुरंजन के लिए अदालत में आवेदन दायर किया गया और एक प्राथमिकी दर्ज की गई। बाद में मामले की जांच चरथावल थाने को सौंपी गई। सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच के दौरान यह पाया गया कि कोई सबूत नहीं है। आरोपियों को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद, आरोप पत्र रद्द करने के अनुरोध के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

iii. रिपोर्ट का अध्ययन करने पर, आयोग ने 18/04/2018 को पाया कि शिकायतकर्ता द्वारा अवैध गिरफ्तारी के आरोप लगाए गए थे, जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए राज्य पुलिस प्राधिकारी की ओर से परोक्ष रूप से उत्तरदायी है और इसलिए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि प्रत्येक पीड़ित को 25,000/- रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश क्यों न की जाए।

iv. चूंकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए आयोग ने 27/11/2018 को इस आधार पर मौद्रिक राहत देने की सिफारिशों की पुष्टि की कि राज्य प्राधिकारी के पास इस मामले में खण्डन करने के लिए कुछ भी नहीं है।

v. पुलिस अधीक्षक (एचआर) ने दिनांक 26/11/2021 के अपने पत्र के माध्यम से आयोग को सूचित किया कि दोनों पीड़ितों को 25,000/- रुपये के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है और उन्होंने भुगतान का प्रमाण भी भेजा।

vi. आयोग ने 15/03/2022 को नोट किया कि वर्तमान शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके बेटों को पुलिस ने गलत इरादे से गलत आधार पर गिरफ्तार किया था। आयोग ने दिनांक 18.4.2018 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से पाया था कि चूंकि यह अवैध गिरफ्तारी का मामला था, इसलिए शिकायतकर्ता के बेटों को 25,000-25,000 रुपये का भुगतान किया जाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक (एचआर) ने दिनांक 13.4.2020 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि दोनों पीड़ितों को 25,000/- रुपये के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है और उन्होंने भुगतान का प्रमाण भी भेजा। हालांकि पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था, लेकिन दोषी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप वह सेवा से सेवानिवृत्त हो गए। अब चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए, आयोग रिपोर्टों को रिकॉर्ड में लेना और मामले को बंद करना उचित समझता है। राज्य के डीजीपी को इस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया कि भविष्य में ऐसी घटना न हो।

पुलिस की मनमानी

11. उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में अपहरण के एक मामले में एफआईआर दर्ज करने में पुलिस की मनमानी

(प्रकरण संख्या 48326/24/68/2015)

i. आयोग में शिकायतकर्ता श्रीमती रामरती, पत्नी सोबरन लाल, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश से यह शिकायत प्राप्त हुई जिसमें शिकायतकर्ता ने 24.10.2015 को अपने बेटे के अपहरण के मामले में पुलिस पर निष्क्रिय होने का आरोप लगाया।

ii. आयोग ने 04.01.2016 को मामले का संज्ञान लिया और आयोग के निर्देशों के अनुसार, उप सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से मामले में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। बताया गया कि शिकायतकर्ता ने 26.10.2015 को अपने बेटे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस निरीक्षक की सरासर लापरवाही के कारण एक महीने बाद अर्थात् 21.11.2015 को मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ पुलिस अधिनियम के तहत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 364 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई

और उनकी संलिप्तता साबित हुई। तदनुसार, अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया। इसके अलावा, राज्य प्राधिकारी से एक अज्ञात शव के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई। सीतापुर के जिलाधिकारी ने बताया कि प्राप्त कंकाल की डीएनए रिपोर्ट से यह स्थापित नहीं हो सका कि यह कंकाल शिकायतकर्ता के लापता बेटे का है। सीबीसीआईडी द्वारा मामले की जांच की गई, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि लापता लड़के को अब तक बरामद नहीं किया जा सका है और आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसका अपहरण किए जाने के पर्याप्त सबूत हैं।

iii. लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बाद, राज्य ने रिपोर्ट दिनांकित 15.11.2019 और 11.12.2019 प्रस्तुत की, जिसका अध्ययन करने पर आयोग ने 01.01.2021 को पाया कि पुलिस प्राधिकारियों की ओर से सरासर लापरवाही हुई है, जिन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण पीड़ित बरामद नहीं हुआ। एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारण मामले के महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गए। यह शिकायतकर्ता के अधिकारों का घोर उल्लंघन था और इसलिए राज्य परोक्ष रूप से उत्तरदायी था। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से संबंधित राज्य को पीएचआर अधिनियम की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़ित की मां को 1,00,000/- रुपये के मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए।

iv. चूंकि कारण बताओ नोटिस के बदले में कोई उत्तर नहीं मिला था, इसलिए यह मानते हुए कि राज्य प्राधिकारी के पास इस मामले में निवेदन करने के लिए कुछ भी नहीं था, आयोग ने दिनांक 05.04.2021 की अपनी कार्यवाही के माध्यम से मौद्रिक राहत की सिफारिश की पुष्टि की। आयोग ने पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर दोषी पुलिस कर्मी के खिलाफ की गई कार्रवाई रिपोर्ट के साथ इस मामले में कंकाल की पहचान स्थापित करने के लिए डीएनए रिपोर्ट की प्रोफाइलिंग पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

v. आयोग को राज्य प्राधिकारियों से अनुपालन का संचार दिनांकित 04.01.2022 प्राप्त हुआ जिसमें सूचित किया गया कि 1,00,000/- रुपये का मुआवजा मंजूर हो गया है और नियमों के अनुसार दोषी पुलिस कर्मियों से इसकी वसूली की जाएगी।

vi. आयोग ने 01.02.2022 को सीबीसीआईडी जांच रिपोर्ट के आधार पर यह पाया कि लापता लड़का बरामद नहीं हुआ है और आरोपी व्यक्तियों द्वारा उसके अपहरण के पर्याप्त सबूत पाए गए हैं और उन सभी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, और देरी से एफआईआर दर्ज करने पर 1,00,000/- रुपये का आर्थिक मुआवजा भी मंजूर किया गया है, जिसकी वसूली दोषी पुलिस कर्मियों से की जाएगी। इसलिए, आयोग ने मामले को बंद कर दिया।

12. गुजरात के अहमदाबाद जिले में एक मां द्वारा अपने बेटे की हत्या की शिकायत पर पुलिस की धीमी कार्रवाई

(प्रकरण संख्या : 318/6/1/2020)

i. आयोग को 16.03.2020 को शिकायतकर्ता कमलाबेन नटवरबाही परमेर, जिला अहमदाबाद, गुजरात से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जो 23.02.2020 को उनके बेटे की हत्या के बारे में थी, जिसका नाम रवींद्र कुमार नटवरलाल परमार था जो पुलिस कांस्टेबल था।

ii. आयोग ने 22.05. 2020 को मामले का संज्ञान लिया और मामले में संबंधित राज्य प्राधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई। आयोग के निर्देशों के उत्तर में अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 31.08.2020 से पता चला कि इस मामले में शाहीबाग थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ

प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच के दौरान चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त सबूतों को देखते हुए, न्यायालय में उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया।

iii. मामले के तथ्यों पर गौर करने पर, आयोग ने दिनांक 21.12.202 की कार्यवाही के माध्यम से गुजरात के पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह मृतक के निकटतम संबंधी को सभी देय राशि का भुगतान सुनिश्चित करें और मृत पुलिस कर्मी के परिवार को ऐसे सभी लाभ प्रदान करें जिनका वे सेवा नियमों के तहत हकदार हैं और इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

iv. इसके साथ ही, गुजरात के अहमदाबाद जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त को एससी/एसटी अधिनियम के तहत मृतक के निकटतम रिश्तेदार को निर्धारित समय सीमा के भीतर वैधानिक मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने और भुगतान के प्रमाण के साथ रिपोर्ट जमा करने का निर्देश भी दिया गया।

v. उत्तर में, अहमदाबाद शहर के पुलिस आयुक्त से दिनांक 04.04.2021 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया कि पीड़ित की मां को कुल 8,25,000/- रुपये यानि पोस्टमार्टम के बाद 4,12,500 रुपये और 20.04.2020 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 4,12,500/- रुपये के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है।

vi. 29.11.2021 को आयोग द्वारा नोट किए गए उपर्युक्त घटनाक्रम के मद्देनजर मामले को बंद कर दिया गया।

13. पंजाब के अमृतसर नामक शहर में दो पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के कारण शिकायतकर्ता के 18 वर्षीय बेटे की आत्महत्या

(प्रकरण संख्या : 506/19/1/2020)

i. आयोग में 19.06.2020 को शिकायतकर्ता श्री धन कुमार, जनकपुरी, नई दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त हुई। यह शिकायत अंकित नामक एक 18 वर्षीय लड़के की मौत से संबंधित थी, जिसने अमृतसर में दो पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के कारण कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। मृतक को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और परेशान किया गया, क्योंकि वह 14.06.2020 को बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चला रहा था। इसके बाद, उसे पुलिस हिरासत से तब रिहा किया गया जब उसके पिता ने पुलिस को रिश्वत दी। पीड़ित ने इस हद तक अपमानित और खिन्नचित्त महसूस किया कि उसने आत्महत्या कर ली। शिकायतकर्ता ने निकटतम संबंधी को मुआवजा देने और ऐसी कार्रवाई करने का आग्रह किया जो उचित समझी जाए।

ii. आयोग ने 27.08.2020 को मामले का संज्ञान लिया और आयोग के निर्देशों के अनुसार, मामले में पुलिस आयुक्त, अमृतसर शहर से अपेक्षित रिपोर्टें दिनांकित 13.10.2020 प्राप्त हुईं। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि जब पुलिस ने पीड़ित को रोका था, तब मोटरसाइकिल की पेटी में गर्भनिरोधक की कुछ गोलियां मिली थीं। इसके अलावा, उसके पास संगत दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उसे पुलिस चौकी ले जाया गया। चूंकि वह नाबालिग था, इसलिए उसका 500/- रुपये का चालान कर दिया गया और पुलिस ने उसके पिता की उपस्थिति में उसकी मोटरसाइकिल छोड़ दी। 15.06.2020 को शाम 5.30 बजे अंकित ने अपने घर पर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। कारण यह था कि पीड़ित मोटरसाइकिल से गर्भनिरोधक की गोलियों के बरामद होने पर पिता के सामने कलंकित किये जाने से परेशान था।

iii. यह भी बताया गया कि पुलिस अधिकारियों ने उसे धमकी भी दी थी जिससे वह अंदर से आहत हो गया और इसलिए उसने यह कदम उठाया। जांच के दौरान दो पुलिस अधिकारियों को दोषी पाया गया और निलंबन की संस्तुति की गई। निलंबन का आदेश जारी किया गया और विभागीय जांच शुरू करने का आदेश दिया गया।

iv. आयोग ने 14.12.2020 को रिपोर्ट पर विचार किया और पाया कि चूंकि पुलिस कर्मियों, जो लोक सेवक हैं, को पीड़ित लड़के की छवि खराब करने और उसके पिता के सामने अनावश्यक धमकियां देने, जिसके परिणामस्वरूप उसकी असामयिक आत्मघाती मृत्यु हुई, का दोषी पाया गया है, इसलिए राज्य मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवजा देने के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी था। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव, पंजाब सरकार के माध्यम से अमृतसर के पुलिस आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया कि मृत लड़के के निकटतम संबंधी को 3,00,000/-रुपये (केवल तीन लाख रुपये) के उचित मुआवजे का भुगतान क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

v. उत्तर में, आयोग को अमृतसर शहर के पुलिस आयुक्त से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें मौद्रिक राहत की सिफारिश को इस दलील के साथ खारिज कर दिया गया कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। अदालती जांच रिपोर्ट के अनुसार, नैतिक पुलिसिंग की आड़ में दोषी पुलिस कर्मियों को अपने बढ़िया विचारों को थोपने, जो उनकी ओर से कदाचार के समान है जिसके लिए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, के बजाय कानून के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए था। अदालती जांच के निष्कर्षों के आधार पर, दोषी पुलिस कर्मियों की दो वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोक दी गई है। जहां तक 500/- रुपये की रिश्वत लेने का संबंध है, यह बताया गया है कि इतनी राशि का जुर्माना लगाया गया था और इसे एडीसीपी, ट्रैफिक, अमृतसर के कार्यालय में जमा किया गया था। यह भी बताया गया कि लड़के ने घटना के दो दिन बाद आत्महत्या की और पीड़ित को उचित मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए परिवार के सदस्यों द्वारा उचित मार्गदर्शन और परामर्श दिया जा सकता था। यदि ऐसा किया गया होता, तो उक्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना को टाला जा सकता था। मृतक को मास्क न पहनने के कारण हिरासत में रखा गया था और कानून की अवज्ञा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आता है। रिपोर्ट का निष्कर्ष यह था कि मृतक का निकटतम संबंधी सरकार द्वारा मुआवजा पाने का हकदार नहीं है।

vi. आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और पाया कि अदालती जांच में भी यह माना गया है कि दोषी पुलिस कर्मियों को नैतिक पुलिसिंग की आड़ में अपने बढ़िया विचारों को थोपने के बजाय कानून के अनुसार अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए था और यह उनकी ओर से कदाचार के समान है। दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गयी है। ये तथ्य कारण बताओ नोटिस जारी करते समय आयोग द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं। इसलिए, आयोग ने मौद्रिक मुआवजे की सिफारिश की।

vii. इसके बाद, अपर डीजीपी, मानव अधिकार, पंजाब से दिनांक 14.09.2021 के संचार के माध्यम से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें सूचित किया कि 3,00,000/- रुपये का मौद्रिक भुगतान कर दिया गया है और इसलिए आयोग ने 12.11.2021 को मामला बंद कर दिया।

ख. स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार

7.12 प्रत्येक मनुष्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अनुकूल स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का आनंद लेने का हकदार है। डब्ल्यूएचओ की परिभाषा के अनुसार, स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति न

होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। यह अधिकार अन्य मानव अधिकारों के प्रयोग के लिए अपरिहार्य है। सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, सुरक्षा और संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 21 के तहत भारत का संविधान 'स्वास्थ्य के अधिकार' को मौलिक अधिकार के रूप में अपना समर्थन प्रदान करता है।

7.13 मानसिक स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य का अभिन्न अंग है, वह क्षेत्र है जहां देश गंभीर संकट का सामना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य "कल्याण की ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी खुद की क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक और लाभकारी तरीके से काम कर सकता है और अपने समुदाय के लिए योगदान करने में सक्षम होता है।"

7.14 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अस्तित्व में आने के बाद से, आयोग ने लगातार यह दृष्टिकोण अपनाया है कि संविधान में निहित गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार से ऐसे उपायों का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोगों, और विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल की बेहतर, सस्ती, सुलभ और अधिक व्यापक सुविधाएं उपलब्ध हैं। निम्नलिखित पैरा में वर्ष 2021-22 के दौरान स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में आयोग द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया है।

7.15 कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी (परामर्शी 2.0): आयोग ने कार्यान्वियन के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 04 मई 2021 को "कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी (परामर्शी 2.0)" जारी किया।

7.16 कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी (परामर्शी 2.0): आयोग ने कार्यान्वियन के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31 मई 2021 को "कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार पर मानव अधिकार परामर्शी (परामर्शी 2.0)" जारी किया।

7.17 कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, उपचार, पुनर्वास और भेदभाव के उन्मूलन पर परामर्शी: आयोग ने कार्यान्वियन के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 14 जनवरी 2022 को "कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, उपचार, पुनर्वास और भेदभाव के उन्मूलन पर परामर्शी" जारी किया।

7.18 कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य के अधिकार पर पिछली परामर्शी की पूरक सिफारिशें: एनएचआरसी ने कोविड-19 महामारी की तीसरी बड़ी लहर के दौरान और ओमीक्रॉन जैसे नए वेरिएंट के उद्भव के कारण 28.09.2020 और 04.05.2021 को जारी "कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य के अधिकार पर सलाह" के दो सेटों पर फिर से जोर दिया। एनएचआरसी ने इन पिछली सलाहों में की गई सिफारिशों के पूरक के रूप में कार्यान्वियन के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 31 जनवरी 2022 को अतिरिक्त सिफारिशें जारी कीं। उक्त दस्तावेजों के विवरण https://nhrc.nic.in/sites/default/files/sdependent_Recommendations_Right_to_Health_Covid19.pdf पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

7.19 कुष्ठ रोग एवं कुष्ठ रोग की कालोनियों पर बैठक: 20 जुलाई 2021 को माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में कुष्ठ रोग एवं कुष्ठ रोग की कॉलोनियों पर एक बैठक आयोजित की गई जिसकी सह-अध्यक्षता माननीय सदस्य न्यायमूर्ति एमएम कुमार द्वारा की गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते

हुए, विषय-वस्तु के दो विशेषज्ञ (डॉ. विनीता शंकर, पूर्व कार्यपालक निदेशक, सासाकावा-इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन और सुश्री निकिता सारा, हिमायत और संचार प्रमुख, द लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया) वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए।

बैठक से जो महत्वपूर्ण सिफारिशें सामने आईं उनमें शामिल हैं:

- कुष्ठ रोग के खिलाफ भेदभावपूर्ण कानूनों को रद्द करने की जरूरत है।
- विभिन्न हितधारकों को संवेदनशील बनाने और उनमें आवश्यक जागरूकता पैदा करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों, विशेषकर बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श/मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता है।
- सबसे कमजोर आबादी अर्थात् महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और इन कॉलोनियों के निवासियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
- कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के बच्चों की शिक्षा और काउंसलिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ताकि कलंक से उबरने और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में उनकी मदद की जा सके।
- उन्हें प्रशिक्षित करने और सम्मान के साथ स्थायी आजीविका अर्जित करने के लिए उन्हें सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए।

7.20 नशे की लत से पीड़ित लोगों के मानव अधिकारों पर बैठक: कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, 11 अगस्त 2021 को सिस्को वेबेक्स के माध्यम से 'नशे की लत से पीड़ित लोगों के मानव अधिकार' पर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज (एसपीवाईएम) के साथ चर्चा के लिए एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय सदस्य डॉ. डीएम मुले ने की। भारत में नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने वालों/व्यसनी लोगों के सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज (एसपीवाईएम) के कार्यपालक निदेशक डॉ. राजेश कुमार देश के विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों के लगभग 30 गैर सरकारी संगठनों के साथ बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगे के विचार-विमर्श के लिए विभिन्न प्रमुख मुद्दों की पहचान की गई, जिनमें नशामुक्ति के लिए उपचार की पर्याप्त और उचित सुविधाओं की अनुपलब्धता, बड़ी संख्या में अनधिकृत 'नशामुक्ति' केंद्र, महिलाओं और बच्चों के लिए सरकारी उपचार केंद्रों की कमी, जेलों में इलाज की सुविधाओं की आवश्यकता और जागरूकता की कमी शामिल थे।

स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह की बैठक

7.21 22 दिसंबर 2021 को स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक दो भागों में आयोजित की गई। कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोग की कॉलोनी विषय पर सत्र 1 की अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा की गई तथा कोविड-19 और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर सत्र 2 की अध्यक्षता माननीय सदस्य न्यायमूर्ति महेश मित्तल कुमार द्वारा की गई। बैठक में कोर समूह के सदस्यों, विशेष मॉनिटर, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, एनएचआरसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज के संगठनों, शिक्षाविदों और विभिन्न प्रतिष्ठित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के चिकित्सकों ने भाग लिया।

चित्र 7.1: 22 दिसंबर 2021 को स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह की बैठक का सत्र 1

7.22 स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह की बैठक के सत्र 1 से जो महत्वपूर्ण सिफारिशें सामने आईं, वे हैं:

- कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के साथ भेदभाव का प्रावधान करने वाले 99 कानून को समयबद्ध तरीके से संशोधित या निरस्त करने की आवश्यकता है।
- कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अपमानजनक शब्दों के प्रतिस्थापित करने, कुष्ठ रोग और संबंधित जटिलताओं के इलाज के लिए कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने, उनके चिकित्सा और अन्य रिकॉर्डों को गोपनीय रखने, संपत्ति के पट्टे, स्वत्वाधिकार और स्वामित्व की सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन सेवाओं सहित सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने और उनका आनंद लेने का अधिकार, रोजगार का अधिकार, परिवार बनाने की स्वतंत्रता और शिक्षा तक पहुंच का अधिकार प्रदान करने के लिए कानून अधिनियमित करने की आवश्यकता है। ऐसा कानून दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए विकलांगता के हिस्से का आकलन करने के लिए अलग कसौटियों का भी प्रावधान कर सकता है।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जमीनी स्तर के पदाधिकारियों और नागरिक समाज के संगठनों को शामिल करके जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है ताकि जनता के बीच जागरूकता पैदा की जा सके कि कुष्ठ रोग पूरी तरह से ठीक हो जाने वाली बीमारी है और कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति एमडीटी की पहली खुराक प्राप्त करने के बाद संक्रामक नहीं रहता है और वे सामान्य वैवाहिक जीवन जी सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं और सामान्य व्यक्ति

की तरह काम पर या स्कूल/कॉलेज जा सकते हैं।

- कलंक, भेदभाव और मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों की पहचान करने के लिए कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों (जो अभी भी बीमारियों से पीड़ित हैं और साथ ही जो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं) के बीच विशेष तथ्यान्वेषी सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों का जिलावार अद्यतन डेटाबेस अनुरक्षित करने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे अद्यतन डेटाबेस को संबंधित राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों की वेबसाइटों पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऐसे सर्वेक्षणों में जमीनी स्तर के संगठनों, नागरिक समाज के संगठनों और स्कूली बच्चों को शामिल किया जा सकता है।

- राज्य कुष्ठ रोग के नए मामलों के साथ-साथ मौजूदा रोगियों में कुष्ठ रोग की प्रतिक्रिया के घातक संकेतों और लक्षणों के विकास/तंत्रिका प्रणाली की नई दुर्बलता पर त्वरित रिपोर्टिंग और चिकित्सा ध्यान सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन स्थापित कर सकता है।

- केंद्र और राज्य कुष्ठ रोग से प्रभावित सभी व्यक्तियों को मुफ्त में माइक्रो सेल्युलर रबर (एमसीआर) के जूते उपलब्ध कराने का प्रयास कर सकते हैं।

- कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों, विशेषकर बच्चों को परामर्श प्रदान करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें कलंक से उबरने और समाज के साथ एकीकृत होने में मदद मिल सके।

- कुष्ठ रोगियों की बस्तियों में स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, बिजली और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी बस्तियों के निवासियों को संपत्ति/पट्टे के अधिकार समयबद्ध तरीके से प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। इन बस्तियों के किसी भी निवासी को पुनर्वास और पर्याप्त मुआवजा दिए बिना हटाया या बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।

- कुष्ठ रोगियों की बस्तियों को समाज के साथ एकीकृत करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी सभी बस्तियों का नाम उचित रूप से बदलने की आवश्यकता है ताकि बीमारी के साथ उनकी पहचान/टैगिंग को रोका जा सके। सभी नए कुष्ठ रोगियों को कुष्ठ कॉलोनियों में स्थानांतरित किए बिना उनके अपने घरों में उनका इलाज करने की आवश्यकता है।

- कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार लाभ, अभिभावकीय छुट्टी, स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले विशेष कार्यक्रम शुरू करने की आवश्यकता है। रोजगार का सृजन करने वाली मनरेगा जैसी योजनाओं को लागू करते समय, कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोग से उत्पन्न विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को गृह आधारित गतिविधियां शुरू को करने का विकल्प दिया जा सकता है।

- राज्यों को यह सुनिश्चित करने पर यथोचित ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, जॉब कार्ड और अन्य पहचान प्रमाण प्रदान किए जाएं ताकि ऐसे व्यक्तियों को इंदिरा आवास योजना (एआवाई), मनरेगा, आदि सहित सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसे व्यक्तियों को आधार कार्ड जारी करते समय, आइरिस स्कैन को बढ़ावा दिया जा सकता है क्योंकि ऐसे कई व्यक्ति उंगली की दुर्बलता से पीड़ित होते हैं।

- दिव्यांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 8 के प्रावधान, जो दिव्यांग व्यक्तियों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं की स्थितियों में सुरक्षा प्रदान करते हैं, को कुष्ठ रोग से प्रभावित सभी व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों तक विस्तारित किए जाने की आवश्यकता है।

चित्र 7.2: 22 दिसंबर 2021 को स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह की बैठक का सत्र 2

7.23 स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर कोर समूह की बैठक के सत्र 2 से जो महत्वपूर्ण सिफारिशें सामने आईं, वे हैं:

- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल को पाटने के लिए टेली-मेडिसिन और टेली-थेरेपी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने की आवश्यकता है।
- खासकर तालुक, जिला और राज्य स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाए जाने की जरूरत है।
- मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए मनोचिकित्सक, मनोरोग नर्स, व्यक्तिगत सहायता कार्यकर्ता (पीएसडब्ल्यू), नैदानिक मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक आदि जैसे प्रशिक्षित जनशक्ति की संख्या में काफी वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- कमियों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) की सेवाओं की हर साल समीक्षा करने की आवश्यकता है।
- तीव्र देखभाल के लिए सेवाओं और टेली-केयर की सुविधाओं, हेल्पलाइनों, पुनर्वास केंद्रों और मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों की राज्य-वार निर्देशिका को अनुरक्षित करने और समय-समय पर अद्यतन करने की आवश्यकता है।

- जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जमीनी स्तर के पदाधिकारियों और नागरिक समाज के संगठनों को शामिल करके जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने की जरूरत है।
- सामुदायिक कार्यकर्ताओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।

7.24 वर्ष 2021-22 में दृष्टांत दर्शक मामले

1. ओडिशा के कटक जिले में गुरुदीझाटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में एक ऑटो रिक्शा में जन्मी नवजात लड़की की मौत

(प्रकरण संख्या 3079/18/3/2019)

i. आयोग को 02/09/2019 को श्री हिमांशू शेखर नायक, क्योंझर, ओडिशा से एक शिकायत मिली। यह मामला कटक के गुरुदीझाटिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) के परिसर में एक ऑटो रिक्शा में जन्मी नवजात लड़की की मौत से संबंधित है, जहां घटना के दिन कोई डॉक्टर या अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं थे और कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

ii. आयोग ने 01/10/2019 को मामले का संज्ञान लिया। आयोग के निर्देशों पर, ओडिशा सरकार के चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 12/03/2020 से पता चला कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, एक 27 वर्षीय गर्भवती महिला सुबह लगभग 9.20 बजे गुरुदीझाटिया पीएचसी में आई, लेकिन चूंकि उक्त अस्पताल खुला नहीं था, इसलिए मरीज ने उस ऑटो रिक्शा में एक लड़की को जन्म दिया, जिससे उसे अस्पताल लाया गया था और उपस्थित चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मामले में एक संयुक्त जांच की गई तथा उपस्थिति और ओपीडी रजिस्टर के सत्यापन पर, यह पता चला कि प्रत्येक रविवार को ओपीडी की व्यवस्था करने के लिए गुरुदीझाटिया के चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक आधिकारिक आदेश था। तथापि, चिकित्सा अधिकारी साप्ताहिक अवकाश पर थे और फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और वार्ड अटेंडेंट सहित कर्मचारी, जिन्हें रविवार के ओपीडी में उपस्थित होना था, उपस्थित नहीं हुए। रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ कि दोषी कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की गई है और उन्हें स्थानापन्न कर्मचारियों के साथ अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित/प्रतिस्थापित किया गया है।

iii. आयोग ने 21/07/2020 को यह देखते हुए कि राज्य सरकार ने मामले में अपने कर्मचारियों की ओर से लापरवाही स्वीकार की है, राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि पीड़िता को 2,00,000/- रुपये के मौद्रिक मुआवजे की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए।

iv. आयोग ने 24/06/2021 को राज्य के उस तर्क को खारिज कर दिया कि उक्त अस्पताल एकल डॉक्टर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और फिर से कहा कि राज्य ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्स और वार्ड अटेंडेंट सहित कर्मचारियों को रविवार के ओपीडी में उपस्थित होना था, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। इस प्रकार, सरकारी कर्मचारियों की ओर से लापरवाही साबित हो रही है। आयोग ने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और राज्य को पीड़ित महिला को 2,00,000/- रुपये का भुगतान करने की सिफारिश की।

v. यह अनुरोध प्राप्त होने पर कि 24/11/2021 को पीड़ित महिला को 2,00,000/- रुपये की आर्थिक राहत का भुगतान कर दिया गया है, आयोग ने 20/01/2022 को मामला बंद कर दिया।

2. ओडिशा के मल्कानगिरी में प्रसव के समय एम्बुलेंस उपलब्ध न होने के कारण एक नवजात लड़के की मौत

(प्रकरण संख्या 4305/18/29/2018)

i. आयोग को 21.09.2018 को एक अखबार की कतरन के साथ एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि ओडिशा के मल्कानगिरी में एम्बुलेंस की कमी के कारण प्रसव के दौरान सुकरी दलपति नामक 23 वर्षीय महिला और उसके नवजात बेटे की मौत हो गई। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि अगर एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो दो कीमती जिंदगियां बचाई जा सकती थीं।

ii. आयोग के दिनांक 22.10.2018 के निर्देशों के अनुसार, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट से एक रिपोर्ट दिनांकित 16.03.2020 प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया कि एडीपीएचओ (टीबी) और जिला समाज कल्याण अधिकारी की मदद से मल्कानगिरी के सीडीएम; पीएचओ द्वारा गहन जांच की गई। जांच से पता चला कि 23 वर्षीय मृतक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से लाया गया था और प्रसव के लिए मथली सीएचसी में भर्ती कराया गया था। पीड़िता को आखिरी समय में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और किसी भी समय बच्चे का जन्म होने की संभावना थी। चूँकि महिला का प्रसव होने वाला था, इसलिए इस तरह की स्थिति के बारे में कम अनुभव होने के बावजूद एक स्त्रीरोग विशेषज्ञ ने मानवीय आधार पर डिलीवरी कराने का जिम्मा उठाया।

iii. रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि पीड़िता ने मृत बच्चे को जन्म दिया था और प्रसव के बाद एक डॉक्टर ने उसके स्वास्थ्य की जांच की थी, जिसने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उसे तुरंत डीएचएच, मल्कानगिरी रेफर कर दिया। दुर्भाग्य से उसी दिन महिला की जान चली गयी। अगर गर्भावस्था के दौरान मेडिकल और आईसीडीएस के फील्ड स्टाफ द्वारा समय पर पर्याप्त सावधानी बरती जाती तो पीड़िता की जान बच सकती थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि ऐसी गलतियों के लिए तीन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और उनका वेतन तीन से चार महीने के लिए रोक दिया गया था।

iv. आयोग ने 25.08.2020 को मामले की जांच की और उसकी यह राय थी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों, जिन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना था, के उदासीन रवैये के कारण पीड़िता को पीड़ा हुई और उसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में, जांच रिपोर्ट में अपने कर्तव्यों का पालन करने में उनकी गलतियों का भी सुझाव दिया गया था और उनकी आलोचना भी की गई थी। जांच में पाया गया कि कुछ कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही बरत रहे हैं। चूंकि राज्य सरकार के तंत्र द्वारा दिखाई गई उदासीनता के कारण पीड़िता को अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से ओडिशा राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को 2,00,000/- रुपये का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए।

v. उत्तर में, राज्य प्राधिकारी ने सूचित किया कि पीड़िता को पर्याप्त उपचार दिया गया था और मृत्यु का कारण एचबी 3.8 के साथ गंभीर एनीमिया और उच्च रक्तचाप था और आयोग से मृतक पीड़िता के निकटतम संबंधी को 2,00,000/- रुपये के भुगतान की सिफारिश न करने का अनुरोध किया।

vi. आयोग की यह राय थी कि यदि गर्भावस्था के दौरान मेडिकल और आईसीडीएस के फील्ड स्टाफ द्वारा समय पर पर्याप्त सावधानी बरती जाती तो पीड़िता को बचाया जा सकता था, जो पीड़िता के अधिकारों और चिकित्सा देखभाल के उसके अधिकार का गंभीर उल्लंघन था। इसलिए, आयोग ने 12.04.2021 को मौद्रिक राहत की अपनी सिफारिश की पुष्टि की।

vii. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ओडिशा सरकार ने दिनांक 26.10.2021 के संचार के माध्यम से बताया कि मृतिका सुकरी दलपति के पति को 18.09.2021 को 2,00,000/- रुपये के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है। आयोग ने 27.12.2021 को मामला बंद कर दिया।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज अस्पताल, आगरा (यूपी) में रेबीज टीकाकरण और उपयुक्त उपचार से इनकार करने के कारण 9 वर्षीय बच्चे की मृत्यु

(प्रकरण संख्या 26617/24/1/2019)

i. आयोग को 02.09.2019 को एक 9 वर्षीय बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, जिसे 07.07.2019 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज अस्पताल, आगरा में रेबीज टीकाकरण और इलाज से वंचित कर दिया गया था।

ii. आयोग ने 03.10.2019 को मामले का संज्ञान लिया और रिपोर्ट मांगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांकित 2.07.2020 से ज्ञात हुआ कि इस प्रकरण के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी एवं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा संयुक्त जांच करायी जा रही है और दो अधिकारियों - एक ड्यूटी डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट को निलंबित कर दिया गया है।

iii. 25.03.2021 को, रिपोर्टों की सावधानीपूर्वक जांच और समीक्षा के बाद, आयोग ने पाया कि जांच के बावजूद, जो अभी भी चल रही है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट ने प्रथम दृष्टया संकेत दिया कि यह लोक सेवकों की ओर से भूल-चूक, जिसे टाला जा सकता था, के कारण पीड़ित के मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला है। एक नौ वर्षीय बच्चे की मृत्यु, जिसे राज्य स्वास्थ्य केंद्र में पर्याप्त इलाज से वंचित किया गया था, मुआवजा देने के लिए उपयुक्त मामला था। इसलिए, आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से संबंधित राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि मृतक के निकटतम संबंधी को मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

iv. उत्तर में, अवर सचिव, चिकित्सा विभाग-3, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 31.03.2021 के अपने पत्र के माध्यम से बताया कि मामले की जांच की गई है और डॉ. देव कुमार, चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी, बाह, आगरा और फार्मासिस्ट रघुराज सिंह को प्रथम दृष्टया कसूरवार पाया गया है और दोनों को निलंबित कर दिया गया है। मामले में बड़ी शास्ति के लिए विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इन परिस्थितियों में, आयोग ने 19.6.2021 को अपने कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की और 19.06.2021 को राज्य को मृतक पीड़ित के परिजनों को मौद्रिक राहत देने की सिफारिश की।

v. रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि मृत पीड़ित के निकटतम रिश्तेदार को 1,00,000/- रुपये की आर्थिक राहत का भुगतान कर दिया गया है, और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, आयोग द्वारा 19.06.2021 को मामला बंद कर दिया गया।

4. कर्नाटक के चित्रदुर्ग के जिला अस्पताल में एक लापरवाह ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा पीड़ित के गलत पैर का ऑपरेशन

(प्रकरण संख्या 244/10/7/2018)

i. आयोग को 20.03.2018 को एक शिकायत मिली कि जिला अस्पताल चित्रदुर्ग, कर्नाटक के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ने 12.03.2018 को श्री सिदेश के दाहिने पैर, जो फ्रैक्चर हो गया था, के बजाय बाएं पैर का ऑपरेशन कर दिया और डॉक्टर अपने राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करके अपनी लापरवाही छुपाने का प्रयास कर रहा था।

ii. आयोग ने 23.04.2018 को मामले का संज्ञान लिया और 18.07.2018 को जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई है। यह भी कहा गया कि जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच के बाद, मुख्य सतर्कता अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय ने राय दी कि उक्त डॉक्टर और दो अन्य नर्सों को लापरवाही का दोषी पाया गया है। उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया और उनके मामले को सरकारी स्तर पर संयुक्त विभागीय जांच के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक को अनुशंसित किया गया।

iii. आयोग ने 11.02.2021 को कहा और निर्देश दिया कि केवल विभागीय जांच पर्याप्त नहीं है और राज्य को शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के अपने परोक्ष दायित्व स्वीकार करना चाहिए। परिणामस्वरूप, कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को यह बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि चिकित्सीय लापरवाही के शिकार व्यक्ति को 1,00,000/- रुपये के मुआवजे की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए।

iv. चूंकि कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए आयोग ने माना कि राज्य प्राधिकारी के पास इस मामले में निवेदन करने के लिए कुछ भी नहीं है और मौद्रिक राहत के लिए अनुशंसित भुगतान की पुष्टि की गई। मुख्य सचिव को अनुशंसा का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया और मामला 04.06.2021 को बंद कर दिया गया।

5. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के स्टाफ की लापरवाही के कारण इलाज के दौरान पीड़िता की मौत

(केस संख्या 4075/24/48/2016)

i. आयोग को 09.01.2016 को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अस्पताल के कर्मचारियों की घोर लापरवाही के कारण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ में इलाज के दौरान शिकायतकर्ता की बहन की 22.10.2015 को मृत्यु हो गई।

ii. आयोग ने 24.02.2016 को मामले का संज्ञान लिया और फिर अनुवर्ती कार्रवाई के बाद महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा से एक रिपोर्ट दिनांकित 10.1.2019 प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि आपातकालीन वार्ड में आने वाले मरीजों का इलाज बीएएमएस डॉक्टर, जो बीमारी की गंभीरता का आकलन करने में सक्षम नहीं थे, द्वारा किया जा रहा था और वर्तमान मामले में भी मरीज के साथ ऐसा ही हुआ। यह भी पता चला कि घटना के दिन स्टाफ नर्सें ड्यूटी पर थीं, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था करने में देरी हुई, जो अस्पताल के कर्मचारियों की लापरवाही को दर्शाता है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ के निदेशक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए संबंधित डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनकी सेवा पुस्तिकाओं में निंदा की सजा दर्ज की गई है और उनके वेतन से एक वेतन वृद्धि कम कर दी गई है।

iii. आयोग ने 18.03.2019 को पाया कि संबंधित लोक सेवकों की ओर से घोर लापरवाही हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़िता के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। पीड़िता की मृत्यु के लिए राज्य सरकार को परोक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया और राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि मृतिका के निकटतम संबंधी को 5,00,000/- रुपये के मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

iv. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल, लखनऊ के निदेशक ने एक रिपोर्ट दिनांकित 13.08.2019 प्रस्तुत की जिसमें दोहराया गया कि कर्तव्य में लापरवाही बरतने के लिए संबंधित डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उनकी सेवा पुस्तिकाओं में निंदा दर्ज की गई है और उनके वेतन से एक वेतन वृद्धि कम कर दी गई है।

v. जब कारण बताओ नोटिस का कोई उत्तर नहीं मिला और ऐसा प्रतीत हुआ कि संबंधित प्राधिकारी के पास आयोग की राय के खिलाफ निवेदन करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आयोग द्वारा 30.09.2020 को मौद्रिक राहत की सिफारिश की पुष्टि की गई।

vi. इसके बाद, उप सचिव, चिकित्सा विभाग-VIII ने दिनांक 15.07.2021 के संचार के माध्यम से आयोग को सूचित किया कि कुमारी दीक्षा सिंह और कुमारी प्रियांसी सिंह के बैंक खातों में 2,50,000-2,50,000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है। तदनुसार 17.8.2021 को मामला बंद कर दिया गया।

ग. भोजन और पोषण का अधिकार

7.25 भारत भूख और कुपोषण की समस्या से लगातार जूझ रहा है। पिछला वर्ष विशेषकर समाज के हाशिए पर मौजूद और कमजोर वर्गों के लिए लगभग हर क्षेत्र में अनेक चुनौतियाँ लेकर आया। कोविड-19 महामारी ने 2021 में स्थिति को और भी बदतर बना दिया। अनुमान लगाया गया कि 702 से 828 मिलियन व्यक्ति भूख से प्रभावित थे। कोविड-19 महामारी फैलने के बाद इस संख्या में लगभग 150 मिलियन की वृद्धि हुई है।

7.26 राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 (एनएफएचएस-5) भारत की जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण और प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। भारत के लिए एनएफएचएस-5 का फील्ड वर्क 17 फील्ड एजेंसियों द्वारा दो चरणों में संचालित किया गया था और इसमें 636,699 परिवारों, 724,115 महिलाओं और 101,839 पुरुषों से जानकारी एकत्र की गई थी। रिपोर्ट में निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं - बच्चों में एनीमिया- शहरी क्षेत्रों में 64.2 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 68.3 प्रतिशत। 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 13 में बौनेपन में वृद्धि देखी गई, जिसमें महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल जैसे अधिक आबादी वाले कुछ राज्य भी शामिल हैं। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकास अवरुद्धता या तो बढ़ी है या स्थिर बनी हुई है। 15-49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में एनीमिया की व्यापकता भी इसी तरह की प्रवृत्ति दर्शाती है, जिसमें 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई है।

7.27 भारत आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध का एक पक्षकार है। भारत सरकार ने भी 2030 तक दुनिया को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का समर्थन किया है। इससे भारत के प्रत्येक नागरिक के भोजन के अधिकार का सम्मान करने, रक्षा करने और उसे पूरा करने का दायित्व और भी बढ़ जाता है। भारत सरकार एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना, पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी), मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) जैसे खाद्य, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू कर रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय पोषण रणनीति और राष्ट्रीय पोषण मिशन – इन सभी का उद्देश्य अभिसारी दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है जो खाद्य और पोषण असुरक्षा की बहुआयामी प्रकृति को प्रतिबिंबित करता है और लिंग, आयु, विकलांगता, आय, जाति और क्षेत्र से संबंधित असमानताओं को दूर करता है। ऐसे अनुकूल नीतिगत माहौल में, कुपोषण और खाद्य असुरक्षा को दूर करने के सरकार के प्रयासों में सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 2 के तहत उनके लक्ष्यों की दिशा में प्रगति में तेजी लाने की क्षमता है।

7.28 सरकार ने पिछले दो दशकों में कुपोषण से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन की शुरुआत, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को राशन प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी प्रणाली और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए रियायती दर पर अनाज प्रदान करना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का लक्ष्य भोजन तक पहुंच को कानूनी अधिकार बनाकर इसकी संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिए भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

7.29 दुनिया कोविड-19 महामारी से प्रभावित है और खाद्य सुरक्षा क्षेत्र और पोषण भी इससे अछूता नहीं है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि महामारी के दौरान उच्च खुदरा कीमतों के साथ-साथ कम आय के कारण अधिकाधिक परिवारों ने अपने भोजन की गुणवत्ता और खपत की मात्रा में कटौती की है। गैर-लाभकारी संगठनों की भूमिका भी काफी बढ़ गई है क्योंकि सरकारी प्राधिकारी अकेले इस चुनौती पर विजय नहीं पा सकते हैं। लेकिन, महामारी और लॉकडाउन के बीच भी, शारीरिक दूरी के मानदंडों और पात्र लाभार्थियों को राशन, भोजन और टीकाकरण सुनिश्चित करने के बीच विवाद पैदा हो गया था। प्राधिकारियों ने सामाजिक दूरी के मानदंडों को बनाए रखते हुए इन सेवाओं को प्रदान करने का एक व्यावहारिक तरीका सुनिश्चित किया। तथापि, इस महामारी के दौरान आईसीडीएस और मध्याह्न भोजन योजना द्वारा उत्पन्न कल्याण में काफी गिरावट आई, और स्कूलों में आंगनवाड़ी और मध्याह्न भोजन चलाना चुनौतीपूर्ण था। विभिन्न राज्य सरकारों ने राहत प्रदान करने विभिन्न उपाय किए, जैसे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न राशन अप्रैल से नवंबर 2020 तक कमोबेश दोगुना कर दिया गया; महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार सृजन में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई; और कुछ नकद अंतरण भी किए गए, उदाहरण के लिए, वृद्धावस्था पेंशनभोगियों और महिलाओं के जन धन योजना (जेडीवाई) खातों में नकद अंतरण। कुछ राज्य सरकारों ने इस राष्ट्रीय पैकेज को अपने स्वयं के राहत उपायों के साथ संपूरित किया। लॉकडाउन की शुरुआत के साथ, आत्मनिर्भर भारत (एएनबी) पैकेज की घोषणा की गई। एएनबी पैकेज में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत एनएफएसए कार्डधारकों को अप्रैल से नवंबर 2020 तक प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो (गेहूँ या चावल) और एक किलो दाल/चना का अतिरिक्त पीडीएस राशन प्रदान किया गया। यह मानते हुए कि अर्थव्यवस्था में सुधार के बीच गरीब परिवारों को अभी भी खाद्य सुरक्षा सहायता की आवश्यकता है, केंद्र ने अपनी मुफ्त राशन योजना अर्थात् पीएमजीकेएवाई को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया। इस योजना को आठ करोड़ प्रवासी मजदूरों तक भी विस्तारित किया गया जो एनएफएसए या राज्य पीडीएस योजना कार्ड के अंतर्गत नहीं आते थे। हाल ही में, केंद्रीय बजट 2021-22 की घोषणा करते समय, सरकार ने पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणाम को मजबूत करने हेतु मिशन पोषण 2.0 लॉन्च करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय कर दिया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने कहा, "हम 112 आकांक्षी जिलों में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए एक गहन रणनीति अपनाएंगे।"

7.30 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) भारत के नागरिकों के पौष्टिक भोजन के अधिकार की रक्षा के लिए अपने अभियान के लिए प्रतिबद्ध है। भोजन और पोषण के अधिकार पर इसका मुख्य सलाहकार समूह सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण करने के बाद इस क्षेत्र के मुद्दों, चुनौतियों और समाधानों पर विचार करता है। इसके अलावा, आयोग खाद्य सुरक्षा और भूख उन्मूलन से संबंधित कानून पर गहरी नजर रखता है। एनएचआरसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और प्रमुख योजनाओं, अर्थात पीडीएस, आईसीडीएस और एमडीएमएस के उचित कार्यान्वयन पर जोर देता रहा है। यह अपने विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों के माध्यम से जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी जुटाता है, जो क्षेत्र का दौरा करते हैं और राज्यों में इन योजनाओं के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा कानून के कार्यान्वयन की स्थिति पर फीडबैक प्रदान करते हैं।

भोजन के अधिकार, पोषण और संबंधित नीतियों की स्थिति पर चर्चा के लिए एनएचआरसी की बैठक

7.31 भोजन, पोषण के अधिकार और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने वाली नीतियों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, एनएचआरसी भारत द्वारा 10.08.2021 को बैठक आयोजित की गई। कई प्रमुख टिप्पणियों और सुझावों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक एनएचआरसी के माननीय सदस्य श्री राजीव जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव शामिल हुए। एनएचआरसी के सदस्यों, अपर सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों और कोर समूह के सदस्यों के अलावा, प्रतिभागियों में केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और इस क्षेत्र के विभिन्न हितधारक शामिल थे। बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आये। सुझावों में से कुछ ये थे:

- मनरेगा की तर्ज पर शहरी गरीबों और प्रवासियों के लिए एक नीति पेश करने की आवश्यकता है।
- मौजूदा आठवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का विस्तार करना;
- सेवाओं के डिजिटलीकरण के साथ, दूर-दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी एक मुद्दा है। इसलिए, लाभार्थियों को ठीक ढंग से वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

चित्र 7.1: 10 अक्टूबर 2021 को भोजन, पोषण और संबंधित नीतियों की स्थिति पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए एनएचआरसी सदस्य श्री राजीव जैन

ख) शिक्षा का अधिकार

7.32 शिक्षा के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार के रूप में माना गया है और यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 26 और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा के अनुच्छेद 14 में प्रतिष्ठापित है। शिक्षा का अधिकार शिक्षा 2030 एजेंडा को रेखांकित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों में से एक है, जो सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 4 पर आधारित है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना" है।

7.33 भारत में, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया है, जो 01 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यह अधिनियम शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बनाता है और प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदंड निर्दिष्ट करता है। यह सभी निजी स्कूलों से वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की अपेक्षा करता है। यह सभी गैर-मान्यता

प्राप्त स्कूलों के संचालन पर भी रोक लगाता है और इसमें दान या कैपिटेशन शुल्क लेने और प्रवेश के लिए बच्चे या माता-पिता का साक्षात्कार लेने का कोई प्रावधान नहीं है।

7.34 साक्षरता दर और स्कूली शिक्षा तक पहुंच में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, राज्यों द्वारा आरटीई के कार्यान्वयन में, विशेष रूप से बुनियादी अवसंरचना जैसे कि स्कूलों के लिए उचित शिक्षण-कक्ष, शौचालय और चारदीवारी, पीने के पानी की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना और छात्र-शिक्षक अनुपात की दृष्टि से अभी भी बड़ी खामियां हैं। आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों और संघर्षरत क्षेत्रों के कई बच्चों के लिए आरटीई छलावा मात्र है। इसके अलावा, सभी राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण आयोग नहीं हैं जो आरटीई के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों के निवेश के अलावा, इस अधिकार को सार्थक और पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर बहुत काम करने की आवश्यकता है।

7.35 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में बच्चों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों में दिलचस्पी लेता है। पीएचआरए, 1993 की धारा 12(छ) के तहत आयोग को मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करने और बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है। इस संबंध में, आयोग ने राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब के सहयोग से "भारत में स्कूलों में मानव अधिकार शिक्षा: राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन" पर एक अध्ययन सौंपा था। आयोग ने 27 दिसंबर 2018 को शोध अध्ययन पूरा किया और अनुमोदित किया और फिर इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया। रिपोर्ट की सिफारिशों में से एक सिफारिश यह थी कि केंद्र सरकार/राज्य सरकारें भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम में मानव अधिकारों पर सामग्री शामिल करें।

7.36 इस संबंध में आयोग ने सभी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र जारी करके उनसे प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर मानव अधिकारों पर सामग्री शामिल करने का अनुरोध किया है। कुछ राज्यों ने अपनी रुचि दिखाई है और पाठ्यक्रम के अगले संशोधन से इस मामले पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की है और आयोग के परिशीलन के लिए मानव अधिकार के मुद्दों पर सामग्री भी भेजी है, जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

7.37 दृष्टान्त मामले

1. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इडुक्की, केरल के शिक्षकों को वेतन का भुगतान न करना (प्रकरण संख्या 512/11/3/2016)

i. आयोग में 07/10/2016 को केरल गैर-अनुमोदित उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ (केएनएचएसटीए), इडुक्की, केरल के एक पदाधिकारी की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में राज्य भर में नव स्थापित गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को वर्ष 2014 से वेतन का भुगतान न होने का आरोप लगाया गया है।

ii. आयोग ने 07/11/2016 को मामले का संज्ञान लिया और राज्य प्राधिकारी से मामले में कृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

iii. यह मामला तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोग द्वारा 31/10/2019 की कैंप बैठक के दौरान उठाया गया।शिकायतकर्ता ने वर्ष 2014 में कुछ पदों के नियमितीकरण/सृजन के संबंध में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2014-15 से 15-18 शिक्षक अभी भी दैनिक वेतन पर चल रहे हैं और उनका आमेलन नहीं हुआ है। राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग के सचिव, जो कैंप बैठक में उपस्थित थे, ने शिक्षकों के आमेलन के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/पद सृजन/मानदंड के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यह भी बताया गया कि वर्ष 2014 में कुल 3579 शिक्षकों की नियुक्ति दैनिक वेतन पर

की गयी थी। वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण एवं शिक्षणेतर पदों सहित कुल 1796 पद सृजित किए गए। इसी प्रकार, वर्ष 2019 में विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के कुल 788 पद सृजित किए गए। इन शिक्षकों को वेतन एवं अद्यतन दैनिक वेतन का भुगतान कर दिया गया है। कुछ शिक्षकों को उनकी अपात्रता के कारण आमेलित नहीं किया गया परंतु उन्हें दैनिक वेतन का भुगतान किया गया। यह भी बताया गया कि सरकारी आदेश के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष में 50 छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पद सृजित किए जाने होते हैं। उन्होंने आयोग के समक्ष एक रिपोर्ट भी दाखिल की।

iv. आयोग ने दोनों पक्षों को सुना और नोटिस किया कि शिक्षा का अधिकार छात्रों का मौलिक अधिकार है। केरल सरकार के सामान्य शिक्षा विभाग के सचिव को राज्य में छात्रों की संख्या के आधार पर पदों के सृजन की वर्तमान स्थिति और शिक्षकों की नियुक्ति की स्थिति का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

v. आयोग को अपेक्षित रिपोर्ट नहीं मिली. इसलिए, राज्य के मुख्य सचिव को मामले को देखने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन और शिक्षकों को उचित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

vi. इन निर्देशों के साथ आयोग द्वारा 14/06/2021 को मामला बंद कर दिया गया।

2. भारत में बच्चों के शिक्षा के अधिकार पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव (प्रकरण संख्या 1370/90/0/2020)

i. वर्तमान मामला दिनांक 22.09.2020 की शिकायत से संबंधित है जिसमें शिकायतकर्ता ने कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन मोड पर छात्रों की शिक्षा से संबंधित मुद्दा उठाया है और आरोप लगाया है कि सरकार द्वारा संसाधनों में अंतर को दूर करने के लिए कोई महत्वपूर्ण उपाय नहीं किया गया था क्योंकि संसाधनों की कमी के कारण दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जहां इंटरनेट की सुविधाएं पहुंच से बाहर हैं।

ii. आयोग ने भारत सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा की गई पहलों के बारे में प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार किया और अनुसंधान प्रभाग को रिपोर्ट का विश्लेषण करने और बच्चों के शिक्षा के लिए अधिकार की रक्षा के लिए कोई एडवाइजरी/दिशानिर्देश तैयार करने के लिए वेबिनार आयोजित करने का भी निर्देश का निर्देश दिया। अनुसंधान प्रभाग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और यह भी कहा कि उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर जुबैर मेनई को "दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के शिक्षा के अधिकारों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव" शीर्षक से एक शोध अध्ययन सौंपा है।

iii. अनुसंधान प्रभाग ने डिजिटल शिक्षा पर वेबिनार आयोजित किया और विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसका सारांश इस प्रकार है:

iv. "वेबिनार दो सत्रों में आयोजित किया गया, अर्थात् डिजिटल अंतराल पर तकनीकी सत्र और बच्चों के संपूर्ण विकास पर प्रभाव पर तकनीकी सत्र।

v. डिजिटल अंतराल पर तकनीकी सत्र के दौरान, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नत तरीकों से छात्रों की बेहतर शिक्षा के लिए विभिन्न सिफारिशें की गईं जैसे कि शिक्षा के मिश्रित रूप को अपनाना, कक्षा शिक्षण की पद्धति में परिवर्तन, सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (एसईएल) पर ध्यान केंद्रित करना, अंतर-मंत्रालयी अभिसरण, सीएसआर के रूप में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी, आईवीआर कॉल/एसएमएस पर आधारित गतिविधि और शिक्षाशास्त्र पर शोध।

vi. बच्चों के संपूर्ण विकास पर प्रभाव संबंधी तकनीकी सत्र के दौरान, विभिन्न सिफारिशें की गईं जैसे कि साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना, हाशिए पर रहने वाले वर्गों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी, विकलांग बच्चों का पुनर्वास, विकलांग बच्चों के लिए विशेष अध्ययन-अध्यापन सामग्री (टीएलएम), परामर्श, शिक्षकों का क्षमता निर्माण, पाठ्यक्रम की समीक्षा, वैज्ञानिक परीक्षण मॉडल का विकास और वित्तीय संसाधनों का उपयुक्त आवंटन। विभिन्न भाषाओं में डिजिटल सामग्री का अनुकूलन करने, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने, "प्रज्ञाता" के दिशानिर्देशों का पालन करने की भी जानकारी दी गई।

vii. सिफारिशों के कार्यान्वयन और आयोग को कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एनसीईआरटी और नीति आयोग को सिफारिशों के साथ कार्यवृत्त जारी किए गए।

viii. उत्तर में, शिक्षा मंत्रालय ने अपनी कृत कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समग्र शिक्षा की विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाएं, दीक्षा पोर्टल, स्वयं पोर्टल, ई-पाठशाला के रूप में विभिन्न डिजिटल उपकरण शुरू किए गए हैं; साइबर सुरक्षा संबंधी एक छात्रोनुकूल हैंडबुक का लांच किया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तैयार की गई है, दृष्टि और श्रवण बाधितों के लिए विकसित विशेष ई-सामग्री को डिजिटल रूप से सुलभ सूचना प्रणाली (डीएआईएसवाई) पर और एनआईओएस की वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में अपलोड किया गया है, निष्ठा नामक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, आदि।

ix. यह मामला पूर्ण आयोग के विचाराधीन है।

3. उत्तर प्रदेश के नोएडा के कृष्णा नगर में एनआईओएस केंद्र के अधिकारियों द्वारा छात्र का उत्पीड़न

(प्रकरण संख्या 39770/24/30/2021)

i. आयोग को दिनांक 27/12/2021 को पीयूष दुबे, निवासी घोंडा, दिल्ली से एक शिकायत मिली, जिसमें बताया गया था कि उन्होंने वर्ष 2021 में दसवीं कक्षा की एनआईओएस परीक्षा उत्तीर्ण की है और दर-दर भटकने के बावजूद उन्हें उनकी मार्कशीट जारी नहीं की गई। उन्होंने कृष्णा नगर स्थित संबंधित एनआईओएस केंद्र के अधिकारियों और नोएडा स्थित एनआईओएस के प्रधान कार्यालय के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया।

ii. आयोग ने दिनांक 28/12/2021 को मामले का संज्ञान लिया और अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, गौतमबुद्धनगर, संस्थानिक क्षेत्र, सेक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201010 से मामले की स्वतंत्र जांच करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

iii. उत्तर में, उप निदेशक (मूल्यांकन), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 12.01.2022 के संचार के माध्यम से सूचित किया गया कि आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, शिकायतकर्ता को दिनांक 31.12.2021 को उक्त मार्कशीट, माइग्रेशन और अनंतिम प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है।

iv. आयोग ने दिनांक 10/02/2022 को मामले पर विचार किया और दिनांक 12/01/2022 का उक्त संचार शिकायतकर्ता को उसकी टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया।

v. उसके अनुसरण में शिकायतकर्ता से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई और इसलिए आयोग द्वारा यह माना गया कि शिकायतकर्ता के पास इस मामले में निवेदन करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है और यह

देखते हुए कि रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 31.12.2021 को मार्कशीट, माइग्रेशन और अनंतिम प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है, आयोग ने 18/07/2022 को मामला बंद कर दिया।

ग) बंधुआ, बाल और अन्य प्रकार के मजदूरों के अधिकार

7.38 सुप्रीम कोर्ट ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य के प्रकरण में रिट याचिका (सिविल) संख्या 3922/1985 और 1997 (7) स्केल (एसपी) 17 में रिपोर्ट में दिनांक 11.11.97 के अपने आदेश के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अपने निर्देशों के साथ-साथ बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम (बीएलएसएए), 1976 के प्रावधानों के कार्यान्वियन की निगरानी करने और उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी।

7.39 आयोग ने देश के विभिन्न हिस्सों में हाथ से मैला ढोने और खतरनाक सफाई से संबंधित मामलों पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। आयोग का लक्ष्य संबंधित राज्य प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाकर और भारत के नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाकर हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना है। अब तक, इन गतिविधियों ने बंधुआ श्रम से संबंधित मामलों में संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आयोग इस विषय पर अपने प्रयास जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

7.40 आयोग, अपने सदस्यों और विशेष प्रतिवेदकों के माध्यम से, बीएलएसएए-1976 और केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), 2016 के कार्यान्वयन की गति और प्रगति के संबंध में प्रमुख बंधुआ श्रम प्रवण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करता है और उनका मूल्यांकन करता है। उनके प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कुछ राज्यों में ऐसी समीक्षाएँ दोहराई गई हैं। समीक्षा से पहले और समीक्षा के दौरान राज्य सरकारों को विश्वास में लिया गया है, और समीक्षा इस रूप में पूरी तरह से भागीदारीपूर्ण रही है कि समीक्षा से पर्याप्त रूप से पहले परिचालित विस्तृत प्रश्नावली के माध्यम से पूछे गए विशिष्ट प्रश्नों के एक सेट के माध्यम से राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया प्राप्त की गई है।

बंधुआ श्रम संबंधी मुख्य सलाहकार समूह की बैठक

7.41 आयोग ने 21 अक्टूबर 2021 को बंधुआ श्रम संबंधी मुख्य सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता एनएचआरसी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने की।

7.42 बंधुआ श्रम प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की गई:

i. बंधुआ श्रम से संबंधित प्रासंगिक योजनाओं और संबंधित कानूनों और प्रावधानों के उचित कार्यान्वियन का अभाव

ii. छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों को समय पर रिहाई प्रमाण पत्र जारी न किया जाना

iii. अदालती मामलों की अपर्याप्त निगरानी

iv. पुनर्वास को दोषसिद्धि से जोड़ना उचित नहीं है

v. जागरूकता की कमी

vi. जिला, राज्य और केंद्रीय पदाधिकारियों के बीच समन्वय का अभाव।

vii. जिला/उपमंडल स्तर पर सतर्कता समितियों के प्रभावी कामकाज का अभाव।

7.43 एजेंडा की उपर्युक्त मदों पर विस्तृत चर्चा के बाद, निम्नलिखित सिफारिशें सामने आईं:

i. यह सुझाव दिया गया कि बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों को हल करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) तैयार की जाए।

ii. संबंधित प्राधिकारियों को बंधुआ श्रम की घटनाओं की सूचना देने के लिए व्यक्तियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए नागरिक समाज के संगठनों को प्रोत्साहित किया जाए।

iii. संबंधित कार्यान्वयन प्राधिकारियों और अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए नियमित आधार पर कार्यशालाएं आयोजित करना।

iv. बंधुआ श्रम से संबंधित मुद्दों पर शोध करना और व्यापक अद्यतन संग्रह के लिए बंधुआ श्रम पर हैंडबुक को संशोधित करना।

v. बंधुआ श्रम से संबंधित योजना के तहत पुनर्वास के उपायों और अन्य लाभों की नियमित निगरानी

vi. सभी जिलों को आवश्यकतानुसार पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

vii. बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में मजदूरों को बंधुआ बनाकर रखने वाले क्षेत्रों की समीक्षा करना।

viii. जहां भी पीड़ित एससी/एसटी समुदायों से हैं, वहां एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के अपेक्षित प्रावधानों को लागू करना और अत्याचार अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत राहत के लिए अगला कदम उठाना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और जिला प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाना।

ix. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सतर्कता समितियों को क्रियाशील बनाया जाए और निगरानी के लिए उनके गठन को राष्ट्रीय पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। प्रत्येक जिले में स्थिति की समीक्षा और समितियों की जवाबदेही तय करने के लिए सतर्कता समिति के कामकाज से संबंधित डेटा और अन्य प्रासंगिक जानकारी अपलोड की जाए।

x. कॉर्पस फंड के निर्माण और उसकी भरपाई के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

xi. बंधुआ मजदूरों की पहचान के लिए आवश्यक सर्वेक्षण कराया जाए और सर्वेक्षण के परिणाम को तार्किक अंत तक ले जाया जाए।

xii. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए वी वी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान की मदद से आवश्यक मॉड्यूल तैयार किए जाएं।

xiii. दोषसिद्धि की खराब दर को देखते हुए सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है।

xiv. सीएसएस, 2016 के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने और मौजूदा योजना के बेहतर परिणामों के लिए उपयुक्त सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

xv. उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट जमा करने के प्रारूप को सरल और मानकीकृत किया जाएगा।

xvi. सरकारी संस्थानों/पुलिस अकादमियों के पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों/सीएसओ और बंधुआ श्रम के क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य पदाधिकारियों/हितधारकों के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम तैयार किया जाए और प्रशिक्षण मॉड्यूलों में समाविष्ट किया जाए।

xvii. जागरूकता कार्यक्रमों में विशेष रूप से छात्रों, युवाओं, सीएसओ और क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों की भागीदारी बढ़ाना।

xviii. विदेशों में बंधुआ श्रम के शिकार भारतीय नागरिकों की शीघ्र स्वदेश वापसी के लिए तंत्र विकसित करना।

xix. राज्य और जिला प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौजूदा सीएसएस 2016 के अनुसार रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों को नकद और गैर-नकद लाभ प्रदान किए जाते हैं।

xx. जागरूकता बढ़ाने के लिए समुदाय को संवेदनशील बनाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की आवश्यक गतिविधियाँ।

xxi. कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए एनएचआरसी की एडवाइजरी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। नियमित अंतराल पर एडवाइजरी पर की गई कार्रवाई से संबंधित डेटा को एमआईएस पर अनिवार्य रूप से अद्यतन करना और प्रस्तुत करना।

7.44 दृष्टान्त मामले

1. विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी एसईजेड के अंदर फार्मास्युटिकल उद्योग में विस्फोट के कारण चोटें और मौतें

(प्रकरण संख्या 1881/1/21/2020)

i. आयोग को दिनांक 14/07/2020 को शिकायतकर्ता श्री एमवीएस अनिल कुमार राजगिरी, जिला विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश से शिकायत प्राप्त हुई। शिकायत विशाखापत्तनम में जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी के एसईजेड के भीतर फार्मा उद्योग में विस्फोट से संबंधित है।

ii. आयोग ने दिनांक 06/10/2020 को मामले का संज्ञान लिया और आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर, विशाखापत्तनम से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 20/04/2021 ने खुलासा किया कि मैसर्स ले पॉलिमर्स लिमिटेड के भंडारण टैंक में संग्रहीत स्टाइरीन गैस के कारण एक दुखद घटना घटित हुई। इस विस्फोट के कारण पांच गांव को नष्ट हो गए, बारह लोगों की मौत हो गई और 585 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि संबंधित राज्य ने पीड़ितों/मृतकों को अनुग्रह राशि/वित्तीय सहायता जारी की है। कुल 20,448 लाभार्थी थे और उन्हें भुगतान की गई कुल राशि 37,03,35,000/- रुपये थी। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने हवा के माध्यम से गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की स्थापना की। सरकार ने स्टाइरीन विषाक्तता के साथ भर्ती मरीजों के फॉलो-अप के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ-साथ दस डॉक्टरों की एक टीम का भी गठन किया।

iii. आयोग ने कृत कार्रवाई रिपोर्ट से यह भी नोट किया कि पीड़ितों को उपचार और अन्य पुनर्वास प्रदान किया गया है। आयोग के निर्देश के अनुसरण में, जांच रिपोर्ट की एक प्रति शिकायतकर्ता को टिप्पणियों के लिए भेजी गई; तथापि, आयोग को कोई उत्तर नहीं मिला। इन तथ्यों को देखते हुए मामला 08/10/2021 को बंद कर दिया गया।

2. जवाहर नवोदय विद्यालय, यनम, पुदुचेरी में, और देश में अन्यत्र मेस के दैनिक वेतन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी या अन्य वैधानिक लाभ नहीं मिलते हैं

(प्रकरण संख्या 69/32/4/2019)

i. आयोग में दिनांक 18/09/2019 को शिकायतकर्ता श्री पृथ्वीराज जक्कुला, जिला कृष्णा, आंध्र प्रदेश से शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत इस मुद्दे से संबंधित थी कि जवाहर नवोदय विद्यालय (वाईएनवी), यनम, पुदुचेरी और भारत के अन्य हिस्सों में मेस में काम करने वाले दैनिक वेतन कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी और अन्य वैधानिक लाभ नहीं मिल रहे हैं।

ii. आयोग ने दिनांक 04/11/2019 को मामले का संज्ञान लिया और आयोग के निर्देश पर, दिनांक 18/12/2019 को सहायक आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति से पत्र दिनांक 16/12/2019 के माध्यम से प्रासंगिक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया कि समिति ने निर्देश दिया है कि एनवीएस के आकस्मिक श्रमिकों को किसी विशेष राज्य/जिले में लागू न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय, यनम को दैनिक वेतनभोगी/आकस्मिक श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया गया। दैनिक मजदूरी का भुगतान केंद्र या राज्य सरकार की निर्धारित दरों, जो भी अधिक हो, पर किया जा रहा था। मौजूदा मामले में, एक उच्च श्रेणी लिपिक को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है।

iii. उक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जवाहर नवोदय विद्यालय, यनम के आठ मेस कर्मियों को अंतर राशि का भुगतान किया जाना है। निलंबित कर्मचारी के खिलाफ एक आरोपपत्र जारी किया गया है और यह भी कहा गया था कि एनवीएस के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों ने पुष्टि की है कि पूरे भारत में दैनिक वेतन भोगियों/आकस्मिक मजदूरों को केंद्र/राज्य सरकारों की निर्धारित दरों, जो भी अधिक हो, के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया गया। इस बीच, शिकायतकर्ता ने कहा कि मेस के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं देने और प्राधिकारियों को गलत जानकारी देने के लिए जेएनवी यनम के प्रिंसिपल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

iv. आयोग ने दिनांक 06.01.2021 की कार्यवाही के माध्यम से रिपोर्टों की जांच की और आयोग ने पाया कि श्रमिकों को मूल वेतन से इनकार करना मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, और यह संबंधित प्राधिकारियों का कर्तव्य है कि वे ऐसे दैनिक श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करें। इन परिस्थितियों में, आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया गया कि वह सभी श्रमिकों को देय भुगतान सुनिश्चित करें।

v. उत्तर में, सहायक आयुक्त ने दिनांक 22/01/2021 के पत्र के माध्यम से बताया कि आयोग के निर्देश पर श्रमिकों को 5,42,242/- रुपये की लंबित राशि का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा, प्राधिकारियों की रिपोर्ट से यह भी पता चला कि एक व्यक्ति के खिलाफ विभागीय जांच लंबित है, इसलिए, आयोग ने आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, नोएडा, उत्तर प्रदेश को संबंधित व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने का निर्देश जारी किया।

vi. उपर्युक्त रिपोर्ट के मद्देनजर, आयोग द्वारा मामला बंद कर दिया गया।

3. झारखंड में खनिज खदानों में काम करने के दौरान सिलिकोसिस से पीड़ित हो जाने वाले 400 श्रमिकों के बारे में शिकायत

(प्रकरण संख्या : 766/34/0/2020)

i. यह मामला श्री समित कुमार कैर की शिकायत से संबंधित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि खनिज खदानों में काम करने के परिणामस्वरूप राज्य भर में लगभग 400 कर्मचारी सिलिकोसिस से प्रभावित हुए हैं, और उनमें से कई फेफड़ों की बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं। इसलिए, शिकायतकर्ता ने आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की है।

ii. आयोग ने 11.08.2020 को मामले का संज्ञान लिया और झारखंड सरकार के मुख्य सचिव और सरायकेला खरसान, झारखंड के जिला मजिस्ट्रेट को इस मामले में कृत कार्रवाई पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। परिणामस्वरूप, संबंधित प्राधिकारी ने रिपोर्ट दिनांकित 10.11.2020 प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि कथित मैसर्स गजानन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट 1 और 2) में पूछताछ की गई और यह पाया गया कि गुहीराम मंडल और जोइयान सोरेन मैसर्स गजानन मिनरल्स में काम नहीं करते थे। इस संबंध में मैसर्स गजानन मिनरल्स के प्रबंधक की ओर से शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है। बताया गया है कि जो मजदूर कथित मैसर्स गजानन मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड में काम कर रहे हैं, उनकी समय-समय पर चिकित्सकीय जांच की जाती है। यह भी कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने उन श्रमिकों की कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई जो कथित बीमारी से प्रभावित हैं, जिसके लिए शिकायतकर्ता को पत्र दिनांकित 25.09.2020 भी भेजा गया है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला है।

iii. आयोग ने 22.03.2021 को मामले पर विचार किया, और किसी भी टिप्पणी का अनुरोध करते हुए शिकायतकर्ता को रिपोर्ट की प्रति भेजी। तथापि, शिकायतकर्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया और आयोग ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता रिपोर्ट से संतुष्ट है और उसके पास इस मुद्दे पर निवेदन करने के लिए और कुछ नहीं है।

iv. इन परिस्थितियों में, आयोग को जारी रखने का कोई कारण नहीं दिखा, और इसलिए आयोग द्वारा 31.05.2021 को मामला बंद कर दिया गया।

च. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला ढोने के मुद्दे

7.45 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के साथ-साथ अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) भारत में सबसे वंचित समूहों में से कुछ हैं। शिक्षा, रोजगार और जीवन के अन्य अवसर प्राप्त करने जैसी मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँचने में उनकी असुरक्षा और हाशिए पर रहने की स्थिति अक्सर उन्हें नुकसान में डाल देती है।

7.46 एनएचआरसी नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन के प्रति राज्य के अनुपालन की निगरानी करने में सक्रिय रहा है। आयोग ने भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ दंडात्मक उपायों की भी दृढ़ता से सिफारिश की है। इसके अलावा, आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से भी इनपुट प्राप्त होते हैं।

7.47 हाथ से मैला ढोने के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 की धारा 2 (छ) में 'मैनुअल स्केवेंजर्स' की विस्तृत परिभाषा दी गई है, अर्थात "इस अधिनियम के प्रारंभ में या उसके बाद किसी भी समय, किसी व्यक्ति या स्थानीय प्राधिकरण या किसी एजेंसी या ठेकेदार द्वारा किसी अस्वच्छ शौचालय में या किसी खुली नाली या गड्ढे में जिसमें अस्वच्छ शौचालय से मानव मल का निपटान किया जाता है, या रेलवे ट्रैक पर या ऐसे अन्य स्थानों या परिसरों में, जैसा कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित कर सकती है, इससे पहले कि मलमूत्र पूरी तरह से ऐसे तरीके से विघटित हो जाए जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, मानव मल को हाथ से साफ करने, ढोने, निपटान करने या किसी भी तरीके से संभालने के लिए तैनात या नियोजित व्यक्ति और अभिव्यक्ति 'मैनुअल स्कैवेंजिंग' को तदनुसार समझा जाएगा।"

7.48 भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा गैरकानूनी है। निम्नलिखित पैरा में उल्लिखित विभिन्न कानूनों ने पिछले 60 वर्षों से इस प्रथा को गैरकानूनी घोषित कर दिया है:

i. नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 के तहत किसी भी व्यक्ति को हाथ से मैला ढोने के लिए मजबूर करना अपराध बना दिया गया है।

ii. मैनुअल स्केवेंजर्स का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम (1993) में मैनुअल स्कैवेंजर्स के नियोजन या शुष्क शौचालयों के निर्माण के लिए एक वर्ष तक की कैद और/या 2000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

iii. मैनुअल स्केवेंजर्स के रूप में नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013, जिसने 1993 के अधिनियम को हटा दिया, ने सभी प्रकार के मैनुअल स्कैवेंजिंग (सिर्फ शुष्क शौचालयों से परे) को गैरकानूनी घोषित किया है और उनके लिए दंड निर्धारित किया है जो इस प्रथा को जारी रखते हैं और इसमें संलग्न लोगों को सरंक्षण प्रदान किया है।

7.49 भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) कुछ समुदायों के व्यवस्थित बहिष्कार को मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन मानता है। यह किसी अस्वच्छ शौचालय में या खुले नाले, गड्ढों, रेलवे ट्रैक, निजी घरों और नगर निगमों द्वारा अनुरक्षित शौचालयों आदि में मानव मल को हाथ से उठाने या हाथ से साफ करने, किसी भी तरीके से ढोने, निपटाने या अन्यथा संभालने के लिए व्यक्ति को नियुक्त करने की अमानवीय और अपमानजनक प्रथा के बारे में बहुत ही चिंतित है।यह एससी, एसटी और अन्य कमजोर समूहों के अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में काम करने और हाथ से मैला ढोने की अमानवीय और अपमानजनक प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2020-21 में एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों और मैनुअल स्कैवेंजिंग के मुद्दे पर आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं।

एनएचआरसी ने मैनुअल स्कैवेंजिंग या खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा पर एक परामर्शी जारी की

7.50 आयोग ने 24 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार/राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सभी संबंधित प्राधिकारियों को 'मैनुअल स्कैवेंजिंग या खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा पर परामर्शी' शीर्षक से एक परामर्शी जारी की और उन्हें परामर्शी में की गई निम्नलिखित सिफारिशों को लागू करने की सलाह दी।

7.51 ये सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:

- स्वच्छता कर्मियों के लिए उचित सुरक्षात्मक कपड़े/सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करना।
- उपयुक्त और श्रमिकों के अनुकूल प्रौद्योगिकी और रोबोटिक मशीनों के उपयोग का लाभ उठाना।

- कल्याणकारी योजनाएं: नियुक्ति देने वाली एजेंसी/नियोक्ता की जिम्मेदारी और जवाबदेही
- संबंधित प्राधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करना।
- पुनर्वास: "मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अनुसार अनिवार्य रूप से एकमुश्त नकद सहायता और क्रेडिट सहायता प्रदान करना।
- न्याय तक पहुंच: ऐसे काम के संबंध में किसी भी अपराध जैसे के धमकी, प्रलोभन, आपराधिक धमकी, बंधुआ श्रम या अत्याचार पर एफआईआर दर्ज की जाए और समयबद्ध तरीके से जांच की जाए।
- स्वच्छता सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
- जागरूकता/संवेदनशीलता।
- सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराना।
- मैला ढोने के काम में लगे व्यक्तियों की उचित पहचान सुनिश्चित करना।
- पीईएमएसआर अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की निगरानी।

एनएचआरसी ने 'मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक सफाई के मुद्दे और चुनौतियां' पर एक वेबिनार का आयोजन किया

7.52 आयोग ने 5 जुलाई 2021 को मैनुअल स्कैवेंजिंग और खतरनाक सफाई के कारण आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार के तीन तकनीकी सत्र निम्नलिखित पर केंद्रित थे:

1. चल रही योजनाओं को मशीनीकृत सफाई प्रक्रिया के साथ जोड़ने की गुंजाइश,
2. बाधाओं की पहचान करना और स्थानीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराना, और
3. हाथ से मैला ढोने के कारण होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए अभिनव तकनीकी समाधानों की गुंजाइश।

7.53 चर्चा निम्नलिखित सिफारिशों के साथ समाप्त हुई जिसमें रोबोट बैंडिकूट का उत्पादन बढ़ाना और मानकों के उल्लंघन के कारण मौतों के लिए नगर निगम की जिम्मेदारियाँ तय करना शामिल है:

- रोबोट बैंडिकूट का उत्पादन बढ़ाना और इसे अधिक लागत प्रभावी बनाना;
- नियमों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप मैनुअल स्कैवेंजर की मृत्यु के लिए स्थानीय प्राधिकारी की जिम्मेदारी तय करना;
- चयनित नगर निगमों (हैदराबाद, चेन्नई आदि) में सर्वोत्तम प्रथाओं को दोहराना।

एनएचआरसी ने कोविड-19 के बीच विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के अधिकारों की सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्यों को एक परामर्शी जारी की।

7.54 भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के कई समूहों के बीच कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के बारे में मीडिया रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 4 जून 2021 को एक एडवाइजरी जारी की। वर्ष 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, देश में 104 मिलियन अनुसूचित जनजातियों (एसटी) में 75 ऐसे समूह हैं जिन्हें

भारत सरकार द्वारा और अधिक साधनहीन की श्रेणी में रखा गया है और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के रूप में चिन्हित किया गया है जिनकी आबादी एक लाख से भी कम का है।

7.55 आयोग ने अपने महासचिव श्री बिम्बाधार प्रधान के माध्यम से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिवों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को पत्र भेजकर चार सप्ताह के भीतर एडवाइजरी में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कहा और और कोविड-19 महामारी के दौरान हर अगले महीने के लिए कृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

7.56 अन्य के अलावा कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पीवीटीजी के पास डिजिटल साधन की निरंतर कमी की समस्या को दूर करने प्राथमिकता के आधार पर उनको रिपोर्ट की त्वरित डिलीवरी का सुनिश्चय करते हुए दरवाजे पर बार-बार आरटी-पीसीआर परीक्षण अभियान आयोजित किए जाएं।

ii. मोबाइल मेडिकल टीमें भेजकर 50 हजार से कम आबादी वाले सभी पीवीटीजी का 60 दिन के अंदर टीकाकरण सुनिश्चित किया जाए।

iii. पीवीटीजी को कोविड-19 मेडिकल किट की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, जिसके बाद स्थानीय बोली में पीवीटीजी के आवासीय इलाकों में लगातार जागरूकता सृजन अभियान चलाया जाए। मानव संपर्क से बचने के लिए आवश्यक चिकित्सा किट प्रदान करने के लिए ड्रोन के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा सकता है;

iv. कर्मचारियों की प्रतिनियुक्त द्वारा पीवीटीजी के आवासीय परिसर में उचित स्वच्छता और साफ-सफाई के रखरखाव की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए।

v. पीवीटीजी के आसपास के इलाकों में डॉक्टरों/नर्सों/पैरामेडिक स्टाफ की समर्पित टीम की तैनाती सुनिश्चित करें;

vi. सुनिश्चित करें कि पीवीटीजी समुदाय के कोविड-19 रोगियों के इलाज का सारा खर्च संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाए।

vii. पीवीटीजी के निवास वाले मुख्य क्षेत्रों के अलावा निकटवर्ती क्षेत्रों में भी, जहां भी संभव हो, बाहरी लोगों के प्रवेश और निकास के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू किया जाए।

viii. जनजातीय समुदाय के प्रमुखों/पीवीटीजी के शिक्षित युवाओं/पीवीटीजी की बूढ़ी महिलाओं/आशा/फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं/पीवीटीजी के आसपास काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवकों को शामिल करके संवेदनशीलता, महामारी जागरूकता और लगातार अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करें।

ix. सुरक्षा प्रोटोकॉल, पृथक प्राकृतिक कॉन्टनमेंट जोन और पीवीटीजी द्वारा सामना किए जा रहे जमीनी स्तर के शोषण के सरोकारों को ध्यान में रखते हुए पीवीटीजी परिवारों के बीच मुफ्त सूखे राशन/खाद्य टोकरी की दरवाजे पर डिलीवरी सुनिश्चित करें।

x. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर रोक लगाकर/निलंबित रखते हुए ऐसी सभी भोजन/राशन आधारित योजनाओं (केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं/केंद्र प्रायोजित योजनाएं/राज्य सरकार की योजनाएं) का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

xi. महामारी के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आय के नुकसान के लिए आय गारंटी सहायता के रूप में मनरेगा के तहत किए गए भुगतान के बराबर मासिक नकद पात्रता और पेंशन का वितरण सुनिश्चित करें।

xii. कोविड-19 के बीच पीवीटीजी के युवाओं को स्टेशनरी आदि सहित छात्रवृत्ति (प्री और पोस्ट मैट्रिक) का निर्बाध हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाएगा।

xiii. संबंधित राज्य सरकार/जिला प्रशासन/पंचायत द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष में एक विशेष 24X7 हेल्पलाइन बनाई जाएगी जो विशेष रूप से पीवीटीजी की कोविड-19 संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए समर्पित हो।

एनएचआरसी ने विभिन्न उत्तर-पूर्वी राज्यों में विभिन्न समुदायों के लोगों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के लिए 'खुली सुनवाई और शिविर बैठकें' आयोजित कीं।

7.57 एनएचआरसी ने मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न समुदायों के लोगों के मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के लिए 14 और 15 दिसंबर 2021 को और असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम में ऐसे मामलों के लिए 16 और 17 दिसंबर 2021 को 'खुली सुनवाई और शिविर बैठकों' का आयोजन किया।

7.58 पूर्ववर्ती बैठकों का उद्घाटन न्यायमूर्ति एमएम कुमार, सदस्य, एनएचआरसी द्वारा किया गया; जिसमें न्यायमूर्ति एमएम कुमार, डॉ. डीएम मुले और श्री राजीव जैन की अध्यक्षता में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा 19 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें मेघालय से छह, मिजोरम से तीन और त्रिपुरा से 10 मामले शामिल थे। जबकि बाद बाली बैठक का उद्घाटन माननीय अध्यक्ष, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा द्वारा किया गया और आयोग द्वारा 40 मामलों की सुनवाई की गई। इनमें असम के 23 मामले, मणिपुर के 13 मामले, अरुणाचल प्रदेश का एक मामला और नागालैंड के तीन मामले शामिल थे।

7.59 'खुली सुनवाई' में सुने गए मामलों में रिपोर्ट न मिलने के मामले; कारण बताओ नोटिस के मामले; अनुपालन के मामले; मेघालय में अवैध खदानों में मजदूरों की मौत से संबंधित मामले; त्रिपुरा में वन क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों को जबरन बेदखल करने से संबंधित मामले; मेघालय और नागालैंड में न्यायिक हिरासत में मौत के मामले; पेशागत खतरों से संबंधित मामले; आदिवासी महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित मामले; और चकमा लोगों को पीडीएस के माध्यम से भोजन का वितरण न होने के मामले शामिल थे।

7.60 आयोग ने 15 दिसंबर 2021 को एनजीओ/एचआरडी और सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ भी चर्चा की और स्वास्थ्य देखभाल, एससी/एसटी, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के मुद्दों पर चर्चा की। आयोग ने इस बात को दोहराया कि गैर सरकारी संगठन आयोग की आंख और कान हैं और मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के संबंध में जागरूकता फैलाने में वे आयोग के सच्चे भागीदार हैं।

चित्र 7.1: 14 दिसंबर 2021 को शिलांग, मेघालय में खुली सार्वजनिक सुनवाई और शिविर बैठक

चित्र 7.2: 15 दिसंबर 2021 को खुली सुनवाई और शिविर बैठक में एनजीओ/एचआरडी और सिविल सोसायटी के सदस्यों के साथ चर्चा

7.61 दृष्टान्त मामले

1. मलाड की मनकूबाई हाउसिंग सोसायटी में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान तीन मजदूरों की मौत हो गई और एक घायल हो गया।

(प्रकरण संख्या 771/13/16/2017)

i. दिनांक 21.03.2017 को एक सामाजिक और मानव अधिकार कार्यकर्ता से शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें कहा गया था कि इस तथ्य के बावजूद कि कानून के तहत हाथ से मैला ढोना निषिद्ध है, दिनांक 15.02.2017 को निचली जाति के चार मजदूरों को मलाड, मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी में स्थित सेप्टिक टैंक को हाथ से साफ करने के लिए कहा गया था। सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले में आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की गयी।

ii. आयोग ने दिनांक 19.04.2017 को मामले का संज्ञान लिया और डीसीपी जोन-11, मुंबई से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 25.07.2017 से पता चला कि सुबह लगभग 10 बजे मालवानी पुलिस स्टेशन के वायरलेस मोबाइल नंबर 1 पर एक कॉल आई कि मनकूबाई चॉल परिसर में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय अचानक जहरीली गैस निकलने से चार लोगों में से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायल व्यक्ति बेहोश थे। तीसरे और चौथे व्यक्ति को भी मनकूबाई चॉल परिसर के घरों के भूमिगत सीवेज/सेप्टिक टैंक में जमा जहरीली गैस से प्रभावित घोषित किया गया। चारों लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां दो लोगों को भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि

तीसरे व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया, लेकिन जांच में नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कोई लापरवाही सामने नहीं आई और कहा गया कि यह केवल एक दुर्घटना थी और इस संबंध में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस प्रकार, मामले को "सी" अर्थात् 'न तो सच है और न ही गलत' के रूप में वर्गीकृत किया गया है (दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है) और 24 कोर्ट, बोरीवली को भेज दिया गया है।

iii. आयोग ने पाया कि तीन मृत और एक घायल व्यक्ति को संपत्ति के मालिक द्वारा काम पर लगाया गया था और इसलिए वे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत कर्मचारी थे। संपत्ति का मालिक, अर्थात्, मनकूबाई हाउसिंग सोसाइटी छोटे ठेकेदार का प्रधान नियोक्ता था और कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के प्रावधान के तहत, प्रधान नियोक्ता मृतक और घायल कर्मचारियों को मुआवजे के भुगतान के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने इन गरीब मृत मजदूरों के निकटतम संबंधी या घायल मजदूरों को कोई मुआवजा नहीं दिया है।

iv. आयोग ने यह भी नोट किया कि संपत्ति का मालिक परिसर में अपने ठेकेदार/उप ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए जिम्मेदार है।

v. आयोग का यह मानना था कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर रोक को लागू न करने के लिए राज्य जिम्मेदार है और ऐसे गैर-प्रवर्तन के कारण राज्य में इस तरह की घटनाओं के लिए राज्य जिम्मेदार है, और इस संबंध में कोई नीति नहीं बनाने से गरीब मजदूरों की जान चली गई है। इस प्रकार, राज्य सरकार संबंधित लोक सेवकों की ओर से चूक के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी थी और इसलिए आयोग ने 13.01.2018 को मुख्य सचिव के माध्यम से राज्य को एक नोटिस जारी किया कि पीड़ितों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे के रूप में मृतक के निकटतम संबंधी को 3,00,000/- रुपये और घायल को 75,000/- रुपये का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए।

vi. अनुस्मारक के बावजूद नोटिस के उत्तर में कोई उत्तर नहीं मिला, और ऐसा प्रतीत हुआ कि संबंधित प्राधिकारी के पास आयोग की राय का खंडन करने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए आयोग ने 12.02.2019 को मौद्रिक राहत की अपनी सिफारिश की पुष्टि की।

vii. आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, श्रम आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई द्वारा तीन मृत व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारी को 2,99,999/- रुपये की दर से 9,75,000/- रुपये और घायल व्यक्ति को 74,999/- रुपये के मुआवजे के भुगतान के संबंध में सबूत के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

viii. चूंकि पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान हो चुका था, इसलिए आयोग के किसी और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी, और आयोग ने 07/06/2021 को मामला बंद कर दिया।

2. दुकान मालिक के अनुसूचित जाति से होने के कारण ग्राहक द्वारा दुकान मालिक को चोट पहुँचाना

(प्रकरण संख्या : 1726/20/2/2020)

i. आयोग को दिनांक 06.03.2020 को सेंटर फॉर दलित राइट्स जयपुर, राजस्थान से एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक आरोपी व्यक्ति ने अनुसूचित जाति के पीड़ितों को कथित तौर पर उस दुकान में पीटा, जहां पीड़ित दिनांक 28.09.2019 को अपने पंक्चर टायर की मरम्मत कराने गया था। जब पीड़ितों ने पुलिस स्टेशन, तेहला से संपर्क किया, तो पुलिस कर्मियों ने आरोपी व्यक्तियों को बुलाया, जिन्होंने पुलिस के साथ मिलकर पीड़ितों के साथ फिर से मारपीट की, जिससे एक पीड़ित के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और तीन महिलाओं के सिर में चोट आई।

ii. आयोग ने दिनांक 29.10.2020 को मामले का संज्ञान लिया, और पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 30.04.2021 की रिपोर्ट के माध्यम से आयोग को सूचित किया कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, और यह भी सूचित किया कि जांच के दौरान, अभियुक्तों, पीड़ितों और गवाहों के बयान दर्ज किए गए, मौके पर पूछताछ की गई, एक्स-रे सहित चिकित्सा परीक्षण किया गया और आरोप पत्र भी दायर किया गया। इसके अलावा, 25,000/- रुपये की आर्थिक राहत स्वीकृत की गई।

iii. एससी/एसटी (पीओए) नियमावली, 2016 की समीक्षा करने पर आयोग ने निर्धारित किया कि चार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है और इसलिए प्रत्येक पीड़ित अनुलग्नक-I की प्रविष्टि 25 के तहत कुल अंतरिम राहत के 75 प्रतिशत का हकदार है। आयोग की टिप्पणियों के आलोक में, राजस्थान के अलवर के जिला मजिस्ट्रेट को सभी चार पीड़ितों को भुगतान के सबूत के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

iv. उत्तर में, डीएम ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 04.08.2021 प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक पीड़ित को 75,000/- रुपये का भुगतान कर दिया गया है। इसलिए, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और आयोग द्वारा दिनांक 22.10.2021 को मामला बंद कर दिया गया।

3. तालापावरी गुडेम गांव, अंकलमपाड, पश्चिम गोदावरी, आंध्र प्रदेश में एससी समुदाय के 90 वर्षीय व्यक्ति और उसके परिवार के प्रति जमीन पर कब्जा करने, जान से मारने की धमकी और अपमानजनक गालियां देने का मामला

(प्रकरण संख्या : 860/1/24/2020)

i. आयोग को 22.01.2020 को एक शिकायत मिली, जिसमें आरोपी व्यक्तियों द्वारा अनुसूचित जाति के एक 90 वर्षीय व्यक्ति को परेशान करने का आरोप लगाया गया, जिन्होंने शिकायतकर्ता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर, और जाति के विरुद्ध अपमानजनक अपमान का प्रयोग करके उसकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की।

ii. आयोग के दिनांक 20.07.2020 के निर्देशों के अनुसार, एसपी, पश्चिम गोदावरी से रिपोर्ट दिनांकित 28.07.2020 प्राप्त हुई, जिसमें पता चला कि पुलिस ने एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है और जांच चल रही है। रिपोर्ट से यह भी खुलासा हुआ कि भूमि के स्वामित्व विलेख के लिए तीन पक्षों के बीच एक दीवानी विवाद उत्पन्न हुआ है। उक्त विवादित भूमि को विवाद रजिस्टर में दर्ज कर खाली रखा गया तथा उस पर खेती नहीं की जा रही थी। यह भी पता चला कि एफआईआर दर्ज होने के बाद शिकायतकर्ता को एससी/एसटी अधिनियम के तहत अनिवार्य मौद्रिक मुआवजे के रूप में 50,000/- रुपये का भुगतान किया गया है।

iii. आयोग ने रिपोर्टों पर विचार किया और पाया कि चूंकि मामला दीवानी प्रकृति का है और शिकायतकर्ता को एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के पहले ही तहत 50,000/- रुपये का मौद्रिक मुआवजा दिया जा चुका है, इसलिए तत्काल मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी और मामला 12.08.2021 को बंद कर दिया गया।

4. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उभा गांव में ऊंची जाति के सदस्यों के हमले में एससी/एसटी समुदाय के दस लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए।

(प्रकरण संख्या : 22787/24/69/2019)

i. आयोग को शिकायतकर्ता श्री कृष्ण कुमार बर्डे से एक शिकायत दिनांकित 02.08.2019 प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 17.07.2019 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के उभा गांव में उच्च

जाति के सदस्यों के हमले में एससी/एसटी समुदाय के दस सदस्य मारे गए और 23 घायल हो गए।

ii. आयोग ने 22.08.2019 को मामले का संज्ञान लिया और पुलिस अधीक्षक (एचआर), पुलिस मुख्यालय, लखनऊ से प्राप्त रिपोर्ट दिनांकित 19.02.2020 से पता चला कि उभा गांव में ग्राम प्रधान और उनके समर्थकों ने दस लोगों की हत्या कर दी है। 28 नामजद अभियुक्तों और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ एससी/एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोप पत्र दायर किया गया। यह भी बताया गया कि सभी मृतक पीड़ितों में से प्रत्येक के निकट संबंधी के बैंक खाते में दो किस्तों में कुल 8.25 लाख रुपये और सभी घायलों के बैंक खातों में दो किस्तों में 3-3 लाख रुपये जमा किए गए हैं।

iii. आयोग ने 04.08.2020 को पाया कि सभी आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और मामला अदालत में लंबित है और मौद्रिक राहत भी दी गई है। तथापि, रिपोर्ट में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विवरण का खुलासा नहीं किया गया था, इसलिए आयोग ने पुलिस महानिदेशक को दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई एफआईआर/विभागीय कार्रवाई का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

iv. उत्तर में, आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट से पता चला कि जांच की गई और तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट, एडीपी, एसडीएम आदि सहित 21 दोषी अधिकारियों के नाम प्रकाश में आए और इन अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दी गई।

v. मामले में उपर्युक्त घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने 02.06.2021 को मामला बंद कर दिया।

5. सागर, मध्य प्रदेश में प्रतिवादियों ने अनुसूचित जाति के एक पीड़ित को आग लगाकर मार डाला

(प्रकरण संख्या : 1746/12/37/2020)

i. आयोग को शिकायतकर्ता श्री सुनील गौतम (बौध) नामक समाज सेवी से एक समाचार पत्र की कतरन का हवाला देते हुए शिकायत दिनांकित 10.08.2020 प्राप्त हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दलित समुदाय के पीड़ित को आरोपी व्यक्तियों ने आग लगाकर मार डाला। अखबार की रिपोर्ट में बताया गया था कि पीड़ित ने कई बार सुरक्षा मांगी थी, लेकिन प्राधिकारी पीड़ित को सुरक्षा प्रदान करने में विफल रहे।

ii. आयोग के दिनांक 09.09.2020 के निर्देशों पर पुलिस अधीक्षक, सागर से दिनांक 27.10.2020 की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार मामले की जांच में पता चला कि जिन आरोपियों ने पीड़ित से झगड़ा किया था, उन्होंन बाद में उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। यह भी बताया गया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और 8,25,000/- रुपये की मुआवजा राशि समान रूप से वितरित की गई है, जिसमें मृतक के पिता को 4,12,500 रुपये और मृतक की पत्नी को 4,12,500 रुपये का भुगतान किया गया। यह भी बताया गया कि बीट कांस्टेबल समय-समय पर मृतक पीड़ित के आवास का चक्कर लगा रहा था। तथापि, उक्त घटना अचानक और अप्रत्याशित रूप से घटी। मामला न्यायाधीन है।

iii. आयोग ने दिनांक 30.07.2021 को प्रासंगिक रिकॉर्डों की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए मामले में हस्तक्षेप करने का कोई और कारण नहीं था, और इसलिए आयोग द्वारा मामला बंद कर दिया गया।

6. प्रकरण संख्या 5/13/16/2022

i. दिनांक 30/12/2021 को मध्य दिल्ली से सनाया ए. दलाल से शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें गैर-पारसी पिता और पारसी मां की संतान होने के कारण धर्म, लिंग और नस्ल आदि के आधार पर पीड़िता के साथ भेदभाव का आरोप लगाया गया था।

ii. सुश्री सान्या दलाल (शिकायतकर्ता) ने कहा कि वह एक पारसी महिला हैं, जिन्होंने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत एक गैर-पारसी (हिंदू) से शादी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक गैर-पारसी (हिंदू) से शादी के बाद से ही पारसी समुदाय के नेताओं द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। और अब उनके बच्चे के साथ भी उसके जेंडर और जातीय शुद्धता से संबंधित गलत विचारधारा के परिणामस्वरूप भेदभाव किया जा रहा था।

iii. उन्होंने कहा है कि उनके साथ उनका बेटा दादर पारसी कॉलोनी जिमखाना जाता था और उस इलाके के बच्चों के साथ खेलता था, जो सभी एक साथ बड़े हो रहे थे। तथापि, उसे जिमखाना की सदस्यता से वंचित कर दिया गया, जो पाँच वर्ष से अधिक उम्र के सभी बच्चों के लिए खुला है। सदस्यता के लिए उसका आवेदन जनवरी 2019 से लंबित है। गैर-पारसी हिंदू पिता और पारसी मां की संतान होने के कारण उसे खेल के मैदान से भगा दिया गया और खेलों की सदस्यता से वंचित कर दिया गया। दादर पारसी कॉलोनी जिमखाना में समान स्थिति वाले बच्चों के साथ भी इसी तरह का भेदभाव किया जा रहा था। दूसरी ओर, पुरुष पारसी पिता और गैर-पारसी मां के बच्चों को अनुमति है।

iv. उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया क्योंकि उनके बेटे को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा दादर पारसी कॉलोनी जिमखाना को सार्वजनिक उद्देश्यों और बॉम्बे शहर के सुधार के लिए आवंटित सार्वजनिक भूमि तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि मुंबई में न्यू मरीन लाइन्स पर तीन अन्य प्रतिष्ठित जिमखानों अर्थात् हिंदू जिमखाना, पारसी जिमखाना और इस्लाम जिमखाना ने इन मुद्दों को हल कर लिया है और भेदभाव नहीं करते हैं।

v. पारसी के रूप में पले-बढ़े उनके बेटे (नाबालिग) के साथ धर्म और नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके बेटे को नस्ल के आधार पर बहिष्कृत किया जा रहा है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25 का उल्लंघन है।

vi. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एक गैर-पारसी हिंदू से शादी के बाद से उनके साथ भेदभाव किया गया है। उनकी शादी के एक साल बाद, जब उनके वृद्ध और विकलांग माता-पिता दादर पारसी कॉलोनी में फ्लैट खरीदना चाहते थे, तो बिल्डिंग हाउसिंग सोसाइटी ने आपत्ति जताई क्योंकि उन्होंने गैर-पारसी से शादी की थी और समय के साथ, वह फ्लैट उन्हें विरासत में मिलता, क्योंकि वह अपने माता-पिता की एकमात्र संतान थीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पारसी समुदाय के अति-रूढ़िवादी सदस्य सोशल मीडिया पर उनके लिए सार्वजनिक रूप से अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। यदि कोई पुरुष पारसी किसी गैर-पारसी महिला से शादी करता है तो उनके बच्चों को पारसी माना जाता है, लेकिन यदि कोई महिला पारसी किसी गैर-पारसी पुरुष से शादी करती है, तो उनके बच्चों को पारसी नहीं माना जाता है। यह उत्पीड़न भेदभाव और भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है।

vii. आयोग ने दिनांक 08/02/2022 को मामले का संज्ञान लिया और महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त को नोटिस जारी करके निर्धारित समय सीमा के भीतर आयोग को कृत कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा।

viii. यह मामला आयोग द्वारा विचाराधीन है।

घ) शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के अधिकार

7.62 शरणार्थी अपने मूल देश से बाहर के व्यक्ति होते हैं, जिन्हें अपने मूल देश में अत्याचार, सशस्त्र संघर्ष, हिंसा या गंभीर सार्वजनिक अव्यवस्था के कारण अपने जीवन, शारीरिक अखंडता या स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे के कारण अंतरराष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता होती है। शरण चाहने वाले वे लोग हैं जिन्होंने शरण या शरणार्थी के दर्जे के लिए आवेदन किया है और शरण देने वाले देश के संबंधित प्राधिकरणों से निर्णय नहीं प्राप्त किया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर), 1948, पुष्टि करती है: "सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में समान हैं।"

7.63 इस प्रकार शरणार्थी और शरण चाहने वाले अधिकारों के दो आंशिक रूप से अतिव्यापी सेटों के हकदार हैं: वे जो राज्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के तहत सम्मान, सुरक्षा और पूरा करने के लिए बाध्य हैं, और शरणार्थियों के विशिष्ट अधिकार।

7.64 तथापि, भारत ने न तो 1951 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और न ही 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर भी, भारत ने मानव अधिकार के मुद्दों और संबंधित मामलों पर संयुक्त राष्ट्र और अन्य विश्व सम्मेलनों के कई मानव अधिकार दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं जो शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं और संविधान के दिशानिर्देश भारत के लिए एक ऐसी शरणार्थी नीति अपनाना आवश्यक बनाते हैं जो भेदभाव रहित हो और इसमें उत्पीड़न का सामना करने वाले सभी लोग शामिल हों, उनकी राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग या जन्म स्थान जो भी हो।

7.65 इस संबंध में, आयोग ने शरणार्थियों और शरण चाहने वालों से निपटने में तदर्थवाद और अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाने का आह्वान किया। आयोग ने कहा कि वह देश भर में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की सुरक्षा और मानव अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एकरूपता और कानूनी पवित्रता को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा का ख्याल रखते हुए भी अन्य सरकारी कल्याणकारी उपायों का लाभ लेने में उनकी मदद करेगा।

भारत में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के बुनियादी मानव अधिकारों की सुरक्षा पर खुली चर्चा (वर्चुअल मोड)

चित्र 19.1. एनएचआरसी के वरिष्ठ अधिकारी, सरकारी प्रतिनिधि, शिक्षाविद् और सीएसओ / एनजीओ के प्रतिनिधि जो भारत में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के बुनियादी मानव अधिकारों की सुरक्षा पर खुली चर्चा में वर्चुअल रूप में भाग ले रहे हैं

7.66 20 जनवरी 2022 को न्यायमूर्ति श्री एमएम कुमार, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) की अध्यक्षता में भारत में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के बुनियादी मानव अधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली चर्चा आयोजित की गई। बैठक में एनएचआरसी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा भी श्रोता के रूप में उपस्थित थे। चर्चा में एनएचआरसी के महासचिव श्री बिम्बाधार प्रधान और आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विदेश मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, यूएनएचसीआर के प्रतिनिधियों; डोमेन विशेषज्ञों, सिविल सोसायटी के संगठन (सीएसओ), आदि ने भाग लिया।

7.67 बैठक का एजेंडा था:

i. शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय लिखत

ii. भारत में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के अधिकार और वर्तमान संदर्भ में उनकी स्थिति

iii. ऐसे कानून जिनके माध्यम से भारत में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को अभिशासित किया जाता है।

iv. शरणार्थियों और भारत में शरण चाहने वालों के प्रमुख सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और कानूनी मुद्दे और प्रमुख चुनौतियाँ

7.68 उक्त चर्चा में, एनएचआरसी के महासचिव श्री बिम्बाधार प्रधान ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में शरणार्थियों से निपटने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने में भारत के ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता और देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए, न कि केवल नागरिकों के लिए कानून का समान संरक्षण। इसके अलावा, न्यायमूर्ति श्री एमएम कुमार, माननीय सदस्य, एनएचआरसी ने दुनिया भर में सबसे हाशिए पर रहने वाले वर्ग, अर्थात् शरणार्थी समुदाय की चिंताओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20 और 21 का जिक्र करते हुए कहा कि मानव होने के नाते, शरणार्थी और शरण चाहने वाले सभी बुनियादी मानव अधिकारों के हकदार हैं।

7.69 उचित विचार-विमर्श के बाद, संबंधित प्राधिकारियों के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गईं:

i. शरणार्थियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले व्यक्तियों/संगठनों की सेवा के लिए शरणार्थियों और शरण चाहने वालों से संबंधित सभी नीतियों, मुकदमेबाजी, न्यायशास्त्र या मसौदा कानूनों के रिकॉर्ड

को संकलित करना।

ii. भारत सरकार और राज्यों की अच्छी प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और संहिताकरण करना, जैसे कि टीकाकरण, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करना।

iii. विभिन्न देशों के शरणार्थियों पर भारत सरकार की नीतियों के संबंध में यूएनएचसीआर को 15 साल पहले प्रलेखित पूर्व प्रकाशित अध्ययन रिपोर्टों को अद्यतन करने की आवश्यकता है।

iv. घरेलू शरण कानून और शरणार्थियों के लिए मॉडल कानून के संबंध में एनएचआरसी के दो पुराने दस्तावेजों को अद्यतन करने की आवश्यकता।

v. इन मसौदा कानूनों को अद्यतन करने के लिए विद्वानों और डोमेन विशेषज्ञों के पैनल/समिति का गठन।

vi. शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के अधिकारों की रक्षा करने और शरणार्थियों और शरण चाहने वालों से निपटने में तदर्थवाद और अस्पष्टता को समाप्त करने के लिए एक व्यापक कानून/विधान की आवश्यकता महसूस की गई है। यदि अधिनियमित किया जाता है, तो यह देश भर में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की सुरक्षा और मानव अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए एकरूपता और कानूनी पवित्रता लाएगा और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करते हुए सरकार के कल्याणकारी उपायों का लाभ उठाने में उनकी मदद करेगा।

vii. कानून का निर्माण होने तक शरणार्थियों और शरण चाहने वालों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट नीति ढांचे की आवश्यकता है।

ङ) महिलाओं के अधिकार

7.70 भारत में महिलाओं की सुरक्षा, उत्तरजीविता, विकास, भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके अधिकारों का उल्लंघन दुखद रूप से उच्च दर पर हो रहा है। इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, एनएचआरसी, भारत महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपने काम और कार्यप्रणाली में इस विषयगत क्षेत्र को बहुत महत्व देता है।

7.71 इसके अलावा, भारत महिलाओं के अधिकारों से संबंधित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का पक्षकार है। महिलाओं के अधिकारों पर सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौता 1979 का महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) है, जिसके हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त राष्ट्र के 189 सदस्य देश हैं। भारत सरकार द्वारा 1993 में सीईडीएडब्ल्यू की पुष्टि की गई। सीईडीएडब्ल्यू की पुष्टि करने के बाद, इसके प्रावधान अनेक नीतियों, कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों में परिलक्षित हुए हैं जो भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए क्रियान्वित किए जा रहे है।

7.72 इन कानूनों और प्रावधानों के बावजूद, महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कई अभावों और हिंसा का पीढ़ी-दर-पीढ़ी चक्र प्रतिकूल रहा है। इसलिए, उनके लिए सुरक्षात्मक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है। संकेंद्रित प्रयासों और प्रमुख क्षेत्रों/मुद्दों के पर्याप्त कवरेज को सुगम बनाने के लिए, आयोग में महिलाओं पर एक कोर समूह है। नीचे दिए गए पैरा में महिलाओं के अधिकारों पर आयोग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों, विशेष रूप से नीतिगत अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग, संक्षेप में, एनएचआरसी के अनुसंधान प्रभाग की गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।

घरेलू कामगारों की भेद्यता, कानूनी सुरक्षा और मानव अधिकार पर सम्मेलन

7.73 आयोग ने श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में 16 अप्रैल 2021 को 'घरेलू कामगारों की भेद्यता, कानूनी सुरक्षा और मानव अधिकार' पर एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, आईएलओ के प्रतिनिधियों, घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में काम करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों और सीएसओ ने भाग लिया।

7.74 सम्मेलन को तीन तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया था, नामत:

- तकनीकी सत्र I: भारतीय कानून और नीतिगत ढांचे के भीतर घरेलू कामगारों का स्थापन
- तकनीकी सत्र II: भारत में घरेलू कामगार; मुद्दों और चुनौतियों और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति, भेद्यता और हिंसा पर चर्चा
- तकनीकी सत्र III: घरेलू कार्य का विनियमन; भविष्य की संभावनाएं।

चित्र: 16 अप्रैल 2021 को 'घरेलू कामगारों की भेद्यता, कानूनी सुरक्षा और मानव अधिकार' विषय पर वर्चुअल सम्मेलन

7.75 सम्मेलन से जो प्रमुख सिफारिशें सामने आईं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- **घरेलू कामगारों के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस:** घरेलू कामगारों के पंजीकरण हेतु राष्ट्रीय पोर्टल की स्थापना सुनिश्चित करें। इसके अलावा, राज्यों के नगर पालिकाओं या राज्य समाज कल्याण बोर्डों को इस तरह के पंजीकरण को विनियमित करने और हर महीने दस प्रतिशत घरेलू कामगारों को पंजीकृत करने के 31 जनवरी 2019 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है।
- **राष्ट्रीय घरेलू कामगारों नीति:** घरेलू कामगारों की समग्र कार्य स्थितियों को विनियमित करने वाली एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए और यह श्रम कानूनों के दायरे में किया जाना चाहिए।
- **मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजना के अधिदेश का विस्तार करना:** घरेलू कामगारों की सामाजिक और चिकित्सा शिकायतों को दूर करने और स्वास्थ्य परामर्श को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य

बीमा योजना जैसी मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधिदेश का विस्तार और संशोधन किया जा सकता है।

- **महामारी के दौरान सामाजिक और वित्तीय बीमा तक पहुंच:** महामारी के दौरान, घरेलू काम को 'आवश्यक सेवा' के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए और पंजीकृत प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा या आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत सामाजिक और वित्तीय बीमा उपलब्ध कराया जाएगा।
- **संघीकरण:** जिला नगर पालिकाओं द्वारा घरेलू कामगारों की ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण और फिर कल्याण बोर्डों में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें।
- **नियोक्ताओं का पंजीकरण और जुर्माना लगाना:** राज्य को घरेलू कामगारों के साथ-साथ नियोक्ताओं के पंजीकरण का भी प्रावधान करना चाहिए। अनुपालन न करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **कानून प्रवर्तन एजेंसियों का संवेदीकरण:** घरेलू कामगारों को अनावश्यक आपराधिक धमकी मिलने के मुद्दे पर अंकुश लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।
- **घरेलू कामगारों पर आईएलओ कन्वेंशन, 2011 की पुष्टि:** भारत को राष्ट्रीय विधायी ढांचे में कमियों को दूर करना चाहिए और इसके बाद घरेलू कामगारों पर आईएलओ कन्वेंशन की पुष्टि करनी चाहिए।

7.76 आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपर्युक्त सिफारिशें 7 जुलाई 2021 को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गईं।

"मथुरा-वृंदावन और वाराणसी के आश्रय गृहों में रहने वाली विधवाओं के मानव अधिकारों के मुद्दे" पर आंतरिक बैठक

7.77 "मथुरा-वृंदावन और वाराणसी के आश्रय गृहों में रहने वाली विधवाओं के मानव अधिकारों के मुद्दे" पर 20 जून 2021 को एक आंतरिक बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता एनएचआरसी के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने की।

7.78 प्रस्तुतिकरण के दौरान उजागर किये गये मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं:

- अवसंरचना का अभाव: विधवाओं के आश्रय गृहों में अत्यधिक भीड़भाड़, रहने की अस्वास्थ्यकर स्थितियां, बुनियादी सुविधाओं की कमी।
- स्वास्थ्य के मुद्दे: विधवाओं के आश्रय गृहों में कोई नियमित स्वास्थ्य जांच नहीं होती है, कोविड-19 टीकाकरण और परीक्षण के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
- आर्थिक एवं सामाजिक लाभ की योजनाओं तक पहुंच का अभाव: संपत्ति के अपने अधिकारों को पाने में सक्षम न होने, बेरोजगारी, कौशल प्रशिक्षण की कमी, कोई वित्तीय सहायता न होने के कारण इन विधवाओं को उनके परिवारों द्वारा त्याग दिया जाता है और कई विधवाएं जीवित रहने के लिए भीख मांग रही हैं। इसके अलावा, पहचान के उचित दस्तावेजों और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण विधवाओं की सामाजिक कल्याण योजनाओं तक पहुंच नहीं है।
- निराश्रित विधवाओं के लिए आश्रय गृह हेतु धन की कमी: अधिकांश विधवाओं के आश्रय गृहों का रख-रखाव ख़राब है और अपर्याप्त धन के कारण, रहने की स्थितियाँ निम्न स्तरीय और दयनीय बनी हुई हैं।
- निराश्रित विधवाओं पर अद्यतन जनसांख्यिकीय डेटा का अभाव: उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के बारे में केवल सीमित और पुराना डेटा ही उपलब्ध है।

- जागरूकता की कमी: जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण विधवाएँ अपने संवैधानिक, कानूनी और मानव अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं।

7.79 बैठक से जो प्रमुख सुझाव सामने आए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- विधवाओं की दुर्दशा को खत्म करने और उनके सम्मानजनक जीवन का रास्ता बनाने के लिए संपत्ति के उनके अधिकारों को बहाल करने की आवश्यकता है।
- विधवाओं को उनके हाल पर छोड़ने की प्रथा को कानून के तहत दंडनीय बनाकर इसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए।
- यदि निराश्रित विधवाओं को बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप भोजन, आश्रय, सम्मान और संपत्ति के अधिकार सहित उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो सरकार को कल्याणकारी योजनाओं के गैर-क्रियान्वयन के लिए उत्तर देह बनाया जा सकता है।
- विधवाओं को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए।
- सरकार को विधवाओं को मासिक पेंशन की राशि की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

महिलाओं संबंधी कोर समूह

7.80 श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में 14 सितम्बर 2021 को महिलाओं पर कोर समूह की बैठक आयोजित की गई जिसका विषय **'अंतरराष्ट्रीय मंचों में महिलाओं की भागीदारी'** था, जैसा कि महिलाओं के साथ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) के अनुच्छेद 8 के तहत बहाल किया गया था, जिसे 1993 में भारत द्वारा अनुमोदित किया गया था।

7.81 बैठक में कोर समूह के सदस्यों, विदेश मंत्रालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विशेष रूप से आमंत्रित व्यक्तियों ने भाग लिया।

7.82 इस बैठक का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिलाओं की कम भागीदारी के कारणों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर चर्चा करना था।

चित्र: 14 सितंबर 2021 को आयोजित महिलाओं संबंधी कोर समूह की बैठक

7.83 बैठक से निकली प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- लैंगिक मुख्यधारा के माध्यम से संसद में महिलाओं की अधिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। साथ ही, महिला प्रतिनिधियों को नामांकित करने के लिए संसद समिति तंत्र की समीक्षा की जानी चाहिए।
- भारतीय महिलाओं को रोजगार, हैंड-होल्डिंग, क्षमता-निर्माण, प्रशिक्षण और सीखने और काम करने, विदेशों की संस्कृति और मूल्यों को समझने और इस तरह राष्ट्र-निर्माण में योगदान करने के अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।
- लिंग का संकेत देने वाले, विदेशी सेवाओं में या राज्य की ओर से अंतरराष्ट्रीय कार्य में लगी महिलाओं का प्रतिशत दर्शाने वाले, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में सरकारी प्रतिनिधिमंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सहित, सार्वजनिक डोमेन पर अलग-अलग डेटा बनाए रखने और उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, और शांति स्थापना या संघर्ष समाधान भूमिकाओं आदि में, जैसा कि सीईडीएडब्ल्यू संबंधी सामान्य अनुशंसा संख्या 23 द्वारा तसदीक की गयी है।
- द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार संबंधों और बातचीत के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला उद्यमियों के लिए छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना।
- सरकार को विभिन्न क्षेत्रों की महिला अग्रणियों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ सहलग्नता के लिए फेलोशिप कार्यक्रम शुरू करने चाहिए।

7.84 उपर्युक्त सिफारिशें 01 अक्टूबर 2021 को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को भेज दी गईं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए एवरी वूमेन ट्रीटी के एक अंतरराष्ट्रीय संधि के प्रस्ताव के संबंध में बैठक

7.85 श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में 11 जनवरी 2022 को सुबह 11 बजे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि के प्रस्ताव पर एवरी वूमेन ट्रीटी के सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था। एवरी वूमेन ट्रीटी 1,700 से अधिक महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का एक गठबंधन है, जिसमें 128 देशों के 840 संगठन शामिल हैं जो महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर एक वैश्विक बाध्यकारी संधि को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बैठक में एवरी वूमेन ट्रीटी के प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों और एनएचआरसी अधिकारियों ने भाग लिया। दुनिया भर में लिंग आधारित हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए और इस मुद्दे के समाधान के लिए प्रस्तावित संधि की आवश्यकता और मुख्य विशेषताओं पर जोर देते हुए एक प्रस्तुति दी गई।

7.86 बैठक के दौरान, इस बात पर चर्चा की गई कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कानूनों की कुछ सीमाएँ हैं, और न्यायशास्त्र में वर्तमान अंतरराष्ट्रीय कानूनों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को दोहराया गया। साथ ही, महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए अच्छे विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को राष्ट्रों के साथ साझा किया जाना चाहिए। साथ ही, विशेषज्ञों द्वारा दिए गए प्रस्ताव और उठाए गए बिंदुओं पर आयोग में विचार-विमर्श किया जाएगा और उसके बाद आयोग द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

किए गए प्रकाशन - 'भारत में महिलाओं के अधिकार: महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) और भारतीय संविधान, विधि, योजनाएं, नीतियां और निर्णय 2021 का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'

7.87 महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसे महिलाओं के अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय विधेयक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव से संबंधित एक प्रस्तावना और 30 लेख शामिल हैं और इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई का एजेंडा तय किया गया है। यह कन्वेंशन महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को इस प्रकार परिभाषित करता है "... लिंग के आधार पर किया गया कोई भी भेदभाव, बहिष्कार या प्रतिबंध, जिसका प्रभाव या उद्देश्य महिलाओं की वैवाहित स्थिति के अनपेक्ष, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक या किसी अन्य क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं के मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की गुणवत्ता के आधार पर उनके द्वारा मान्यता, आनंद या व्यायाम को ख़राब करना या रद्द करना है।" तथापि, भारत ने 09 जुलाई 1993 को सीईडीएडब्ल्यू की पुष्टि की थी, और इस कन्वेंशन को स्वीकार करके, सरकार सभी रूपों में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

7.88 महिलाओं के विरुद्ध नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक भेदभाव के मौजूदा और प्रचलित मुद्दे पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वर्ष 2020 में महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन और घरेलू कानूनी ढांचे पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया। इस कार्य के लिए 01 मई 2020 को श्रीमती की ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उप-समिति का गठन किया गया।

7.89 19 महीनों तक अध्ययन पर काम करने और बारह बैठकें आयोजित करने के बाद, सीईडीएडब्ल्यू संबंधी उप-समिति की तेरहवीं आधिकारिक और अंतिम बैठक 12 नवंबर 2021 को आयोजित की गई। इस हाइब्रिड बैठक के दौरान, ' भारत में महिलाओं के अधिकार' शीर्षक वाली व्यापक पुस्तक की सामग्री को प्रतिभागियों द्वारा अंतिम रूप दिया गया। यह पुस्तक मूल रूप से सीईडीएडब्ल्यू और भारतीय संविधान, विधानों, योजनाओं, नीतियों और निर्णयों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है। यह इस कन्वेंशन के कार्यान्वयन की कमियों की भी पहचान करता है और उन कमियों को दूर करने के लिए सिफारिशें करता है।

7.90 10 दिसंबर 2021 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने 'भारत में महिलाओं के अधिकार: महिलाएँ के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (सीईडीएडब्ल्यू) और भारतीय संविधान, विधान, योजनाएँ, नीतियाँ और निर्णय 2021' नामक पुस्तक का विमोचन किया।)

7.91 यह पुस्तक सीईडीएडब्ल्यू पर सुश्री ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह अध्ययन लैंगिक भेदभाव को संबोधित करने और लैंगिक समानता सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। यह घरेलू कानूनों, नीतियों और अदालती फैसलों का अध्ययन करके भारत में सीईडीएडब्ल्यू के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करता है और उन्हें हल करने के उपायों की सिफारिश करता है।

7.92 इस पुस्तक में उल्लिखित सिफारिशें 04 जनवरी 2022 को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और उनके संबंधित विभागों को भेज दी गईं।

7.93 दृष्टान्त मामले

1. बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में दस साल की अवधि में 36 लड़कियों का यौन शोषण किया गया।

(प्रकरण संख्या 690/4/23/2019)

i. आयोग को दिनांक 29.11.2018 को सच्चिदानंद, निवासी आरयूएम गढ़ी, प्रखंड मधपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार से एक शिकायत मिली, जिसमें मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में दस साल तक 36 लड़कियों के यौन शोषण का आरोप लगाया गया था।

ii. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में पुलिस महानिदेशक, बिहार से दिनांक 14.9.2018 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई। उसमें बताया गया कि यह घटना मुजफ्फरपुर में एनजीओ 'सेवा संकल्प एवं विकास समिति' द्वारा संचालित बालिका बाल आश्रय गृह में घटी। महिला थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी। जांच के बाद, एनजीओ के मालिक और 20 अन्य आरोपियों, कुल 21 आरोपियों के विरुद्ध के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो अधिनियम की विशेष अदालत, मुजफ्फरपुर, बिहार की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। बाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मामला साकेत कोर्ट, नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी, पॉक्सो अधिनियम और जेजे अधिनियम के प्रावधानों के तहत 20 आरोपियों के विरुद्ध आरोप तय किए। उन्नीस आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और एक को बरी कर दिया गया है। सचिव, डीएलएसए द्वारा बताया गया कि लर्नेड निचली अदालत, साकेत, नई दिल्ली के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी निर्देशों का अनुपालन किया गया था। मुजफ्फरपुर बालिका गृह चलाने वाली एनजीओ मेसर्स सेवा संकल्प एवं विकास समिति का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। एनजीओ के मालिक और उनके सहयोगी कारागार में थे। यह भी बताया गया कि मुजफ्फरपुर में आश्रय गृह वाली इमारत को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत ध्वस्त कर दिया गया था, मामले की पूरी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई थी और सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित निर्धारित अवधि के भीतर पूरी की गई थी।

iii. आयोग ने पाया कि लड़कियों का लंबे समय तक यौन शोषण किया गया, लेकिन राज्य के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं थी, जो अधिकारियों की लापरवाही को दर्शाता है, जिन्होंने आश्रय गृह पर उचित निगरानी नहीं रखी, जिसके लिए राज्य परोक्ष रूप से उत्तरदायी था। इसलिए, दिनांक 19.02.2021 को संबंधित राज्य को उसके मुख्य सचिव के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें पूछा गया कि प्रत्येक पीड़ित को मुआवजे के रूप में 50,000/- रुपये की राशि

का भुगतान करने की अनुशंसा क्यों नहीं की गई।

iv. तथापि, आयोग को संबंधित प्राधिकारी से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिससे यह धारणा बन गई कि राज्य के पास इस मामले में आग्रह करने के लिए कुछ भी नहीं है, और इसलिए, आयोग ने दिनांक 11.06.2021 की कार्यवाही के माध्यम से अपनी मौद्रिक सिफारिश की पुष्टि की।

v. इसके बाद, दिनांक 01.10.2021 के पत्र के माध्यम से राज्य प्राधिकारियों को सूचित किया गया कि पीड़ित लड़कियों को तीन लाख से नौ लाख रुपये की मौद्रिक राहत का भुगतान किया गया और भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया गया।

vi. ऐसे तथ्यों के आलोक में मामला दिनांक 16.12.2021 को बंद कर दिया गया।

2. **भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिला गिरिडीह, झारखंड में महिला के कार्यस्थल पर उसका लैंगिक उत्पीड़न किया गया।**

(प्रकरण संख्या : 1294/34/8/2018-डब्ल्यूसी)

i. आयोग को शिकायतकर्ता के कथित उत्पीड़न के संबंध में दिनांक 11.09.2018 को एक शिकायत मिली, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान, गिरिडीह, झारखंड के गेस्ट हाउस और कैंटीन में 2015 से सहायक रसोइया (संविदा) के रूप में काम कर रही थी। दिनांक 20.03.2018 को, सीईओ अधिकारियों की बैठक ले रहे थे, और एक श्री प्रोविर चटराज गेस्ट हाउस में आए थे, जिन्होंने उन्हें यह कहकर लुभाने की कोशिश की कि वह उनका वेतन बढ़ा देंगे और फिर उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। उन्होंने इस मामले की जानकारी विभागाध्यक्ष को दी थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

ii. आयोग के निर्देशों के उत्तर में, दिनांक 30.9.2020 को राज्य प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई। यह पता चला कि मुख्य आरोपी और कई अन्य लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी ने अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और जमानत ले ली थी। यह भी बताया गया कि मामले की जांच चल रही है. आयोग को शिकायतकर्ता से एक पत्र भी प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि चूंकि उसने संस्थान के अधिकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया था, इसलिए उसके विभाग के अधिकारियों ने उसे परेशान किया था और वे उसे सेवा से बर्खास्त कर देंगे। यह भी आरोप लगाया गया कि उनकी पुलिस शिकायत के बाद प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के कारण, संविदात्मक कर्मचारियों की सेवाएं एक बाहरी एजेंसी को दी गईं जो कैंटीन चलाएगी। इस प्रकार, वह आयोग से अपनी संविदा सेवाओं को पहले की तरह बहाल करने की मांग कर रही थी। तथ्यों और परिस्थितियों के विश्लेषण पर, आयोग ने उल्लेख किया कि वह किसी बाहरी एजेंसी को कैफेटेरिया सेवाओं को अनुबंधित करने की संस्थान की नीति में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है, और चूंकि यह एक सेवा मामला था, इसलिए शिकायतकर्ता निवारण के लिए इसकी शिकायत उचित मंच पर कर सकती है।

iii. तथापि, आयोग ने पाया कि रिकॉर्ड से यह अच्छी तरह से स्थापित हो गया था कि शिकायतकर्ता का संस्थान के एक स्टाफ सदस्य द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया था, और संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी शिकायत के बावजूद संस्थान द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इस प्रकार, आयोग ने अपनी कार्यवाही दिनांक 10.11.2020 के तहत, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए उसे 1,50,000/ रुपए का मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

iv. प्रत्युत्तर में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता के कार्यवाहक कार्यकारी (प्रशासन और वित्त) ने कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि पीड़िता द्वारा आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी। आईएसआई ने विशाखा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जांच की। आईसीसी की अनुशंसा पर उक्त आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वित्त एवं लेखा) और उप मुख्य कार्यकारी (प्रशासन) ने उक्त शाखा का दौरा किया और शिकायतकर्ता से बातचीत की और उसे निडर होकर संविदा रसोइया के रूप में अपना काम जारी रखने का आश्वासन दिया।

v. संस्थान प्रशासन ने वहां तैनात कर्मियों का मनोबल बढ़ाने के लिए भी कई कदम उठाए। संस्थान प्रशासन के बार-बार आश्वासन देने के बाद भी, उसने यौन उत्पीड़न की घटना से संबंधित आरोपी अधिकारी और संस्थान के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। संस्थान की नीति के अनुसार, संस्थान के संविदा कर्मचारी वर्तमान में एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से लगे हुए थे और शिकायतकर्ता अब उस एजेंसी के माध्यम से आईएसआई गिरिडीह शाखा में एक कुशल रसोइया के रूप में कार्यरत थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि असुरक्षा और बेरोजगारी की भावना कोई मुद्दा नहीं थी क्योंकि पीड़िता अब पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ स्वतंत्र और शांतिपूर्ण वातावरण में संस्थान में काम कर रही थी और उसने श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पास दर्ज अपनी शिकायत वापस ले ली थी। अपने कार्यस्थल पर उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने की घटना के बाद पीड़िता का डर और आशंका तथ्यों से परे है। संस्थान ने उसके लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं ताकि वह संस्थान में उक्त कार्य जारी रख सके। ऐसा कहने के बाद, यह प्रार्थना की गई कि अब मामले को बंद कर दिया जाए, और उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाए क्योंकि संस्थान ने उसके वित्तीय और अन्य सामाजिक कल्याण अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से पर्याप्त कदम उठाए हैं।

vi. आयोग ने पाया कि वह प्रतिवादी की इस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि संस्थान ने अब पीड़िता की आर्थिक या अन्यथा सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं, और इसलिए उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। अधिकारी इस बात को समझने में भी असफल रहे कि मौजूदा मामले में पीड़िता को आर्थिक मुआवजा देने की सिफारिश इस आधार पर की गई थी कि अधिकारी पीड़िता के सम्मान को प्रभावित करने वाले उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही बरत रहे थे। ऐसी चूक और लापरवाही के लिए, संस्थान पर परोक्ष दायित्व है, जिसे केवल इस आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है कि, वर्तमान में, संस्थान ने अपने वित्तीय और अन्य सामाजिक कल्याण अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय रूप से पर्याप्त कदम उठाए हैं। उपर्युक्त कारणों से, आयोग ने दिनांक 17.3.2021 की कार्यवाही के माध्यम से अपनी सिफारिश की पुष्टि की।

vii. इसके बाद, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता ने बताया कि आयोग द्वारा अनुशंसित मौद्रिक राहत का भुगतान पीड़ित को कर दी गई थी, और मामला दिनांक 18.06.2021 को बंद कर दिया गया था।

3. उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर में एक आवासीय विद्यालय की सत्तर लड़कियों को वार्डन ने जाँचने के लिए कपड़े उतार दिए, जिन्होंने मासिक धर्म के खून से बाथरूम को खराब कर दिया था।

(प्रकरण संख्या 10587/24/57/2017-डब्ल्यूसी)

i. आयोग को दिनांक 03.04.2017 को मानव अधिकार कार्यकर्ता राधाकांत त्रिपाठी से एक शिकायत

मिली, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक आवासीय विद्यालय की 70 लड़कियों को वार्डन द्वारा अशोभनीय और अमानवीय स्थिति का सामना करना पड़ा और उनके कपड़े उतारकर मासिक धर्म के खून की जांच की गई। लड़कियों ने दावा किया कि तलाशी के दौरान उन्हें कक्षा में नग्न अवस्था में बैठाया गया।

ii. आयोग के निदेशों के प्रत्युत्तर में जिला मजिस्ट्रेट से उनके दिनांक 31.03.2017 के आदेश के तहत अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिससे पता चला कि वार्डन की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गयीं हैं, और दिनांक 31.03.2017 को को पुलिस स्टेशन खतौली में उसके विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच के दौरान आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रमाणित हुए और अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया गया।

iii. रिपोर्टों के अवलोकन पर आयोग ने पाया कि जांच के दौरान वार्डन के विरुद्ध आरोप प्रमाणित हुए। परिणामस्वरूप, वार्डन के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया। रिपोर्टों के अनुसार, यह स्पष्ट था कि वार्डन ने मासिक धर्म के रक्त की जांच के लिए 70 स्कूली छात्राओं के कपड़े उतार दिए थे, और आयोग ने निर्धारित किया कि यह शारीरिक यातना और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की ओर से लापरवाही का एक स्पष्ट मामला था। इसके अलावा, यह भी देखा गया कि घटना के बाद कई लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया था, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक और पहलू था। इसलिए, आयोग ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से संबंधित राज्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि प्रत्येक पीड़ित लड़की को 25,000/- रुपये का मौद्रिक मुआवजा देने की अनुशंसा क्यों नहीं की जानी चाहिए।

iv. प्रत्युत्तर में, विशेष सचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 04.07.2018 में कहा कि वार्डन की सेवाएं, जिन्हें 70 छात्राओं को नग्न करने का दोषी पाया गया था, पहले ही बर्खास्त कर दी गई थीं। यह भी दलील दी गई कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रति लड़की 25,000/- रुपये (अर्थात् 17,50,000/- रुपये) के मौद्रिक मुआवजे के भुगतान के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी, इसलिए, मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा सकता।

v. आयोग ने रिपोर्ट की जांच की और छात्रों को अंतरिम राहत प्रदान करने के राज्य सरकार की असमर्थता पर विचार किया, और कहा गया कि केंद्र सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तहत चलने वाले स्कूल को कोई राहत प्रदान नहीं की गई थी। तथापि, संबंधित विभाग यह दिखाने के लिए उसके अभिलेख में कुछ भी नहीं था कि राज्य सरकार ने पीड़ितों को मौद्रिक राहत के भुगतान के मुद्दे पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग/मंत्रालय के साथ मामला उठाया था। केवल यह दावा कि जिला मजिस्ट्रेट ने विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की है और दोषी वार्डन की सेवाओं को समाप्त कर दिया है और साथ ही उसके कृत्यों के लिए उसके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई की गई है, कारण बताओ नोटिस वापस लेने की दलीलों से सहमत नहीं किया जा सकता है। आयोग ने पाया कि राज्य के प्राधिकारी पीड़ितों के मानव अधिकारों के उल्लंघन के प्रति प्रतिरक्षित प्रतीत होते हैं, जिनकी गरिमा को राज्य के अधिकारियों द्वारा दांव पर लगा दिया गया है और, शायद, वे कानूनी स्थिति से अनभिज्ञ हैं कि राज्य का इसका नौकर के कृत्यों के लिए परोक्ष दायित्व बनता है। इसलिए, आयोग ने अपनी सिफारिशों की फिर से पुष्टि की।

vi. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्र दिनांक 05.10.2021 द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट दिनांक 13.09.2021 प्रस्तुत की गयी कि धनराशि 70 छात्राओं में से 63 पीड़ित छात्राओं को 25,000/- प्रत्येक को मुआवजे के रूप में भुगतान किया गया है। शेष 05

पीड़ित लड़कियों की बैंक आईडी उनके क्रेडेंशियल उपलब्ध न होने के कारण नहीं बनाई गई है और मुआवजा राशि जल्द ही जमा की जाएगी। अन्य दो लड़कियों का पता नहीं चल पा रहा है, उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है।

vii. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, उक्त मामला दिनांक 08.11.2021 को बंद कर दिया गया।

ज. बच्चों के अधिकार

7.94 भारत में बच्चों की सुरक्षा, अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भेदभाव और उनके अधिकारों का उल्लंघन दुखद रूप से उच्च दर पर हो रहा है। एनएचआरसी, भारत, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपने काम और कार्यप्रणाली में इन विषयगत क्षेत्रों को बहुत महत्व देता है।

7.95 इसके अलावा, भारत बच्चों के अधिकारों से संबंधित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों में पक्षकार है, जिसमें वर्ष 1992 में अनुसमर्थित बाल अधिकार कन्वेंशन (सीआरसी), 1989 भी शामिल है। सीआरसी के अनुसमर्थन के बाद, इसके प्रावधान कई नीतियों, कानूनों, योजनाओं और कार्यक्रमों में परिलक्षित होते हैं जो भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

7.96 इन कानूनों और प्रावधानों के बावजूद, इस समूह के सदस्यों द्वारा सामना किए जाने वाले कई अभावों और हिंसा का अंतर-पीढ़ीगत चक्र प्रतिकूल रहा है। इसलिए, बच्चों के लिए एक सुरक्षात्मक और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने की दिशा में काम करना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो अपनी भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक पहचान के कारण हाशिए पर हैं।

7.97 नीचे दिए गए पैराग्राफ बच्चों के अधिकारों पर आयोग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं।

7.98 **'बाल देखभाल संस्थानों' संबंधी इन-हाउस बैठक :** बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक इन-हाउस बैठक 12 जुलाई 2021 को आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता एनएचआरसी के माननीय अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने की थी।

चित्र : श्री न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, एनएचआरसी, 12 जुलाई 2021 को सीसीआई विषय पर आयोजित इन-हाउस बैठक की अध्यक्षता करते हुए।

7.99 इस चर्चा से निकले प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :

- सीसीआई का बहुस्तरीय निरीक्षण तंत्र पहले से ही प्रावधान किया गया है; तो फिर, जरूरत इस बात की जांच करने की है कि निरीक्षण की ये परतें प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं या नहीं।
- सीसीआई में बच्चों से संबंधित किसी भी पहल और भारत में सीसीआई की स्थिति में सुधार के लिए एनएचआरसी, एमओडब्ल्यूसीडी और एनसीपीसीआर/एससीपीसीआर के बीच सहयोगात्मक प्रयासों

की आवश्यकता होगी।

- देश भर से सीसीआई की सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित किया जाना चाहिए और अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए प्रसारित किया जाना चाहिए।
- समस्या क्षेत्रों की जल्द से जल्द पहचान करने के लिए आयोग द्वारा बच्चों के अधिकारों पर जारी परामर्शी 1.0 और परामर्शी 2.0 पर फीडबैक मांगा जाना चाहिए।
- जेलों में बच्चों को कैद करने और जेलों के भीतर सुरक्षित स्थानों की स्थापना के मुद्दे पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- सीसीआई में अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने के बच्चों के अधिकारों की एक बड़ी कमजोरी और उल्लंघन बच्चों के लिए निडर तरीके से संवाद करने के लिए पर्याप्त जगह की कमी है। अधिकांश सीसीआई में बच्चे विभिन्न कारणों से चाइल्डलाइन (1098 हेल्पलाइन) तक पहुंचने में असमर्थ हैं। सभी निरीक्षण प्राधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए और स्वयं बच्चों से प्राप्त फीडबैक के साथ-साथ इस पहलू की कार्यप्रणाली पर विशिष्ट फीडबैक प्रदान करना चाहिए।

7.100 'बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा: मुद्दे और चुनौतियाँ' विषय पर वेबिनार : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 21 दिसंबर 2021 को 'बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा: मुद्दे और चुनौतियाँ' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार की अध्यक्षता श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी ने की। इस बैठक में आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा, डीसीपीसीआर, नीति आयोग, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एनसीईआरटी, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, सीएसओ, स्कूलों, अभिभावक एसोसिएशन सहित सरकारी निकायों के प्रतिनिधियों आदि ने भाग लिया। इस वेबिनार का उद्देश्य बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा में मुद्दों और चुनौतियों को समझना, बच्चों के समग्र विकास पर इसके प्रभाव और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए समाधान ढूंढना था। वेबिनार के एजेंडे पर दो तकनीकी सत्रों में चर्चा की गई; पहला तकनीकी सत्र 'डिजिटल डिवाइड' पर था और दूसरा सत्र 'बच्चों के संपूर्ण विकास पर प्रभाव' पर था।

चित्र: 21 दिसंबर 2021 को आयोजित 'बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा: मुद्दे और चुनौतियाँ' विषय पर वेबिनार ।

7.101 विचार-विमर्श से निकली प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- शिक्षा की निरंतरता पर ध्यान देने की जरूरत है, खासकर समाज के गरीब और हाशिये पर मौजूद वर्गों के मामले में। इस संबंध में सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जानी चाहिए।

- सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (एसईएल) पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि डिजिटल शिक्षा ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी प्रभाव डाला है, खासकर महामारी के बाद की अवधि में।
- शिक्षा के क्षेत्र में अंतर-मंत्रालयी अभिसरण और स्थानीय स्तर से केंद्रीय स्तर तक सहयोग की आवश्यकता है।
- डिजिटल शिक्षा में अपेक्षित सहायता प्रदान करने का बोझ शिक्षकों या अभिभावकों पर नहीं होना चाहिए। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।
- साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए, वे इस प्रकार हैं: बच्चों को संतुलित डिजिटल आहार देना, उनकी दोस्ती और जिन लोगों के साथ वे ऑनलाइन बातचीत करते हैं, उन गैजेट्स की निगरानी करना, जिस तरह की सामग्री का वे उपभोग कर रहे हैं और इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य और स्वस्थता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर ध्यान देना।
- दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, विशेष रूप से समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षण शिक्षण सामग्री (टीएलएम) के माध्यम से अपनाया जाना चाहिए।
- नीति-निर्माण करते समय डिजिटल शिक्षा के संदर्भ में प्रयुक्त शब्दों का सावधानीपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। "एक्सेस" के स्थान पर "फंक्शनल एक्सेस" को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और "डिजिटल-सक्षम शिक्षा" "डिजिटल शिक्षा" की तुलना में बेहतर है।
- शिक्षा की गुणवत्ता, समानता और सार्वभौमिकरण के प्रमुख प्रश्नों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे समाज के सभी बच्चों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक रूप से परीक्षण किए गए मॉडल विकसित करना चाहिए।
- उचित वित्तीय संसाधनों का आवंटन कम लागत वाले उपकरण और तकनीकी समाधान लाने और मुफ्त गैजेट वितरित करने के प्रयास करके किया जाना चाहिए।
- 'प्रज्ञाता दिशानिर्देश' का बेहतर कार्यान्वयन।

7.102 कोविड-19 (2.0) के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए मानव अधिकार परामर्शी : 29 सितंबर 2020 की पिछली परामर्शी को जारी रखते हुए, आयोग ने 'बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए 02 जून 2021 को 'कोविड-19 (2.0)' के संदर्भ में संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को इसके कार्यान्वयन के लिए एक और परामर्शी जारी की है।

7.103 बच्चों संबंधी कोर समूह : श्रीमती ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी की अध्यक्षता में 'बच्चों के सीखने के परिणामों पर कोविड-19 का प्रभाव: अंतर पाटना' के एजेंडे पर 25 फरवरी 2022 को बच्चों पर कोर समूह की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में एनएचआरसी के अधिकारियों और कोर समूह के सदस्यों के अलावा शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ इंडिया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

चित्र: 25 फरवरी 2022 को आयोजित बच्चों संबंधी कोर समूह की बैठक।

7.104 बैठक से निकली प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- 11 लाख शिक्षकों की मौजूदा रिक्तियों का समयबद्ध तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए।
- निचली कक्षा के छात्रों को पढ़ाने के लिए सामुदायिक स्तर के स्वयं सेवकों या भुगतान पर व्यक्तियों को संघटित किया जा सकता है।
- नए स्कूल वर्ष की योजना इस तरह से बनाई जानी चाहिए कि ग्रेड I और II के छात्रों के शुरुआती कुछ महीनों का उपयोग उन्हें सीधे संख्यात्मकता और साक्षरता में धकेलने के बजाय प्री-स्कूल प्रकार की गतिविधियों के लिए किया जाए, ताकि बुनियादी मूलभूत शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- ग्रेड III से VIII के लिए प्राथमिकता बुनियादी पठन कौशल, समझने की क्षमता और बुनियादी गणितीय कार्यों को करने में आत्मविश्वास पैदा करने में बच्चों की दक्षता सुनिश्चित करना होना चाहिए ।
- शिक्षकों को हर संभव तरीके से बच्चों का समर्थन करना चाहिए और शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया की योजना बनाने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए। बच्चों के सामाजिक और मानसिक कल्याण को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, प्रत्येक बच्चे की वर्तमान स्थिति की पहचान करने और उन्हें कहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है, इसकी योजना बनाने की दिशा में विस्तार किया जाना चाहिए। विचारों पर चर्चा करने, विचार साझा करने और आगे की योजना बनाने में सभी हितधारकों को एक साथ शामिल करके सहयोगात्मक प्रयास किए जाने चाहिए। सीखने की हानि की तेजी से भरपाई के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाना चाहिए, उनका पालन किया जाना चाहिए और दोहराया जाना चाहिए।
- कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए और जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग को ध्यान में रखते हुए समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग शिक्षकों, अध्यापकों और शिक्षण समुदायों का एक नेटवर्क बनाने और उन्हें गुणवत्तापूर्ण सामग्री से समृद्ध करने के लिए किया जाना चाहिए।
- डेटा का बार-बार संग्रह किया जाना चाहिए ताकि समस्या वाले क्षेत्रों में सुधार के लिए चालू योजनाओं की प्रगति की बारीकी से निगरानी की जा सके।

- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए जो बच्चों में आत्मविश्वास और प्रेरणा पैदा करने के लिए शिक्षकों को आवश्यक सामग्री और कौशल से लैस करके शिक्षण-सीखने की प्रक्रिया को सक्षम बनाता है।
- आने वाले महीनों का उपयोग कुछ केंद्रित शिक्षण सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करके और मूलभूत कौशल में सुधार के लिए सही स्तर के कार्यक्रमों को पढ़ाकर लचीले तरीके से किया जाना चाहिए।
- शिक्षा के डिजिटल मोड के लिए आवश्यक सभी संसाधनों को व्यक्तिगत उपकरणों की ओर खर्च करने के बजाय, स्कूलों को हार्ड कॉपी के रूप में पर्याप्त और तात्कालिक शिक्षण सामग्री प्रदान की जानी चाहिए।
- बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए विकेंद्रीकृत मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

क. एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार

7.105 एलजीबीटीक्यूआई लोगों की सुरक्षा, अस्तित्व, विकास, भागीदारी और सशक्तिकरण के लिए भारत में संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद भेदभाव और उनके अधिकारों का उल्लंघन दुखद रूप से उच्च दर पर जारी है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्वीर, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स (एलजीबीटीक्यूआई) समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की स्थिति भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं तो समान रूप से असुरक्षित रही है। इस संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, एनएचआरसी, भारत, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और अपने काम और कार्यप्रणाली में इन विषयगत क्षेत्रों को बहुत महत्व देता है।

7.106 नीचे दिए गए पैराग्राफ महिलाओं, बच्चों, एलजीबीटीक्यूआई के अधिकारों और दुवर्यापार पर आयोग, विशेष रूप से नीति अनुसंधान, परियोजना और कार्यक्रम प्रभाग, संक्षेप में एनएचआरसी के अनुसंधान प्रभाग द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं।

ट्रांसजेंडर्स को स्वास्थ्य देखभाल पहुंच से संबंधित मुद्दों पर ट्रांसकेयर टीम (संगत) के साथ बैठक

7.107 ट्रांसजेंडरों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पहुंच से संबंधित मानव अधिकार मुद्दों पर 03 सितंबर 2021 को ट्रांसकेयर टीम (संगत) के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता माननीय सदस्य, एनएचआरसी, श्रीमती ज्योतिका कालरा ने की। इस बैठक में एनएचआरसी के अधिकारी और टीम ट्रांसकेयर (संगथ.इन/ ट्रांसकेयर) ने भाग लिया। ट्रांसकेयर टीम ने अपनी दो चालू परियोजनाएं ट्रांसकेयर कोविड-19 (सगथ.इन/ ट्रांसकेयरकोविड19) और ट्रांसकेयरमेडएड प्रस्तुत किए।

7.108 इस बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :

- यौन क्रिया, लिंग और कामुकता के संबंध में डॉक्टरों और परिचारकों जैसे स्वास्थ्य पेशेवरों के बीच समझ की कमी अक्सर उनके अनुचित व्यवहार और ट्रांस-आइडेंटिटी को एक विकार और यहां तक कि दुवर्यापार के रूप में समझने की ओर ले जाती है।
- ट्रांसजेंडर समुदाय के सामने आने वाली संरचनात्मक बाधाएं, स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और अन्य स्थानों पर उपयुक्त वार्डों और शौचालयों की अनुपलब्धता।
- कोविड-19 महामारी के दौरान स्व-दवा (सेल्फ मेडिकेशन) सहित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच में देरी। इसके अलावा, ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के प्रश्न कि क्या वे चल रहे हार्मोनल और चिकित्सा उपचार के साथ टीका ले सकते हैं।

- लिंग, लैंगिकता, जाति और पहचान पत्र या आधार कार्ड की अनुपलब्धता के कारण कोविड-19 वैक्सीन पहुंच में संरचनात्मक असमानता। हाल ही में संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, भारत में पांच लाख ट्रांसजेंडर आबादी (जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार) में से केवल 60,000 के पास अब तक आधार कार्ड हैं, और लगभग 90,000 को कम से कम एक खुराक का टीका लगाया गया है।

ञ. मानव दुवर्यापार

7.109 विशेषकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा दुवर्यापार का है, जो एक संगठित अपराध है। महिलाओं और बच्चों की दुवर्यापार बढ़ती वैश्विक चिंता का विषय है। मानव दुवर्यापार का शिकार व्यक्ति दुवर्यापार के सभी चरणों में निरंतर और अनेक अपराधों का शिकार होता है। भारतीय कानूनी प्रणाली में, मान्यता प्राप्त शब्द 'मानव दुवर्यापार' या 'मानव की दुवर्यापार' है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 23(1) के तहत निषिद्ध है।

व्यक्तियों की दुवर्यापार (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 पर बैठक

7.110 'व्यक्तियों की दुवर्यापार के विरुद्ध विश्व दिवस' के अवसर पर माननीय सदस्य श्रीमती के ज्योतिका कालरा की अध्यक्षता में एक बैठक दिनांक 30.07.21 को आयोजित की गयी, जिसमें व्यक्तियों की दुवर्यापार (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021 पर गंभीर चर्चा की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, विषय विशेषज्ञ और दुवर्यापार और बच्चों के विषय पर एनएचआरसी के विशेष मॉनिटरों के प्रतिनिधियों सहित सभी महत्वपूर्ण हितधारकों ने भाग लिया।

7.111 इस बैठक में हुई चर्चाओं के आधार पर, एनएचआरसी ने अगस्त, 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को मानव दुवर्यापार (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक पर टिप्पणियाँ/सुझाव उनके विचार के लिए प्रस्तुत किए। अध्याय/धारा-वार टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं :

<u>विधेयक की प्रस्तावना</u>

1. "व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की दुवर्यापार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए, पीड़ितों को उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान करने और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक और सामाजिक वातावरण बनाने और अपराधियों की, और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए भी।"

सुझाव : प्रस्तावना में - "विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों" शब्द को हटा दिया जाना चाहिए ('विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे' 2016 के विधेयक में नहीं था), क्योंकि इसकी मौजूदगी से अधिकारियों के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि विशेष जोर केवल महिलाओं और बच्चों पर ही दिया गया है।

<u>अध्याय I: प्रारंभिक</u>

धारा 2: परिभाषाएँ

2. धारा 2 (3) [बच्चा]: "बच्चे का वही अर्थ होगा जो किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2 के खंड (12) में दिया गया है"।

सुझाव: 'बच्चे' की परिभाषा का उल्लेख किया जाना चाहिए - "बच्चे" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

3. धारा 2(7) [शोषण]: "शोषण में किसी अन्य व्यक्ति के लाभ या लाभ के लिए किसी भी रूप या तरीके से

उचित या उचित विचार, मुआवजे या वापसी के बिना किसी पीड़ित को नुकसान पहुंचाना या उससे लाभ लेना शामिल है, जो स्वयं ऐसे शोषण का अपराधी हो सकता है या नहीं हो सकता है।"

सुझाव: पीड़ित के बाद परिभाषा को संशोधित किया जा सकता है, "असुरक्षा के कारण; ["शोषण" में किसी अन्य व्यक्ति के लाभ या लाभ के लिए किसी भी रूप या तरीके से उचित या उचित विचार, मुआवजे या रिटर्न के बिना "असुरक्षा के कारण" किसी पीड़ित को नुकसान पहुंचाना या उससे लाभ या लाभ लेना शामिल है, जो स्वयं या ऐसे शोषण का अपराधी हो सकता है या नहीं हो सकता"]

4. धारा 2(8)[मजिस्ट्रेट]: "मजिस्ट्रेट का अर्थ है एक जिला मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, या इस अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी"।

सुझाव: वर्तमान विधेयक की धारा 2(8) में परिभाषित 'मजिस्ट्रेट' शब्द में 'न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट' शब्द भी शामिल होना चाहिए।

5. धारा 2(21)[पुनर्वास]: " पुनर्वास में पीड़ित की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई को बहाल करने की सभी प्रक्रियाएं शामिल होंगी, और इसमें सुरक्षा, शिक्षा तक पहुंच, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सहायता, चिकित्सा सेवाएं, आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनी सहायता और सहायता, सुरक्षित और संरक्षित आवास शामिल होंगी।"

सुझाव: 'और शामिल' शब्द के बाद, 'उचित और स्पष्ट मुआवजा' जोड़ा जाए; ['पुनर्वास' में पीड़ित के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण को बहाल करने की सभी प्रक्रियाएं शामिल होंगी, और इसमें "उचित और स्पष्ट मुआवजा", सुरक्षा, शिक्षा तक पहुंच, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक सहायता, चिकित्सा सेवाएँ, आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनी सहायता और सहायता, सुरक्षित और सुरक्षित आवास शामिल होगी।]

6. धारा 2(30): "इस अधिनियम में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन भारतीय दंड संहिता, 1860, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में उनके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं ।

सुझाव : अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम 1956, बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम 1976, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और वर्तमान में प्रवृत्त अन्य प्रासंगिक भारतीय कानून, वर्तमान विधेयक की धारा 2(30) में डाला जाना चाहिए।

7. **सुझाव:** अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अनुसार, "वेश्यावृत्ति" की परिभाषा जोड़ें, जैसा कि विधेयक में इस शब्द का उपयोग किया गया है, अर्थात, "वेश्यावृत्ति" का अर्थ व्यक्तियों का यौन शोषण या दुवर्यापार से है। वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए, और अभिव्यक्ति "वेश्या" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा।

8. **सुझाव:** अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 की धारा 2 (ञ) के अनुसार, "मानव दुवर्यापार रोधी पुलिस अधिकारी" शब्द की परिभाषा जोड़ें, जैसा कि विधेयक में इस शब्द का उपयोग किया गया है, अर्थात, "दुवर्यापार पुलिस" अधिकारी" का अर्थ धारा 13 की उपधारा (4) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक पुलिस अधिकारी से है।

<u>अध्याय II: इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों की दुवर्यापार और अन्य अपराधों की रोकथाम और मुकाबला</u>

9. धारा 3: [इस अधिनियम के तहत व्यक्तियों की दुवर्यापार और अन्य अपराधों की रोकथाम और मुकाबला करने के उपाय।]

सुझाव: धारा 3 के तहत, यह खंड जोड़ा जा सकता है कि 'दुवर्यापार के कमीशन से संबंधित प्रत्येक जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएगी।

अध्याय III: मानव दुवर्यापार रोधी समितियाँ और नोडल अधिकारी

10. धारा 5(3) [राष्ट्रीय मानव दुवर्यापार रोधी समिति]: "राष्ट्रीय मानव दुवर्यापार रोधी समिति निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात्...इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी निर्वहन के लिए दुवर्यापार समिति।"

सुझाव : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रतिनिधियों को क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मानव दुवर्यापार रोधी समितियों में सदस्य के रूप में शामिल किया जाए।

अध्याय IV: निवारक उपाय

11. धारा 10(2) [दुवर्यापार किये गए पीड़ितों की पहचान]: "किसी भी अन्य विधियों के प्रावधानों और वर्तमान में प्रवृत्त अनिवार्य अदालती निर्देशों के अध्यधीन, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी अपराध के अंतर्गत शोषित व्यक्तियों या शोषण के लिए कमजोर माने गए व्यक्तियों के प्रभावी पहचान, रेफरल और ट्रेकिंग के प्रयोजन के लिए आधार नामांकन का प्रयास किया जाएगा।"

सुझाव: 'ट्रैकिंग' शब्द को 'मॉनिटरिंग' से प्रतिस्थापित करें।

अध्याय V: पीड़ितों की देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास सहित खोज, बचाव या अविर्भाव और अविर्भाव पश्च कार्यकलाप

12. धारा 12(2) [संरक्षण गृह]: "संरक्षण गृह एक एकीकृत तरीके से एक ही छत के नीचे, जिस तरीके से निर्धारित किया जा सकता है, सुरक्षा, आश्रय, भोजन, कपड़े, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक परामर्श, चिकित्सा देखभाल, पुलिस सहायता और पीड़ितों के लिए आवश्यक अन्य सेवाएं प्रदान करेंगे।"

सुझाव: संरक्षण गृहों को जेजे अधिनियम, 2015 की भावना के अनुसार गैर-संस्थागतीकरण और समुदाय-आधारित पुनर्वास के लिए की गई कार्रवाइयों पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रदान करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।

अध्याय VIII: अपराध और दंड

13. धारा 26(4) [व्यक्तियों की दुवर्यापार के गंभीर रूप के लिए सजा]: "जहां किसी व्यक्ति को बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे के विरुद्ध, या बार-बार बलात्कार के उद्देश्य से किसी महिला के विरुद्ध इस धारा के तहत अपराध का दोषी ठहराया जाता है, व्यक्ति को बीस साल के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन जिसे पूरी जीवन तक बढ़ाया जा सकता है, या दूसरी या बाद की सजा के मामले में मौत और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, जिसे तीस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

सुझाव: इस खंड को "मृत्यु" से पहले "हो सकता है" जोड़कर संशोधित किया जा सकता है; "जहां किसी व्यक्ति को इस धारा के तहत बारह वर्ष से कम उम्र के बच्चे के विरुद्ध या किसी महिला के विरुद्ध बार-बार बलात्कार के उद्देश्य से अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो उस व्यक्ति को चालीस साल के कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, लेकिन आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है या दूसरी या बाद की सजा के मामले में मृत्युदंड और जुर्माना हो सकता है जिसे तीस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

अध्याय X: विविध

14. धारा 45(5) [दुवर्यापार किए गए व्यक्ति के साक्ष्य की रिकॉर्डिंग]: "इस अधिनियम में किसी भी बात के बावजूद, इस अधिनियम के तहत अपराधों की जांच और सुनवाई बंद कमरे में की जा सकती है यदि इस संबंध में किसी पीड़ित ओर से कोई आवेदन किया जाता है।"

सुझाव : यह धारा निर्धारित करती है कि यदि पीड़ित की ओर से आवेदन किया जाता है तो सभी मुकदमे 'बंद कमरे में' हो सकते हैं। एक विशिष्ट बयान की आवश्यकता है कि बच्चों के संबंध में सभी परीक्षण 'बंद कमरे में' होंगे, चाहे उनकी ओर से कोई भी आवेदन किया गया हो या नहीं।

अध्याय XI: कुछेक अधिनियमनों का संशोधन

15. धारा 58 - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 में आईपीसी की धारा 370 एवं 370 क को शामिल करने के संबंध में ।

सुझाव: बिल की धारा 58 का निरसन किया जाना चाहिए.

16. धारा 59 — आईपीसी से धारा 370 एवं 370 क को हटाने के संबंध में ।

सुझाव : विधेयक की धारा 59 का निरसन किया जाना चाहिए।

ट. बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार

7.112 आबादी की उम्र बढ़ना एक अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय जनसांख्यिकीय वास्तविकता है जो स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल में स्वागत योग्य सुधारों से जुड़ी है। दीर्घायु और घटती प्रजनन दर के साथ, विश्व स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों (60 वर्ष और उससे अधिक) की जनसंख्या सामान्य जनसंख्या की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। जब आबादी तेजी से बूढ़ी होती है, तो सरकारें अक्सर परिणामों का सामना करने और उन्हें कम करने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तीन प्रमुख जनसांख्यिकीय परिवर्तन-प्रजनन क्षमता में गिरावट, मृत्यु दर में कमी और अधिक उम्र में जीवित रहने में वृद्धि-जनसंख्या की उम्र बढ़ने में योगदान करते हैं जो युवा से वृद्ध की आयु संरचना में बदलाव के रूप में परिलक्षित होते हैं।

7.113 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 10.38 करोड़ बुजुर्ग व्यक्ति (60 वर्ष या उससे अधिक आयु के) हैं, जिनमें 5.27 करोड़ महिलाएं और 5.11 करोड़ पुरुष शामिल हैं। साक्ष्य से पता चलता है कि बुजुर्ग आबादी का हिस्सा और आकार बढ़ रहा था और इस प्रवृत्ति को कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जैसे कि लंबी उम्र में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, आर्थिक कल्याण आदि। इस वृद्धि के साथ, वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात, अर्थात्, 15-59 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 100 व्यक्तियों पर 60+ वर्ष के व्यक्तियों की संख्या भी बढ़ी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट, 'भारत में बुजुर्ग (2016)' के अनुसार, 2011 तक भारत में वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात 14.2 प्रतिशत था। हाल के अध्ययनों के अनुसार, सदी के अंत तक 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या का हिस्सा 2015 में आठ प्रतिशत से बढ़कर 2050 में 19 प्रतिशत होने का अनुमान है; देश में बुजुर्गों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 34 प्रतिशत होगी।

7.114 जनसंख्या की उम्र बढ़ने और वृद्धावस्था निर्भरता अनुपात में वृद्धि के गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव हैं जो बुजुर्गों के जीवन को असुरक्षित बनाते हैं। जबकि कुछ बुजुर्ग लोग अपना जीवन नियमित रूप से जीते रहते हैं, उनमें से कई लोग कई प्रकार के भेदभाव के शिकार होते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं - गरीबी, हिंसा, दुवर्यापार, असुरक्षा, खराब स्वास्थ्य और कल्याण, कम कमाई की क्षमता, वृद्धावस्था पेंशन की सीमित उपलब्धता, धमकियाँ और संपत्ति पर सीमित नियंत्रण, और निजी और सार्वजनिक निर्णय लेने में असमान भागीदारी। चुनौती उनकी भलाई सुनिश्चित करने की है और वे सुरक्षित, स्वस्थ और आरामदायक जीवन जीने में सक्षम रहें।

7.115 भारत के संविधान में अनुच्छेद 41 के तहत वृद्ध व्यक्तियों की भलाई अनिवार्य है, जिसमें कहा गया है कि, "राज्य, अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर, बुढ़ापे के मामलों में सार्वजनिक सहायता

के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।" इसके अनुसरण में, भारत सरकार ने वर्ष 1992 में वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीओपी) शुरू किया [बाद में इसका नाम बदलकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) कर दिया गया और 2018 में संशोधित किया गया] और बुजुर्गों के मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरन-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 को अधिनियमित किया गया।

7.116 बुजुर्गों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को स्वीकार करते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह नियमित रूप से बुजुर्गों के अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है, मौजूदा विधायी ढांचे और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है, उनसे संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें करता है और बुजुर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सिफारिशें करने के लिए अनुसंधान परियोजनाएं सौंपता है। इसके अलावा, आयोग बुजुर्गों के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से पुस्तिकाएं, मैनुअल और जर्नल आदि प्रकाशित करता है।

7.117 दृष्टान्त मामले

1 पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को धन की कमी के कारण सेवांत लाभ का भुगतान न करना

(प्रकरण संख्या 3451/30/2/2017)

i. यह मामला पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के स्वास्थ्य विभाग के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री विनोद कुमार खुराना से प्राप्त एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी पेंशन, उपदान और संरीकरण राशि जारी नहीं की गई थी।

ii. आयोग के निर्देशों के उत्तर में, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, (चिकित्सा) स्वास्थ्य विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बताया कि पेंशन के संराशिकरण की राशि 13,37,261/- रुपये और 11,44,440/- रुपये का मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान (डीसीआरजी) पारित कर दिया गया था, परंतु भुगतान जारी नहीं किया जा सका क्योंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम वित्तीय संकट का सामना कर रहा है।

iii. मामले के रिकॉर्ड पर गौर करने पर, आयोग ने पाया कि सच में, शिकायतकर्ता के पेंशन और डीसीआरजी के भुगतान से संबंधित बिलों का भुगतान बिल की मंजूरी की तारीख से एक वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा नहीं किया गया था। धन की अनुपलब्धता के लिए प्रथम दृष्टया, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद उसके वैध बकाया का भुगतान न करके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया था। इस तरह के मानव अधिकार उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए, आयोग ने मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया, कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18क(i) के अनुसार यह बताया जाए कि शिकायतकर्ता को 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के मौद्रिक मुआवजे की अंतरिम राहत क्यों न दी जाए।

iv. इसके अलावा, मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार, निदेशक, स्थानीय निकाय, एनसीटी दिल्ली सरकार और आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम को शिकायतकर्ता के सभी वैध बकाया का भुगतान उचित ब्याज के साथ दो सप्ताह के भीतर करने का भी निर्देश दिया गया और आयोग को भुगतान के प्रमाण के साथ की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

v. आयोग ने मामले पर आगे विचार किया और पाया कि राज्य अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चला कि न केवल याचिकाकर्ता, बल्कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों (लगभग 1885) को उनके सेवांत लाभों का भुगतान नहीं किया गया था। कर्मचारियों को मार्च, 2018 के बाद वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया था और गहरे वित्तीय संकट के कारण सेवानिवृत्त अधिकारियों को सेवांत लाभ का भुगतान भी नहीं किया गया था। आयोग ने राज्य अधिकारियों को मामले में पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।

vi. आयोग के निर्देशों के अनुसरण में, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के उप लेखा नियंत्रक ने बताया कि धन की कमी के कारण वेतन, बकाया और सेवांत लाभों के भुगतान में देरी हो रही है। कर्मचारियों की लगभग 1700 करोड़ रुपये की देनदारी ईडीएमसी पर पड़ी थी, जिसके लिए एनसीटी दिल्ली सरकार से बार-बार धन जारी करने का अनुरोध किया गया है।

vii. इसके अलावा, एनसीटी दिल्ली सरकार ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों को एनसीटी दिल्ली सरकार की वित्तीय मोचन दिल्ली वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्णयों के कानूनी तंत्र के अधीन है। सरकार दिल्ली वित्त आयोग के निर्णयों से परे भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार व्यक्तिगत कर्मचारियों की शिकायतों को हल करने के लिए बाध्य नहीं है और आयुक्त, ईडीएमसी के पास शिकायतकर्ता की शिकायतों को हल करने की कार्यकारी शक्तियां हैं। सरकार द्वारा ईडीएमसी को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है और ईडीएमसी में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन और पेंशन संबंधी मुद्दों को सुलझाना ईडीएमसी की जिम्मेदारी है।

viii. अभिलेखों का अवलोकन करने पर आयोग ने पाया कि उपर्युक्त दोनों रिपोर्टें एक-दूसरे की विरोधाभासी हैं। नगर निगम अधिकारियों ने कहा है कि सरकार द्वारा धन जारी नहीं किया गया है, जबकि दूसरी ओर, सरकार ने उल्लेख किया है कि नगर निगम अधिकारियों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। जाहिर है, वर्तमान मामले में राज्य प्राधिकारियों द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों का निवारण नहीं किया जा सका। शिकायतकर्ता को उसकी वैध देय राशि जारी करने में देरी के कारण कठिनाइयों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था और काफी समय बीत जाने के बावजूद उसका भुगतान नहीं किया गया था। लोक सेवकों की ओर से कमीशन और चूक के कृत्यों के कारण शिकायतकर्ता के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। आयोग ने वर्तमान मामले में राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए ऐसे मानव अधिकार उल्लंघनों को गंभीरता से लिया और मुख्य सचिव, एनसीटी दिल्ली सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के अनुसार शिकायतकर्ता को 25,000/- रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) के मौद्रिक मुआवजे की अंतरिम राहत का भुगतान करने का निर्देश दिया। भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जानी थी। साथ ही, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वे शिकायतकर्ता की सभी वैध बकाया राशि का भुगतान आज तक लागू ब्याज राशि के साथ करें। भुगतान के प्रमाण के साथ रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत की जानी थी।

ठ. दिव्यांगजन के अधिकार

7.118 विश्व स्तर पर, अनुमान है कि एक अरब से अधिक लोग, अर्थात् विश्व जनसंख्या का 15 प्रतिशत किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं। भारत में, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 2.68 करोड़ दिव्यांगजन रहते हैं, जो देश की कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत हैं। तथापि, यह डेटा दिव्यांगजन अधिनियम (पीडब्ल्यूडी), 1995 के अनुरूप था, जब अधिनियम के तहत दिव्यांगता की केवल सात श्रेणियों को मान्यता दी गई थी। तब से, भारत ने दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 को अधिनियमित करके दिव्यांगता की अपनी समझ को चिकित्सा मॉडल से अधिकार-आधारित मॉडल में स्थानांतरित कर दिया है। नया अधिनियम अब दिव्यांगता की 21 श्रेणियों को मान्यता देता है।

7.119 यह सर्वविदित है कि दुनिया भर में दिव्यांग व्यक्तियों को गैर-दिव्यांगजनों की तुलना में खराब स्वास्थ्य परिणाम, कम शिक्षा उपलब्धियां, कम आर्थिक भागीदारी और गरीबी की उच्च दर का अनुभव होता है। यह आंशिक रूप से दुर्गम भौतिक वातावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, परिवहन और सूचना के कारण है। इसके अलावा, दिव्यांगता और लिंग, आयु, कामुकता, वर्ग, जाति जैसे अन्य कारकों के बीच अंतर्संबंध अक्सर नुकसान और हाशिये पर जाने को बढ़ा देता है।

7.120 यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति समाज की धारणा भी उनके हाशिए पर रहने की सीमा को प्रभावित करती है। जबकि पहले, दिव्यांग व्यक्तियों को दान और दया का पात्र बनाया जाता था, अब यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है कि अवसर की समानता और उचित शिक्षा और प्रशिक्षण दिए जाने पर, दिव्यांग व्यक्तियों में समाज में उत्पादक व्यक्ति बनने की क्षमता है। दिव्यांगता को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दान प्राप्त करने वाले चिकित्सा मुद्दे के बजाय 'विकास और मानव अधिकार मुद्दा' के रूप में स्वीकार किया जाता है।

7.121 दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकारों को बनाए रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर दिव्यांगता की समझ में बदलाव के माध्यम से कई सकारात्मक विकास हुए हैं। उनमें से एक दिसंबर, 2006 में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) को अपनाना है, जिसके कारण दिव्यांग व्यक्तियों के संदर्भ में एक बहुत ही मजबूत, प्रगतिशील और दूरदर्शी मानव अधिकार व्यवस्था स्थापित हुई है। इसके बाद, अक्तूबर, 2007 में भारत द्वारा उक्त कन्वेंशन की अनुसमर्थन के साथ, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा और संवर्धन के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम (2016) को अधिनियमित किया गया, जिसने पूर्ववर्ती दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को प्रतिस्थापित किया।

7.122 आयोग इस तथ्य में भी विश्वास करता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को दूसरों के साथ समान आधार पर सभी मानव अधिकारों का आनंद लेना चाहिए। इस दिशा में, इसने एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें यह नियमित रूप से मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है, मौजूदा विधायी ढांचे और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है, उनसे संबंधित मुद्दों पर विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें करता है और अनुसंधान परियोजनाओं को सौंपता है, ताकि उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु सिफारिशें की जा सकें। इसके अलावा, आयोग दिव्यांगता अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित रूप से पुस्तिकाएं, मैनुअल, जर्नल आदि प्रकाशित करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कार्यकलाप किए हैं।

दिव्यांगता संबंधी कोर समूह का पुनर्गठन

7.123 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 27.10.2021 को दिव्यांगता संबंधी इस कोर समूह का पुनर्गठन किया है। इससे पहले, यह कोर समूह दो विषयों पर काम कर रहा था, अर्थात् दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और वृद्ध व्यक्तियों के अधिकार। अब, समय की आवश्यकता को देखते हुए और प्रत्येक मानव अधिकार संबंधी चिंताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, उक्त कोर समूह को विभाजित कर दिया गया है।

ड. पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार

7.124 आयोग को मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के कुशल कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और निगरानी करने, मानव अधिकारों के बारें में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने और मानव अधिकार साक्षरता के क्षेत्र में सभी हितधारकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जलवायु परिवर्तन हमारी पीढ़ी

के मानव अधिकारों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है, जो दुनिया भर में व्यक्तियों और समुदायों के जीवन, स्वास्थ्य, भोजन और पर्याप्त जीवन स्तर के मौलिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

7.125 जैसे-जैसे ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) की सांद्रता बढ़ी है, वैसे-वैसे वैश्विक सतह का तापमान भी बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के अनुसार, पिछला दशक (2011-2020) रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म रहा है। उच्च तापमान ने गर्मी से संबंधित बीमारियों को बढ़ा दिया है, जिससे बाहर काम करना अधिक कठिन हो गया है। इसके अलावा, चक्रवात, तूफान और टाइफून की संभावना बढ़ गई है क्योंकि वे गर्म समुद्र की सतह के पानी पर फ़ीड करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पानी की कमी बढ़ जाती है और कृषि के लिए सूखे का खतरा बढ़ जाता है।

7.126 इसके अलावा, यह भूमि और समुद्र में प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डालता है। महासागर ग्लोबल वार्मिंग से अधिकांश गर्मी को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे यह अम्लीय हो जाता है और समुद्री जीवन और प्रवाल भित्तियों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। अत्यधिक वर्षा और बाढ़ सीधे घरों और समुदायों को प्रभावित करती है, जिससे मौतें होती हैं और काफी वित्तीय क्षति होती है। जलवायु परिवर्तन का सबसे खतरनाक तात्कालिक प्रभाव खाद्य आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ता है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से मत्स्य पालन, फसलों और पशुधन की उत्पादकता कम हो जाती है। पानी की उपलब्धता और चरागाह क्षेत्रों में कमी से गर्मी के तनाव के कारण कृषि उपज कम होगी।

7.127 जलवायु परिवर्तन मानवता के सामने सबसे बड़े स्वास्थ्य खतरे के रूप में उभरा है, जो वायु प्रदूषण, बीमारियों, मानसिक स्वास्थ्य तनाव और बढ़ती भूख और खराब पोषण के माध्यम से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। जलवायु परिवर्तन गरीबी, विस्थापन और जबरन प्रवासन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

7.128 "यह रेखांकित करते हुए कि जलवायु परिवर्तन का सबसे कमजोर लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, यह वर्ष 2030 तक 120 मिलियन से अधिक लोगों को गरीबी में धकेल सकता है और गरीब देशों, क्षेत्रों और उन स्थानों पर सबसे गंभीर प्रभाव डालेगा जहां गरीब लोग रहते हैं और काम करते हैं, अत्यधिक गरीबी और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत फिलिप एलस्टन ने कहा। इस संदर्भ में, जलवायु परिवर्तन बढ़ती असमानता के माहौल में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना बेहद कठिन बना देगा। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 (सीसीपीआई) सूची में भारत दसवें स्थान पर है, जो इसकी महत्वाकांक्षी नवीकरणीय ऊर्जा नीतियों के कारण देश के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। गौरतलब है कि भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने और वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करने का वादा किया है।

7.129 एलआईएफई (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के मंत्र के अनुरूप, आयोग देश के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और विवेकहीन और विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत और सोच समझ कर कर उपयोग पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के सिद्धांतों और प्रावधानों पर भारत की भविष्य की विकास आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, साथ ही जागरूकता को बढ़ावा देता है।

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार संबंधी कोर सलाहकार समूह का पुनर्गठन

7.130 पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों संबंधी कोर सलाहकार समूह के गठन को 08 मार्च 2022 को औपचारिक रूप दिया गया था। जीवन के सभी पहलुओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को उजागर करने और मानव अधिकारों के उल्लंघनों को रोकने, कम करने के लिए एक अलग कोर सलाहकार

समूह की स्थापना की गई है। इसके अलावा, आयोग का लक्ष्य भारत और विदेशों में मानव अधिकारों की बेहतर संरक्षण और संवर्द्धन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं की सक्रिय रूप से जांच करना है।

पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं मानव अधिकार संबंधी कोर समूह की बैठक

7.131 'स्वच्छ वायु और जल का अधिकार' संबंधी पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकार संबंधी एनएचआरसी कोर सलाहकार समूह की बैठक 23 मार्च 2022 को न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, एनएचआरसी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। बैठक को श्री बिम्बाधर प्रधान, माननीय महासचिव, एनएचआरसी, और श्री एच सी चौधरी, माननीय संयुक्त सचिव, एनएचआरसी ने भी संबोधित किया। चर्चाएँ चार तकनीकी सत्रों में आयोजित की गईं, अर्थात्, 'पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और मानव अधिकारों से संबंधित कानूनों, निर्णयों और योजनाओं/पहलों के कार्यान्वयन और निगरानी में कमी, 'भारत और विदेशों में पर्यावरण प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाएँ और उनकी प्रतिकृति', 'पर्यावरणीय मुद्दों से निपटने के लिए स्थानीय सरकारों और अधिकारियों को सशक्त बनाना' और 'आबादी, विशेष रूप से उसके कमजोर वर्गों, को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाना'। सत्र में चर्चा हुई जिसमें अन्य के अलावा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री नीलेश कुमार साह, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य सचिव डॉ. प्रशांत गर्गवा, एम सी मेहता पर्यावरण फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. एम सी मेहता, डॉ. रुचि, वैज्ञानिक जी, भारतीय वन्यजीव संस्थान और श्री आर आर रश्मी, प्रतिष्ठित फेलो और कार्यक्रम निदेशक, पृथ्वी विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, टेरी ने योगदान दिया।

विस्तृत विचार-विमर्श के बाद जो सिफारिशें सामने आईं वे इस प्रकार हैं :

क. केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि प्रदूषण फैलाने वालों और पर्यावरण विधि के उल्लंघनकर्ताओं को प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से दंडित किया जाए। इन प्रयासों के हिस्से के रूप में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और अन्य नियामक संस्थानों को मजबूत किया जाना चाहिए।

ख. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में अलग अलग जांच और अभियोजन स्कंध की स्थापना, साथ ही लगातार कर्मचारी प्रशिक्षण।

ग. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मामले की जांच का विवरण प्रदान करने वाला एक अध्याय शामिल करना अनिवार्य बना दिया गया है।

घ. स्वतंत्र, विशेषज्ञ संपरीक्षक राज्य सरकारों की ओर से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों का वार्षिक प्रदर्शन संपरीक्षा आयोजित करेंगे;

ङ. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सहयोग से, राज्य न्यायिक अकादमियों, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को विभिन्न पर्यावरण विधि प्रावधानों और सभी हितधारकों के लिए प्रदूषण और पर्यावरणीय गिरावट के हानिकारक प्रभावों पर कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए;

च. उच्च न्यायालयों को विशेष पर्यावरण न्यायालय स्थापित करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण विधि के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई शीघ्रता से की जाए;

छ. प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में अलग जांच और अभियोजन स्कंध की स्थापना, साथ ही नियमित कर्मचारी प्रशिक्षण;

ज. केंद्र और राज्य सरकारों को उन एजेंसियों के प्रदर्शन की निगरानी करनी चाहिए जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण

(पीयूसी) प्रमाणपत्र जारी करने का काम सौंपा गया है और यदि प्रमाणपत्र झूठे, मनगढ़ंत या धोखाधड़ी वाले हैं तो उचित दंडात्मक उपाय करना चाहिए।

झ. केंद्र को यथाशीघ्र स्थापना/संचालन और पर्यावरण/वन/वन्यजीव/तटीय विनियमन प्रक्षेत्र मंजूरी प्रदान करने के लिए मंजूरी की सहमति देने हेतु विचार किए गए प्रत्येक पैरामीटर पर अद्यतन परतों के साथ भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) स्थापित करने के लिए चालू परियोजना को पूरा करने हेतु हर संभव प्रयास करना चाहिए।

ञ. पूर्व अनुमोदन या प्राधिकार की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों को संसाधित करने के लिए डीएसएस में पर्यावरण प्रबंधन विशेषज्ञता संबंधी एक घटक होना चाहिए, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट की रोकथाम, न्यूनीकरण और शमन पर सभी उपलब्ध सर्वोत्तम प्रथाओं की जानकारी शामिल हो;

ट. केंद्र और राज्य सरकारों को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट को रोकने, न्यूनीकरण और शमन करने के सर्वोत्तम तरीकों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए;

ठ. प्रत्येक स्थानीय निकाय को विभिन्न अपशिष्ट प्रबंधन, प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण क्षरण से संबंधित कार्यों को व्यवस्थित करने, निर्देशित करने और उन पर नज़र रखने के लिए एक पर्यावरण प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए;

ड. राज्य वित्त आयोग स्थानीय सरकारों की वित्तीय जरूरतों का आकलन कर सकता है।

ढ. मानव अधिकार शिक्षा और जागरूकता

7.132 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) को मानव अधिकारों का संरक्षण और संवर्द्धन करने का अधिदेश प्राप्त है। धारा 12 (ज) में यह भी परिकल्पना की गई है कि एनएचआरसी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा और प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देगा। एनएचआरसी छात्रों, गैर सरकारी संगठनों और आम जनता के अलावा सरकार, विशेषकर पुलिस के पदाधिकारियों के बीच मानव अधिकार जागरूकता फैलाने में शामिल रहा है।

लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम

7.133 लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम : उपर्युक्त के अलावा, वार्षिक कार्य योजना 2021-22 के संदर्भ में, आयोग में 24 जून, 2021, 23 दिसंबर, 2021 और 30 मार्च, 2022 को तीन बार इन-हाउस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिनमें क्रमशः 30, 85 और 65 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

चित्र 7.10 : श्रीमती. ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, एनएचआरसी, लिंग संवेदीकरण कार्यक्रमों में से एक में संबोधन करते हुए

मानव अधिकार संबंधी संवेदीकरण कार्यक्रम

7.134 सीआईएसएफ अधिकारियों के लिए दिनांक 17.12.2021 को वेबेक्स प्लेटफॉर्म पर एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में पचास प्रतिभागी उपस्थित थे। इसका उद्देश्य अधिकारियों को मानव अधिकारों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना था।

एनएचआरसी में आधे दिन/एक दिन का दौरा

7.135 कोविड-19 की गंभीरता के कारण, आयोग ने वर्ष 2021-22 में विभिन्न स्कूलों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों के छात्रों और अधिकारियों के लिए केवल तीन ऐसे अर्द्ध दिवसीय/एक दिवसीय दौरों का आयोजन किया।

अन्य कार्यकलाप

7.136 स्वयं पोर्टल पर व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम: एनएचआरसी ने नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के सहयोग से एक व्यापक ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। यह 20 घंटे का वीडियो और 20 घंटे का शिक्षण/सीखने का पाठ्यक्रम है जो चार क्रेडिट वाले 12 सप्ताह की अवधि के लिए विधि पृष्ठभूमि के स्नातक छात्रों के लिए चार वृत्त खंडों में उपलब्ध है। इसे एनसीईआरटी द्वारा स्वयं नामक एक ऑनलाइन शिक्षण मंच के माध्यम से पेश किया जा रहा है, जो 15 जनवरी 2021 को पाठ्यक्रम में नामांकित 1546 छात्रों के साथ शुरू हुआ।

7.137 स्कूली बच्चों के बीच मानव अधिकार जागरूकता बढ़ाने के अधिदेश के साथ, एनएचआरसी द्वारा एमएआरजी (मल्टीपल एक्शन रिसर्च समूह) के सहयोग से तैयार की गई पुस्तिकाओं के रूप में सामग्री को एनसीईआरटी के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अग्रेषित कर दिया गया है :

7.138 एनआरओईआर: जहां पुस्तिकाएं पहले ही अपलोड की जा चुकी हैं।

7.139 ई-पाठशाला: दीक्षा के ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आठ पुस्तिकाएं अपलोड की गई हैं।

ण. मानव अधिकार संरक्षक

7.140 नेल्सन मंडेला ने कहा है, "दूसरी तरफ मत देखो; संकोच मत करो। पहचानें कि दुनिया शब्दों की नहीं, कार्रवाई की भूखी है। साहस और दूरदर्शिता से कार्य करें।" ये शब्द मानव अधिकार संरक्षकों (एचआरडी) के लोकाचार को सारांशित करते हैं और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रासंगिकता को उचित ठहराते हैं। ये वे लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ मिलकर मानव अधिकारों को बढ़ावा देने या उनकी रक्षा करने के लिए कार्य करते हैं। सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त मानव अधिकारों और मौलिक

स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए व्यक्तियों, समूहों और समाज के अंगों के अधिकार और जिम्मेदारी संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा-पत्र (आमतौर पर मानव अधिकार संरक्षकों संबंधी घोषणा-पत्र के रूप में जाना जाता है) मानव अधिकार संरक्षकों पर मुख्य अंतरराष्ट्रीय विलेख है। इसे 14 वर्षों की बातचीत के बाद दिसंबर, 1998 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया था।

7.141 पिछले अनुभवों से पता चलता है कि मानव अधिकार संरक्षकों ने मानव अधिकार संबंधी सरोकारों, जैसे मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत, भेदभाव, जबरन बेदखली, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच आदि को संबोधित करने में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। उनका उद्देश्य बुनियादी मानव अधिकारों की रक्षा करना भी है, जैसे कि जीवन, भोजन और पानी, स्वास्थ्य, पर्याप्त आवास, शिक्षा, आवाजाही की स्वतंत्रता और भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कमजोर वर्गों, जैसे महिलाओं, बच्चों, शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों के साथ-साथ अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय, भाषाई या लैंगिक, के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके।

7.142 दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना न केवल कठिन होता है बल्कि जोखिम भरा भी होता है। मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए ही व्यक्ति निजी हितों को किनारे रखकर अपराध और संघर्ष के दलदल में कूद पड़ता है। यह पहल उन्हें सरकारी और गैर-सरकारी कर्ताओं दोनों के अत्याचारों के प्रति संवेदनशील बनाती है। एक ओर, उन्हें पुलिस अत्याचार और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है और दूसरी ओर, उन्हें गैर-सरकारी कर्ताओं द्वारा निशाना बनाया जाता है जिनके व्यक्तिगत और आर्थिक हितों को मानव अधिकार संरक्षकों के कार्यकलापों से खतरा होता है। मानव अधिकार संरक्षकों द्वारा सामना की जा रही ऐसी धमकी, शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न के अनगिनत उदाहरण हैं।

7.143 भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(i) के तहत मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने का अधिदेश दिया गया है। इसलिए, जब से आयोग की स्थापना हुई है, इसने मानव अधिकार संरक्षकों को समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ देश में मानव अधिकार की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दोनों तरह के कई संगठनों और व्यक्तियों के साथ मिलकर काम किया है। इसने मानव अधिकार संरक्षकों संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा का अनुसरण और अनुपालन किया है और परिणामस्वरूप देश भर में मानव अधिकार संरक्षकों के लिए सुरक्षात्मक तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए हैं। अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में, मानव अधिकार संरक्षकों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह गैर-सरकारी और नागरिक समाज संगठनों; राज्य मानव अधिकार आयोगों सहित राष्ट्रीय और राज्य आयोगों और अन्य प्रमुख कर्ताओं के साथ काम करता है।

आयोग में मानव अधिकार संरक्षकों के लिए केंद्र बिंदु

7.144 आयोग द्वारा 12 अक्तूबर 2009 को नई दिल्ली में आयोजित मानव अधिकार संरक्षकों पर कार्यशाला की सिफारिशों में से एक पर कार्रवाई करते हुए, सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा या उनके कहने पर मानव अधिकार संरक्षकों के उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली शिकायतों से निपटने हेतु आयोग में मानव अधिकार संरक्षकों के लिए एक फोकल प्वाइंट स्थापित किया गया है। फोकल प्वाइंट पर नामित संपर्क व्यक्ति श्री इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार (विधि) हैं। फोकल प्वाइंट चौबीसों घंटे मानव अधिकार संरक्षकों के लिए उपलब्ध है: (i) मोबाइल नंबर 9999393570, (ii) फैक्स नंबर 24651334, और (iii) ई-मेल: hrd-nhrc@nic.in। फोकल प्वाइंट यह सुनिश्चित करता है कि मानव अधिकार संरक्षकों के कथित उत्पीड़न के हर मामले में आयोग के निर्देशों का प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन किया जाता है और संबंधित मानव अधिकार संरक्षक को भी अवगत कराया जाता है। मानव अधिकार संरक्षकों के कथित उत्पीड़न की

शिकायतों का अपडेट भी आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है। मानव अधिकारों के लिए फोकल प्वाइंट ने जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण की स्थिति को समझने के लिए गैर सरकारी संगठनों/ग्रामीणों/एचआरडी/राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ संवाद/चर्चा की है।

मानव अधिकार संरक्षकों की सुरक्षा के लिए आयोग की कार्रवाई

7.145 आयोग ने हमेशा मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिए अपना समर्थन बढ़ाया है और इस उद्देश्य के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिशोध, उत्पीड़न आदि के कृत्यों की निंदा की है। वास्तव में, आयोग द्वारा उठाए गए नागरिक सुरक्षा उपायों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक मानव अधिकार संरक्षकों के अधिकारों का संवर्द्धन और संरक्षण है। एचआरडी की सुरक्षा के लिए आयोग द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :

- आयोग राज्य को एचआरडी को प्रताड़ित न करने का कड़ा संदेश देता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए, आयोग के महासचिव ने मानव अधिकार संरक्षकों के कामकाज के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा।
- आयोग शिविर बैठकों और खुली सुनवाई के दौरान गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और एचआरडी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करता है। बाधाओं और उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में उनकी प्रतिक्रिया को आयोग द्वारा उठाया गया था। एचआरडी के मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और गुण-दोष के आधार पर आवश्यक राहत दी गई।
- आयोग प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को एक संदेश जारी करता है, यही वह दिन है जब एचआरडी संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। आयोग ने मानव अधिकार संरक्षकों को निरंतर समर्थन के संबंध में 9 दिसंबर, 2021 को एक संदेश जारी किया।

मानव अधिकार संरक्षकों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय प्रगति

7.146 जब मानव अधिकार संरक्षकों के मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण की बात आती है वहाँ अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा बड़ी पहल की गई है। वर्ष 1998 में एचआरडी संबंधी घोषणा के बाद से, इस संबंध में कई और प्रस्ताव पारित किए गए हैं। संक्षिप्तता के कारण इस अध्याय में सभी का उल्लेख नहीं किया जा रहा है और तथ्य यह है कि उनका उल्लेख पिछली वार्षिक रिपोर्टों में किया गया है। तथापि, हाल ही में पारित प्रस्ताव इस संबंध में महत्वपूर्ण हैं।

7.147 मानव अधिकार परिषद ने दिनांक 21.03.2019 को मानव अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और संधारणीयस विकास का लाभ उठाने में पर्यावरणीय एचआरडी के योगदान को मान्यता देने पर एक प्रस्ताव अंगीकृत किया। प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य पर्यावरणीय एचआरडी सहित सभी व्यक्तियों के अधिकारों, संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयुक्त् उपाय करेंगे, जो अन्य बातों के अलावा, अपनी अभिव्यक्ति, संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हैं, जो कि मानव अधिकारों की उन्नति और रक्षा के साथ-साथ पर्यावरण का प्रतिरक्षण और संरक्षण के लिए अनिवार्य है।

7.148 मानव अधिकार परिषद ने दिनांक 22.06.2020 को सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे एचआरडी की स्थिति पर विशेष प्रतिवेदक के साथ सहयोग करें और उनके कार्यों के निष्पादन में सभी जानकारी प्रदान करने और विशेष प्रतिवेदक द्वारा उन्हें प्रेषित पत्र का उत्तर अनुचित देर किए बिना देने में सहायता करें।

7.149 दिनांक 16.12.2021 को महासभा ने एक प्रस्ताव भी अंगीकृत किया जिसमें कहा गया कि राज्यों को पर्यावरणीय एचआरडी सहित सभी व्यक्तियों के अधिकारों, संरक्षण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए

उपयुक्त उपाय करने चाहिए, जो अन्य बातों के अलावा, अपनी अभिव्यक्ति, संघ की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा का प्रयोग करते हैं, जो मानव अधिकारों की उन्नति और रक्षा के साथ-साथ पर्यावरण के प्रतिक्षण और संरक्षण के लिए आवश्यक हैं।

7.150 मानव अधिकार परिषद ने दिनांक 01.04.2022 को संघर्ष और संघर्ष के बाद की स्थितियों में मानव अधिकारों के लाभ और प्राप्ति के लिए महिला एचआरडी सहित एचआरडी के योगदान को मान्यता देते हुए सभी राज्यों से त्वरित, निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करके दण्डाभाव का मुकाबला करने और किसी भी एचआरडी, या उनके कानूनी प्रतिनिधियों, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के विरुद्ध राज्य और गैर-राज्य कर्ताओं द्वारा सभी प्रकार के हमलों और धमकियों के लिए जवाबदेही का पता लगाना, और सार्वजनिक रूप से सभी प्रकार की हिंसा, भेदभाव, धमकी और प्रतिशोध की निंदा करके, इस बात को रेखांकित करना कि ऐसे संव्यवहारों को कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

7.151 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग को मानव अधिकार रक्षकों के कथित उत्पीड़न से संबंधित 68 शिकायतें प्राप्त हुईं। वर्ष 2021-22 के दौरान आयोग के निर्देश पर एचआरडी से संबंधित सात मामले अंततः बंद कर दिए गए। मानव अधिकार संरक्षकों से संबंधित ग्यारह मामलों का निस्तारण दिशा निर्देश के साथ किया गया। एक मामले में आरटीआई कार्यकर्ता सुनील कुमार को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया गया. इस मामले में, एक आरटीआई कार्यकर्ता को गलत तरीके से फंसाया गया और आपराधिक मामले में आरोप पत्र दायर किया गया। आयोग ने मामले का संज्ञान लिया और पीड़ित एचआरडी को आर्थिक राहत प्रदान की। आयोग द्वारा की गई कार्रवाई से लंबित मामलों का विवरण आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है।

अध्याय - 8

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

8.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एनएचआरआई) जो राष्ट्रीय संस्थानों की स्थिति से संबंधित सिद्धांतों का पूरी तरह से अनुपालन करते हैं, जिन्हें आमतौर पर पेरिस सिद्धांतों के रूप में जाना जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन संवर्द्धन करने में और निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यूपीआर), संधि निगरानी निकायों और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार तंत्रों के माध्यम से, प्रत्येक राज्य को ऐसे प्रभावी, स्वतंत्र एनएचआरआई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं और साथ ही इसे वहां सुदृढ करते हैं जहां यह पहले से मौजूद है। एनएचआरआई कई कर्ताओं के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र और विशेष रूप से, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) का कार्यालय शामिल है, इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस - जीएएनएचआरआई) और राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत फोरम (एपीएफ) महत्वपूर्ण हैं।

क. अंतरराष्ट्रीय आयोजन

8.2 एनएचआरआई अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों का संवर्द्धन करने और निगरानी करने और राष्ट्रीय स्तर पर उनके कारगर कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें मानव अधिकारों संबंधी संधियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय विलेखों/लिखतों का अध्ययन भी शामिल है। एनएचआरआई विभिन्न कर्ताओं के साथ सहयोग को भी प्रोत्साहित करते हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र और विशेष रूप से ओएचसीएचआर के अलावा जीएएनएचआरआई और एपीएफ महत्वपूर्ण हैं। इन्हें सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, संधि निगरानी निकायों और मानव अधिकार परिषद आदि तंत्र के माध्यम से हासिल किया जाता है।

8.3 एनएचआरसी, भारत पूरी तरह से पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन करता है और क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों सहित अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक प्रमुख स्थान रखता है। यह जीएएनएचआरआई का एक महत्वपूर्ण सदस्य रहा है, जो दुनिया के सबसे बड़े मानव अधिकार नेटवर्कों में से एक है, जिसमें 110 से अधिक एनएचआरआई का प्रतिनिधित्व है। एनएचआरसी भारत को पेरिस सिद्धांतों के पूर्ण अनुपालन के लिए जीएएनएचआरआई की प्रत्यायन उप-समिति (एससीए) द्वारा "ए" दर्जे की मान्यता दी गई है और वर्ष 1998 से इसे बरकरार रखा गया है। एनएचआरसी, भारत के महासचिव, वर्तमान में जीएएनएचआरआई वित्त समिति के अध्यक्ष का पद पर हैं।

8.4 एनएचआरसी, एशिया प्रशांत फोरम (एपीएफ) के संस्थापक सदस्यों में से एक है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र के एनएचआरआई का एक क्षेत्रीय गठबंधन है और एपीएफ में प्रति वर्ष 1,50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि का योगदान देता है। अध्यक्ष, एनएचआरसी, एपीएफ शासी समिति के सदस्य हैं, जो एशिया प्रशांत फोरम का निर्णय लेने वाला निकाय है।

8.5 एनएचआरसी, जीएएनएचआरआई, एपीएफ और मानव अधिकार परिषद (एचआरसी), संयुक्त राष्ट्र कार्य समूहों, ओएचसीएचआर, संधि निकायों आदि जैसे अन्य अंतरराष्ट्रीय फोरमों के साथ अपनी सहलग्नताओं और अंत:क्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आयोग विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है और साथ ही साथ मसौदा प्रस्तावों, संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदकों की प्रश्नावलियों और अन्य रिपोर्टों, दस्तावेज़ों के लिए पूरे वर्ष इनपुट प्रदान करता है। कोविड-19 और इसकी बाधाओं के बावजूद, आयोग ने अपनी अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को सुदृढ किया है और मानव अधिकार के मुद्दों पर विभिन्न मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत फोरम के साथ सहयोग

8.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत फोरम (एपीएफ) वर्ष 1996 में स्थापित एशिया प्रशांत क्षेत्र का अग्रणी क्षेत्रीय मानव अधिकार संगठन है। यह एक सदस्य-आधारित संगठन है जो इस क्षेत्र में स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों की स्थापना और उनके सुदृढीकरण का समर्थन करता है। इसका लक्ष्य सदस्य संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्द्धन करना है। वार्षिक रिपोर्ट लिखे जाने के समय, एपीएफ में 17 पूर्ण सदस्य और आठ सहयोगी सदस्य थे। ये सदस्य पूरे क्षेत्र के विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन (जीएएनएचआरआई) के साथ सहयोग

8.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन (जीएएनएचआरआई - गनहरी), राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एक प्रतिनिधि निकाय है जिसे राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के सृजन और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जो पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हों। यह, इन राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के बीच संयुक्त गतिविधियों और सहयोग के अंतरराष्ट्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करने, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन करने, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क करने और जहां अनुरोध किया जाता हो, एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने में सरकारों की सहायता के माध्यम से अपनी इस भूमिका को निभाता है। यह राष्ट्रीय संस्थानों का सृजन और सुदृढ़ीकरण करने और यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि वे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हों। एनएचआरसी, भारत 1999, 2006, 2011 और 2017 के पांच वर्षों की अवधि के लिए लगातार चौथी बार 'ए' दर्ज़ा प्राप्त जीएएनएचआरआई का सदस्य है।

घ. अन्य अंतरराष्ट्रीय बैठकों और सेमिनारों में एनएचआरसी की भागीदारी

8.8 इस वर्ष, कोविड-19 महामारी के कारण, सभी अंतरराष्ट्रीय बैठकें, सेमिनार, सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल मोड में आयोजित किए गए। आयोग ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में जोरदार ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है जो इस प्रकार हैं:

8.9 माननीय सदस्य, सुश्री ज्योतिका कालरा ने 15 अप्रैल, 2021 को एपीएफ महिला नेत्री फोरम 2021 की आभासी (वर्चुअल) बैठक में भाग लिया।

8.10 श्री बिम्बाधार प्रधान, महासचिव और सुश्री अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी) ने 27 अप्रैल, 2021 को वर्चुअल एपीएफ शासी समिति की बैठक में भाग लिया।

8.11 माननीय सदस्य डॉ. डी. एम. मुले ने 27 मई, 2021 को वर्चुअली पूर्वी येरुशलम सहित अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में गंभीर मानव अधिकार स्थिति पर एचआरसी के 30वें विशेष सत्र में भाग लिया।

8.12 न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, श्री बिम्बाधार प्रधान, महासचिव और सुश्री अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी) ने 29 जून, 2021 से 01 जुलाई, 2021 तक ऑनलाइन जीएएनएचआरआई 2021 वार्षिक बैठक में भाग लिया।

8.13 न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, एनएचआरसी ने 16 जून, 2021 (वर्चुअल) को कोविड महामारी के दौरान मानव अधिकार स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एचआरसी के 47वें सत्र में मौखिक वक्तव्य दिया।

8.14 माननीय सदस्य सुश्री ज्योतिका कालरा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त (ओएचसीएचआर) के कार्यालय द्वारा आयोजित बाल, कम उम्र और जबरन विवाह (सीईएफएम) संबंधी एक सत्र के वक्ता के रूप में 18 जून, 2021 को आयोजित बैठक में वर्चुअली भाग लिया।

8.15 सुश्री ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य और सुश्री अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव (पी एंड टी) ने 18 जून, 2021 को वचुअल मोड में आयोजित "सीईडीएडब्ल्यू के 79वें सत्र में स्वदेशी महिलाओं और बालिकाओं संबंधी सामान्य चर्चा" (महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन) में मौखिक वक्तव्य दिया।

8.16 श्री बिम्बाधार प्रधान, महासचिव, और श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि), एनएचआरसी ने 23 जून, 2021 को एपीएफ वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) नेटवर्क की आभासी (वर्चुअल) बैठक में भाग लिया।

8.17 मानव अधिकार परिषद के 48वें सत्र (13 सितंबर - 8 अक्तूबर, 2021) में एनएचआरसी की भागीदारी। एनएचआरसी, भारत ने एचआरसी के 48वें सत्र के दौरान संबोधन कराने के लिए पहले से रिकॉर्ड किए गए आठ वीडियो वक्तव्य प्रस्तुत किए।

8.18 न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, एनएचआरसी, श्री बिम्बाधार प्रधान, महासचिव और सुश्री अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव, ने 15 सितंबर, 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित एनएचआरआई के एशिया प्रशांत फोरम की 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लिया। इस बैठक की थीम थी – "कार्यवाही मदें और चुनाव"। सुश्री ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य, सुश्री अनिता सिन्हा, संयुक्त सचिव और सुश्री मंजिल सैनी, उप-महानिरीक्षक ने 26 सितंबर 2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित एनएचआरआई के एशिया प्रशांत फोरम की 26वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लिया। इस बैठक की थीम थी - "एशिया प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध भेदभाव संबंधी एपीएफ और संयुक्त राष्ट्र कार्य-समूह और संकटग्रस्त 'महिला और बालिका' लैंगिक और प्रजननीय स्वास्थ्य अधिकार संबंधी रिपोर्ट और संवादमूलक वार्ता की शुरूआत"।

8.19 सुश्री ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य ने, एशिया प्रशांत क्षेत्र के एनएचआरआई के कार्य में प्रजनन अधिकारों को जोडने : वर्तमान विचारों और प्रथाएं, चुनौतियां और अवसर का एक प्राथमिक अध्ययन, के लिए अक्टूबर, 2021 में सुश्री सोनाली रेग्मी, सलाहकार, एपीएफ के साथ ऑनलाइन साक्षात्कार में भाग लिया।

8.20 श्री मुकेश, सहायक रजिस्ट्रार (विधि) और सुश्री उषा नायर, पीपीएस, ने 11 से 31 अक्टूबर, 2021 के दौरान एशिया-प्रशांत ऑनलाइन पाठ्यक्रम में मानवीय कार्रवाई में एनएचआरआई और मानवतावादी कार्रवाई में एनएचआरआई और मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने में भाग लिया।

8.21 श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि), ने 1 दिसंबर, 2021 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यान्वयन, रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई (एनएमआईआरएफ) हेतु राष्ट्रीय तंत्र संबंधी ऑनलाइन एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय परामर्श में भाग लिया।

8.22 न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, श्री बिम्बाधार प्रधान, महासचिव, सुश्री अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव और सुश्री मंजिल सैनी, उप-महानिरीक्षक ने, मंगलवार, 14 दिसंबर, 2021 को आयोजित एपीएफ फोरम परिषद की वर्चुअल बैठक में प्रतिभागिता की।

8.23 श्री इंद्रजीत कुमार, उप रजिस्ट्रार, ने 31 जनवरी से 25 फरवरी, 2022 के दौरान (स्तर 1 के लिए) और 25 फरवरी से 13 मार्च, 2022 (स्तर 2-4) के दौरान आयोजित शिकायतों का निवारण और मानव अधिकार जांच संबंधी ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

8.24 राष्ट्रीय संस्थानों और प्रादेशिक तंत्र अनुभाग (एनआईआरएमएस), ओएचसीएचआर द्वारा आयोजित मानव अधिकारों और संधारणीय विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा पर बातचीत और सहयोग के लिए 18 जनवरी, 2022 को वर्चुअली आयोजित चौथी एचआरसी अंतर-सत्रीय बैठक के दौरान, सुश्री ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य ने पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो वक्तव्य दिए।

8.25 न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, माननीय अध्यक्ष ने 28 फरवरी से 1 अप्रैल, 2022 के दौरान आयोजित मानव अधिकार परिषद के 49वें सत्र में "कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद कमजोर व्यक्तियों के मानव अधिकारों की रक्षा में तकनीकी सहयोग" के कार्यसूची मद के तहत पहले से रिकॉर्ड किया गया वीडियो वक्तव्य दिया।

8.26 डॉ. डी. एम. मुले, माननीय सदस्य ने 28 फरवरी से 1 अप्रैल, 2022 के दौरान आयोजित मानव अधिकार परिषद के 49वें सत्र में "विशेष प्रतिवेदक सांस्कृतिक अधिकारों के साथ संवादमूलक वार्ता" के कार्यसूची मद के तहत पहले से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो वक्तव्य दिया।

8.27 श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य ने 28 फरवरी से 01 अप्रैल, 2022 के दौरान वर्चुअल रूप से आयोजित मानव अधिकार परिषद के 49वें सत्र में "भोजन संबंधी विशेष प्रतिवेदक के साथ संवादमूलक वार्ता" के कार्यसूची मद के तहत पहले से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो वक्तव्य दिया।

8.28 श्री महेश मित्तल कुमार, माननीय सदस्य ने 28 फरवरी से 01 अप्रैल, 2022 तक आयोजित मानव अधिकार परिषद के 49वें सत्र में "दिव्यांगों संबंधी विशेष प्रतिवेदक के साथ संवादमूलक वार्ता" के कार्यसूची मद के तहत पहले से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो वक्तव्य वर्चुअली दिया।

8.29 सुश्री ज्योतिका कालरा, माननीय सदस्य ने 28 फरवरी से 01 अप्रैल 2022 के दौरान वर्चुअली आयोजित मानव अधिकार परिषद के 49वें सत्र में "बच्चों के प्रति हिंसा विषय पर एसआरएसजी के साथ संवादमूलक वार्ता" के कार्यसूची मद के तहत पहले से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो वक्तव्य दिया।

8.30 महासचिव, एनएचआरसी, (जीएएनएचआरआई वित्त समिति के अध्यक्ष) ने 22 फरवरी, 2022 को जीएएनएचआरआई वित्त समिति की बैठक में वर्चुअली भाग लिया।

8.31 माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, डॉ. डी. एम. मुले, सदस्य, श्री बिम्बाधार प्रधान, महासचिव और संयुक्त सचिव ने 7 मार्च 2022 को आयोजित सीएफएनएचआरआई (राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का राष्ट्रमंडल मंच) की वार्षिक बैठक में वर्चुअली भाग लिया।.

8.32 न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा, माननीय अध्यक्ष, श्री बिम्बाधार प्रधान, महासचिव और सुश्री अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव, ने 08 से 10 मार्च, 2022 के दौरान आयोजित जीएएनएचआरआई, 2022 वार्षिक बैठक में ऑनलाइन भाग लिया:इस वार्षिक बैठक में ब्यूरो बैठक और डिजिटल युग में एनएचआरआई संबंधी ज्ञान के आदान-प्रदान के सामान्य असेंबली शामिल थी।

8.33 डॉ. डी. एम. मुले, माननीय सदस्य ने समानता और मानव अधिकार आयोग, उत्तरी आयरलैंड मानव अधिकार आयोग और यूनिसेफयूके के साथ खेलकूद और मानव अधिकार केंद्र द्वारा आयोजित "खेलकूद और मानव अधिकार संबंधी कार्यक्रम" में दिनांक 11.03.2022 को वर्चुअली भाग लिया।

8.34 सुश्री अनीता सिन्हा, संयुक्त सचिव, एनएचआरसी, ने लक्ज़मबर्ग में 16-18 मार्च 2022 के दौरान मानव अधिकारों संबंधी 21वें अनौपचारिक एएसईएम सेमिनार (एएसईएमएचआरएस21) "मानव अधिकार और जलवायु परिवर्तन" में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।

8.35 एनएचआरसी, भारत के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें श्री राजीव जैन, सदस्य और श्री सुरजीत डे, रजिस्ट्रार (विधि) और श्री एच. सी. चौधरी, संयुक्त सचिव शामिल थे, ने 28 से 30 मार्च 2022 तक ढाका, बांग्लादेश में व्यापार और मानव अधिकार संबंधी तीसरे संयुक्त राष्ट्र दक्षिण एशिया फोरम में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।

ङ. आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ परस्पर चर्चा

8.36 आयोग के कामकाज और अन्य मानव अधिकार मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आयोग ने 27 जनवरी, 2022 को स्विस दूतावास के प्रतिनिधिमंडल, जिसमें स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉ. राल्फ़ हेकनर और दूतावास में मानव सुरक्षा, विधि मामलों और संस्कृति के प्रमुख श्री साइमन शेफ़र शामिल थे, के साथ परस्पर चर्चा की। (i) भारत की यूपीआर और (ii) श्री इमोन गिलमोर, यूरोपीय संघ के विशेष मानव अधिकार प्रतिनिधि के आगामी भारत दौर के आलोक में, भारत में मानव अधिकार के संरक्षण और संवर्द्धन में आयोग के व्यापक कार्य पर चर्चा करने के लिए दिनांक 22.02.2022 को भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत महामहिम श्री उगो एस्टुटो और प्रथम सचिव (राजनीतिक मामले) सुश्री लेने वोल्करसन के साथ एक और परस्पर चर्चा हुई।

अध्याय - 9

राज्य सरकारों द्वारा एनएचआरसी की सिफारिशों को स्वीकार न किया जाना

9.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (i) (ii) के तहत प्राप्त अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, शिकायतकर्ता या पीडित या परिवार के सदस्यों को प्रतिकर या क्षति के भुगतान के लिए और/या अभियोजन के लिए कार्रवाई शुरू करने हेतु और ऐसी किसी अन्य उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए, जो आयोग संबंधित सरकारी अधिकारी के विरुद्ध उचित समझता है, सिफारिशें करता है।

9.2 वर्ष 2020-2021 के दौरान, मौद्रिक राहत देने के लिए आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के कुछ मामलों को न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई थी। ऐसे मामलों का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है :

9.3 सारणी 9.1: वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा की गई सिफारिशें जिन्हें न्यायालयों के समक्ष चुनौती दी गई

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	सिफ़ारिश की तिथि	शिकायत की प्रकृति	आयोग की सिफ़ारिश	सिफ़ारिश से संबंधित अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका
1.	1359/30/1/2017 - डब्ल्यूसी	07.06.2021	यह मामला आयकर कार्यालय, आईटीओ नई दिल्ली में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी द्वारा पीड़िता के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है।	आयोग ने मुख्य आयकर आयुक्त, केंद्रीय राजस्व भवन, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली को पीड़ित श्रीमती माधुरी को उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए 25,000/- (पच्चीस हजार) रुपये की आर्थिक राहत देने की सिफारिश की।	आयोग के निर्देशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सी) संख्या 4745/2021 और सीएम आवेदन संख्या 14621/2021 दायर की गई है।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	सिफ़ारिश की तिथि	शिकायत की प्रकृति	आयोग की सिफ़ारिश	सिफ़ारिश से संबंधित अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका
2.	35109/24/52/2016	11.02.2021	यह मामला महोबा गैस एजेंसी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडेन गैस की लापरवाही से संबंधित है, जिसके कारण दिनांक 05.07.2016 को एक सिलेंडर में आग लग गई और इस आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया।	आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को शिकायतकर्ता/मृतक मां के निकटतम संबंधी को उनके मानव अधिकार उल्लंघन के लिए 2,00,000 (दो लाख) रुपये की आर्थिक राहत देने की सिफारिश की।	आयोग के निर्देशों के विरुद्ध रिट याचिका (सिविल) 88878 दिनांक 29.10.2018 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में दायर की गई है।
3.	757/30/7/2018-पीसीडी	19.12.2022	यह मामला दिनांक 21.02.2018 को पुलिस स्टेशन नारायणा, जिला दक्षिण पश्चिम, दिल्ली की हिरासत में पीड़ित दलबीर सिंह की हिरासत में मौत से संबंधित है।	आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को मृतक दलबीर सिंह पुत्र जगदेव कुमार के निकटतम रिश्तेदार को 4,00,000/- (चार लाख) रुपये की आर्थिक राहत देने की सिफारिश की।	आयोग के निर्देशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या (सी) संख्या 1824/2023 के माध्यम से आयोग की सिफारिशों चुनौती दी गई है।
4.	3194/4/35/2017-जेसीडी	01.07.2022	यह मामला मंडल कारा, शिवहर की हिरासत में बंद एक विचाराधीन कैदी रामनाथ की मौत से संबंधित है।	आयोग ने बिहार सरकार से मृतक के परिजनों को 10,00,000/- (दस लाख) रुपये की आर्थिक राहत देने की सिफारिश की।	आयोग के निर्देश के विरुद्ध पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका ईसी-बीआरएचसी 01-68946-2022 दायर की गई है।
5.	1434/34/9/2018-जेसीडी	28.09.2021	यह मामला दिनांक 12.10.2018 को एक कैदी महेंद्र की मौत से संबंधित है। मृतक को सदर अस्पताल गोड्डा ले जाया गया, जहां 11:02 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।	आयोग ने झारखंड सरकार को मृतक के निकटतम परिजन को 2,00,000/- (दो लाख) रुपये की आर्थिक राहत देने की सिफारिश की।	झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव ने मौद्रिक राहत के भुगतान के संबंध में आयोग की सिफारिश का पालन करने में राज्य सरकार की असहमति से अवगत कराया।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	सिफ़ारिश की तिथि	शिकायत की प्रकृति	आयोग की सिफ़ारिश	सिफ़ारिश से संबंधित अधिकारियों द्वारा दायर रिट याचिका
6.	3073/18/26/2019	22.06.2021	यह मामला दिनांक 30.08.2019 को लिकु प्रधान और राजन प्रधान की बिजली के झटके से हुई मौत से संबंधित है। नदी में नहाते समय बिजली का खंभा उनके ऊपर गिर गया जिससे वे करंट की चपेट में आ गए।	आयोग ने ओड़िशा सरकार को प्रत्येक मृतक पीड़ित के निकटतम परिजन को 2,00,000/- (दो लाख) रुपए और प्रत्येक गैर-घातक पीड़ितों को, जिनका इलाज उच्च न्यायालय के आदेशों के अधीन किया जाएगा, 50,000/- (पचास हजार) रुपए की मौद्रिक राहत देने की सिफारिश की।	ऊर्जा विभाग, ओडिशा सरकार ने मृत पीड़ितों के परिजनों को मौद्रिक राहत के भुगतान की सिफारिशों पर आपत्ति जताई है, तथापि एक पीड़ित के पिता ने मुआवजे के भुगतान के लिए ओड़िशा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका डब्ल्यूपी (सी) संख्या 685/2020 दायर की है और इसलिए मामला न्यायालय के विचाराधीन है। आयोग ने राज्य सरकार को यह निर्देश देते हुए मामले को बंद कर दिया कि उक्त रिट याचिका में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार मौद्रिक राहत के भुगतान के लिए कार्रवाई की जाए।

अध्याय - 10

प्रमुख सिफ़ारिशों और टिप्पणियों का सारांश

क. 13 अक्तूबर 2021 को आयोजित एनएचआरसी - एसएचआरसी इंटरफेस बैठक

10.1 एनएचआरसी - एसएचआरसी के बीच सहयोग के क्षेत्र और एनएचआरसी द्वारा जारी परामर्शी के कार्यान्वयन की निगरानी

i. एसएचआरसी, एनएचआरसी की ऑन-लाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली की प्रतिकृति बना सकते हैं, जो शिकायतों के ऑनलाइन कार्य-प्रवाह (वर्कफ़्लो) की निगरानी में काफी कारगर है।

ii. शिकायतों के पंजीकरण में दोहराव आदि के मुद्दों को हल करने के लिए सभी एसएचआरसी को एचआरसीनेट पोर्टल पर सक्रिय होना चाहिए।

iii. एनएचआरसी एचआरसीनेट पोर्टल से परिचित होने के लिए एक कार्यशाला आयोजित करेगा जिसमें सभी एसएचआरसी शामिल होंगे और इसके संबंध में आवधिक समीक्षा करेगा।

iv. एनएचआरसी और एसएचआरसी के तहत प्राप्त शिकायतों के दोहराव के मुद्दे से निपटने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि दोहराव से बचने और विधिक शिकायतों की प्रक्रिया में एकरूपता बनाए रखने के लिए, आयोग द्वारा शिकायत का संज्ञान लेने/स्वीकार करने / नोटिस जारी करने की तिथि को शिकायत पर कार्यवाही शुरू करने की तिथि माना जाएगा।

v. महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों के समाधान के साथ-साथ एनएचआरसी और एसएचआरसी के बीच बेहतर सहयोग के लिए एक साझी कार्यक्रम समिति का गठन किया जाएगा जिसमें एनएचआरसी (अध्यक्ष और सदस्य) के साथ-साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों (तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम, मेघालय, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) के एसएचआरसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति ऐसे मुद्दों के समाधान के लिए समय-समय पर देश के अलग अलग हिस्सों में बैठक कर सकती है।

vi. एनएचआरसी-एसएचआरसी विभिन्न समसामयिक मानव अधिकार मुद्दों पर अनुसंधान के क्षेत्र में भी सहयोग कर सकते हैं।

vii. एसएचआरसी पाठ्यक्रम में मानव अधिकारों संबंधी सामग्री को शामिल करने के लिए राज्य शैक्षिक बोर्डों के साथ सहयोग करने पर विचार कर सकता है।

viii. दो कार्य दिवसों के भीतर सभी एसएचआरसी को परामर्शी भेजी जाएगी।

10.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना (ओएनओआरसी)

i. सभी एसएचआरसी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा (एनएफएस) अधिनियम, 2013, लक्षित सार्वजनिक

वितरण प्रणाली (टीडीपीएस), मध्याह्न भोजन (एमडीएम) योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) के कार्यान्वयन की निगरानी करने की आवश्यकता है।

ii. खाद्य सुरक्षा का संवर्द्धन करने के लिए इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन हेतु राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य राज्यों के साथ साझा किया जा सकता है।

iii. कार्यशालाओं और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों के बीच उनके भोजन के अधिकार और पीडीएस के तहत ओएनओआरसी जैसी सरकारी योजनाओं की उपलब्धता और मध्याह्न भोजन योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की पहल की जा सकती है।

iv. एसएचआरसी राज्य सरकारों को ओएनओआरसी की प्रक्रियाओं को सरल बनाने की सिफारिश कर सकता है ताकि जो लोग डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं या दूरदराज के इलाकों में रह रहे हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें।

v. एसएचआरसी यह सुनिश्चित करेगा कि मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और वर्ष 2017 में इसके संशोधन द्वारा यथा प्रदत्त मातृत्व लाभ सभी पात्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं तक पहुंचे।

10.3 लिंग परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करना

i. एसएचआरसी को पीओएसएच अधिनियम के उचित कार्यान्वयन, प्रत्येक संस्थान और कार्यस्थल में आंतरिक समिति (आईसी) का गठन और स्थानीय समिति (एलसी) की स्थापना सुनिश्चित करने के प्रयास करने होंगे और इसके लिए एक सर्वेक्षण भी आयोजित किया जा सकता है।

ii. सभी एचआरसी में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि उनके कामकाज में संतुलन बना रहे।

iii. एसएचआरसी लैंगिक समानता, भेदभाव और यौन उत्पीड़न संबंधी जागरूकता के लिए कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

iv. एसएचआरसी माता-पिता दोनों के लिए बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) के कार्यान्वयन (पितृत्व अवकाश सहित), मातृत्व लाभ सुनिश्चित करने, मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता पर बढ़ती संवेदनशीलता और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।

v. गर्भवती महिलाओं और मासिक धर्म चक्र से गुजर रही महिलाओं के लिए मासिक धर्म चक्र के दौरान आराम के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें कार्यस्थल पर सैनिटरी नैपकिन-वेंडिंग मशीन, सैनिटरी नैपकिन भस्मीकरण मशीन आदि की व्यवस्था शामिल है।

10.4 अनौपचारिक श्रमिकों से संबंधित योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन की स्थिति

i. समर्पित ई-श्रम पोर्टल पर भर्ती एजेंसी, संविदाकारों या अन्य प्रतिष्ठानों में अनौपचारिक श्रमिकों का पंजीकरण। अनौपचारिक श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

ii. एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक प्रतिनिधि के साथ एसएचआरसी को शामिल करते हुए एक समिति बनाई जा सकती है, जिसमें परामर्शी और

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (29 जून, 2021) के मामले में शीर्ष अदालत के निर्देश दोनों शामिल होंगे।

iii. ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरा-विधिक स्वयंसेवकों को राज्य उच्च न्यायालयों के साथ शामिल किया जा सकता है।

10.5 एसएचआरसी और एसएफसी के साथ खुली चर्चा

i. एसएचआरसी को सक्रिय रूप से अपनी उपलब्धियों और निष्पत्तियों को एनएचआरसी के साथ साझा करना चाहिए ताकि इन्हें ज्ञान साझा करने और प्रतिकृति के लिए अन्य राज्य आयोगों के साथ साझा किया जा सके।

ii. संबंधित सरकारों, नागरिक समाज संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों सहित हितधारकों के साथ समन्वय को रणनीतिक रूप से नियमित किया जाएगा।

iii. मानव अधिकारों को कुछ चयनित क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। मानव अधिकार को संस्कृति, व्यवसाय, खेल आदि सभी क्षेत्रों से जोड़कर देखा जा सकता है, इसलिए मानव अधिकार संबंधी कार्यों के क्षितिज/दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए।

iv. एनएचआरसी यह निर्देश जारी कर सकता है कि हिरासत में मौत के मामलों की मजिस्ट्रेट जांच उस जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए जिसमें संबंधित कारागार अवस्थित है।

v. मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट न मिलने के कारण हिरासत में मौत के मामलों में अक्सर मुआवजे के भुगतान से संबंधित आयोग के निर्णय/आदेश में देरी होती है। इसके लिए एक तंत्र विकसित किया जा सकता है जिसमें एसएचआरसी ऐसी देरी के मामलों से निपटने में एक भूमिका निभा सकता है।

ख. एनएचआरसी-एसएचआरसी की 'साझा कार्यक्रम समिति' की बैठक दिनांक 17.02.2022 को आयोजित की गयी (वर्चुअल)

i. कारागार में कैदियों की भीड़ कम करने की सख्त जरूरत है क्योंकि कारागार में कैदियों की संख्या उन्हें रखने की क्षमता से कई गुना अधिक है। इस संबंध में, जमानत व्यवस्था को उदार बनाने के लिए जमानतदार पर जोर देने के बजाय निजी मुचलका स्वीकार करना होगा (हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, एससी)। ट्रायल कोर्ट के समक्ष अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए या सजा काट रहे किसी दोषी के संबंध में, 1993 से इंग्लैंड में प्रचलित इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग की अवधारणा को भी पेश किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक टैग का उपयोग जमानत देने की शर्त के रूप में किया जाता है। ऐसा टैग जमानत का लाभ लेते समय आरोपी को हर समय अनिवार्य रूप से पहनना/रखना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक टैग न्यायालय द्वारा निर्धारित अभियुक्त के आवाजाही के क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है। यह अपराध की गंभीरता के आधार पर उसके निवास के 100 गज के क्षेत्र में आवाजाही की अनुमति देने वाला टैग हो सकता है। किसी भी मामले में, बहुत कम गंभीर अपराधों में, इलेक्ट्रॉनिक टैगिंग पर विचार किया जाना चाहिए। उपर्युक्त कदमों से सरकारी खजाने का वित्तीय बोझ कम होगा, आरोपी की अनावश्यक आवाजाही कम होगी और आरोपी परिवार के साथ एकजुट होकर दैनंदिन आधार पर अपनी रोजी-रोटी कमा सकेगा।

ii. कैदियों की सजा के रिकॉर्ड को बनाए रखने के लिए कारागार प्राधिकारियों की एक वेबसाइट अनिवार्य की जानी चाहिए, जो कारागारों में भीड़ कम करने में भी सहायक होगी।

iii. एनएचआरसी ने हिरासत में मौत या हिरासत में आत्महत्या के मामलों में हरियाणा नीति अपनाई है। हिरासत में मौत, या यहां तक कि कैदियों के बीच लड़ाई में, यातना के शिकार लोगों के लिए 7,50,000/- रुपए की; और हिरासत में मौत के मामलों के लिए 5,00,000/- रुपए मुआवजा राशि निर्धारित की गयी है।

iv. जिला परिषद, पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को शामिल करके स्थानीय स्वशासन के साथ बेहतर समन्वय और सहयोग।

v. मुआवजे के भुगतान में देरी पर संबंधित राज्य सरकार को ध्यान रखना चाहिए।

vi. एसएचआरसी को एचआरसीनेट में होना चाहिए ताकि दोहरे पंजीकरण से बचा जा सके।

vii. प्रत्येक एसएचआरसी मानव अधिकार मुद्दों संबंधी एसओपी तैयार कर सकता है ताकि एसओपी तैयार की जा सके।

viii. एनएचआरसी और एसएचआरसी के बीच बेहतर समन्वय का खाका तैयार किया जा सकता है।

ix. राज्य एवं जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालयों की स्थापना।

x. एसएचआरसी में अपर्याप्त कर्मचारियों के मुद्दे को उच्च न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी रखकर हल किया जा सकता है।

xi. कारागारों में अलग मानसिक स्वास्थ्य स्कंध।

xii. बचाए गए श्रमिकों के उचित पुनर्वास के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं।

xiii. देश में मानव दुवर्यापार की समस्या के समाधान के लिए कड़े कदम उठाये जाने चाहिए।

xiv. मिट्टी में कीटनाशकों और रसायनों के उपयोग और सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल जैसी चिंताओं को राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाना जरूरी है।

xv. पीएचआर अधिनियम, 1993 की धारा 18 और 27 के अनिवार्य कार्यान्वयन के लिए, एनएचआरसी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने राज्यों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु एक पत्र भेज सकता है।

xvi. सभी राज्यों को हिरासत में आत्महत्या के मामलों में एनएचआरसी द्वारा अपनाई गई हरियाणा नीति को अंगीकृत करने की सलाह दी जाती है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक 1: दर्ज मामलों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिकायतों की संख्या	स्वतः संज्ञान	हिरासत में होने वाली मौतों और बलात्कारों के बारे में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में प्राप्त सूचना	कुल
			पुलिस हिरासत में मौत / बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौत / बलात्कार	रक्षा / अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौतें / बलात्कार		
अखिल भारत	5,513	0	0	0	0	0	5,513
आंध्र प्रदेश	2,814	0	1	47	0	3	2,865
अरुणाचल प्रदेश	45	0	0	2	0	2	49
असम	476	0	9	13	0	18	516
बिहार	5,563	2	18	219	0	4	5,806
गोवा	85	0	1	5	0	0	91
गुजरात	1,724	0	24	102	0	0	1,850
हरियाणा	3,681	1	4	105	0	1	3,792
हिमाचल प्रदेश	268	0	0	7	0	0	275
जम्मू और कश्मीर	400	1	2	15	0	47	465
कर्नाटक	1,620	0	8	2	0	0	1,630
केरल	1,366	0	6	42	0	0	1,414
मध्य प्रदेश	4,270	0	8	192	0	2	4,472
महाराष्ट्र	3,401	2	30	167	1	1	3,602
मणिपुर	47	0	1	0	0	1	49
मेघालय	40	0	4	9	0	2	55
मिजोरम	23	0	1	7	0	0	31
नागालैंड	12	1	2	7	0	2	24
ओडिशा	5,397	0	2	66	0	8	5,473
पंजाब	1,518	0	8	146	0	2	1,674
राजस्थान	4,378	0	13	80	0	3	4,474
सिक्किम	16	0	1	1	0	0	18
तमिलनाडु	3,311	0	4	104	0	4	3,423
त्रिपुरा	72	0	1	5	0	0	78
उत्तर प्रदेश	40,164	1	8	492	0	11	40,676
पश्चिम बंगाल	5,512	2	5	252	0	3	5,774
अंडमान और निकोबार	28	0	0	1	0	0	29
चंडीगढ़	262	0	0	1	0	0	263

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिकायतों की संख्या	स्वत: संज्ञान	हिरासत में होने वाली मौतों और बलात्कारों के बारे में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में हुई मौतों के बारे में प्राप्त सूचना	कुल
			पुलिस हिरासत में मौत / बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौत / बलात्कार	रक्षा / अर्धसैनिक बलों की हिरासत में मौतें / बलात्कार		
दादरा एवं नगर हवेली	22	0	0	0	0	0	22
दमन और दीव	24	0	0	0	0	0	24
दिल्ली	8,539	5	1	64	0	3	8,612
लक्षद्वीप	15	0	0	0	0	0	15
पुडुचेरी	118	0	0	1	0	0	119
छत्तीसगढ	761	0	2	91	0	31	885
झारखंड	2,015	1	5	76	0	9	2,106
उत्तराखंड	1,577	0	2	25	0	0	1,604
तेलंगाना	2,757	0	4	21	0	2	2,784
लद्दाख	9	0	0	0	0	0	9
विदेश	521	0	0	0	0	0	521
कुल	**1,08,364**	**16**	**175**	**2,367**	**1**	**159**	**1,11,082**

अनुलग्नक 2 : मामलों का राज्यवार निपटान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभ में खारिज	निदेशों के साथ निपटारा किया गया	एसएचआरसी को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निष्कर्ष निकाला गया			कुल
				स्वत: संज्ञान शिकायतों के मामले	हिरासत में मौतें / बलात्कार	मुठभेड़ के मामलों के संबंध में प्राप्त सूचना	
अखिल भारत	5,065	178	0	22	0	0	5,265
आंध्र प्रदेश	1,336	859	360	124	23	1	2,703
अरुणाचल प्रदेश	12	20	0	11	1	6	50
असम	234	98	82	34	21	14	483
बिहार	2,725	1,554	783	293	134	4	5,493
गोवा	52	22	7	2	3	0	86
गुजरात	891	376	288	74	87	1	1,717
हरियाणा	1,579	1,233	440	193	52	3	3,500
हिमाचल प्रदेश	142	67	29	17	10	0	265
जम्मू और कश्मीर	194	131	0	33	2	1	361
कर्नाटक	1,045	256	183	52	3	1	1,540
केरल	871	183	249	35	21	1	1,360
मध्य प्रदेश	2,128	1,112	699	167	120	8	4,234
महाराष्ट्र	2081	616	426	105	68	6	3,302
मणिपुर	14	12	2	8	1	4	41
मेघालय	15	12	7	5	6	4	49
मिजोरम	6	10	0	1	1	0	18
नागालैंड	3	3	0	6	2	0	14
ओडिशा	1,409	591	383	294	41	6	2,724
पंजाब	793	376	196	46	77	1	1,489
राजस्थान	2,152	1,185	541	210	55	1	4,144
सिक्किम	8	6	1	1	3	0	19
तमिलनाडु	1,821	711	551	169	31	1	3,284
त्रिपुरा	34	20	4	8	2	0	68
उत्तर प्रदेश	16,102	14,957	5354	2320	350	23	39,106
पश्चिम बंगाल	2,289	2,214	472	120	68	3	5,166
अंडमान और निकोबार	9	14	0	1	1	0	25
चंडीगढ़	172	74	0	8	3	0	257

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभ में खारिज	निदेशों के साथ निपटारा किया गया	एसएचआरसी को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निष्कर्ष निकाला गया			कुल
				स्वत: संज्ञान शिकायतों के मामले	हिरासत में मौतें / बलात्कार	मुठभेड़ के मामलों के संबंध में प्राप्त सूचना	
दादरा एवं नगर हवेली	16	3	0	0	0	0	19
दमन और दीव	10	10	0	0	0	0	20
दिल्ली	4,605	3,172	0	408	27	2	8,214
लक्षद्वीप	6	5	0	1	0	0	12
पुडुचेरी	54	52	0	8	1	0	115
छत्तीसगढ	340	225	115	46	41	76	843
झारखंड	828	651	282	115	30	20	1,926
उत्तराखंड	769	493	218	82	15	0	1,577
तेलंगाना	1,489	678	373	67	16	1	2,624
लद्दाख	5	3	0	0	0	0	8
विदेश	423	54	0	10	0	0	487
कुल	**51,727**	**32,236**	**12,045**	**5,096**	**1,316**	**188**	**1,02,608**

अनुलग्नक 3: लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचार की प्रतीक्षा में मामले				ऐसे मामलों की विचाराधीनता जहां प्राधिकरणों से रिपोर्ट या तो प्राप्त हो गई है या प्रतीक्षित है				सकल योग
	शिकायत / स्वतः संज्ञान मामले	हिरासत में मौत / बलात्कार के मामले	मुठभेड़ मौतें	कुल	शिकायत / स्वतः संज्ञान मामले	हिरासत में मौत / बलात्कार के मामले	मुठभेड़ में मौत	कुल	
अखिल भारत	238	0	0	238	42	0	0	42	280
आंध्र प्रदेश	122	5	0	127	166	96	6	268	395
अरुणाचल प्रदेश	4	1	1	6	20	5	8	33	39
असम	19	2	4	25	61	40	28	129	154
बिहार	247	22	1	270	481	256	16	753	1023
गोवा	2	1	0	3	2	6	0	8	11
गुजरात	84	18	0	102	145	103	0	248	350
हरियाणा	185	9	1	195	307	178	6	491	686
हिमाचल प्रदेश	12	1	0	13	20	14	0	34	47
जम्मू और कश्मीर	26	4	10	40	72	24	42	138	178
कर्नाटक	65	1	0	66	90	12	0	102	168
केरल	26	4	0	30	59	47	2	108	138
मध्य प्रदेश	169	13	0	182	302	104	2	408	590
महाराष्ट्र	170	12	0	182	233	309	8	550	732
मणिपुर	1	0	0	1	29	8	6	43	44
मेघालय	2	0	0	2	3	13	3	19	21
मिजोरम	1	0	0	1	7	12	0	19	20
नागालैंड	0	1	0	1	7	13	3	23	24
ओडिशा	154	7	0	161	432	172	18	622	783
पंजाब	80	10	0	90	144	132	5	281	371
राजस्थान	250	13	1	264	307	163	4	474	738
सिक्किम	0	0	0	0	2	3	0	5	5
तमिलनाडु	123	10	0	133	210	172	9	391	524
त्रिपुरा	0	0	0	0	20	11	0	31	31
उत्तर प्रदेश	1495	58	3	1,556	2,800	1,047	44	3,891	5,447
पश्चिम बंगाल	381	36	1	418	272	370	7	649	1,067
अंडमान और निकोबार	1	0	0	1	6	1	1	8	9
चंडीगढ़	11	0	0	11	6	5	0	11	22

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रारंभिक विचार की प्रतीक्षा में मामले				ऐसे मामलों की विचाराधीनता जहां प्राधिकरणों से रिपोर्ट या तो प्राप्त हो गई है या प्रतीक्षित है				सकल योग
	शिकायत / स्वतः संज्ञान मामले	हिरासत में मौत / बलात्कार के मामले	मुठभेड़ मौतें	कुल	शिकायत / स्वतः संज्ञान मामले	हिरासत में मौत / बलात्कार के मामले	मुठभेड़ में मौत	कुल	
दादरा एवं नगर हवेली	2	0	0	2	1	0	0	1	3
दमन और दीव	1	0	0	1	2	0	0	2	3
दिल्ली	364	7	0	371	650	157	7	814	1185
लक्षद्वीप	1	0	0	1	3	0	0	3	4
पुदुचेरी	8	0	0	8	7	1	0	8	16
छत्तीसगढ	42	2	5	49	102	103	94	299	348
झारखंड	98	8	0	106	244	144	30	418	524
उत्तराखंड	53	3	0	56	88	39	0	127	183
तेलंगाना	115	2	0	117	137	44	10	191	308
लद्दाख	0	0	0	0	1	0	0	1	1
विदेश	35	0	0	35	8	0	0	8	43
कुल	**4,587**	**250**	**27**	**4,864**	**7,488**	**3,804**	**359**	**11,651**	**16,515**

अनुलग्नक 4 : उन मामलों का विवरण जहां आयोग ने मौद्रिक राहत की सिफारिश की

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन मामलों की संख्या जिनमें सिफ़ारिश की गई	पीड़ितों/ परिजनों के लिए अनुशंसित राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें सिफ़ारिश की अनुपालना की गई	भुगतान की गयी राशि	अनुपालन के लिए लंबित मामलों की संख्या	अनुपालन के लिए लंबित मामलों में अनुशंसित राशि
अखिल भारत	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	9	28,00,000	1	4,00,000	8	24,00,000
अरुणाचल प्रदेश	5	13,75,000	0	0	5	13,75,000
असम	8	40,00,000	0	0	8	40,00,000
बिहार	37	1,41,50,000	10	52,25,000	27	89,25,000
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	5	20,50,000	1	3,00,000	4	17,50,000
हरियाणा	16	54,75,000	8	21,50,000	8	33,25,000
हिमाचल प्रदेश	2	8,00,000	2	8,00,000	0	0
जम्मू और कश्मीर	1	3,00,000	0	0	1	3,00,000
कर्नाटक	2	2,00,000	0	0	2	2,00,000
केरल	4	17,50,000	0	0	4	17,50,000
मध्य प्रदेश	9	24,05,000	3	4,75,000	6	19,30,000
महाराष्ट्र	9	24,25,000	3	7,00,000	6	17,25,000
मणिपुर	2	10,00,000	1	5,00,000	1	5,00,000
मेघालय	1	3,00,000	0	0	1	3,00,000
मिजोरम	1	3,00,000	0	0	1	3,00,000
नागालैंड	2	8,25,000	0	0	2	8,25,000
ओडिशा	49	1,45,45,000	24	72,50,000	25	72,95,000
पंजाब	4	19,00,000	1	3,00,000	3	16,00,000
राजस्थान	14	47,00,000	7	18,00,000	7	29,00,000
सिक्किम	1	3,75,000	1	3,75,000	0	0
तमिलनाडु	4	9,00,000	0	0	4	9,00,000
त्रिपुरा	2	12,00,000	0	0	2	12,00,000
उत्तर प्रदेश	97	2,94,85,000	22	51,00,000	75	2,43,85,000
पश्चिम बंगाल	16	46,00,000	5	10,75,000	11	35,25,000
अंडमान और निकोबार	1	1,00,000	0	0	1	1,00,000
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उन मामलों की संख्या जिनमें सिफ़ारिश की गई	पीड़ितों/ परिजनों के लिए अनुशंसित राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें सिफ़ारिश की अनुपालना की गई	भुगतान की गयी राशि	अनुपालन के लिए लंबित मामलों की संख्या	अनुपालन के लिए लंबित मामलों में अनुशंसित राशि
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	24	77,75,000	1	3,75,000	23	74,00,000
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ	7	28,00,000	3	9,00,000	4	19,00,000
झारखंड	17	49,50,000	3	7,00,000	14	42,50,000
उत्तराखंड	4	11,50,000	2	7,50,000	2	4,00,000
तेलंगाना	6	25,90,840	2	13,90,840	4	12,00,000
लद्दाख	0	0	0	0	0	0
विदेश	0	0	0	0	0	0
कुल	359	11,72,25,840	100	3,05,65,840	259	8,66,60,000

अनुलग्नक 5 : एनएचआरसी की सिफारिशों की लंबित अनुपालना के मामलों का विवरण

वर्ष 2020-2021 के दौरान एनएचआरसी की सिफारिशों की लंबित अनुपालना के मामलों का विवरण							
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि	कार्रवाई
1	आंध्र प्रदेश	1004/1/20/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	11-03-2021	एआईसी
2	असम	115/3/0/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	18-05-2020	एआईसी
3	असम	134/3/22/2018	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	7,00,000	21-07-2020	एआईसी
4	बिहार	789/4/17/2018	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	50,000	21-09-2020	एआईसी
5	दिल्ली	3870/30/10/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	22-07-2020	**एआईसी**
6	दिल्ली	4461/30/6/2019	809	हिरासत में यातना	6,00,000	14-12-2020	**एआईसी**
7	केरल	441/11/13/2019	1510	राजस्व प्राधिकरणों की हवालात में मौत	3,00,000	28-09-2020	एआईसी
8	लक्षद्वीप	7/31/0/2016	804	सत्ता का दुरुपयोग	50,000	26-11-2020	एआईसी
9	नागालैंड	5/17/1/2016-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,50,000	18-03-2021	एआईसी
10	उत्तर प्रदेश	40366/24/48/2016	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएँ	5,00,000	15-08-2020	**एआईसी**
11	उत्तर प्रदेश	35188/24/63/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,75,000	30-03-2021	डीजीआई
12	पश्चिम बंगाल	1131/25/25/2019	604	जोखिमपूर्ण नियोजन	1,18,00,000	15-02-2021	**एआईसी**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
1	अंडमान और निकोबार	13/26/0/2019	203	चिकित्सा पेशेवरों की खराबी	1,00,000	11-06-2021
2	आंध्र प्रदेश	1038/1/5/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,25,000	21-03-2022
3	आंध्र प्रदेश	1095/1/2/2020	809	हिरासत में यातना	1,00,000	25-05-2021
4	आंध्र प्रदेश	1289/1/4/2015-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	15-03-2022
5	आंध्र प्रदेश	1740/1/5/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,25,000	24-08-2021
6	आंध्र प्रदेश	35/1/2/2020	821	जुल्म	2,00,000	06-07-2021
7	आंध्र प्रदेश	365/1/21/2018	200	स्वास्थ्य	3,00,000	19-01-2022
8	आंध्र प्रदेश	428/1/17/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	28-02-2022
9	आंध्र प्रदेश	935/1/22/2019	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	1,50,000	20-10-2021
10	अरुणाचल प्रदेश	1/2/4/2020-एडी	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासत में मौत	4,50,000	08-12-2021
11	अरुणाचल प्रदेश	29/2/17/2020	817	गैरकानूनी हिरासत	25,000	08-10-2021
12	अरुणाचल प्रदेश	31/2/4/2017-पीएफ	1709	फायरिंग में मौत	5,00,000	16-05-2021
13	अरुणाचल प्रदेश	35/2/15/2019	809	हिरासत में यातना	1,00,000	13-07-2021
14	अरुणाचल प्रदेश	43/2/4/2017-इडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	16-12-2021
15	असम	13/3/26/2019	1511	वन अधिकारियों की हिरासत में मौत	2,00,000	04-06-2021
16	असम	137/3/11/2019	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	2,00,000	27-08-2021
17	असम	160/3/17/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	16-12-2021
18	असम	164/3/8/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	06-07-2021
19	असम	2/3/16/2015-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	16,00,000	15-06-2021
20	असम	219/3/3/2019	809	हिरासत में यातना	6,00,000	09-07-2021
21	असम	22/3/2/2020-डब्ल्यूसी	803	पुलिस स्टेशन के बाहर बलात्कार	5,00,000	16-12-2021
22	असम	30/3/17/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	08-12-2021
23	बिहार	1251/4/8/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	2,00,000	03-01-2022

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
24	बिहार	1285/4/5/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,50,000	21-09-2021
25	बिहार	1381/4/19/2013-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	3,00,000	03-06-2021
26	बिहार	1406/4/16/2019-डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	2,00,000	05-11-2021
27	बिहार	1625/4/8/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	23-06-2021
28	बिहार	178/4/9/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	4,00,000	05-10-2021
29	बिहार	1781/4/4/2019-एडी	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हिरासत मौत	5,00,000	25-10-2021
30	बिहार	1793/4/8/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	08-07-2021
31	बिहार	1826/4/19/2019	503	असामाजिक तत्वों से परेशानी	3,00,000	30-09-2021
32	बिहार	2050/4/10/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	01-11-2021
33	बिहार	2089/4/12/2019-डब्ल्यूसी	1903	अनुसूचित जाति के सदस्य का बलात्कार	75,000	29-03-2022
34	बिहार	2096/4/26/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,50,000	26-07-2021
35	बिहार	2230/4/16/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	22-12-2021
36	बिहार	2679/4/36/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,75,000	26-07-2021
37	बिहार	2734/4/27/2018	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	1,00,000	08-06-2021
38	बिहार	2781/4/27/2017	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	1,00,000	07-04-2021
39	बिहार	2962/4/36/2016	809	हिरासत में यातना	50,000	11-01-2022
40	बिहार	3194/4/35/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	10,00,000	06-11-2021
41	बिहार	3209/4/39/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	30-12-2021
42	बिहार	3370/4/26/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	20-12-2021
43	बिहार	3766/4/6/2014-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	20-12-2021
44	बिहार	380/4/1/2018	100	बच्चे	2,00,000	06-04-2021
45	बिहार	513/4/23/2016	815	गलत दोषारोपण	5,25,000	06-07-2021
46	बिहार	878/4/24/2020	809	हिरासत में यातना	1,00,000	10-11-2021
47	Bihar	925/4/26/2020	809	हिरासत में यातना	7,00,000	23-12-2021

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
48	बिहार	945/4/26/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,00,000	14-02-2022
49	बिहार	979/4/13/2020	205	राज्य में समुचित चिकित्सा सुविधाओं का अभाव	1,00,000	04-01-2022
50	छत्तीसगढ	220/33/1/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	14-02-2022
51	छत्तीसगढ	299/33/16/2019-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	24-11-2021
52	छत्तीसगढ	563/33/17/2016-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	7,00,000	13-04-2021
53	छत्तीसगढ	685/33/1/2016-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	4,00,000	15-09-2021
54	दिल्ली	1035/30/9/2017-डब्ल्यूसी	1305	दहेज की मांग	3,00,000	23-03-2022
55	दिल्ली	1202/30/9/2016-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	09-07-2021
56	दिल्ली	1285/30/5/2018	805	हत्या का प्रयास	4,00,000	13-07-2021
57	दिल्ली	2049/30/0/2021	1202	पेंशन/मुआवजा का भुगतान न करना	1,00,000	25-03-2022
58	दिल्ली	2290/30/0/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,00,000	16-03-2022
59	दिल्ली	2649/30/5/2020	1500	विविध	3,00,000	22-02-2022
60	दिल्ली	2863/30/2/2019	1901	अनुसूचित जाति पर अत्याचार	3,00,000	01-09-2021
61	दिल्ली	3273/30/9/2018	804	सत्ता का दुरुपयोग	3,00,000	12-04-2021
62	दिल्ली	3533/30/0/2017	107	पुलिस हिरासत में मौत	2,00,000	02-02-2022
63	दिल्ली	3788/30/5/2019	832	एफआईआर दर्ज न होना	1,00,000	23-11-2021
64	दिल्ली	3870/30/10/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	6,00,000	06-09-2021
65	दिल्ली	4084/30/0/2018	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	3,00,000	10-06-2021
66	दिल्ली	4093/30/6/2019	804	सत्ता का दुरुपयोग	1,00,000	01-07-2021
67	दिल्ली	4435/30/5/2019	123	बच्चों का बलात्कार	2,00,000	16-09-2021
68	दिल्ली	4461/30/6/2019	809	हिरासत में यातना	12,00,000	30-09-2021
69	दिल्ली	4614/30/2/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	15-11-2021
70	दिल्ली	4831/30/7/2019	804	सत्ता का दुरुपयोग	1,00,000	17-11-2021
71	दिल्ली	5132/30/9/2018	815	झूठे आरोप में फंसाना	3,00,000	01-04-2021

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
72	दिल्ली	5488/30/0/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	29-12-2021
73	दिल्ली	57/30/0/2020	804	सत्ता का दुरुपयोग	2,00,000	25-10-2021
74	दिल्ली	680/30/1/2015-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	5,00,000	08-12-2021
75	दिल्ली	7377/30/0/2015	203	चिकित्सा पेशेवरों का कुकृत्य	3,00,000	23-09-2021
76	दिल्ली	757/30/7/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	4,00,000	10-02-2022
77	गुजरात	150/6/26/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,50,000	04-01-2022
78	गुजरात	1567/6/13/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,50,000	13-09-2021
79	गुजरात	279/6/15/2020-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	4,50,000	31-01-2022
80	गुजरात	294/6/25/2020-WC	803	पुलिस स्टेशन के बाहर बलात्कार	5,00,000	17-02-2022
81	हरियाणा	1318/7/2/2020	809	हिरासत में यातना	3,00,000	10-11-2021
82	हरियाणा	1883/7/8/2019	505	असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या	2,00,000	31-12-2021
83	हरियाणा	4900/7/18/2016-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	3,00,000	10-02-2022
84	हरियाणा	661/7/2/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	24-03-2022
85	हरियाणा	695/7/3/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,50,000	10-02-2022
86	हरियाणा	9079/7/17/2014-इडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	10,00,000	25-02-2022
87	हरियाणा	919/7/1/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	09-06-2021
88	हरियाणा	920/7/17/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,75,000	26-10-2021
89	जम्मू और कश्मीर	284/9/20/2021	1508	केंद्र/राज्य सरकारों के सीमा शुल्क /उत्पाद शुल्क/प्रवर्तन/वन/ आयकर विभाग आदि द्वारा अत्याचार	3,00,000	02-03-2022
90	झारखंड	1014/34/6/2019	212	कुपोषण से मौतें	3,00,000	25-02-2022
91	झारखंड	1110/34/16/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,00,000	29-07-2021
92	झारखंड	1146/34/11/2019-CL	101	बाल श्रम	1,00,000	18-06-2021
93	झारखंड	155/34/18/2020	207	चिकित्सकीय लापरवाही	2,00,000	21-02-2022
94	झारखंड	1711/34/16/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,50,000	01-07-2021

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
95	झारखंड	301/34/8/2019-एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासत मौत	3,00,000	10-06-2021
96	झारखंड	344/34/12/2019	100	बच्चे	50,000	12-05-2021
97	झारखंड	405/34/4/2020	804	सत्ता का दुरुपयोग	1,00,000	17-05-2021
98	झारखंड	429/34/22/2015-ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	10,00,000	29-11-2021
99	झारखंड	763/34/5/2020	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	3,50,000	23-08-2021
100	झारखंड	891/34/2/2019	207	चिकित्सकीय लापरवाही	2,00,000	10-06-2021
101	झारखंड	909/34/11/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	14-12-2021
102	झारखंड	95/34/3/2021- डब्ल्यूसी	1304	दहेज़ मौत या उनका प्रयास	1,00,000	06-12-2021
103	झारखंड	979/34/8/2019-डीएच	111	अन्य सरकार संचालित बाल गृह में मृत्यु	7,00,000	29-03-2022
104	कर्नाटक	244/10/7/2018	203	चिकित्सा पेशेवरों की लापरवाही	1,00,000	07-04-2021
105	कर्नाटक	457/10/21/2018-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	1,00,000	08-07-2021
106	केरल	322/11/6/2020	213	महामारी का प्रसार	3,00,000	25-01-2022
107	केरल	636/11/8/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	24-06-2021
108	केरल	672/11/3/2016-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	6,50,000	24-11-2021
109	केरल	77/11/12/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	14-02-2022
110	मध्य प्रदेश	1213/12/21/2019-डब्ल्यूसी	1304	दहेज़ मौत या उनका प्रयास	1,00,000	17-05-2021
111	मध्य प्रदेश	1417/12/53/2020	804	सत्ता का दुरुपयोग	2,00,000	24-05-2021
112	मध्य प्रदेश	1698/12/44/2019	207	चिकित्सकीय लापरवाही	7,50,000	21-02-2022
113	मध्य प्रदेश	1792/12/43/2020	207	चिकित्सकीय लापरवाही	4,00,000	02-07-2021
114	मध्य प्रदेश	1891/12/21/2020	809	हिरासत में यातना	1,00,000	15-07-2021
115	मध्य प्रदेश	913/12/23/2020	215	बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन	3,80,000	01-09-2021
116	महाराष्ट्र	1037/13/31/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,75,000	31-01-2022
117	Maharashtra	1040/13/16/2018-एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासत मौत	5,00,000	04-02-2022
118	Maharashtra	1719/13/19/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	05-08-2021

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
119	महाराष्ट्र	2818/13/15/2015	203	चिकित्सा पेशेवरों की लापरवाही	1,00,000	09-07-2021
120	महाराष्ट्र	321/13/16/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,50,000	06-09-2021
121	महाराष्ट्र	544/13/0/2020-डब्ल्यूसी	1309	महिलाओं का अपमान	1,00,000	09-02-2022
122	मणिपुर	25/14/14/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	5,00,000	16-12-2021
123	मेघालय	46/15/1/2016-ईडी	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	3,00,000	14-12-2021
124	मिजोरम	13/16/5/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	26-11-2021
125	नागालैंड	3/17/9/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,75,000	21-02-2022
126	नागालैंड	6/17/5/2018-एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासत मौत	4,50,000	16-12-2021
127	ओडिशा	1066/18/9/2020	1508	केंद्र/राज्य सरकारों के सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/प्रवर्तन/वन/आयकर विभाग आदि द्वारा अत्याचार	2,00,000	08-11-2021
128	ओडिशा	1107/18/12/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	16-03-2022
129	ओडिशा	1454/18/8/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,75,000	02-08-2021
130	ओडिशा	1626/18/17/2020	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	3,00,000	29-10-2021
131	ओडिशा	1752/18/17/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	31-12-2021
132	ओडिशा	1784/18/17/2020	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	3,00,000	04-02-2022
133	ओडिशा	1816/18/9/2020	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	3,00,000	14-10-2021
134	ओडिशा	1969/18/6/2020	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	3,00,000	19-01-2022
135	ओडिशा	2029/18/24/2020	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	3,00,000	06-12-2021
136	ओडिशा	208/18/24/2019	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	2,00,000	05-07-2021
137	ओडिशा	2085/18/18/2020	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	2,00,000	14-02-2022
138	ओडिशा	2161/18/10/2019	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	5,00,000	03-12-2021
139	ओडिशा	2193/18/9/2020	200	स्वास्थ्य	2,00,000	31-12-2021
140	ओडिशा	2222/18/3/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	01-04-2021

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
141	ओडिशा	2285/18/13/2019	604	परिसंकटमय रोज़गार	2,50,000	08-05-2021
142	ओडिशा	2524/18/17/2019	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	1,00,000	08-11-2021
143	ओडिशा	2557/18/16/2020	218	बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए चिकित्सा देखभाल	1,00,000	14-03-2022
144	ओडिशा	2600/18/4/2020	225	महामारी के दौरान इलाज से इनकार	2,00,000	10-02-2022
145	ओडिशा	2722/18/1/2019	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	5,00,000	17-02-2022
146	ओडिशा	2732/18/30/2019	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	5,00,000	29-03-2022
147	ओडिशा	3073/18/26/2019	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	5,00,000	22-06-2021
148	ओडिशा	3081/18/10/2019	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	1,00,000	02-12-2021
149	ओडिशा	3541/18/6/2019	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	2,00,000	11-06-2021
150	ओडिशा	4247/18/1/2014	203	चिकित्सा पेशेवरों की कुसंक्रिया	4,50,000	24-04-2021
151	ओडिशा	4304/18/1/2018-डब्ल्यूसी	1310	महिलाओं की अनैतिक दुवर्यापार	3,20,000	10-11-2021
152	पंजाब	262/19/18/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	17-02-2022
153	पंजाब	716/19/1/2015-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	29-12-2021
154	पंजाब	782/19/2/2020	207	चिकित्सकीय लापरवाही	8,00,000	20-07-2021
155	राजस्थान	1068/20/29/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,50,000	17-01-2022
156	राजस्थान	1112/20/29/2019-एडी	309	न्यायिक हिरासत में कथित हिरासत में मौत	2,00,000	17-02-2022
157	राजस्थान	1980/20/20/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,00,000	11-02-2022
158	राजस्थान	2141/20/14/2020	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	12,50,000	22-12-2021
159	राजस्थान	2368/20/14/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	26-11-2021
160	राजस्थान	654/20/2/2021-पीसीआर	823	पुलिस हिरासत में कथित बलात्कार	1,00,000	22-10-2021
161	राजस्थान	862/20/21/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	14-06-2021
162	तमिलनाडु	1623/22/31/2019-डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	1,00,000	17-05-2021
163	तमिलनाडु	1656/22/13/2016-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	24-08-2021
164	तमिलनाडु	2308/22/45/2017-पीसीडी	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	2,00,000	04-02-2022

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
165	तमिलनाडु	2520/22/31/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	07-06-2021
166	तेलंगाना	1130/36/22/2019	2501	राज्यों में पंचायत की कुसंक्रिया	1,00,000	16-02-2022
167	तेलंगाना	1513/36/9/2020-डब्ल्यूसी	1306	महिलाओं का शोषण	4,00,000	14-03-2022
168	तेलंगाना	660/36/6/2015-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	19-06-2021
169	तेलंगाना	715/36/8/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	5,00,000	22-08-2021
170	त्रिपुरा	32/23/9/2020	123	बाल बलात्कार	7,00,000	14-12-2021
171	त्रिपुरा	39/23/3/2019- डब्ल्यूसी	1315	हत्या	5,00,000	14-12-2021
172	उत्तर प्रदेश	11148/24/24/2021	1518	अवैध शराब पीने से मौत	2,00,000	13-12-2021
173	उत्तर प्रदेश	11156/24/52/2020	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	2,00,000	29-12-2021
174	उत्तर प्रदेश	11194/24/49/2020	804	सत्ता का दुरुपयोग	1,00,000	16-03-2022
175	उत्तर प्रदेश	11644/24/33/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	30-09-2021
176	उत्तर प्रदेश	11818/24/60/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	06-07-2021
177	उत्तर प्रदेश	11901/24/42/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	08-07-2021
178	उत्तर प्रदेश	12076/24/16/2019	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	64,00,000	09-06-2021
179	उत्तर प्रदेश	12541/24/53/2020	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	3,50,000	24-02-2022
180	उत्तर प्रदेश	12580/24/1/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	04-06-2021
181	उत्तर प्रदेश	13140/24/71/2021-एडी	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित हिरासत मौत	10,00,000	31-12-2021
182	उत्तर प्रदेश	136/24/77/2018	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	3,00,000	30-09-2021
183	उत्तर प्रदेश	13616/24/17/2020	1508	केंद्र/राज्य सरकारों के सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/प्रवर्तन/वन/आयकर विभाग आदि द्वारा अत्याचार	1,00,000	01-11-2021
184	उत्तर प्रदेश	15903/24/32/2019-डब्ल्यूसी	1311	बलात्कार	2,00,000	10-06-2021
185	उत्तर प्रदेश	1607/24/52/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	04-06-2021
186	उत्तर प्रदेश	16376/24/48/2015-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	8,00,000	06-11-2021

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
187	उत्तर प्रदेश	16629/24/44/2018	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	1,00,000	12-07-2021
188	उत्तर प्रदेश	17099/24/1/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	16-06-2021
189	उत्तर प्रदेश	17151/24/75/2019-डब्ल्यूसी	1315	हत्या	10,000	22-08-2021
190	उत्तर प्रदेश	17902/24/62/2020-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	15-11-2021
191	उत्तर प्रदेश	18265/24/8/2016-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	30-07-2021
192	उत्तर प्रदेश	18294/24/1/2019	207	चिकित्सकीय लापरवाही	3,00,000	03-03-2022
193	उत्तर प्रदेश	18673/24/48/2019	1508	केंद्र/राज्य सरकारों के सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/प्रवर्तन/वन/ आयकर विभाग आदि द्वारा अत्याचार ।	1,00,000	08-11-2021
194	उत्तर प्रदेश	19627/24/16/2018-AD	822	पुलिस हिरासत में कथित हिरासत में मौत	5,00,000	01-07-2021
195	उत्तर प्रदेश	21721/24/53/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	21-10-2021
196	उत्तर प्रदेश	21756/24/26/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	30-09-2021
197	उत्तर प्रदेश	21795/24/3/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	20-08-2021
198	उत्तर प्रदेश	2204/24/21/2020	804	सत्ता का दुरुपयोग	50,000	02-08-2021
199	उत्तर प्रदेश	23025/24/7/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,25,000	11-10-2021
200	उत्तर प्रदेश	23068/24/22/2019	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	1,00,000	27-08-2021
201	उत्तर प्रदेश	23080/24/51/2019	809	हिरासत में यातना	2,00,000	22-08-2021
202	उत्तर प्रदेश	23217/24/31/2018	100	बच्चे	3,00,000	13-12-2021
203	उत्तर प्रदेश	23598/24/45/2019	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	3,50,000	29-11-2021
204	उत्तर प्रदेश	23626/24/17/2019	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	50,000	31-03-2022
205	उत्तर प्रदेश	25984/24/16/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	17-02-2022
206	उत्तर प्रदेश	26106/24/52/2019	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	2,00,000	14-10-2021
207	उत्तर प्रदेश	26338/24/1/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	21-10-2021
208	उत्तर प्रदेश	26627/24/23/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	16-03-2022

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
209	उत्तर प्रदेश	26681/24/27/2018	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	4,00,000	28-05-2021
210	उत्तर प्रदेश	26878/24/78/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	29-07-2021
211	उत्तर प्रदेश	26939/24/23/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	21-02-2022
212	उत्तर प्रदेश	28041/24/52/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	19-08-2021
213	उत्तर प्रदेश	28273/24/72/2019	203	चिकित्सा पेशेवरों की कुसंक्रिया	1,00,000	22-12-2021
214	उत्तर प्रदेश	28832/24/57/2019	207	चिकित्सकीय लापरवाही	1,00,000	21-06-2021
215	उत्तर प्रदेश	28910/24/36/2019	804	सत्ता का दुरुपयोग	2,00,000	07-07-2021
216	उत्तर प्रदेश	29119/24/35/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	05-07-2021
217	उत्तर प्रदेश	29471/24/18/2019	809	हिरासत में यातना	1,00,000	11-06-2021
218	उत्तर प्रदेश	29648/24/43/2018-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	3,00,000	10-09-2021
219	उत्तर प्रदेश	29729/24/56/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	26-11-2021
220	उत्तर प्रदेश	29746/24/3/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,50,000	26-10-2021
221	उत्तर प्रदेश	29865/24/22/2016	806	एससी/एसटी पर अत्याचार (पुलिस द्वारा)	2,00,000	11-06-2021
222	उत्तर प्रदेश	30118/24/51/2018-डब्ल्यूसी	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	3,50,000	09-08-2021
223	उत्तर प्रदेश	30596/24/25/2016	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	1,00,000	17-08-2021
224	उत्तर प्रदेश	3088/24/6/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,50,000	05-07-2021
225	उत्तर प्रदेश	30955/24/78/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,00,000	24-01-2022
226	उत्तर प्रदेश	31615/24/27/2019-WC	1301	अपहरण, बलात्कार और हत्या	2,00,000	12-07-2021
227	उत्तर प्रदेश	3183/24/22/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,00,000	28-06-2021
228	उत्तर प्रदेश	3197/24/53/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	16-08-2021
229	उत्तर प्रदेश	33654/24/1/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,75,000	02-08-2021
230	उत्तर प्रदेश	35762/24/7/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	28-06-2021
231	उत्तर प्रदेश	37414/24/15/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	30-09-2021

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
232	उत्तर प्रदेश	4418/24/15/2020	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	1,00,000	30-09-2021
233	उत्तर प्रदेश	48326/24/68/2015	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	1,00,000	05-04-2021
234	उत्तर प्रदेश	5911/24/68/2020	1514	बिजली का करंट लगने से मौत	2,00,000	29-11-2021
235	उत्तर प्रदेश	6215/24/30/2020	100	बच्चे	1,00,000	18-06-2021
236	उत्तर प्रदेश	6616/24/61/2018	203	चिकित्सा पेशेवरों की कुसंक्रिया	2,00,000	12-08-2021
237	उत्तर प्रदेश	686/24/67/2020	804	सत्ता का दुरुपयोग	2,00,000	31-12-2021
238	उत्तर प्रदेश	7439/24/7/2020	505	असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या	1,00,000	29-10-2021
239	उत्तर प्रदेश	7858/24/54/2014-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	04-02-2022
240	उत्तर प्रदेश	8017/24/64/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,00,000	14-06-2021
241	उत्तर प्रदेश	8470/24/71/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	13-12-2021
242	उत्तर प्रदेश	8583/24/52/2018	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	25,000	18-02-2022
243	उत्तर प्रदेश	8764/24/34/2021	804	सत्ता का दुरुपयोग	2,00,000	07-02-2022
244	उत्तर प्रदेश	9046/24/54/2020	1505	राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता	1,00,000	07-06-2021
245	उत्तर प्रदेश	9201/24/23/2018	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	1,00,000	05-09-2021
246	उत्तर प्रदेश	9839/24/52/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	08-11-2021
247	उत्तराखंड	286/35/7/2019-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	08-07-2021
248	उत्तराखंड	317/35/3/2018	203	चिकित्सा पेशेवरों की कुसंक्रिया	1,00,000	20-10-2021
249	पश्चिम बंगाल	102/25/8/2016-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	21-10-2021
250	पश्चिम बंगाल	108/25/5/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	1,00,000	22-08-2021
251	पश्चिम बंगाल	1581/25/5/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	02-02-2022
252	पश्चिम बंगाल	372/25/15/2017-पीएफ	1704	सत्ता का दुरुपयोग	50,000	24-06-2021
253	पश्चिम बंगाल	439/25/11/2015-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	4,00,000	30-09-2021
254	पश्चिम बंगाल	547/25/7/2015	811	पुलिस फायरिंग में मौत	7,00,000	15-09-2021

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
255	पश्चिम बंगाल	659/25/9/2018-डीएच	110	किशोर गृह में हिरासत में मौत	2,00,000	11-11-2021
256	पश्चिम बंगाल	677/25/13/2020	216	मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल	3,75,000	29-11-2021
257	पश्चिम बंगाल	797/25/5/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	2,00,000	19-06-2021
258	पश्चिम बंगाल	80/25/11/2018-पीएफ	1709	फायरिंग में मौत	3,00,000	07-04-2021
259	पश्चिम बंगाल	870/25/15/2019	804	सत्ता का दुरुपयोग	6,00,000	28-05-2021
					8,66,60,000	

अनुलग्नक 5क :

वर्ष 2014-2020 के दौरान एनएचआरसी की सिफारिशों की लंबित अनुपालना के मामलों का विवरण						
(डेटा दिनांक 12/04/2021 की स्थिति के अनुसार, सीएमएस के अनुसार)						
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रकरण संख्या	घटना संहिता	शिकायत की प्रकृति	पीड़ित/निकटतम संबंधियों के लिए अनुशंसित राशि	सिफ़ारिश की तिथि
1	असम	237/3/11/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	20-01-2020
2	बिहार	3269/4/4/2017	804	सत्ता का दुरुपयोग	1,00,000	21-01-2020
3	छत्तीसगढ	172/33/5/2018	805	हत्या का प्रयास	12,00,000	17-09-2019
4	झारखंड	1066/34/7/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	19-03-2020
5	झारखंड	1559/34/5/2018-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	14-11-2019
6	झारखंड	208/34/8/2019	207	चिकित्सकीय लापरवाही	1,00,000	16-10-2019
7	मध्य प्रदेश	261/12/35/2019	106	यौन उत्पीड़न/अप्राकृतिक अपराध	3,00,000	23-12-2019
8	मध्य प्रदेश	342/12/8/2019-डब्ल्यूसी	803	पुलिस स्टेशन के बाहर बलात्कार	50,000	16-03-2020
9	ओडिशा	4257/18/1/2016	204	सरकारी अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएँ	4,00,000	17-02-2020
10	पंजाब	384/19/1/2017-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	23-10-2019
11	तमिलनाडु	969/22/13/2017	814	विधिसम्मत कार्रवाई करने में विफलता	3,00,000	12-02-2020
12	तेलंगाना	945/36/0/2016-जेसीडी	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	3,00,000	19-06-2019
13	दिल्ली	252/30/8/2014	2006	उत्पीड़न (विदेशी/ एनआरआई)	3,00,000	29-09-2014

अनुलग्नक 6 : ऐसे मामले जहां एनएचआरसी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की सिफारिश की

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आनुशासिक कार्रवाई	अभियोजन
अखिल भारत	0	0
अंडमान और निकोबार	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	0	0
बिहार	0	0
चंडीगढ़	0	0
छत्तीसगढ	0	0
दादरा एवं नगर हवेली	0	0
दमन और दीव	0	0
दिल्ली	0	0
विदेश	0	0
गोवा	0	0
गुजरात	0	0
हरियाणा	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0
जम्मू और कश्मीर	0	0
झारखंड	0	0
कर्नाटक	0	0
केरल	0	0
लद्दाख	0	0
लक्षद्वीप	0	0
मध्य प्रदेश	0	0
महाराष्ट्र	0	0
मणिपुर	0	0
मेघालय	0	0
मिजोरम	0	0

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आनुशासिक कार्रवाई	अभियोजन
नागालैंड	0	0
ओडिशा	0	0
पुदुचेरी	0	0
पंजाब	0	0
राजस्थान	0	0
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	1	0
तेलंगाना	0	0
त्रिपुरा	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0
उत्तराखंड	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0
कुल	**1**	**0**

अनुलग्नक 7: जांच प्रभाग द्वारा मौके पर की गई पूछताछ

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
1	1211/30/0/2021	श्री मोहम्मद शरीफ, त्रिलोकपुरी, दिल्ली	तिहाड़ कारागार नंबर 1, दिल्ली के एक अधिकारी की प्रति माह 10,000 रुपये की अवैध मांग को पूरा नहीं करने के कारण शिकायतकर्ता के पुत्र पर कथित क्रूरता, उसके साथ भेदभाव और उसे जान से मारने की धमकी।
2	1077/25/0/2021	स्वत: संज्ञान	आयोग ने पश्चिम बंगाल के जिलों (पश्चिम मिदनापुर, कोलकाता, उत्तर 24 परगना) में चुनाव के बाद हुई हिंसा के संबंध में टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए।
3	11416/24/30/2021	श्री सिद्धार्थ, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के जिला अधिकारी कथित तौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान जिले की आम जनता को आवश्यक जानकारी, बुनियादी ढांचे का संबल, पर्याप्त चिकित्सा व्यवस्था आदि प्रदान करने में विफल रहे।
4	26453/24/78/2020-एडी	श्रीमती हरवेदी पत्नी श्री श्याम सिंह, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने वर्तमान शिकायत में जांच की आड़ में नामित पुलिस अधिकारियों द्वारा यातना के कारण उसके बेटे की मौत का आरोप लगाया है। बताया गया है कि थाना गंगीरी, जिला-अलीगढ़ अंतर्गत एक गांव की एक लड़की के भागने की शिकायत पर उसके दूसरे बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। चूंकि उस बेटे के साथ-साथ लड़की का भी पता परिवार को नहीं पता था, इसलिए उनके विवरण मांगने पर नामित पुलिस अधिकारी मृतक बेटे को नियमित आधार पर परेशान कर रहे थे और यहां तक कि उसकी पिटाई भी कर रहे थे। मृतक को नामित पुलिस अधिकारियों द्वारा बुलाया गया था और अगले दिन उसका शव एक मंदिर की निर्माणाधीन इमारत में लटका हुआ पाया गया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके तीसरे बेटे को भी गंगीरी पीएस के पुलिस अधिकारियों ने प्रताड़ित किया था और उनके बेटे की मौत के बाद ही पुलिस ने उसे बख्शा था। आगे आरोप है कि उनकी शिकायत के बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
5	8500/24/75/2021-पीसीआर	श्री प्रेम सिंह, जिला बदायूँ (सम्भल भीम नगर), उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी विधवा बेटी के साथ एसएचओ ने पुलिस हिरासत में बलात्कार, अत्याचार और छेड़छाड़ की। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एसएचओ ने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसके निजी अंगों में बाहरी वस्तुएं भी डालीं और मेडिकल डॉक्टर के साथ सांठ-गांठ की, जिसने झूठी मेडिकल रिपोर्ट पेश की।
6	911/7/15/2021-बी.एल	सुश्री महिमा विकल, जिला पानीपत, हरियाणा	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि हरियाणा के जिला पानीपत के गांव इशराणे में मोहित ईंट भट्ठा के मालिक ने अनुसूचित जाति के 36 परिवारों के 162 लोगों को बंधुआ मजदूर के रूप में रखा है। उन्हें उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है और प्रतिदिन 16 घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उनकी रहने की स्थिति कष्टकारी है, और उन्हें घूमने-फिरने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। शिकायतकर्ता ने उन्हें बचाने, रिहा करने और उनके उचित वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया।
7	1187/13/16/2020	डॉ. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे और अन्य दो संसद सदस्य (राज्यसभा), अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास संबंधी संसदीय समिति, नई दिल्ली	संसद सदस्यों (राज्यसभा) के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र राज्य में मानव अधिकारों के कई राज्य प्रायोजित उल्लंघन हो रहें हैं। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस कर्मियों या सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा, यहां तक कि कुछ मामलों में, राज्य सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति में भी मानव अधिकारों के उल्लंघन के विभिन्न मामलों का उल्लेख किया है। एक मामले में, मुंबई के वडाला निवासी पीड़ित पर राज्य में सत्तारूढ़ दल के लोगों, शिवसैनिकों ने हमला किया, उसका घर तोड़ दिया क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की आलोचना की थी। पीड़ित को न केवल पीटा गया, बल्कि आरोपी व्यक्तियों ने उसे सड़कों पर ले जाकर उसका सिर मुंडवा दिया।
8	1586/30/0/2021	श्री अनिल कुमार चोबे, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके बेटे और अन्य को उत्तर प्रदेश पुलिस ने अगवा किया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस उन्हें बस्ती जिले में ले आई और फिर उनमें से एक के पैर में गोली मार दी, इसे परशुराम पुलिस स्टेशन क्षेत्र में मुठभेड़ के रूप में दिखाया गया। अब उनके बेटे सूरज और अन्य का कोई अता-पता नहीं है.

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
9	1974/30/2/2021	श्री मनीष सिंह, मंडोली कारागार, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कारागार परिसर में गैरकानूनी गतिविधियां चल रही हैं जैसे फिरौती वसूलना, कारागार अधिकारियों द्वारा कैदी को मोबाइल फोन और नशीली दवाएं उपलब्ध कराना। उन्होंने फिरौती देने से इनकार करने पर कैदियों पर शारीरिक हमला करने का भी आरोप लगाया है।
10	1271/20/4/2021-एएफई	श्रीमती जशोदा देवी, जिला बाडमेर, राजस्थान	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस अधीक्षक. जिला बाड़मेर, राजस्थान, डीएसपी और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बिना किसी वारंट के हथियारों के साथ उनके घर को घेर लिया। डरकर उसने अपनी कार से पुलिस से बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया. इसी बीच पुलिस ने उनकी गाड़ी के टायर पर और उनके पति को भी निशाना बनाकर तीन गोलियां चलायीं, जिससे वह घायल हो गये। पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ मारपीट भी की जिससे उसकी मौत हो गई और फिर उसे अपने वाहन में ले गए। बाद में पुलिस ने शिकायतकर्ता को धमकाते हुए उसके घर में घुसकर अफीम रख दी और उनके घर से पैसे और सीसीटीवी कैमरा जब्त कर लिया। पुलिस ने उनकी अलमारी से 59,69,050/- रुपये ले लिये और शिकायतकर्ता और उसके नाबालिग बच्चों को रात भर थाने में रखा गया।
11	4385/30/2/2021-डब्ल्यूसी	सुश्री उर्वशी गुप्ता, मयूर विहार, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने अपने जैविक पिता द्वारा उसके यौन शोषण और डीसीडब्ल्यू काउंसलर के माध्यम से संपर्क किए जाने के बावजूद पुलिस की ओर से उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में विफलता का आरोप लगाया।
12	5042/30/10/2021-डब्ल्यूसी	श्री मोबीन खान, अधिवक्ता, जिला पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर।	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पीड़िता, जो दिल्ली के लाजपत नगर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय से जुड़ी नागरिक सुरक्षा की सदस्य है, के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में थाना सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने मामले को जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है क्योंकि कथित तौर पर उच्च अधिकारी आरोपियों को शरण दे रहे हैं।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
13	559/4/25/2020-WC	सुश्री मांडवी बाई (साध्वी) महिला संत आश्रम, गोविंदपुर, जिला नवादा, बिहार	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नामित व्यक्ति जबरन उनके धार्मिक स्थल में घुस गए और उसके और अन्य ननों (संन्यासिनी) के साथ बलात्कार किया। इस प्रसंग में आपराधिक मामला दर्ज करवाया गया अपराधियों ने केस वापस लेने के लिए उन्हें डराया-धमकाया और जान से मारने की धमकी दी. उनके मना करने पर पीड़ितों को जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में झूठे आपराधिक मामलों में फंसा दिया गया है। इस मामले में आयोग से हस्तक्षेप की प्रार्थना की गयी थी।
14	946/7/7/2021-डब्ल्यूसी	श्री राधाकांत त्रिपाठी, अधिवक्ता, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाया, जो दिल्ली-हरियाणा सीमा पर किसान विरोध प्रदर्शन में भाग लेने आई थी। बाद में, पीड़ित की झज्जर अस्पताल में कोविड लक्षणों के साथ मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि यह घटना पुलिस अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार के अधिकारियों की निष्क्रियता, लापरवाही और पर्याप्त सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और न्याय प्रदान करने में विफलता के कारण हुई।
15	3089/24/31/2019-जेसीडी	अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से प्राप्त सुश्री सीमा की हिरासत में मृत्यु की सूचना	आयोग ने यह पता लगाने का निर्देश दिया कि यूटीपी या दोषियों-विशेष रूप से एचआईवी के कारागार में प्रवेश के समय गाजियाबाद कारागार, उत्तर प्रदेश (जिला कारागार गाजियाबाद) में प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच परीक्षण (आईएचएसटी) ठीक प्रकार से आयोजित किया जा रहा है या नहीं।
16	830/20/1/2021	श्री मलिक मोहम्मद, रामगंज, जिला अजमेर, राजस्थान	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पीड़िता की हत्या कर दी, क्योंकि पीड़िता और आरोपी की बेटी एक-दूसरे से प्यार करते थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, शर्ट पर खून के निशान आदि जैसे महत्वपूर्ण सबूतों को ध्यान में नहीं रखा है, जिसके कारण आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहा है और पीड़ित परिवार को धमकी भी दे रहा है।
17	26830/24/22/2021	डॉ. चारु वलीखन्ना, अधिवक्ता, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने एक समाचार पत्र की कटिंग का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि एटा पुलिस ने एक नाबालिग 15 वर्षीय लड़के को मादक पदार्थ रखने के मामले में गिरफ्तार किया और उसे किशोर बोर्ड के सामने पेश करने के बजाय कारागार भेज दिया। मृत लड़के के पिता ने पुलिस पर पैसे ऐंठने के लिए लड़के को अवैध रूप से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
18	25705/24/23/2021	श्री शिवमणि पुत्र शिव शंकर, जिला कारागार इटावा, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने इटावा कारागार कर्मियों पर अत्याचार, अमानवीय व्यवहार और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया।
19	15539/24/1/2021	स्वत: संज्ञान	आयोग ने भूख के कारण पांच वर्षीय लड़की की मौत के बारे में एक समाचार रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया। पीड़िता के माता-पिता को लॉक-डाउन के कारण कुछ महीनों तक काम नहीं मिल पाया।
20	33657/24/34/2021-एएफई	श्री शिव प्रशाद, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ झूठी एफआईआर के आधार पर पीड़िता को फर्जी मुठभेड़ में अवैध रूप से मार डाला। यह भी आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने हत्या के बाद उसके पिता, मां और पत्नी को झूठे आरोप में कारागार भेज दिया है.
21	6945/30/9/2021	श्री शम्भू नाथ, रमेश नगर, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भाई को ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में आरोपी ले गए और बाद में उसी दिन उसका शव बरामद किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित थाने के पुलिस कर्मियों को पहले ही पीड़ित की अवस्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया था, लेकिन मृतक की जान नहीं बचाई जा सकी।
22	2843/13/16/2021	श्री राज कुंद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र	शिकायतकर्ता ने महाराष्ट्र के मुंबई स्थित आर्थर कारागार की दयनीय स्थिति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कारागार की बैरकों में कैदी धूम्रपान कर रहे हैं, जिससे धूम्रपान न करने वाले कैदियों को जहरीला धुंआ पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कारागार में भीड़भाड़ है और जगह घेरने के लिए कैदियों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं, भोजन की मात्रा और गुणवत्ता ठीक नहीं है, शौचालयों की साफ-सफाई का अभाव है, आदि।
23	10097/24/30/2020	श्री राज हंस बंसल, जिला गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर के जिला अस्पताल में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण एक नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। भर्ती नहीं करने पर महिला ने अस्पताल के गेट पर ही बच्चे को जन्म दे दिया।
24	1052/19/10/2021	डॉ. राजिंदर अरोड़ा, जिला लुधियाना, पंजाब	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि 90 साल के एक वरिष्ठ नागरिक को जबरन बंद रखने, अमानवीय व्यवहार और अपने ही बेटों द्वारा उसकी चल संपत्ति हड़पने सहित अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है।

क्र. सं.	प्रकरण संख्या	शिकायतकर्ता का विवरण	शिकायत का सार
25	1768/18/28/2021	श्रीमती, सुकांति लता सतपथी, भुवनेश्वर, ओडिशा	शिकायतकर्ता ने राज्य सामान्य प्रशासन विभाग की एजेंसियों द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए उसके घर को ध्वस्त करने और उसे बेघर करने का आरोप लगाया।
26	718/12/44/2020	श्री अभिषेक जोशी, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश	शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि संविदाकार द्वारा सुरक्षा उपकरण/उपाय उपलब्ध न कराने और राज्य अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करने के कारण एक टंकी के निर्माण के दौरान एक प्रवासी श्रमिक की मृत्यु हो गई।
27	33940/24/4/2019-AD	श्री धाना कुमार, जनकपुरी, दिल्ली	शिकायतकर्ता ने थाना नवाबगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में पुलिस की यातना के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु का आरोप लगाया।
28	11428/24/71/2018	सुश्री उमा मिश्रा, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश	शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि एक नेपाली महिला को उसके नियोक्ता ने पिछले 15 वर्षों से बंधुआ मजदूर के रूप में रखा हुआ है। उसके साथ दुवर्यापार किया जा रहा है और उसे उसके परिवार के सदस्यों से मिलने नहीं दिया जा रहा है।

अनुलग्नक 8 : कोर समूह की बैठकें

क्र.सं	विषय	तिथि	प्रतिभागियों की सूची
1	पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं मानव अधिकार संबंधी कोर समूह की बैठक	23.03.22	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), एमसी मेहता पर्यावरण फाउंडेशन, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पृथ्वी विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, टीईआरआई
2	स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कोर समूह की बैठक	22.12.21	बैठक में कोर समूह के सदस्यों, विशेष मॉनिटर, स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य, एनएचआरसी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज संगठनों, शिक्षाविदों और विभिन्न प्रतिष्ठित स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के चिकित्सकों ने भाग लिया।
3	बंधुआ मजदूर संबंधी कोर सलाहकार समूह की बैठक	21.10.21	
4	बच्चों संबंधी कोर समूह की बैठक	25.02.22	एनएचआरसी के अधिकारी, कोर समूह के सदस्य, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ, भारत, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि।
5	महिलाओं संबंधी कोर समूह की बैठक	14.09.21	कोर समूह के सदस्य, विदेश मंत्रालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि, विशेष आमंत्रित सदस्य।

अनुलग्नक 9: राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार और ओपन हाउस चर्चाएँ

क्र.सं.	शीर्षक	तिथि	कार्यक्रम का स्थान	प्रतिभागियों की सूची
1	घरेलू कामगारों की असुरक्षा, कानूनी प्रतिरक्षा और मानव अधिकार	16.04.2021	आभासी (वर्चुअल)	• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग - 1 • राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग -1 • अधिवक्ता-3 • दक्षिण एशिया के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन - 1 • नागरिक समाज संगठन - 13 • स्वतंत्र विशेषज्ञ एवं अनुसंधान संस्थान - 5
2	महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण उत्पन्न जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए एनएचआरसी और सीएसओ और एनजीओ के बीच सहयोग	11.05.2021	वेबिनार	
3	हाथ से मैला ढोने वाले और परिसंकटमय/खतरनाक सफाई संबंधी मुद्दे और चुनौतियां	05.07.2021	आभासी (वर्चुअल)	• केन्द्रीय मंत्रालय - 2 • शिक्षाविद- 1 • गैर सरकारी संगठन और निजी कंपनियाँ - 6 • नगर आयुक्त - 5
4	मानव दुवर्यापार और बाल देखभाल संस्थान	12.07.2021	हाइब्रिड – कक्ष संख्या 508, एनएचआरसी और आभासी (वर्चुअल) उपस्थिति	• बच्चों के अधिकार संबंधी एनएचआरसी का विशेष मॉनिटर -1 • मानव दुवर्यापार संबंधी एनएचआरसी की विशेष निगरानी - 1 • अधिवक्ता – 1
5	कुष्ठ रोग और कुष्ठ रोगी कालोनियाँ/गृह	20.07.2021	हाइब्रिड - कक्ष संख्या 508, एनएचआरसी और आभासी (वर्चुअल) उपस्थिति	• नागरिक समाज – 2

क्र.सं.	शीर्षक	तिथि	कार्यक्रम का स्थान	प्रतिभागियों की सूची
6	कोविड-19 के दौरान मानव अधिकार मुद्दों संबंधी एचआरडी और भावी प्रतिक्रिया	29.07.2021	वेबिनार	• नागरिक समाज – 3 • एलजीबीटीक्यूआई सदस्य - 2 • संयुक्त राष्ट्र एवं यूएनडीपी प्रतिनिधि-3 • डॉक्टर - 1 • स्वतंत्र कार्यकर्ता- 1 • अधिवक्ता - 1
7	बच्चों को डिजिटल शिक्षा : मुद्दे और चुनौतियाँ	21.12.2021	वेबिनार	• सरकारी मंत्रालय/स्वायत्त निकाय – 5 • यूनिसेफ - 1 • शिक्षाविद और विषय विशेषज्ञ - 9 • नागरिक समाज – 4 • अधिवक्ता - 1
8	महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि के मीटिंग विद एवरी वूमेन के प्रस्ताव के संबंध में उनके साथ बैठक	11.01.2022	आभासी (वर्चुअल)	• अधिवक्ता – 2 • एवरीवुमेन ट्रीटी के प्रतिनिधि - 3
9	शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के मूल मानव अधिकारों की प्रतिरक्षा संबंधी ओपेन हाउस चर्चा	20.01.2022		• सरकारी प्रतिनिधि – 3 • शिक्षाविद और सीएसओ/एनजीओ के प्रतिनिधि - 6

अनुलग्नक 10: आयोग द्वारा जारी परामर्शी

क्र. सं.	सलाहकार का नाम	जारी करने की तिथि
1. 1	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर स्वास्थ्य के अधिकार विषय पर मानव अधिकार परामर्शी (परामर्शी 2.0)।	04/05/2021
2. 2	मृतकों की गरिमा बनाए रखने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एनएचआरसी परामर्शी।	14/05/2021
3. 3	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर मानसिक स्वास्थ्य के अधिकार विषय पर मानव अधिकार परामर्शी (परामर्शी 2.0)।	31/05/2021
4. 4	कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान अनौपचारिक श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधी मानव अधिकार परामर्शी (परामर्शी 2.0)।	31/05/2021
5. 5	कोविड-19 महामारी के दौरान बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए परामर्शी।	31/05/2021
6. 6	कोविड-19 (2.0) के संदर्भ में बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए परामर्शी।	02/06/2021
7. 7	कोविड-19 के बीच विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के मानव अधिकारों की सुरक्षा संबंधी परामर्शी।	03/06/2021
8. 8	हाथ से मैला ढोने या खतरनाक सफ़ाई में लगे व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा संबंधी परामर्शी।	24/09/2021
9. 9	खाद्य सुरक्षा और पोषण के अधिकार संबंधी परामर्शी।	06/10/2021
10	बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए परामर्शी 2.0।	08/12/2021
11	कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों की पहचान, उपचार, पुनर्वास और भेदभाव के उन्मूलन संबंधी परामर्शी।	14/01/2022
12	कोविड-19 के संदर्भ में स्वास्थ्य के अधिकार विषय पर परामर्शी पर अनुपूरक सिफारिशें।	31/01/2022

अनुलग्नक 11: आयोग द्वारा जारी विशेष प्रतिवेदक और विशेष मॉनिटर सूची

क्र.सं.	विशेष प्रतिवेदक का नाम
1	**श्री महेश सिंगला (सेवानिवृत्त आईपीएस)** **एफ-301, फाल्कन व्यू, सेक्टर 66ए** **एयरपोर्ट रोड (मोहाली-140308)** **एसएएस नगर, पंजाब**
2	**डॉ. अशोक कुमार वर्मा (सेवानिवृत्त आईपीएस)** फ्लैट नंबर 09061, एटीएस प्रिस्टिन सेक्टर-150, नोएडा गौतमबुद्ध नगर-201301, उ.प्र
3	**श्री रंजन द्विवेदी (सेवानिवृत्त आईपीएस)** ए-901, पार्क व्यू, सेक्टर 61 नोएडा, जीबी नगर- 201301
4	**श्री पी एन दीक्षित (सेवानिवृत्त आईपीएस)** ई-91, फ़ॉरेस्ट काउंटी, ईऑन आईटी पार्क के पास खराडी, पुणे - 411014
5	**श्री मदन लाल मीना (सेवानिवृत्त आईएएस)** बी-5/28, सफदरजंग एन्क्लेव नई दिल्ली-110029
6	**डॉ. के सी शर्मा (सेवानिवृत्त कुलपति-कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय)** 167 शांति नगर, गोपालपुरा बायपास सी के बिड़ला अस्पताल के पास, जयपुर-302018
7	**श्री उमेश कुमार शर्मा (सेवानिवृत्त न्यायाधीश)** सी-601, मेवाड़ अपार्टमेंट हल्दी घाटी मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर-30233
8	**डॉ. राजिंदर कुमार मलिक (सेवानिवृत्त आईआरपीएफएस)** पी11-12, पहली मंजिल, साउथ एक्सटेंशन भाग 2 नई दिल्ली-110049
9	**सुश्री निर्मल कौर (सेवानिवृत्त आईपीएस)** पहली मंजिल, मकान नंबर 18, रोड नंबर 17, जवाहर नगर मानगो, जमशेदपुर- 831012, झारखंड
10	**सुश्री सुचित्रा सिन्हा (सेवानिवृत्त आईएएस)** मकान नंबर 71डी, रोड नंबर 1 अशोक नगर, रांची- 834002, झारखंड
11	**श्री हरि सेना वर्मा (सेवानिवृत्त आईपीएस)** आशीर्वाद पैलेस नंबर 41ए, फोर्ट त्रिपुनित हुरा एर्नाकुलम- 682301, केरल

क्र.सं.	विशेष प्रतिवेदक का नाम
12	**श्री एम. मदन गोपाल (सेवानिवृत्त आईएएस)** मथरू कुटीर, सी-6, प्रथम बी मेन आईएएस कॉलोनी, एचएसआर लेआउट, सेक्टर-6 बेंगलुरु- 560102, कर्नाटक
13	**श्री आशित मोहन प्रसाद (सेवानिवृत्त आईपीएस)** 468, चौथी मुख्य सड़क, डॉलर्स कॉलोनी आरएमवी द्वितीय चरण, बेंगलुरु- 560094, कर्नाटक
14	**श्री उमेश कुमार (सेवानिवृत्त आईपीएस)** मकान नंबर 60, दूसरी मंजिल, एमजी रोड रिवर फ्रंट, उज़ान बाज़ार, गुवाहाटी- 781001
15	**श्री अखिल कुमार शुक्ला (सेवानिवृत्त आईपीएस)** फ्लैट नंबर 1505, टावर- के I2, जेपी ग्रीन्स विश टावर, सेक्टर-134, नोएडा- 201304, उत्तर प्रदेश

क्र.सं.	विशेष मॉनिटर का नाम	विषयगत क्षेत्र और शामिल विषय
1	**श्री वीरेन्द्र सिंह रावत उर्फ स्वामी योगानंद ,** महाराजा सागर आश्रम, ग्राम-सागर गंगोल-गांव (गोपेश्वर), डाकघर-ग्वार देवलधार, चमोली, उत्तराखंड-246401	मानव अधिकार वकालत (उच्चतर शिक्षा और लैंगिक समानता)
2	**श्री जयन्तो नारायण चौधरी** सेवानिवृत्त आईपीएस (असम: 1978) फ्लैट नंबर 401, टावर-2, 2052 उपोहर - कंडोविले चकगरिया, कोलकाता-700094	आपराधिक न्याय प्रणाली (शामिल विषय - कारागार, किशोर न्याय और सुधार गृह) और पुलिस और पुलिस सुधार (सभी मामले पुलिस और पुलिस सुधार से संबंधित हैं)
3	**श्री कुमार राजेश चन्द्र** सेवानिवृत्त आईपीएस (बिहार : 85) ए-12, अंजलि अपार्टमेंट, बोरिंग रोड मित्रा कंपाउंड, पटना-800001, बिहार	आतंकवाद {शामिल विषय- शहरी आतंकवाद, विद्रोह रोधी, सीमा पार आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद (नक्सल विरोधी ऑपरेशन)} और सांप्रदायिक दंगे (सभी मामले सांप्रदायिक दंगों से संबंधित हैं)
4	**श्री हिमांशु शेखर दास** सेवानिवृत्त आईएएस-1982 (असम) मकान नंबर 26, ज्योति पथ, 11वीं बाइलेन लखीमीनगर हतीगांव, गुवाहाटी- 781038 असम	एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक (शामिल विषय - एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से संबंधित सभी मामले)
5	**श्री अहमद जावेद,** सेवानिवृत्त आईपीएस-1980 (महाराष्ट्र) 902, साईकृपा हिल व्यू, गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर-12 (प्राइम मॉल के पीछे) खारघर, नवी मुंबई-410210	बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम (शामिल विषय - बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम से संबंधित सभी मामले)
6	**श्री रजनी कांत मिश्रा** सेवानिवृत्त आईपीएस (यूपी:1984) पारिजात, होटल के पास, निहारिका पैलेस थपलिया मेहरागांव, नौकुचिया ताल भीमताल, नैनीताल, उत्तराखंड-263136	मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर स्वास्थ्य और अस्पताल (शामिल विषय - मानसिक स्वास्थ्य, एचआईवी/एड्स, नकली दवाएं, स्वच्छता, सिलिकोसिस, निदान और निदान प्रयोगशालाएं और अस्पताल)
7	**श्री सुरेंद्र कुमार** सेवानिवृत्त आईएफएस केएच-702, आम्रपाली विलेज अपार्टमेंट इंदिरापुरम, गाजियाबाद-201014	जनजातीय कल्याण (शामिल विषय - आदिवासियों और वनवासियों के कल्याण से संबंधित सभी मामले)
8	**श्री फ़ौज़ान अलवी** जी-43, जंगपुरा एक्सटेंशन नई दिल्ली- 110014	पर्यावरण (शामिल विषय - पर्यावरण और जल से संबंधित सभी मामले)
9	**डॉ. योगेश दुबे** #1 घनष्याम टावर एमजी रोड, बोरीवली (पूर्व) मुंबई- 400066 (महाराष्ट्र)	महिलाएं और दिव्यांगता (शामिल विषय-यौन हिंसा और बलात्कार, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न)

क्र.सं.	विशेष मॉनिटर का नाम	विषयगत क्षेत्र और शामिल विषय
10	**श्री बालकृष्ण गोयल** मकान नंबर 1123, सेक्टर-6, बहादुरगढ़ झज्जर, हरियाणा- 124507	बाल अधिकार और वरिष्ठ नागरिक (शामिल विषय - बाल अधिकार और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित सभी मामले)
11	**सुश्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी** laxmirakasha@yahoo.co.in	ट्रांसजेंडर (शामिल विषय - ट्रांसजेंडर, एलजीबीटी अधिकारों से संबंधित सभी मामले)
12	**सुश्री वृंदा स्वरूप** सेवानिवृत्त आईएएस-1981 (यूपी) आई-102, सोम विहार अपार्टमेंट आरके पुरम, नई दिल्ली- 110022	शिक्षा (शामिल विषय - आरटीआई अधिनियम, प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम, छात्रावास, अन्य सुविधाएं और मामले, शिक्षण और अन्य कर्मचारी)
13	**श्री हेमन्त नार्जरी** सेवानिवृत्त आईएएस (असम: 1990) मकान नं.188, कलागुरु बिष्णु राभा पथ बेलटोला, गुवाहाटी, असम-781028	पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन (शामिल विषय - पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से संबंधित सभी मामले)
14	**श्री सुधीर चौधरी** सेवानिवृत्त आईपीएस फ्लैट नंबर 203, आदर्श सीजीएचएस लिमिटेड प्लॉट नंबर 67, सेक्टर-55 गुरूग्राम, हरियाणा	मानव दुवर्यापार (शामिल विषय - मानव दुवर्यापार से संबंधित सभी मामले)
15	**श्री प्रेम सिंह बिष्ट** सेवानिवृत्त आईपीएस 1157, सेक्टर-21, पॉकेट-सी गुरूग्राम- 122016, हरियाणा	व्यवसाय और मानव अधिकार (शामिल विषय - व्यवसाय और मानव अधिकारों से संबंधित सभी मामले)

अनुलग्नक 12: शोध अध्ययन

चालू अनुसंधान परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
1	भोजन का अधिकार विषय पर एक अध्ययन : बिहार और उत्तर प्रदेश में बीपीएल परिवारों के बीच मौजूदा स्थिति	श्री मोहम्मद यूसुफ, कार्यकारी निदेशक, हरियाली-ग्रामीण विकास केंद्र	भोजन और पोषण का अधिकार	• प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन कर रहे परिवारों में भोजन की उपलब्धता, पहुंच और पर्याप्तता का पता लगाना। • बीपीएल परिवारों में भुखमरी/कुपोषण के कारण जान गंवाने वाले वयस्कों और बच्चों के मामलों का अध्ययन और विश्लेषण करना और मेडिकल रिपोर्ट/मृत्यु प्रमाण पत्र को देखकर मृत्यु के कारण की पुष्टि करना।
2	विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर पुस्तिकाएँ विकसित करना	श्री नूर आलम, कार्यकारी निदेशक, मल्टीपल एक्शन रिसर्च समूह (एमएआरजी), 205-206, शाहपुर जाट, नई दिल्ली-110049		• मानव अधिकार साक्षरता का सृजन करना

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
3	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013: दिल्ली में सरकारी विभागों/अर्ध-सरकारी/पीएसयू/ निजी क्षेत्रों में इसके प्रभाव, कार्यान्वयन की समस्याओं और चिंताओं का आकलन करने के लिए एक अध्ययन	डॉ. रितु गुप्ता, प्राध्यापक, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली, सेक्टर-14, द्वारका, नई दिल्ली	महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार/ मानव दुवर्यापार	• परियोजना के दायरे में उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की धारणा को समझना। • ऐसे मामलों में अपनी महिला कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान के लिए नियोक्ताओं द्वारा अपनाए गए उपायों और उठाए गए निवारक कदमों को जानना। • विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न संस्थानों में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी, अब आईसी) के गठन और कामकाज का आकलन करना और यदि गठन नहीं किया गया, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।
4	ट्रांसजेंडर के सामाजिक मुद्दों और कानूनी चुनौतियों पर एक अनुभवजन्य अध्ययन : दक्षिण भारतीय राज्यों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना) के विशेष संदर्भ में	डॉ. एम एल कालीचरण, निदेशक, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, रेवा विश्वविद्यालय, रुक्मिणी नॉलेज पार्क, कट्टिगेनहॉल, येलहंका, बेंगलुरु-560064	महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार/ मानव दुवर्यापार	• ट्रांसजेंडर की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना • इस आबादी के उत्थान के लिए विभिन्न राज्य सरकार की नीतियों को समझना • ट्रांसजेंडर द्वारा सामना की जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करना

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
5	ओडिशा राज्य में प्रवासन बंधुआ मजदूरी और दुवर्यापार के अंतर्संबंध	डॉ. शशमी नायक, प्राध्यापक, डॉ. अंबेडकर चेयर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंसेज (एनआईएसडब्ल्यूएएसएस), 3 चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751023	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रमिक के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे	• प्रवासन के पैटर्न और व्यापकता (अंतर और अंतरराज्यीय प्रवासन दोनों) और पिछले तीन वर्षों के भीतर बंधुआ और/या दुवर्यापार किए गए प्रवासन करने वालों का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए, जिसमें दुवर्यापार और बंधुआ मजदूर के लिए सबसे कमजोर लोगों की विशेषताएं और कारण कारक शामिल हैं। • ओडिशा से प्रवास और दुवर्यापार की प्रकृति को समझने के लिए, विशेष रूप से प्रवासी पैटर्न, मार्गों और प्रवास करने के तरीकों में प्रवासी श्रमिकों की संरक्षा और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों/परिस्थितियों को समझना। • कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं और कल्याण योजनाओं सहित ओडिशा सरकार के मौजूदा तंत्र की प्रभावकारिता को समझने के लिए, विशेष रूप से दुवर्यापार और बंधुआ मजदूरी के प्रति सबसे कमजोर लोगों द्वारा इनका अनुभव कैसे किया जाता है।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
6	हैदराबाद - कर्नाटक क्षेत्र में हाथ से मैला ढोने वाले और मल जल श्रमिकों की स्थिति - नीति और प्रथा।	डॉ. मोहन दास के. एसोसिएट प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान अध्ययन विभाग, विजयनगर, श्री कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय, बल्लारी, कर्नाटक	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला ढोने के मुद्दे	• अमानवीय प्रथा को मिटाने के लिए विभिन्न कानूनों एवं नीति विधानों को समझना। • अध्ययन क्षेत्र में हाथ से मैला ढोने वालों की समस्या की प्रकृति और भयावहता का आकलन करना। • हाथ से मैला ढोने वालों के वित्तीय और गैर-वित्तीय भाग सहित पारिवारिक आजीविका की स्थिति का आकलन करना।
7	गुजरात केंद्रीय कारागारों में विचाराधीन कैदियों की स्थिति पर एक अनुभवजन्य अध्ययन	प्रो. (डॉ.) पुरवी पोखरियाल, निदेशक, विधि संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय, सरखेज - गांधीनगर राजमार्ग, छारोड़ी, अहमदाबाद-382481	आपराधिक न्याय प्रणाली	• • जेलों में विचाराधीन कैदियों की स्थिति, उनके स्वास्थ्य, आत्महत्या की बढ़ती संख्या और सजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी लंबे समय तक जेलों में रहने पर एक अनुभवजन्य शोध अध्ययन करना।
8	बाल देखभाल संस्थानों की भूमिका और सीसीआई में बच्चों का पुनर्वास	डॉ. एस. बारिक, संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (एनआईपीसीसीडी), 5, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज़ खास, नई दिल्ली	महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार / मानव दुवर्यापार	• बच्चों के पुनर्वास में सीसीआई द्वारा निभाई गई भूमिका की स्थिति का आकलन करना। • सीसीआई में किशोर न्याय अधिनियम के अनुपालन में उपलब्ध सेवाओं की स्थिति का मूल्यांकन करना। • सीसीआई में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जांच करना और सुधार के लिए सुझाव भी दाखिल करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
9	मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए सामाजिक रूप से जिम्मेदार आपूर्ति श्रृंखलाओं पर एक अध्ययन	डॉ. आनंद अकुंडी, सहायक प्राध्यापक, सार्वजनिक उद्यम संस्थान, उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद 500007	व्यापार और मानव अधिकार	• आपूर्ति श्रृंखला प्रकार्यों में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के बीच सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करना। • यह जांचने के लिए कि कंपनियों द्वारा सामाजिक आपूर्ति श्रृंखला के प्रदर्शन को उत्तरोत्तर कैसे लागू किया जा सकता है। • आपूर्ति श्रृंखला कार्यों के साथ सामाजिक जिम्मेदारी हासिल करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना
10	दक्षिण भारत और उत्तर-पूर्व में घरेलू कामगार : गरिमा और अधिकार परिप्रेक्ष्य से एक स्थितिजन्य विश्लेषण	डॉ. लेखा डी भट्ट, सहायक प्राध्यापक, महामारी विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रम के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे	• युवा महिला/बालिका घरेलू कामगारों के प्रवासन के जनसांख्यिकीय प्रोफ़ाइल, प्रवासन पैटर्न और कारणों का अध्ययन करना। • युवा महिला/बालिका घरेलू कामगारों द्वारा उनकी व्यावसायिक भूमिकाओं में काम/अधिकारों की गरिमा की अवधारणा की अभिव्यक्ति को समझना और इसे जाति, लिंग और वर्ग के व्यापक सामाजिक संदर्भ में खोजना। • यह समझने के लिए कि महिलाएं सेवा जैसे सहकारी आंदोलनों के साथ अपनी सहलग्नता/भागीदारी के माध्यम से सम्मान और मानव अधिकारों के लिए कैसे प्रयास करती हैं।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
11	महिलाओं और बच्चों की दुवर्यापार-चुनौतियाँ और उपाय	डॉ.अवधेश कुमार सिंह, प्रधान सलाहकार, भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान ओसी-16/1002 ऑरेंज काउंटी, अहिंसा खंड-I, इंदिरापुरम, (दिल्ली एनसीआर) गाजियाबाद 201014	महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार /मानव दुवर्यापार	• भारत में महिलाओं और बच्चों की दुवर्यापार के मूल कारणों और कार्यप्रणाली की पहचान करना। • भारत में महिलाओं और बच्चों की दुवर्यापार के परिमाण, कारण, प्रकृति और आयामों का अध्ययन करना। • सरकारी हस्तक्षेपों और भारत में महिलाओं और बच्चों की दुवर्यापार के मुद्दों के बीच संबंध को समझना और दुवर्यापार के रुझानों और पैटर्न और संरचनात्मक और कार्यात्मक तंत्र को समझना जो इस घटना को बनाए रखने वाली प्रक्रियाओं को पुन: उत्पन्न और सुदृढ़ करता है।
12	कारागार और पुलिस हिरासत में मौत के रुझान और पैटर्न का विश्लेषण: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ऐसी मौतों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ. मोहम्मद असलम, सहायक प्राध्यापक, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ-202002	आपराधिक न्याय प्रणाली	• कारागार और पुलिस हिरासत में मौतों की प्रवृत्ति और पैटर्न और समाज पर इसके प्रभाव की जांच करना। • मानव अधिकार न्यायशास्त्र के आलोक में कारागार और पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों के कारण और परिणामों का अध्ययन करना। • ऐसी घटनाओं को रोकने और नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा कानूनों की प्रभावकारिता की जांच करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
13	स्कूलों में बाल श्रमिकों के मुद्दों को मुख्यधारा में लाना : चुनौतियाँ और विकल्प	डॉ. अजय कुमार सिंह, प्राध्यापक, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, वीएन पूरव मार्ग, देवनार, मुंबई- 400 088	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रमिक के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे	• शिक्षा में बाल श्रमिकों को मुख्यधारा में लाने के रास्ते के मुद्दों और चुनौतियों की जांच करना। • मुख्यधारा की प्रक्रिया में सुधार के लिए क्षेत्र स्तरीय वैकल्पिक समाधान तलाशना। • स्थान : तीन राज्य, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना। प्रत्येक राज्य से एक जिला, अर्थात् गया, ठाणे और हैदराबाद।
14	भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग में बालिका श्रम की व्यापकता	डॉ. एम. कार्तिक, सहायक प्राध्यापक, लोक उद्यम संस्थान, शमीरपेट परिसर, एसवाय संख्या 1266, शमीरपेट (वी एंड एम), आरआर जिला, हैदराबाद-501101	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रम के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे	• तमिलनाडु और गुजरात में वस्त्र और परिधान क्षेत्र में श्रमिकों की रोजगार प्रथाओं का पता लगाना। • वस्त्र और परिधान उद्योग और गुजरात और तमिलनाडु में बालिका श्रमिकों के रोजगार और कार्य स्थितियों की पहचान करना। • यह पता लगाने के लिए कि क्या कर्मचारी शोषणकारी रोजगार योजनाओं के तहत बालिका श्रम को नियोजित करने में उप-दलालों, कंपनी के प्रतिनिधियों जैसे किसी तीसरे पक्ष से प्रभावित हो रहे हैं।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
15	हिरासत में मौत: झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में रुझान और पैटर्न	डॉ. अनवर आलम, प्रतिष्ठित फेलो, पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन, के-51, ग्रीन पार्क मुख्य नई दिल्ली-110016।	अपराधिक न्याय प्रणाली	• भारत में हिरासत में होने वाली मौतों (कारागार में मौतें और पुलिस हिरासत में मौतें) की भयावहता को समझना और उजागर करना; • विभिन्न रूपों में हिरासत में होने वाली मौतों के पीछे के विभिन्न कारणों को समझना और उनका विश्लेषण करना - कारण और सहायक कारक; • हिरासत में होने वाली मौतों के पैटर्न और रुझानों की जांच करना, उदाहरण के लिए, हिरासत में होने वाली मौतों के आर्थिक, समाजशास्त्रीय और मनोवैज्ञानिक पहलू।
16	मूक बढ़ते बहुमत की अनसुनी आवाज़: राजस्थान की महिला प्रवासी श्रमिकों के बीच सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिमों का आकलन	डॉ. शैज़ी अहमद, सहायक प्राध्यापक, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बांदरसिंदरी, किशनगढ़, अजमेर - 305 817	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रमिक के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे	• राजस्थान के चयनित जिलों में आवक प्रवास के विभिन्न रुझानों को उजागर करना और असंगठित क्षेत्र में लगी प्रवासी महिलाओं के सामाजिक सुरक्षा लाभों और जोखिमों की जांच करना। • असंगठित क्षेत्र में कार्यरत प्रवासी महिलाओं के व्यावसायिक प्रावधानों और स्वास्थ्य संबंधी खतरों का आकलन करना। • महिला प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित डेटा के लिए सांख्यिकीय कारक विश्लेषण, छानबीन और अन्य तकनीकों को क्रियान्वित करके साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करना

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
17	मानव अधिकारों के मुद्दों और समस्याओं की पहचान करना और प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए नीति ढांचा विकसित करना	डॉ. आर. कासिलिंगम, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आरवी नगर, कलापेट, पुडुचेरी- 605014	बंधुआ, प्रवासी और बाल श्रमिक के अधिकार और अन्य श्रम संबंधी मुद्दे	• प्रवासी मजदूरों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना। • मजदूरों के अंतरराज्यीय प्रवास के लिए जिम्मेदार कारकों का अध्ययन करना और प्रवास और रोजगार खोज में सूचना प्रसारण प्रक्रिया की जांच करना। • प्रवासी मजदूरों के रोजगार पैटर्न, मजदूरी दर, काम करने की स्थिति और रहने की स्थिति का अध्ययन करना।
18	एसिड हमले के पीड़ितों का पुनर्एकीकरण और पुनर्वास	प्रो. सरसु एस्थर थॉमस, प्राध्यापक एनएलएसआईयू, बैंगलोर	महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार/मानव दुवर्यापार	• भारत में एसिड हमला पीड़ितों से संबंधित कानूनी और नीतिगत ढांचे का अध्ययन करना। • यह जांचने के लिए कि यह जमीन पर कैसे काम करता है। • पीड़ितों के व्यक्तिगत अनुभवों और उनकी कहानियों पर गौर करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
19	केरल में साइबर शोषण की सीमा और बच्चों की सुरक्षा संबंधी अध्ययन	डॉ. एल्सा मैरी जैकब, सहायक प्राध्यापक, भारत माता स्कूल ऑफ सोशल वर्क, भारत माता कॉलेज, सीपोर्ट-एयरपोर्ट रोड, थ्रीक्काकारा, कोच्चि- 682021	महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार/मानव दुवर्यापार	• केरल में बच्चों और किशोरों द्वारा सामना किए जाने वाले ऑनलाइन उपयोग, दुरुपयोग और शोषण के प्रकार और सीमा का पता लगाना। • मौजूदा इंटरनेट सुरक्षा उपायों और बच्चों की सुरक्षा के लिए इसके अनुप्रयोग की पहचान करना। • केरल में बच्चों और किशोरों के ऑनलाइन दुरुपयोग और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में माता-पिता और महत्वपूर्ण अन्य लोगों की धारणा की जांच करना।
20	भारत में श्रम बल में महिलाओं की गिरती भागीदारी : कारकों और बाधाओं की जमीनी स्तर की जांच	डॉ. ऋषि कुमार, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र और वित्त विभाग, बिट्स, पिलानी हैदराबाद परिसर	महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार/मानव दुवर्यापार	• उन कारकों को समझना जो उन्हें देश में श्रम शक्ति में शामिल होने से रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। • उन कारकों को समझना जो महिलाओं को कार्यबल से बाहर करने का कारण बनते हैं, उन महिलाओं के मूल्यांकन को शामिल करके जो पहले काम करती थीं, लेकिन बाद में बल से बाहर हो गईं। • शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोजगार संबंधी पहलुओं की तुलना और भेद करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
21	भारत में एलजीबीटी समुदाय के बीच मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे: मानसिक स्वास्थ्य विकारों और तनाव, मुकाबला, अभिकल्पित सामाजिक समर्थन, व्यवसाय और धार्मिकता के बीच अंतर-संबंध का एक अध्ययन	डॉ. सुशांत कुमार पाधी, सहायक प्राध्यापक और प्रमुख, मनोचिकित्सा विभाग, एम्स, भुवनेश्वर	महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार/मानव दुर्व्यापार	• भारत के एलजीबीटी के मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को समझना। • भारत के एलजीबीटी समुदाय में आत्मघाती जोखिम का आकलन करना • एलजीबीटी समुदाय में मादक द्रव्यों के सेवन और मानसिक स्वास्थ्य विकारों की जांच करना।
22	पंजाब में दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा : संभावनाएँ और चुनौतियाँ	डॉ. किरण कुमारी, सहायक प्राध्यापक, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पंजाब	दिव्यांगों के अधिकार	• समावेशी शिक्षा से संबंधित आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना। • दिव्यांग छात्रों के सामने आने वाली शैक्षणिक चुनौतियों का पता लगाना। • दिव्यांग छात्रों के सामने आने वाली बुनियादी ढांचागत और व्यवहार संबंधी बाधाओं की पहचान करना।
23	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में खाद्य और पोषण सुरक्षा : तीन भारतीय राज्यों से साक्ष्य	डॉ. अमित कुमार बसंतराय, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	भोजन और पोषण का अधिकार	• खाद्य और पोषण संबंधी असुरक्षा की सीमा को मापना • एससी और एसटी परिवारों और सामान्य श्रेणी के परिवारों की खाद्य और पोषण संबंधी असुरक्षा की स्थिति में अंतर का दस्तावेजीकरण करना • खाद्य असुरक्षा के निर्धारकों का पता लगाना

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
24	प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा के अधिकारों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव	प्रो. जुबैर मीनाई, प्राध्यापक, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली - 110025	शिक्षा का अधिकार	• प्रवासी बच्चों की शिक्षा पर महामारी और स्कूल बंद होने के प्रभाव का अध्ययन करना। • आरटीआई के आलोक में कोविड-19 के दौरान प्रवासी बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंत्र की जांच करना। • प्रवासी बच्चों द्वारा अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए किए गए उपायों को समझना।
25	वन अधिकार अधिनियम, 2006 - जमीनी हकीकत का आकलन	डॉ. गदाधर महापात्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला ढोने वालों के मुद्दे	• अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) अधिनियम, 2006 के प्रभाव का आकलन करना। • वन अधिकार अधिनियम, 2006 के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लैंगिक परिप्रेक्ष्य का आकलन करना। • अधिनियम के माप योग्य परिणामों (आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में समुदाय पर एफआरए के आजीविका/आर्थिक प्रभाव) का पता लगाना

नव स्वीकृत शोध परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
1	उत्तर क्षेत्र के विशेष संदर्भ में वृद्धाश्रमों में रहने वाले बुजुर्ग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन	डॉ. नीलू मेहरा, सहायक प्राध्यापक, स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकार	• वृद्धाश्रमों में बुजुर्ग व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले अस्पष्ट क्षेत्रों को उजागर करके बुजुर्ग व्यक्तियों के कल्याण और जीवन की गुणवत्ता पर संरचनात्मक, संस्थागत और परिचालन ढांचे में अंतराल को संबोधित करना। • वृद्धाश्रमों के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता के संबंध में प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करना। • वृद्धाश्रम के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करने वाले तनाव संकेतकों के वांछित और मौजूदा स्तर में अंतराल की पहचान करना।
2	आईसीडीएस आंगनबाड़ियों में भाग लेने वाले 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता और संबंधित कारक : उत्तरी भारत का एक अध्ययन	डॉ. ज़ुबैर मीनाई, प्राध्यापक, प्रारंभिक बचपन विकास और अनुसंधान, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	भोजन और पोषण का अधिकार	• आईसीडीएस आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता का आकलन करना। • बच्चों में कुपोषण से जुड़े कारकों का पता लगाना। • छोटे बच्चों के बीच चुनौतियों और उल्लेखनीय पोषण प्रथाओं (घर और आंगनवाड़ी केंद्रों दोनों पर) का अध्ययन करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
3	शरणार्थियों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका तक पहुंच	श्री संदीप चाचरा, कार्यकारी निदेशक, एक्शनएड एसोसिएशन, नई दिल्ली	शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के अधिकार	• भारत में शरणार्थी समुदायों के प्रवास, सुरक्षा और कल्याण उपायों के लिए उपलब्ध कानून, नीतियों और कार्यक्रमों और संस्थागत तंत्र का विश्लेषण करना। • भारत में अभिचिन्हित शरणार्थी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और पड़ोसी मेजबान समुदायों के साथ उनके संबंधों का दस्तावेजीकरण करना। • पोषण, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका आदि सहित बुनियादी जरूरतों और कल्याण प्रावधानों तक पहुंचने में विभिन्न शरणार्थी समूहों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझना।
4	भारत में शरणार्थी शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा : पहुंच बढ़ाने के लिए नीति उन्मुख नवाचार और तकनीकी दृष्टिकोण की अभिकल्पना	डॉ. शुवरो प्रोसून सरकार, सहायक प्राध्यापक, राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, आईआईटी, खड़गपुर	शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के अधिकार	• भारत में शरणार्थी शिक्षार्थियों की शिक्षा की स्थिति की अभिकल्पना करने वाले मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढांचे की जांच करना, • साक्षात्कारों के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों से भारत में शरणार्थी शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा तक पहुंच से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का पता लगाना और उनका विश्लेषण करना, • सरकारी और निजी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में शरणार्थी बच्चों के लिए प्रवेश की निर्बाध पहुंच में सुधार करना।
5	परित्यक्त विधवाएँ : आवाज़ फिर भी बेआवाज़, दृश्यमान फिर भी अदृश्य	सुश्री मीरा खन्ना, उपाध्यक्ष और ट्रस्टी, गिल्ड ऑफ सर्विसेज, नई दिल्ली	महिलाओं, बच्चों और एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकार/मानव दुवर्यापार	• विधवाओं को त्यागे जाने की जिस भावना का सामना करना पड़ता है उसे समझना। • उन उल्लंघनों के प्रभाव को समझना जिन्होंने विधवाओं की स्थिति और उनके जीवन की गुणवत्ता पर प्रभाव के कारण बने। • यह दस्तावेज में दर्ज करने के लिए कि कैसे उल्लंघन करने वाली विधवाएं अपने और अपने परिवार के लिए आजीविका कमाने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रही हैं।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
6	मध्य भारत (महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश) के अंतरराज्यीय सीमा क्षेत्रों पर स्थित जनजातीय क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में आश्रम स्कूलों (लड़कों और लड़कियों के आवासीय) के कामकाज पर एक अनुभवजन्य अध्ययन	प्रो. (डॉ.) रश्मी सालपेकर, प्राध्यापक और डीन, वीएसएलएलएस, वीआईपीएस-टीसी, नई दिल्ली	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला साफ करने वालों के मुद्दे	• महाराष्ट्र में आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम विद्यालयों /आवासीय विद्यालयों के प्रबंधन और शासन की स्थिति और मुद्दों को समझना। • जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों के नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानना। • भारत में जनजातीय समुदाय के लिए आश्रम विद्यालयों /आवासीय विद्यालयों पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति का संवर्द्धन करना।
7	उपलब्धि अंतराल या अवसर अंतराल (ओ-गैप)? गढ़चिरौली, वारंगल, आदिलाबाद की आदिवासी लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूलों के शैक्षिक स्थानों में समान शैक्षिक अवसरों (ईईओ), समान सीखने के अवसरों (ईएलओ) तक पहुंच और सीखने की क्षीणता (एलपी) तक पहुंच का एक सामाजिक-कानूनी अध्ययन। श्रीकाकुलम, बस्तर और कोंडेगांव जिले	डॉ. उमा माहेश्वरी चिमिरला, सहायक प्राध्यापक, एनएएलएसएआर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जस्टिस सिटी, शमीरपेट हैदराबाद, तेलंगाना	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला साफ करने वालों के मुद्दे	• संज्ञानात्मक अनुपस्थिति और संज्ञानात्मक ड्रॉपआउट-वाद पर शिक्षकों के साथ जुड़कर शिक्षा के अधिकार (आरटीई) और समान शैक्षिक अवसरों और सीखने के अवसरों के ढांचे के भीतर शैक्षिक और भाषाई अधिकारों पर चर्चा में योगदान देना। • एक आदिवासी बच्चे के लिए ईईओ की अभिव्यक्तियों को गंभीरता से समझना और वहां से पांच जिलों के संदर्भ में ओ-गैप की प्रकृति और अभिव्यक्तियों का आकलन करना। • उन विभिन्न अवसरों और बाधाओं को समझना जिनके भीतर एक आदिवासी बच्चे के ईईओ को महसूस किया जाता है और वहां से, उन पहलुओं को रेखांकित करना जो समुदाय द्वारा उपेक्षित /परिधीय /महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नीति में शामिल नहीं हैं।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
8	ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिलों में शिक्षा तक पहुंच में असमानता।	डॉ. थॉमस वर्गीस, अनुसंधान निदेशक, भारतीय सामाजिक संस्थान, नई दिल्ली	शिक्षा का अधिकार	• चयनित आकांक्षी जिलों में शैक्षिक परिणामों में भिन्नता के लिए जिम्मेदार सामाजिक-आर्थिक कारकों की पहचान करना। • अध्ययन के आधार पर मौजूदा नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं में कमियों की पहचान करना और आकांक्षी जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक बेहतर पहुंच के उद्देश्यों को साकार करने के लिए उन्हें संबोधित करने हेतु सुझाव/सिफारिशें देना। • हस्तक्षेप क्षेत्रों और उन स्थानों पर सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करना जहां हस्तक्षेप सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए नई कार्रवाई और इसकी प्रतिकृति शुरू करने के लिए कार्रवाई और प्रतिबिंब से सीखने को प्रोत्साहित करना है।
9	भारत में चयनित भौगोलिक क्षेत्रों में पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण की व्यापकता और कारण	डॉ. रूपा प्रसाद, कार्यकारी निदेशक, पब्लिक हेल्थ रिसोर्स सोसाइटी, हौज़ खास, नई दिल्ली	भोजन और पोषण का अधिकार	• चयनित भौगोलिक क्षेत्रों में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन, दुबलेपन और कम वजन की व्यापकता का निर्धारण करना। • इस समुदाय में कुपोषण से जुड़े घरेलू, समुदाय और सिस्टम स्तर के कारकों का अध्ययन करना। • चयनित क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) में आईसीडीएस की सेवा वितरण का आकलन करना।
10	विभिन्न हितधारकों के बीच नैदानिक परीक्षणों के बारे में जागरूकता विषय पर प्रश्नावली सर्वेक्षण का इष्टतम डिजाइन	डॉ. अनामिका, सहायक प्राध्यापक, जेएनयू, दिल्ली		• इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में नैदानिक परीक्षणों के संचालन में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच चिकित्सा नैतिकता के केएपी (ज्ञान, दृष्टिकोण और अभ्यास) में अंतर को समझने के लिए एक व्यापक प्रश्नावली सर्वेक्षण तैयार करना है।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
11	मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम के संदर्भ में भारत के पांचवीं और छठी अनुसूची क्षेत्रों में एसटी बच्चों पर एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का प्रभाव	डॉ. रामानंद पांडे, निदेशक, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस, जनपथ, नई दिल्ली	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग / अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हाथ से मैला साफ करने के मुद्दे	• एमओटीए (धारा 6, स्कूल में सुविधाएं) के दिशानिर्देशों के अनुसार मौजूदा ईएमआरएस की गुणवत्ता तक पहुंच प्राप्त करना। • ईएमआरएस के अभिशासन और प्रबंधन संरचना का आकलन करना। • ईएमआरएस के शैक्षणिक पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के साथ-साथ सेवा और पूर्व-सेवा प्रशिक्षण अंतराल और जरूरतों की पहचान करने के लिए जनजातीय केंद्रित शिक्षा प्रदान करने में ईएमआरएस के शिक्षकों की क्षमता और संभावना का आकलन करना।
12	कोविड-19 के दौरान वन और जनजातीय समुदायों (एफटीसी) के मानव अधिकारों की सुरक्षा में ग्राम पंचायतों की भागीदारी वाली स्थानीय शासन व्यवस्था कितनी प्रभावी है? : महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सुदूर और चरमपंथ प्रभावित क्षेत्रों में चुनिंदा ग्राम पंचायतों का एक अध्ययन	डॉ. धनराज ए. पाटिल, प्राध्यापक और प्रमुख, गोंडवाना विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र	पंचायती राज संस्थाएँ और स्थानीय शासी निकाय	• एफटीसी के मौलिक मानव अधिकारों पर कोविड-19 के बहु प्रभावों और परिणामों की जांच करना और महामारी के चुनौतीपूर्ण समय में एफटीसी की मानव अधिकार संबंधी सरोकारों की सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाए गए स्थानीय रूप से प्रासंगिक और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त कोविड प्रबंध मॉडल का पता लगाना। • विशेष रूप से लॉकडाउन और लॉकडाउन पश्च अवधि के दौरान पारंपरिक आजीविका / रोजगार, प्रथागत व्यवसायों और स्वास्थ्य और भोजन से संबंधित एफटीसी के प्राकृतिक मानव अधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए ग्राम पंचायतों की कोविड प्रबंधन रणनीतियों के परिणाम और लाभों का अध्ययन करना। • एफटीसी के अंतर्निहित मानव अधिकारों की रक्षा करने और संवर्द्धन करने के लिए जमीनी स्तर पर उभर रहे नए परिवर्तनकारी वैकल्पिक लोकतांत्रिक स्थानीय शासन संरचनाओं के पैटर्न और महत्व का अध्ययन करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
13	स्थानीय स्वशासन और जनजातीय अधिकारों का संवर्धन : ओडिशा में मलकानगिरी जिले और झारखंड में गुमला जिले का तुलनात्मक अध्ययन	डॉ. उमेश चंद्र साहू, प्राध्यापक (सेवानिवृत्त), गुरुकुल फाउंडेशन, ओडिशा	पंचायती राज संस्थाएँ और स्थानीय शासी निकाय	• स्थानीय स्वशासन प्रक्रिया के वैचारिक आधार और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने में सहभागी दृष्टिकोण की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना। • ग्राम सभा और अन्य विकास कार्यक्रम में कमजोर वर्गों, विशेष रूप से आदिवासियों की स्थिरता, समानता, गरिमा और सभी संवैधानिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करते हुए पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशन के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की क्षमता का पता लगाना। • अपनी अपेक्षित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को पूरा करने में जन प्रतिनिधियों के प्रदर्शन के स्तर की जांच करना।
14	ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में मानव अधिकारों का संवर्द्धन : पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से साक्ष्य	डॉ. पुनीत पाठक, सहायक प्राध्यापक, कानून विभाग, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय	पंचायती राज संस्थाएँ और स्थानीय शासी निकाय	• एलएसजी में मानव अधिकार कार्यान्वयन के दायरे को समझना। • मानव अधिकारों के सम्मान, सुरक्षा, पूर्ति और संवर्द्धन के संबंध में ग्रामीण एलएसजी की स्थिति का मूल्यांकन करना। • मानव अधिकारों को क्रियान्वित करने में ग्रामीण स्थानीय अधिकारियों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना।
15	स्थानीय स्वशासन में मानव अधिकारों का संवर्द्धन करना - भारत के कुड्डालोर जिले की चुनिंदा ग्राम पंचायतों का एक अध्ययन	डॉ. वी. रथिकारानी, सहायक प्राध्यापक, अन्नामलाई विश्वविद्यालय	पंचायती राज संस्थाएँ और स्थानीय शासी निकाय	• सामान्य रूप से ग्राम पंचायतों के कामकाज और विशेष रूप से तमिलनाडु और पुडुचेरी में चयनित ग्राम पंचायतों में मानव अधिकार पहलुओं को समझना। • यह देखना कि नागरिक (अल्पसंख्यक, वंचित, महिलाएं, आदि) अपने मानव अधिकारों की रक्षा के लिए स्थानीय सरकार के साथ कैसे जुड़ते हैं। • ग्राम पंचायतों के रोजमर्रा के शासन में मानव अधिकारों के संवर्द्धन को समझना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
16	महामारी, मानव अधिकार और आजीविका का भविष्य: भारतीय अर्थव्यवस्था से एक अनुभवजन्य साक्ष्य	डॉ. राहुल सुरेश सपकाल, सहायक प्राध्यापक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे	व्यापार और मानव अधिकार	• इस अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान महामारी में सामने आए तीन प्रमुख मानव अधिकारों की चुनौतियों की जांच करना है - भारतीय श्रमिकों, उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों द्वारा सामना किए जाने वाले जीवन का अधिकार और जीवन की रक्षा के लिए कर्तव्य, स्वास्थ्य का अधिकार और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच और आवाजाही की स्वतंत्रता और आजीविका का अधिकार। • निम्नलिखित क्षेत्रों में पहुंच, अंगीकरण, अनुकूलनशीलता और संधारणीयता के संदर्भ में मानव अधिकार संस्थागत बाधाओं की स्थिति विश्लेषण प्रदान करना : क) जीवन पर महामारी के प्रभाव, आजीविका हानि और रोजगार पुनर्वास में चुनौतियाँ ख) मौजूदा महामारी के कारण व्याप्त असमानता, भेदभाव और वर्जन को कम करने में आने वाली चुनौतियाँ
17	गैर-लकड़ी वन उत्पाद का व्यावसायीकरण : भारत में निर्धारक और आपूर्ति श्रृंखला	डॉ. प्रताप कुमार जेना, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, महाराजा श्रीराम चंद्र भांजा देव विश्वविद्यालय, ओडिशा	व्यापार और मानव अधिकार	• अध्ययन क्षेत्र में वनों पर निर्भर समुदायों की सामाजिक-आर्थिक हैसियत का विश्लेषण करना। • एनटीएफपी संग्रह और आय और रोजगार में योगदान के अर्थशास्त्र का विश्लेषण करना। • एनटीएफपी के घरेलू संग्रह और आपूर्ति श्रृंखला के हितधारकों पर कोविड-19 महामारी के प्रभावों की जांच करना।

क्र. सं.	अनुसंधान परियोजना का शीर्षक	प्रधान अन्वेषक और संस्थान का नाम	विषयगत क्षेत्र	उद्देश्य
18	दक्षिण भारत (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल) के आकांक्षी जिलों में बालिका शिक्षा के अधिकार में 4ए की रूपरेखा - सरकारी और निजी स्कूलों का तुलनात्मक विश्लेषण	डॉ. डी. प्रिंस अन्नादुरई, सहायक प्राध्यापक, सामाजिक कार्य विभाग, मद्रास क्रश्चियन कॉलेज, चेन्नई	शिक्षा का अधिकार	• स्कूलों की उपलब्धता, सुरक्षित बुनियादी ढांचे, शैक्षणिक संसाधनों, परिवहन और स्वच्छता सुविधाओं के संदर्भ में बालिकाओं की शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्धता का विश्लेषण करना। • भेदभाव मुक्त वातावरण, समावेशी शिक्षा, पौष्टिक भोजन और स्कूल की दूरी प्रदान करके बालिका शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए किए गए उपायों की पहचान करना। • शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के माध्यम से बालिकाओं के बीच शिक्षा की स्वीकार्यता की सीमा का अध्ययन करना।

अनुलग्नक 13: छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आयोग से सहबद्ध विश्वविद्यालय/कॉलेज

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	कार्यक्रम के आयोजन की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	गुडेप्पाहल्लीकेरी डिग्री कॉलेज, हावेरी कर्नाटक	कार्यक्रम दिनांक 27/11/2021 को ऑफलाइन आयोजित किया गया	100
2.	बी. एल. अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मुंबई	कार्यक्रम दिनांक 23/12/21 को ऑफ़लाइन आयोजित किया गया	100
3.	भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, भोपाल	कार्यक्रम दिनांक 4/12/21 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	50
4.	कॉलेज ऑफ लॉ आई एल ई आर नंदुरबार, महाराष्ट्र	कार्यक्रम दिनांक 27/12/21 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	50
5.	अय्या नादर जानकी अम्मल कॉलेज, शिवकाशी, तमिलनाडु	कार्यक्रम दिनांक 25/2/22 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	50
6.	एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा, यूपी	कार्यक्रम दिनांक 16/12/21 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	100
7.	पीवीपी सिद्धार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, कनुरु, विजयवाड़ा	कार्यक्रम दिनांक 14/12/21 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	100
8.	जीटीएन आर्ट्स कॉलेज, डिंडीगुल, तमिलनाडु	कार्यक्रम दिनांक 18/12/21 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	100
9.	हंसराज जीवनदास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, खार, मुंबई	कार्यक्रम दिनांक 15/1/22 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	100
10.	अम्मल कॉलेज ऑफ एडवांस्डस्टडीज़ नीलांबुर, केरल	कार्यक्रम दिनांक 24/1/22 को ऑफ़लाइन आयोजित किया गया	100
11.	भारती विद्यापीठ, पुणे, महाराष्ट्र	कार्यक्रम दिनांक 15/12/21 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	50
12.	लोयोला कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु	कार्यक्रम दिनांक 7/1/22 को ऑफ़लाइन आयोजित किया गया	100
13.	श्रीमती ज्वाला देवी कॉलेज पंजाब	कार्यक्रम दिनांक 5/3/22 को ऑफ़लाइन आयोजित किया गया	100
14.	बिशप हेबर कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	कार्यक्रम दिनांक 5/3/22 को ऑफ़लाइन आयोजित किया गया	100
15.	एमिटी यूनिवर्सिटी, हरियाणा	कार्यक्रम दिनांक 8/2/22 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	50
16.	के एस आर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तमिलनाडु	कार्यक्रम दिनांक 4/2/22 को ऑफ़लाइन आयोजित किया गया	100
17.	बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय, हमीरपुर के पास, हिमाचल प्रदेश	कार्यक्रम दिनांक 3/3/22 को ऑफ़लाइन आयोजित किया गया	100
18.	जीएच रायसोनी कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस, पुणे	कार्यक्रम दो दिन दिनांक 20-21 फरवरी 2022 को ऑफ़लाइन आयोजित किया गया	200

क्र.सं.	एजेंसी का नाम	कार्यक्रम के आयोजन की तिथि	प्रतिभागियों की संख्या
19.	नेहरू कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, तमिलनाडु	कार्यक्रम दिनांक 2/3/22 को ऑफलाइन आयोजित किया गया	100
20.	मानव सेवा ट्रस्ट एनजीओ मकान नंबर 62/2, एमआईएसएम कॉलेज के पास सुंदरनगर, मंडी, हिमाचल प्रदेश	कार्यक्रम दिनांक 5/3/22 को आयोजित किया गया	100
21.	श्री गुलजारीलाल मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी एनजीओ, सुंदरनगर, हिमाचल प्रदेश	कार्यक्रम दिनांक 15/3/22 को आयोजित किया गया	100
22.	छत्रपति शिवाजी महाराज एनजीओ बाहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था जिला हिंगोली, महाराष्ट्र	कार्यक्रम दिनांक 27//3 22 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	100
23.	नवज्योति यूथ वेलफेयर सोसाइटी (एनजीओ), जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश	कार्यक्रम दिनांक 28/3/22 और दिनांक 29/3/22 को ऑफ़लाइन आयोजित किया गया	200
24.	संगोला कॉलेज, कडलास रोड, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र	कार्यक्रम दिनांक 25/3/22 को ऑफ़लाइन आयोजित किया गया	50
25.	पी के आर कॉलेज फॉर वुमेन गोबिचेट्टीपलायम, इरोड, तमिलनाडु	कार्यक्रम दिनांक 23/3/22 को ऑनलाइन आयोजित किया गया	50
26.	धर्ममूर्ति राव बहादुर कालवाना हिंदी कॉलेज, चेन्नई	कार्यक्रम दिनांक 29/4/22 को आयोजित किया गया	100
27.	टीपैट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर यूएचएफ, सोलान, हिमाचल प्रदेश; निदेशक, वाईएसपी यूएचएफ द्वारा	कार्यक्रम दिनांक 23/3/22 को आयोजित किया गया	100
28.	कैरियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर	कार्यक्रम दिनांक 29/3/22 को आयोजित किया गया	50
		कुल	**2,550**

1. अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल डिग्री कॉलेज
2. एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज
3. एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़
4. एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश।
5. एमिटी लॉ स्कूल, दिल्ली
6. एमिटी यूनिवर्सिटी, हरियाणा
7. एमिटी यूनिवर्सिटी, राजस्थान
8. एमिटी लॉ स्कूल, एमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
9. एमिटी यूनिवर्सिटी, मध्य प्रदेश
10. आंध्र विश्वविद्यालय
11. आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, मोहाली
12. असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ कॉपरेटिव मैनेजमेंट
13. बी के बिड़ला कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स
14. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
15. सीसीएस मेरठ
16. कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी
17. दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय
18. केंद्रीय विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
19. मानव अधिकार एवं कर्तव्य केंद्र, पंजाब विश्वविद्यालय
20. चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
21. चंडीगढ़ विश्वविद्यालय
22. क्राइस्ट नगर कॉलेज, मारानल्लूर, केरल विश्वविद्यालय।
23. क्राइस्ट विश्वविद्यालय
24. क्लस्टर विश्वविद्यालय, जम्मू
25. कृषि महाविद्यालय, पुणे
26. सी पी जे कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज और स्कूल ऑफ लॉ, जीजीएसआईपीयू से संबद्ध
27. सीटीएम – आईआरटीई (एम डी यू यूनिवर्सिट, रोहतक से संबद्ध)
28. दामोदरम संजीवय्या राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विशाखापत्तनम
29. दौलत राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
30. दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन, गुरू गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से संबद्ध।
31. विधि विभाग, अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय
32. विधि विभाग, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय
33. धर्ममूर्ति राव बहादुर कालावलाकुन्नानचेट्टी हिंदू कॉलेज
34. डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
35. डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय
36. डॉ. हरिसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश
37. एथिराज महिला कॉलेज
38. विधि संकाय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
39. विधि संकाय, हांगकांग विश्वविद्यालय
40. फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी
41. फर्ग्यूसन कॉलेज, पुणे
42. गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
43. शासकीय न्यू लॉ महाविद्यालय, इंदौर
44. ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय
45. गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, गुजरात
46. गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय
47. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर,

छत्तीसगढ़

48. गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर
49. हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला
50. हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
51. हिमगिरी ज़ी यूनिवर्सिटी
52. आई सी एफ ए आई लॉ स्कूल, हैदराबाद
53. आई सी एफ ए आई विश्वविद्यालय, देहरादून
54. आईआईएलएस (सिलीगुड़ी), उत्तरी बंगाल विश्वविद्यालय से संबद्ध
55. भारतीय कानूनी अध्ययन संस्थान; उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय
56. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास
57. इंडियन लॉ सोसायटी [आईएलएस] पुणे
58. विधि संस्थान, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र
59. विधि संस्थान, निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद
60. जादवपुर विश्वविद्यालय
61. जामिया मिलिया इस्लामिया केन्द्रीय विश्वविद्यालय
62. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
63. जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत
64. न्यायमूर्ति बशीर अहमद सईद महिलाओं कॉलेज
65. कमला नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
66. लेडी श्री राम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
67. मदुरै शिवकासिनादर्स पायनियर मीनाक्षी महिला कॉलेज
68. महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, औरंगाबाद
69. महिला महाविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
70. माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
71. मानिकचंद पहाड़े लॉ कॉलेज, औरंगाबाद
72. मणिपुर विश्वविद्यालय
73. एम सी के वी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग
74. मिरांडा हाउस
75. एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी
76. एमएनएलयू नागपुर
77. मॉडल डिग्री कॉलेज, घनसावंगी (यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज)
78. नागालैंड विश्वविद्यालय
79. राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय
80. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला, ओडिशा
81. नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल
82. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम
83. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली
84. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा
85. एडवांस्ड लीगल स्टडीज राष्ट्रीय विश्वविद्यालय
86. न्यू लॉ कॉलेज, भारती विद्यापीठ विश्वविद्यालय, पुणे
87. नॉर्थकैप विश्वविद्यालय
88. ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी
89. पंडित दीन दयाल ऊर्जा विश्वविद्यालय
90. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
91. पी जी विधि महाविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय
92. पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय
93. प्रेसीडेंसी विश्वविद्यालय, बेंगलुरु
94. राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब
95. आर बी वी आर आर महिला कॉलेज
96. आरसीसी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
97. संपूर्ण मोंटफोर्ट कॉलेज

98. संजीवन इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान पन्हाला
99. सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय (पीईएस मॉडर्न लॉ कॉलेज, पुणे)
100. स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन लॉ, तमिलनाडु
101. शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
102. श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स
103. श्रीशिवाजी साइंस कॉलेज, अमरावती, महाराष्ट्र
104. संतगाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र।
105. श्रीवैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ
106. श्रीवैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय
107. सर परशुराम भाऊ कॉलेज (स्वायत्त), पुणे
108. एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई
109. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय
110. एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
111. एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, उल्हासनगर-4, मुंबई विश्वविद्यालय
112. सेंट एन्स कॉलेज फॉर वुमेन, हैदराबाद
113. सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई
114. सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची
115. सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ लॉ, बैंगलोर
116. एस वी के एम एस स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एनएमआईएमएस डीम्ड यूनिवर्सिटी
117. स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
118. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद
119. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, नोएडा (सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी)
120. सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, पुणे-सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी
121. सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
122. सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ लॉ, पुणे
123. टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई
124. तीर्थंकर महावीर विधि महाविद्यालय और विधि अध्ययन
125. तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी
126. यूएफवाईएलसी, राजस्थान विश्वविद्यालय
127. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी
128. यूनिवर्सिटी फाइव ईयर लॉ कॉलेज, जयपुर
129. यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, पंजाब यूनिवर्सिटी
130. कलकत्ता विश्वविद्यालय
131. दिल्ली विश्वविद्यालय, दौलत राम कॉलेज
132. दिल्ली विश्वविद्यालय, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज
133. हैदराबाद विश्वविद्यालय
134. कश्मीर विश्वविद्यालय
135. लखनऊ विश्वविद्यालय
136. मुंबई विश्वविद्यालय
137. मुंबई विश्वविद्यालय लॉ अकादमी
138. वीआईटी स्कूल ऑफ लॉ
139. वीआईटी विश्वविद्यालय
140. वितास्ता स्कूल ऑफ लॉ, कश्मीर विश्वविद्यालय
141. विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जीजीएसआईपीयू, नई दिल्ली
142. वीएम सालगांवकर कॉलेज ऑफ लॉ, पणजी – गोवा
143. जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, रांची

संकेताक्षर की सूची

एएवाय : अंत्योदय अन्न योजना
एसीजेएम : अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
एएचटीयू : मानव दुवर्यापार रोधी इकाई
एआईसीटीई : अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एडीएम एवं एचओ : अपर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
एएमसी : एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट्स
एएनबी : आत्म निर्भर भारत
एएनएम : सहायक नर्स और मिडवाइफ
एपीएफ : राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच
आर्ट. : अनुच्छेद
आर्टस्. : अनुच्छेद
एएसआई : सहायक उप निरीक्षक
एटीआई : प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान
एटीआर : कृत कार्रवाई रिपोर्ट
बीएलएसएए अधिनियम : बंधुआ मजदूर प्रणाली (निरसन)
बीपीएल : गरीबी रेखा से नीचे
बीपीआरएंडडी : पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
सीएए : नागरिकता संशोधन कार्य
सीएपीएफ : केन्द्रीय सशत्र पुलिस बल
सीबी-सीआईडी/सीआईडी-सीबी : अपराध शाखा अपराध अन्वेषण विभाग
सीबीआई : केंद्रीय जांच ब्यूरो
सीसीआई : बाल देखभाल संस्थान
सीसीटीवी : क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा
सीईडीएडब्ल्यू : महिलाओं के विरुद्ध सभी स्वरूप के भेदभाव के निरसन संबंधी कन्वेंशन
सीएफएनएचआरआई : राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के राष्ट्रमंडल फोरम
सीआईएसएफ : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
सीएमओ : मुखिया चिकित्सा अधिकारी
सीपीसीबी : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सीपीआई : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीओ : सर्किल अधिकारी
सी.आर.पी.सी. : अपराधी प्रक्रिया संहिता
सीआरसी : बाल अधिकार संबंधी कन्वेंशन
सीआरसीसी : पुनर्वास काउंसलर प्रमाणीकरण आयोग
सीआरपीएफ : केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
सीएसएएम : बाल लैंगिक दुरुपयोग सामग्री
सीएसआर : कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी
सीएसएस : केंद्र प्रायोजित योजना
सीयूटीएन : केंद्रीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु
डीबीटी : प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसी : जिला कलेक्टर
डीसीपी : पुलिस उप-आयुक्त
डीसीआरजी : मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान
डीडी : दैनिक डायरी
डीडीआरसी : जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र
डेलनेट : डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्किंग
डीईओ : जिला शिक्षा अधिकारी
डीजीपी : पुलिस महानिदेशक
डी एम : जिला मजिस्ट्रेट
डीपीओ : दिव्यांग पीपुल्स संगठन
डीएसएलएसए : दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
डीएसपी : पुलिस उपाधीक्षक
ईडी : प्रवर्तन निदेशालय
ईडीएमसी : पूर्वी दिल्ली नगर निगम
एफएसी : प्रथम संशोधित शिकायत
एफआईआर : प्रथम सूचना रिपोर्ट
एफएसएल : न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला
एफवाय : वित्तीय वर्ष
जीएएनएचआरआई : वैश्विक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान गठबंधन
जीडी : जनरल डायरी
जीईएम : गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस
भारत सरकार : भारत सरकार
जीपीएफ : सामान्य भविष्य निधि
जीआरपी : सरकारी रेलवे सुरक्षा
एचसी : हेड कॉंस्टेबल
एचआईवी : मानव रोग प्रतिरक्षा वायरस
एचक्यूएस./ एचक्यूआरएस : मुख्यालय
एचआर : मानव अधिकार

एचआरडी : मानव अधिकार प्रतिरक्षक
आई एंड पीआरओ : सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी
आईसीसी : मानव अधिकार संवर्द्धन और संरक्षण संबंधी अंतरराष्ट्रीय समन्वय समिति
आईसीडीएस : एकीकृत बाल विकास योजना
आईसीएमआर : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद
आईसीपीएस : एकीकृत बाल सुरक्षा योजना
आईजी : महानिरीक्षक
आईटीडीए : एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी
आईएम-पीडीएस : एकीकृत जन वितरण प्रबंध प्रणाली
आईएमए : भारतीय चिकित्सा संगठन
आईओ : अन्वेषण अधिकारी
आईपीसी : भारतीय दंड संहिता
आईपीओपी : वृद्ध व्यक्ति एकीकृत कार्यक्रम
आईपीएसआरसी : वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम
आईआरडीएआई : भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईवीएफ : इन-विट्रो निषेचन
जेसीएल : कानून के साथ संघर्ष में किशोर
जेएलएमएस : जगन्नाथ अंतरराष्ट्रीय प्रबंध विद्यालय
जे जे अधिनियम/जेजेए: किशोर न्याय अधिनियम
एलएफएस : लिंक की गई फ़ाइलें
एलजीबीटीक्यूआई+ : समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, क्वीर और इंटरसेक्स
एम/ओ : मंत्रालय
एमएआरजी : बहु कार्रवाई शोध समूह
एमडीजी : मिलेनियम विकास लक्ष्य
एमडीएमएस : मध्याह्न भोजन योजना
एमईआर : मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट
मनरेगा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, 2005
एमजीएनआरईजीएस: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना
एमएचए : गृह मंत्रालय
एमआईएस : प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएलसी : मेडिको विधिक मामले
एमएसएमई : सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमडब्ल्यूसीडी : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनएएसी : राष्ट्रीय आकलन और प्रत्यायन परिषद
एनसीबी : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो
एनसीसी : राष्ट्रीय कैडेट कोर
एनसीईआरटी : राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
एनसीआर : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनसीआरबी : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एनसीटी : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एनईपी : राष्ट्रीय शिक्षा नीति
एनएफएचएस : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनएफएसए : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
एनजीओ : गैर- सरकारी संगठन
एनएचआरसी : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
एनएचआरआई : राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान
एनआरआईडीए : राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी
एनआईए : राष्ट्रीय जांच एजेंसी
एनआईओएच : राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान
एनआईपीसीसीडी : राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान
एनएलयू : नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
एनएमएचएस : राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण
एनओके : निकटम संबंधी
एनएसएपी : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एनएसकेएफडीसी : राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम।
एनएसएसओ : राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय
एनवाईकेएस : नेहरू युवा केन्द्र संगठन
ओबीसी : अन्य पिछड़ा वर्ग
ओएचसीएचआर : मानव अधिकार उच्च आयुक्त कार्यालय
ओपेक : खुला सार्वजनिक सुलभ कैटलॉगिंग
ओएससी : वन स्टॉप सेंटर
पी .एस ./ पी एस : पुलिस स्टेशन/थाना
पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम : पूर्व-गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
पीसीआर :नागरिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम
पीडी : शारीरिक व्यायाम
पीडीएस : सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीईएमएसआरए :हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

पीईएसए : पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996

पीएचआरए/पीएचआर अधिनियम : मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993

पीएम-केयर्स फंड :प्रधान मंत्री आपातकालीन नागरिक सहायता और राहत निधि

पीएमजीके ए वाई : प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

पीएमजीएसवाई : प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

पीएमजेएवाई : प्रधान मंत्री जनवरी आरोग्य योजना

पॉक्सो अधिनियम : यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम

पीपीपी : सार्वजनिक निजी भागीदारी

पीपीएच : प्रसवोत्तर पश्च रक्तस्राव

पीटीआई : पुलिस प्रशिक्षण संस्थान

पीटीआर : छात्र शिक्षक अनुपात

पीडब्ल्यूडी : दिव्यांगजन

आर/ओ : निवासी

आर/डब्ल्यू : सह पठित

आरएसी : त्वरित कार्रवाई प्रकोष्ठ

आरओएफआर : वन अधिकारों की मान्यता (आरओएफआर) अधिनियम, 2006

आरपीएफ : रेलवे सुरक्षा बल

आरपीडब्ल्यूडी : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

आरटीई : शिक्षा का अधिकार

एस/ओ : सुपूत्र

एसएएम : गंभीर अति कुपोषण

एससी : अनुसूचित जाति

एसडीजी : संधारणीय विकास लक्ष्य

एसडीएम : उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट

एसईडब्ल्यूए : स्व-रोज़गार महिला संगठन

एसएचजी : स्व - सहायता समूह

एसआईटी : विशेष अन्वेषण दल

एसएमएस : लघु संदेश सेवा

एसएनपी : पोषण कार्यक्रम

एसओपी : मानक प्रचालन प्रक्रिया

एसपी : पुलिस अधीक्षक

एसएस : शिक्षा सहायक

एसएसपी : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

एसटी : अनुसूचित जनजाति

एस.टी.एफ. : विशेष कार्य बल

टीबी : क्षय रोग

टीपीडीएस : पूरक लक्षित जन वितरण प्रणाली

यू/एस : धारा के अंतर्गत

यूएपी : लाइसेंस रहित सहायक कार्मिक

यूडीआईडी : अद्वितीय दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

यूडीआईएसई : एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली

यूजीसी : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

यूएनसीआरसी : बाल अधिकारों संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

यूएनसीआरपीडी : दिव्यांगजन अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

यूएनजीपी-बीएचआर : व्यवसाय और मानव अधिकार संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांत

यूएनएचआरसी : संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद

यूएनडब्ल्यूजी-बीएचआर: संयुक्त राष्ट्र व्यवसाय और मानव अधिकार कार्य समूह

यूपीआर : सामान्य आवधिक समीक्षा

यूटी : संघ राज्य क्षेत्र / केन्द्र शासित प्रदेश

यूटीपी : अंतर्गत मुक़दमा चलाने वाला कैदी

वीसी : वीडियो कान्फ्रेंसिंग

वीसीएस : पीड़ित प्रतिकर योजना

वेस्को : पश्चिमी बिजली आपूर्ति कंपनी का ओडिशा

डब्ल्यू/ओ : की पत्नी

डब्ल्यूएफपी : विश्व खाद्य कार्यक्रम

डब्ल्यूएचओ : विश्व स्वास्थ्य संगठन

जेडआईपीएनईटी : ज़ोनल एकीकृत पुलिस नेटवर्क